खण्ड-355, अंक-8
मंगलवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(2 मार्च, 1982 ई0)

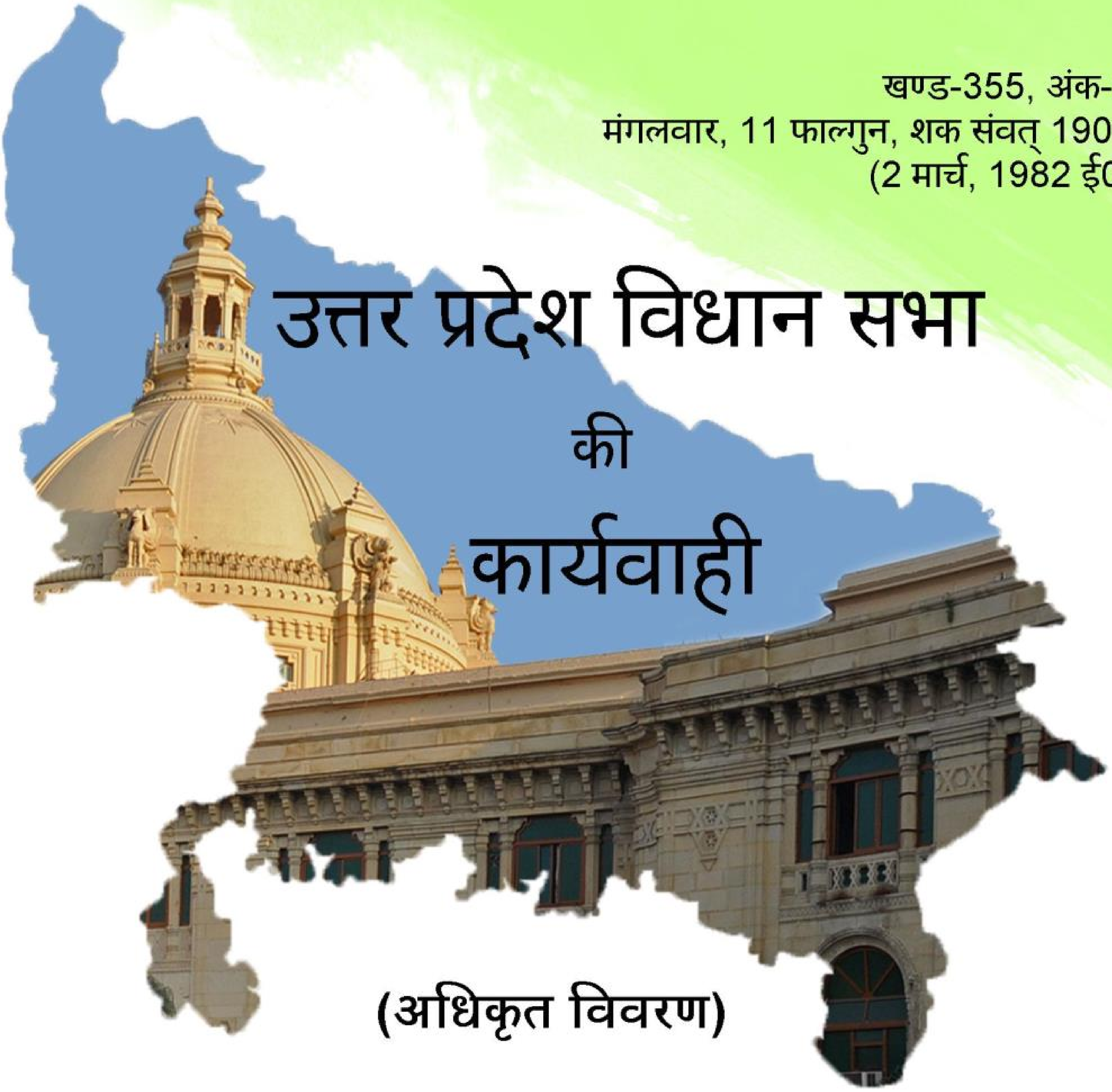

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 355 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	855-858
प्रश्नोत्तर	859-949
अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर पर सदस्यों में असंतोष व सदन में व्यवधान	950-957
आगरा जनपद के खदौली क्षेत्र का आलू ट्रक यूनियन की साजिश से ट्रक उपलब्धता में कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	958
जनपद फैजाबाद की सदर तहसील के अन्तर्गत माझा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में भूमि आवंटन सम्बन्धी विवाद के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	958-959
सीतापुर जिले के परिषदीय जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों से वेतन की अनुचित कटौती के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	959
जिला अस्पताल मथुरा में दवाइयों की चोरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	960
निर्वाचन क्षेत्र (हरैया ब्लाक) में उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल वितरित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	960-961
विधान भवन के एस0 आई0 श्री ब्रह्मदीन पाल व दो सिपाहियों के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	961-962
टिहरी गढ़वाल के भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	962
फैजाबाद से प्रकाशित "फैजाबाद की आवाज" साप्ताहिक समाचार-पत्र के सम्पादक, सह सम्पादक, प्रबन्धक तथा सह प्रबंन्धक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	963-964
टिहरी गढ़वाल के भूमि संरक्षण अधिकारी के विरूद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय पर पुनर्विचार की मांग	964-966
विधान भवन के एस0 आई0 श्री ब्रह्मदीन पाल व दो सिपाहियों के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर कार्यवाही किये जाने की मांग ..	966-967
फैजाबाद से प्रकाशित "फैजाबाद की आवाज" साप्ताहिक समाचार-पत्र के सम्पादक, सहसम्पादक, प्रबन्धक तथा सह प्रबन्धक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना पर पुनर्विचार की माग	967-968
सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने हेतु श्री स्वामी नेम पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी प्रार्थना पर सहमति का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	968
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	969
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 के पुरःस्थापन पर आपत्ति	969-971
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्प कालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1982 (पुरःस्थापित किया गया)	971-972
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	972-973
1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76-सूचना विभाग .... (स्वीकृत)	973-1001
व्यवस्था का प्रश्न	1001-1002
अनुदान संख्या 1 आबकारी विभाग—(पारित)	1002-1024
गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये होने वाले चुनाव में वैध पाये गये नामों की सूचना	1024-1025
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1025
मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में विपक्ष द्वारा गृह मंत्री के वक्तव्य को न सुने जाने के संबंध में आपत्ति व जिला मैनपुरी के ओछा थाने के अन्तर्गत 4 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	1026-1035
नत्थियां	1036-1062

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 2 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष; श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 317

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद, खां श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री — इलाहाबाद
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ए0सी0 ग्राइस, श्री नामनिर्देशित आंग्लभारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली

कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री — बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव, श्री (एडवोकेट) — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री — देवरिया
खुर्शेद अहमद, श्री — बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
गंगा, सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरेलाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवरधन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैया, श्री — बलिया
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री — बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चरनजीत सिंह, श्री — पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री — पिथौरागढ़

चतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जावेदअली, श्री — मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल 'विकल सलेती', श्री — फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
त्रिवेनी, श्री — आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नारायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
ध्रुप राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई

नाजिर अली, श्री — शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
निर्मल खत्री, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलवीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री — रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तर काशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बृज किशोर मिश्र, डा० — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती, — झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — कानपुर
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया

मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मंजूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मो० जमीर अहमद, श्री — एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबशज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानापल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी — रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) — गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री — वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रती राम, श्री — बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री — रायबरेली
राज किशोर राव, श्री — बहराइच
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राध श्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० — जौनपुर
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
रामलाल, श्री — सीतापुर
रामलाल वर्मा श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सहारनपुर
राम सिंह, श्री — सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री — बरेली
राम सिंह रावल, श्री — एटा
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री — सहारनपुर
रामस्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रुल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री — एटा

लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्यासागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
बिशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोषकुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर
सुजान सिंह बुन्देला श्री	ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हरिबंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट:—श्रम मंत्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

मंगलवार, 2 मार्च, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

ग्राम मानिकपुर, थाना भदोही जिला वाराणसी में डकैती तथा मृतकों के आश्रितों तथा घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

*1--श्री ऊदल (अनुपस्थित)

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मानिकपुर, थाना भदोही, जिला वाराणसी में 22 या 23 फरवरी, 1981 की रात में एक भयानक डाका पड़ा जिसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु मौके पर तथा एक अस्पताल में हो गयी तथा कई अन्य व्यक्ति घायल हो गये ? क्या यह सत्य है कि मानिकपुर पुलिस चौकी, चोरा थाना भदोही एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर है ? यदि हां, तो पुलिस वहां कब पहुंची ? क्या यह भी सत्य है कि तीनों मृतकों की लाशें कई घंटे तक श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल के बाहर सड़क के किनारे पड़ी रहीं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त घटना के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23/24-2-81 की रात में प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना के संबंध में थाना भदोही पर धारा 395/397 भा0 द0 वि0 के अधीन अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी बाद में तीन व्यक्तियों को अस्पताल ले जाते समय व एक की अस्पताल में मृत्यु हो जाने के कारण धारा 396 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। घटनास्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित चौकी चौरा की पुलिस सूचना मिलते ही वहां पहुंची।

तीन मृतकों के शव चिकित्साधिकारी द्वारा भर्ती न किए जाने के कारण पुलिस की देखरेख में अस्पताल के बाहर रखे गये।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना से 10 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 6 के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया तथा दो को धारा 169 जा0फौ0 के अन्तर्गत रिहा किया गया व शेष दो फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गई। इस मामले में लूटी गई कुछ सम्पत्ति भी पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है।

मृतकों के परिवार वालों को तथा घायल व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता दी गई।

राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की विभिन्न परियोजना ईकाइयों के कार्यालयों में सहायकों/तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण

*2---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की विभिन्न परियोजना इकाइयों के कार्यालयों में कार्यालय सहायकों तथा अन्य तकनीकी पदों पर अनेक क्वालिफाइड लोग मात्र दैनिक वेतन के आधार पर कई कई वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनकी सेवा के नियमितीकरण की दिशा में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें कब तक नियमित किये जाने का विचार है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लगभग 4 1/2 माह पूर्व इस प्रश्न की सूचना दी गई थी और आज जो उत्तर मिला उसमें कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यदि आप प्रश्न देखें तो उसमें केवल यह है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

की विभिन्न परियोजना इकाइयों के कार्यालयों में कार्यालय सहायकों तथा अन्य तकनीकी पदों पर अनेक क्वालिफाइड लोग मात्र दैनिक वेतन के आधार पर कई कई वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनकी सेवा के नियमितीकरण की दिशा में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। तो इस बात को देखते हुए कि यू0पी0 भर में केवल 5–7 कार्यालय होंगे जिनसे सूचना एकत्रित की जा रही होगी तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि एक भी, कार्यालय से सूचना प्राप्त हो गयी है ? शासन की नीति है कि अगर कोई पद रिक्त है और 200 दिन से ज्यादा उन पर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसकी स्थायी नियुक्ति कर दी जायेगी। तो क्या इस आशय के आदेश शासन द्वारा निर्गत हुए हैं कि जो लोग दैनिक वेतन के आधार पर कार्य कर रहे हों, और 200 दिन से ज्यादा का समय हो गया हो, उनकी स्थायी नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, कल सौभाग्य से जब आप यहां पर मौजूद थे तो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और कहा था कि जब प्रश्न का उत्तर सही न हो तो यह उत्तर दिया जा सकता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। उन्हीं की बातों के मार्ग दर्शन से कि अगर अंश में सूचना दे दी जाती तो कल वाली बात आज वे फिर कहते। तो उसी आधार पर आज वही उत्तर दिया जा रहा है।

जहां तक दूसरे भाग का उत्तर है कि जो लोग एक अवधि तक कार्य कर चुके हों, उनको स्थायी किये जाने पर सरकार क्या सोच रही है, मेरा निवेदन है कि नीति विषयक बात पहले ही बतायी जा चुकी है कि अगर वे 3 साल से काम कर रहे हों और वे पूरी तरह से क्वालिफाइड हों और कार्य करने में कोई ऐसी बात न रही हो कि उनको वहां से हटाया जाय और वित्तीय स्थिति भी ठीक हो तो उनको कर लेते हैं। तो ऐसी सूचना आ जाने पर इस प्रश्न से सम्बन्धित सारी चीजें बतायी जा सकती हैं।

ग्राम खरगपुर, जिला लखनऊ के श्री काशीराम हरिजन पर कातिलान हमले की दर्ज रिपोर्ट

*3—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि ग्राम खरगपुर, थाना मड़ियांव, जिला लखनऊ के श्री काशीराम हरिजन पर 20/21 जुलाई, 1980 को हुये कातिलाने हमले की रिपोर्ट श्री काशीराम द्वारा थाना मड़ियांव में रिपोर्ट दर्ज कराई ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ? तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री काशीराम हरिजन निवासी ग्राम खरगपुर जिला लखनऊ ने दिनांक 22-7-80 को थाना मड़ियांव पर जुबानी सूचना दी कि उस दिन जब वे लखनऊ जाने के लिये गांव से बाहर निकले तो उनको कुछ इस प्रकार की आवाज सुनाई दी कि भाग जाओ नहीं तो मार दिये जाओगे और 3 अभियुक्तगण ने उन पर हमला किया और मारने के लिये दौड़ाया। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना मड़ियांव में धारा 352 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें 3 अभियुक्तों को नामजद किया गया था।

श्री काशीराम हरिजन निवासी ग्राम खरगपुर, थाना मड़ियांव जिला लखनऊ का एक प्रार्थना पत्र हरिजन सेल के माध्यम से थाना मड़ियांव पर 1–8–80 को प्राप्त हुआ जिसके आधार पर धारा 147/148-352 भा0 द0 वि0 का अभियोग दिनांक 2–8–80 को पंजीकृत किया गया और जिसमें 6 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। अभियोग में नामजद सभी

अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री रियासत हुसैन—

इस मेरे प्रश्न का मुख्य पार्ट यह है कि रिपोर्ट क्या है ? मंत्री जी ने बताया कि जबानी रिपोर्ट हुई । तो कृपा करके यह बतला दें कि वह रिपोर्ट क्या लिखायी गयी पूरी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, जबानी रिपोर्ट जो लिखायी गयी वह अपराध संख्या 352 में दर्ज है और उसमें 3 अभियुक्तों के नाम हैं—गोकरन, लल्लू और पन्नालाल । यह 22—7—80 को लिखायी गयी और जो घटना घटी थी उसी के बारे में थी ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या उसने हरिजन सेल को भी कोई दरख्वास्त दी थी और उसमें 6 अभियुक्तों के नाम लिये गये थे और जिस वक्त वह रिपोर्ट लिखाने आया तो भी उसने 6 अभियुक्तों के नाम लिये पर रिपोर्ट 3 ही व्यक्तियों के खिलाफ लिखी गयी, यह क्या सही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हरिजल सेल को भी उसने लिख कर भेजा था और उसमें 6 व्यक्तियों के नाम थे, लेकिन जब प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी तो 3 के ही नाम लिखाये गये ।

श्री रियासत हुसैन—

उस दरख्वास्त के आधार पर जब आपने 6 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया तो एफ0 आई0 आर0 में, जब उसने 6 आदमियों के नाम लिये, तो 3 ही क्यों लिखे गये, क्या माननीय गृह मंत्री इसकी जांच करायेंगे और पुलिस के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे कि उसने 3 ही नाम क्यों लिखे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

यह बात सही है कि जब उन्होंने शिकायत की थी तो 6 आदमियों के नाम लिये थे, लेकिन चूंकि रिपोर्ट में 3 का ही नाम दर्ज है, इसलिये इसकी जांच चल रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या आप इस बात की जांच करवायेंगे कि जब उसने 6 आदमियों के खिलाफ रिपोर्टर लिखायी और 6 के नाम बताये, तो पुलिस ने 3 आदमियों के खिलाफ ही रिपोर्ट क्यों लिखी और पुलिस ने जानबूझ कर जो 3 ही आदमियों के नाम रिपोर्ट में लिखे, इसके लिये पुलिस के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, इसी बिन्दु पर तो जांच चल रही है कि उसने 6 आमदियों क लिये कहा या 3 आदमियों के लिये कहा । यह भी विचार हुआ कि कहीं यह आफ्टर थाट तो नहीं है । मैं इसकी जानकारी कर रहा हूं ।

मजदूर यूनियन, मोदीनगर के अध्यक्ष श्री जय प्रकाश की हत्या तथा अभियुक्तों के विरुद्ध जारी आरोप-पत्र

*4—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मंत्री बतायगे कि हिन्द मजदूर सभा से संबंधित सैकड़ों मजदूर यूनियन, मोदीनगर के अध्यक्ष श्री जय प्रकाश की हत्या गत 30 जून, 1981 को उस समय की गई जब वे मजदूर की सभा को संबोधित कर रहे थे ? यदि हां, तो इस संबंध में तत्काल क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29-6-81 को श्री वीरेश्वर त्यागी ने थाना मोदीनगर पर इस आशय की रिपोर्ट अंकित कराई कि जब मोदी पोन के कर्मचारी गेट पर मीटिंग कर रहे थे और श्री जय प्रकाश स्टेज पर बैठे हुये थे तो कुछ व्यक्तियों ने आक्रमण कर दिया जिसके फलस्वरूप श्री जय प्रकाश व अन्य को चोटें आई तथा श्री जय प्रकाश की अस्पताल आकर मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मोदीनगर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/302/323/324/379/427 भा0 दं 0 वि0 पंजीकृत किया गया। 30-6-81 को ही 3 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किये गए तथा एक ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। शेष 7 अभियुक्त भी 8-7-81 तक विभिन्न तिथियों में गिरफ्तार किये गये। विवेचना के उपरान्त 11 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी इस बात से, इस तथ्य से अवगत करायेंगे आदरणीय सदन को कि जो अभियुक्त लोग हैं, वे कौन लोग हैं, और इस जघन्य घटना का कारण क्या है, मोटिव क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यह मोदीनगर में दो यूनियनों के लिये आपस का बहुत दिनों का अन्दरूनी संघर्ष चला आ रहा था और उसी संघर्ष के दौरान यह घटना भी घटित हुई। उस मोदीपोन पर, जिसमें एक दूसरे यूनियन का कब्जा था, श्री जय प्रकाश जी, जिस पर मोदीपोन का अधिकार, बरचस्व बनाने का इरादा था, पुलिस को सूचना दी थी कि 6 से 7 के बीच में सभा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य था कि 6 बजे के पहले ही वह वहां सभा करने लगे और इसी पर वह दुर्घटना हुई।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मामला न्यायालय को चला गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जी हां।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि अभियुक्त कौन है ? हत्या की वजह क्या है ? यह सीधा सा मेरा सवाल था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, अभियुक्त जो हैं, वह नरेन्द्र शर्मा, और उनके साथ झन्डू सिंह, महाबीर सिंह, महीपाल सिंह, लाल सिंह, बी0 जी0 राबिन, मुकेश, राज्यपाल पहलवान और ओंकार, ब्रह्मपाल, वेद प्रकाश आदि जो मोदीनगर में ही रहते हैं और वहां पर विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं, इनका नाम है।

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी विवेचना न्यायालय में हो रही होगी ?

श्री रियासत हुसैन—

मैं उसके अलावा पूछना चाहता हूं।

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है, मैंने स्वय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी को पत्र लिखा था। इस संघर्ष का एक इतिहास है, फिर एक मोदी, लोकल कोतवाल, लोकल वहां के

कांग्रेस के संगठन के लोग भी इसमें मुलजिम हैं। इस आधार पर कोई आप जांच करा रहे हैं या करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रियासत साहब, यह पूरा मामला तो न्यायालय में चला गया है ?

श्री रियासत हुसैन--

न्यायालय में सब-जुडिस वह मैटर है जिनको इन्होंने चार्जशीट किया है। मैंने स्वयं पत्र गृह मंत्री की और मुख्य मंत्री जी को लिखा है, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सारी घटना के ऊपर संघर्ष का एक इतिहास है। इन्हीं लोगों का हाथ है, मोदी का, और वहां के लोकल पुलिस का और वहां के कांग्रेस संगठन का। तो क्या इस बिन्दु पर आप जांच करा रहे हैं ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह तो पहले ही कह दिया गया है कि इसके पीछे एक इतिहास है। वहां दो यूनियन्स हैं, जिनका आपस में संघर्ष है और इसी के कारण यह सब घटना हुई है और यह भी कहा गया है कि जिनके खिलाफ चार्जेज हैं, जिन्होंने यह घटना की है, जो मुलजिम हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। बाकी जो यह संघर्ष जारी है, उसके विषय में जो आपका पत्र आया है, उसके विषय में अवश्य इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यह संघर्ष समाप्त हो और किसी प्रकार अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सही है कि वहां महीनों से हड़ताल चल रही थी और वहां केवल एक यूनियन है जो हिन्द मजदूर सभा से एफिलियेटेड है, उनकी संख्या 15 हजार तक है। इसके पहले इस यूनियन ने और स्वर्गीय जय प्रकाश ने शासन को इस बात की जानकारी दी थी कि हमारे पदाधिकारी की हत्या कराने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रकार का पत्र शासन को या स्थानीय पुलिस को मिला ? यदि मिला, तो क्या कार्यवाही हुई ?

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मामला न्यायालय में विचाराधीन है, साक्ष्य प्रस्तुत होने है तमाम कार्यवाही होनी है। इस प्रकार के सवाल किये जा रहें हैं जो मुकदमें को बुरी तरह इफेक्ट करेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के प्रश्न न किये जांय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय न्याय मंत्री जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था हो चुकी है कि सबजुडिस वह होगा जो तथ्य चार्जशीट में चला गया। बैक ग्राउन्ड सबजुडिस नहीं हुआ करती।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गुप्त जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपने पूर्व व्यवस्था का जिक्र किया। शायद आपको यह भी याद होगा कि प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। इस तरह से आप अपनी व्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हम कोई भी प्रश्न मुकदमें को प्रभावित करने के लिये नहीं पूछना चाहते हैं। हमारे प्रश्न को आप देख लें अगर जो मामला सबजुडिस है उसको प्रभावित करता है तो आप रोक दीजिये।

श्री उपायक्ष--

जब न्यायालय में जांच चली गई तो शुरु से चलेगी ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो मेडन एक्सपर्ट ओपीनियन न्यायमंत्री जी ने दिया है उसके लिये बधाई देता हूं । मान्यवर, मैं जो न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, उस पर प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं । लेकिन इस हत्या काण्ड के पीछे किन लोगों का षडयंत्र है उन लोगों की जानकारी करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो उद्योगपति है जिन्होंने यह धन्धा बना रखा है कि जिसने उनके खिलाफ आवाज उठायी उसका कत्ल करवा देते हैं । उनके बारे में कोई जांच कराई गई ? यह तो न्यायालय से भी बड़े हैं क्योंकि करोड़-पति आदमी है । वह न्यायालय और सब के ऊपर है । आपने अपने किसी एजेन्सी से मोदी के खिलाफ जांच कराई है या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि जिस समय हत्या हुई तत्काल क्या कार्यवाही हुई ? तत्काल कार्यवाही कर दी गई है ।

श्री हुकुम सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैंने अनुपूरक प्रश्न के रुप में प्रश्न किया था ।

मान्यवर, हम जानकारी यह चाहते हैं कि मोदीनगर के उद्योगपति श्री मोदी जिनके कारखानें में काम करने वाले मजदूर श्री जयप्रकाश जिनकी हत्या की गयी है, तो क्या उनकी हत्या में श्री मोदी का हाथ हैं, इसके बारे में आपने कोई छानबीन करायी है या नहीं करायी ? अगर नहीं करायी तो क्या छानबीन कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हुकुमसिंह जी, क्या मूल प्रश्न के आधार पर यह प्रश्न उठ रहा है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, उठता है । मंत्री जी स्वीकार कर रही हैं ।

श्री रियायत हुसैन--

मान्यवर, एक प्रश्न की इजाजत दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर मान लीजिये कि जो प्रश्न नहीं उठता, उनको भी कोई स्वीकार कर ले तो क्या मैं भी उसे स्वीकार कर लूं ?

श्री रियासत हुसैन--

एक उत्तर दिलवा दें तो मसला हल हो जाय । क्या माननीय मंत्री जी, मेरे जिस पत्र की प्राप्ति उन्होंने तसलीम की है तो उस पत्र के आधार पर किस एजेंसी से जांच करा रहें हैं और जांच किस स्टेज में है या उस पत्रको निराधार मानकर रीजेक्ट कर दिया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, माननीय विधायक जी के पत्र को निराधार मानकर रिजेक्ट करने की मेरी क्या हिम्मत हो सकती है । आपने जो पत्र भेजा है अवश्य उसके ऊपर कार्यवाही की

जायगी इतना मैं विश्वास दिला रही हूं कि अगर मोदी को दोषी पायेंगे तो उनके खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ऐक्शन लेने में भीछे नहीं रहेगी ।

ग्राम मड़ौली , थाना शिवली, जिला कानपुर निवासी श्री मुन्नी लाल की पुत्री कुमारी चम्पा की हत्या की घटना की जांच

*5--श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुन्नी लाल पुत्र श्री लल्लू, ग्राम मड़ौली, थाना शिवली, जिला कानपुर का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-1-81 को किसी विधायक के पत्र के साथ उनकी लड़की की हत्या के संबंध मे सी0आई0 डी0 जांच करवाने हेतु प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत मामले में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-1-81 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ था जिसकी क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच कराई गई । जांच से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी की पुत्री कुमारी चम्पा की कथित हत्या की घटना में मृतक के चाचा द्वारा अंकित कराई गई सूचना के आधार पर थाना शिवली पर दिनांक 18-1-81 को एक अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ था । विचारोपरान्त अभियुक्त रामपाल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । इस मुकदमें में रामपाल दिनांक 4-8-81 को न्यायालय जिला जज, कानपुर से बरी हो गया । इस मामले में अब सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराया जाना विधि के अनुसार संभव नहीं है ।

ग्राम पाली, थाना सरधना, जिला मेरठ में ग्रामवासियों तथा डकैतों की मुटभेड़ में डकैत मतीन की मृत्यु तथा दोनाली बन्दूक की बरामदगी

*6--श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नवम्बर, 1980 में एक डकैत सुमेर सिंह, निवासी ग्राम जरौदा, जिला मुजफ्फरनगर, ग्राम पाली, जिला मुजफ्फरनगर के निवासियों द्वारा मार डाला गया था और उसके पास से मंत्रिमंडल के एक कैबिनेट मंत्री का पत्र पाया गया था जिसमें उक्त डकैत द्वारा मंत्री जी के चुनाव में मदद करने के उपलक्ष में आभार प्रकट किया गया था और थाने में रिपोर्ट लिखाने वाले व्यक्ति ने उक्त पत्र का हवाला अपनी रिपोर्ट में किया है ? यदि हां, तो वह पत्र किस मंत्री द्वारा लिखा गया था और क्या थाने में लिखाई गई रिपोर्ट की नकल सदन की मेंज पर रखने की कृपा करेंगे और क्या यह भी सही है कि उक्त डकैत के पास से एक बन्दूक नं0 7407058 भी बरामद हुई थी ? यदि हां, तो वह बन्दूक किसकी थी और डकैत के पास कैसे पहुंची ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पाली थाना सरधना जिला मेरठ में दिनांक 7/8-10-80 की रात्रि में श्री जगराम सिंह राजपूत के घर पर पड़ी डकैती में ग्रामवासियों द्वारा किये गये मुकाबले में डकैत मतीन मारा गया । उक्त मृतक डकैत के कब्जे से बरामद थैले में श्री विद्या भूषण जी, तत्कालीन वन एवं पर्यटन मंत्री (वर्तमान पर्यटन मंत्री) का श्री सुमेर सिंह के नाम एक पत्र प्राप्त हुआ । यह पत्र मृतक डकैत को नहीं अपितु श्री सुमेर सिंह ग्राम जड़ौदा जिला मुजफ्फरनगर को लिखा गया था । वादी द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट में उक्त पत्र का हवाला दिया गया है । लिखाई गयी रिपोर्ट की नकल संलग्न है । उक्त मृतक डकैत के कब्जे से बरामद दोनाली बन्दूक संख्या 7407058 डा0 नरेश अरोरा निवासी मुजफ्फरनगर की थी, जो उनके स्वसुर के यहां पड़ी डकैती में लूटी गयी थी ।

[देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1036 पर ।]

ग्राम जोगिया, जनपद गोरखपुर में पड़ी डकैती की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

*7--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा के ग्राम गजाई कोल में दिनांक 4-1-81 व ग्राम जोगिया के चार घरों में दिनांक 27/28 फरवरी, 81 में भीषण डकैती पड़ी जिसमें क्रमश: 40 हजार व एक लाख के आसपस की सम्पत्ति लूटी गई एवं औरतों व बच्चों को घसीट कर मारा गया और स्थानीय थानें में रपट लिखाने गये लोगों की रपट नहीं लिखी गई क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र फरवरी, 81 से 10-3-81 तक मिला है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम गजाई कोल में दिनांक 4-1-81 को कोई डकैती नहीं पड़ी थी और न ही कोई व्यक्ति थाने पर प्रथम सूचना देने गया था। ग्राम जोगिया में दिनांक 27/28 फरवरी, 81 की रात्रि में डकैती पड़ी थी। जिसकी सूचना दिनांक 1-3-81 को तेजू चौकीदार द्वारा थाने पर दी गयी थी जिसके आधार पर अ0 सं0 28/81 धारा 395 भा0 दं0 वि0 कायम किया गया ।

इस मामले की प्रथम सूचना में औरतों बच्चों की पिटाई का उल्लेख नहीं है, और न ही लूटे गये सामान का कोई विवरण । इस घटना के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए है जिनकी जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल निराधार है। जोगिया में जो डकैती पड़ी तो वह व्यक्ति थाने पर आया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। उसके बाद वह व्यक्ति मेरे घर गया, मैंने कहा चली एस0 एस0 पी0 से कहूंगा । जैसे घटना हुयी है वह लिख दो। मेरा आना ठीक उसी के सामने से होता है जहां बस अड्डा है। उस आदमी को पुलिस के सिपाही ने देखा और दीवान को बताया और उस व्यक्ति को घसीट कर थाने में रिपोर्ट कराना चाहा। हम लोगों ने कुछ स्थानीय अध्यापकों ने उस आदमी को बचाया। हम उसको एस0 एस0 पी0 के यहां लाये और मैंने उस संबंध में लिखा। पुलिस ने अपने बचाव में अपने चौकीदार से एक रिपोर्ट ले ली जो निराधार है। तो क्या मंत्री जी इस विषय में, इस पूरे मामले की, जोगिया या गजाई कोल के मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

एक बार जांच करायी जा चुकी है, तथ्य निराधार है पुन: जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मैं फिर बल देकर के कहना चाहता हूं कि, मेरा गांव वहां से 1 कि0 मी0 या 2 कि0 मी0 की दूरी पर है, जितना निकट से मैं इस बात को जानता हूं, मैं पुन: बल देकर कह रहा हूं कि मंत्री जी को क्या आपत्ति है कि इसमें सी0 आई0 डी0 से जांच नहीं करायेंगे ? मैं कहता हूं कि जो सूचना दी है, सही है । पुन: जांच में क्या आपत्ति है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा लें। सी0 आई0 डी0 के पास इतनी जांच हैं, इतना वर्क लोड है कि इसमें 3 साल लग जायेंगे। किसी और अधिकारी स जांच करा लेंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मुझे कष्ट हो रहा है। आप अपना संरक्षण प्रदान करें। मैंने कहा है कि....

श्री उपाध्यक्ष--

आप पूर्ण रूप से संरक्षित है। उनकी बात भी सुनें। वह नाइत्तफाकी नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका कहना यह है कि सी0 आई0 डी0 को देने से विलम्ब होने का अन्देशा है। क्या आप किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराना पसन्द करेंगे ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

जी हां, मान्यवर, क्या यह इसकी जांच एस0 एस0 पी0 से कराने को तैयार हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, आपकी आज्ञा है तो जरूर करा दी जायगी।

एन0 सी0 सी0 करने वाले छात्रों के दैनिक जलपान भत्ते में वृद्धि

*8--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि विद्यालयों में एन0 सी0 सी0 करने वाले छात्रों को दैनिक जलपान एवं भोजन हेतु जो धन आज से पच्चीस वर्ष पूर्व दिया जाता था वही आज भी दिया जाता है ? क्या सरकार आज के बाजार भाव को देखते हुये इसकी दरों में वृद्धि करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)--

जी नहीं। दैनिक जलपान भत्ते की मार्च, 1978 में 20 पैसे प्रति कैडेट प्रति परेड से बढ़ाकर 40 पैसे प्रति कैडेट प्रति परेड किया गया था। अब उसे और बढ़ाकर 1 रु0 प्रति कैडेट प्रति परेड करने का निश्चय किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित है। भोजन भत्ते की दर को दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 से रु0 4.40 से बढ़ाकर रु0 7 प्रति कैडेट प्रति दिन कर दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, यह हमारी सेकेण्ड डिफेन्स लाइन है। यह कालेजों के छात्र दिन भर अपना पठन-पाठन करते हैं और उसके पश्चात परेड करायी जाती है। इन्होंने 78 में मान लिया और 21 पैसे से 40 प्रति कैडेट देना स्वीकार कर लिया है। यह पता नहीं हमारा प्रश्न लगने के बाद या कब 1 रु0 केन्द्र सरकर से देने की मांग की है। मैं मा0 मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कब केन्द्र सरकार को लिखा गया है और क्या सरकार इस भावी पीढ़ी क लिये, जो कि दिन भर अध्ययन करने के बाद परेड करते हैं, उनके लिये 1 रु0 का जलपान पर्याप्त समझती है ?

श्री सच्चिदानन्द--

भारत सरकार को 13 जुलाई, 1981 को 1 रु0 करने के लिये लिखा गया।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, भारत सरकार को जो आपने लिखा, वह तो ठीक है लेकिन प्रश्न यह भी था कि क्या 1 रु0 के जलपान को उनके लिये काफी समझते हैं ? खासतौर से यह देखते हुये कि

[श्री हुकम सिंह]

हजारों रुपये का नाश्ता सचिवालय में बैठकर कर जाते हैं तो एन0सी0सी0 के लिये 1 रु0 का नाश्ता क्या काफी है ? क्या मंत्री जी इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, पहले यह 40 पैसे मात्र था, जिसे 1 रु0 करने लिये भारत सरकार को लिखा गया है और भोजन का रु0 4.40 से 7 रु0 कर दिया गया है।

श्री प्रभूनारायण सिंह--

श्रीमन्, जो यह कैडेट कैम्प्स में होते हैं, उनको जो भोजन दिया जाता है तो उससे अच्छा भोजन एक जेल के कैदी को दिया जाता है। तो इन कैडेट्स के दिन के भोजन और रख रखाव के लिये क्या मंत्री जी अपनी दी जाने वाली धनराशि में कुछ संशोधन करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, भोजन भत्ते की दर को दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 से रु 4.40 से बढ़ाकर 7 रु0 प्रति कैडेट प्रति दिन कर दिया गया है।

जनपद बुलन्दशहर के ग्रामीण अंचलों में सड़कों का निर्माण

*9--श्री किरनपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो वर्ष 1980-81 के लिये जनपद बुलन्दशहर के ग्रामीण अचलों में निर्माण के लिये कितनी लम्बाई की सड़कें विभाग द्वारा स्वीकृत की गई थीं ? क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के निर्माण की प्रगति शून्य रही है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से हुआ और क्या इसके लिये कोई अधिकारी दोषी है ? यदि हां, तो कौन तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

220.12 कि0 मी0 लम्बाई में। जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न नहीं उठता है।

साकेत महाविद्यालय, अयोध्या, फैजाबाद में हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति के वितरण में गोलमाल

*10--श्री मित्र सेन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि साकेत महाविद्यालय, आयोध्या, फैजाबाद में वर्ष 1979-80 और 1978-79 में हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति सम्बंधी वितरण एवं धन के भारी पैमाने पर गोलमाल का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो मामले का पूर्ण विवरण क्या है इसमें कौन लोग दोषी पाये गये है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द--

जी हां। विवरण संलग्न है। प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1037 पर।)

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कह दिया कि विवरण संलग्न है, उसे पढ़ा तो है नहीं। इस विवरण में श्रीमन्, आप देख लें कि वर्ष 1979-80 में हरिजन छात्रवृत्ति का

2,36,562.00 तथा अनुवर्ती अनुदान का 2,83,826 रुपया एवं वर्ष 1978-79 में 1,08,577.00 रु0 के गोलमाल का मामला प्रकाश में आया । इस तरीके से दोनों वर्षों को मिला कर कुल 6 लाख से अधिक का गबन किया गया है । इस गबन में जिनका हाथ था उन्हें दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध सी0आई0डी0 की जांच की जा रही है परन्तु हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के क्लर्कों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी । छात्रों को इससे लाभ मिला या नहीं ? और इसकी रिकवरी के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, जहां तक कार्यालय के क्लर्कों की बात है, इसके संबंध में प्रबन्ध समिति ने निर्णय किया है कि उनकी सेवायें समाप्त कर दी जांय । जिला विद्यालय निरीक्षक के पास यह प्रकरण विचार के लिये आया हुआ है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, प्रश्न यह स्वीकार किया है कि 5 लाख 20 हजार का गबन है हरिजन छात्रवृत्ति में हरिजन कल्याण अधिकारी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, विद्यालय के प्रिंसिपल को सेवा मुक्त कर दिया गया है । क्लर्कों के संबंध में मैंने अभी आपसे निवेदन किया है कि मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन है । उसका निर्णय हो जाने के उपरान्त ही जैसा भी निर्णय न्यायालय का होगा, उसका पालन किया जायेगा ।

श्री पंचानन राय--

जिला हरिजन कल्याण अधिकारी और कार्यालय के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं । मंत्री जी ने यह तो बता दिया कि प्रधानाचार्य को सेवा मुक्त कर दिया है और भी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है और जांच चल रही है परन्तु जिला हरिजन कल्याण अधिकारी और उनके कार्यालय के प्रति क्या ऐक्शन लिये गये हैं ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, अभी तक शासन को जो आख्या मिली है, उसके हिसाब से यह तीन लोग ही दोषी पाये गये और इन्हीं के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

न्यायालय में किन लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है ?

श्री सच्चिदानन्द--

प्राचार्य वार्ष्णेय और लिपिक नन्द किशोर के खिलाफ धारा 408, 409, 420, 120-बी में मुकदमा चल रहा है ।

श्री मित्रसेन--

1978-79 और 79-80 में गबन किया गया और यह तब पता चला जब कोतवाली में एफ0आई0आर0 दिखलाई गई, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी रिकवरी कहां से की जा रही है और जिनका पैसा मारा गया है उनको पैसा दिलवा रहे हैं या नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द--

यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और उसके निर्णय से पहले कोई निर्णय इस संबंध में नहीं लिया जा सकता।

श्री हुकम सिंह--

हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में मैं पूछना चाहता हूं कि बिना हरिजन कल्याण अधिकारी की संस्तुति पैसा मार नहीं सकत इसलिये यह निश्चित है कि इसमें हरिजन कल्याण अधिकारियों ने गलत संस्तुति की और इसमें उनका षड़यंत्र साबित है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है और दुबारा जांच करा कर जन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

अभी तक जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट आयी है। अगर दूसरे अधिकारी दोषी पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ निश्चय ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री मित्र सेन--

2 लाख 35 हजार छात्रवृत्ति और अनुदान का है जो गड़बड़ कर दिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि वह पैसा उनको मिलेगा या नहीं ? 6-6 लाख का मामला है, डिग्री कालेज के छात्र हैं, उस पैसे की रिकवरी कहां से कर रहे हैं ?

श्री सच्चिदानन्द--

नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है।

(प्रश्न संख्या 11 पुकारे जाने पर)

श्री हुकम सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप संतुष्ट हैं आपका हमें संरक्षण मिलना चाहिये, हरिजन बालकों को पैसा मिलना ही चाहिए।

(व्यवधान)

ग्राम पिपरा, देवरिया जिलान्तर्गत हरिजनों एवं सवर्णों में सांघातिक संघर्ष तथा कृत कार्यवाही

*11--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थाना खामपुर, ग्राम पिपरा, उत्तर प्रदेश के टोला छपिया में गत 23-3-81 की सायं हरिजनों एवं संवर्णों में सांघातिक संघर्ष दो बार हुआ ? यदि हां, तो झगड़े का कारण क्या है, उसमें कितने लोग एवं कौन कौन घायल है ? सरकार द्वारा अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार 23-3-81 को नहीं बल्कि 21-3-81 को श्री राम चन्दर हरिजन निवासी ग्राम पिपरा उमरपट्टी टोला छपिया थाना खामपार ने चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई कि जिन्होंने वादी के लड़के तथा अन्य लोगों को मारा पीटा है। सूचना के आधार पर मुकदमा धारा 323/506/504 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया।

डाक्टरी परीक्षण में चोटे धारदार असलहे से आना पाया गया अतः मुकदमें को अपराध संख्या 33 धारा 324/323/506/504 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित कर दिया गया। हरिजनों एवं संवर्णों में दो बार सांधातिक संघर्ष होना सही नहीं है। झगड़ा का कारण होली के अवसर पर गाने-बजाने में झांझ के लेन-देने के बावत कहा सुनी होने से उत्पन्न हुआ विवाद है। इस घटना में दोनों पक्षों के कुछ 12 लोगों को चोटे आई जिनके नाम निम्नवत है :

1--नन्द किशोर सिंह
2--सत्यदेव सिंह
3--रामनरेश
4--गौतम
5--रामसुन्दर
6--शिवनाथ
7--सुरेश
8--महश
9--लालजी
10- रामधारी
11--श्रीमती रुमालिया
12--श्रीमती मुनिया

श्री नन्द किशोर सिंह ने दिनांक 22-3-81 को चन्द्रिका पुत्र महेश आदि के विरुद्ध सूचना थाना खामपार पर दी जिसके आधार पर अपराध सं0 33 ए अन्तर्गत धारा 323/324/504/506/भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ। दोनों अभियोगों में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं जो विचाराधीन न्यायालय हैं।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 21-3-81 को हरिजनों को मारा गया और उसके बाद उसी रिपोर्ट को अपराध संख्या 33 धारा 324 में बदल दिया गया और बदलने के बाद 33-ए में मुकदमा दर्ज किया गया मुलजिम पार्टी से मिलकर तो क्या मा0 मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं बनता है। आप इसको फिर से दोहराइये।

श्री हरिवंश सहाय--

21-3-81 को हरिजनों को मारा गया और 323/506/504 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और जब डाक्टरी मुआयना दूसरे दिन हुआ तो मुकदमें को 324/323 में बदल दिया गया और बदलने के बाद 33-ए के अन्तर्गत क्रास केस फर्जी लिखा गया। क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

पहला अपराध 22-3-81 को दर्ज है सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर और दूसरा अपराध उसी दिन 13 बजे यानी लगभग 1.00 बजे के करीब उसी दिन लिखा गया। इसमें फर्जी रिपोर्ट लिखने की कोई बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

पहली रिपोर्ट 323/506/504 के अन्तर्गत दर्ज की गयी और उसी दिन मेडिकल के बाद में उसका परिवर्तन हो गया 324 में तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह कौन सी चोट धारदार असलहे से थी और एफ0आई0आर0 लिखते वक्त पुलिस वालों ने उसे न हीं देखा और बाद में उसको कन्वर्ट किया गया। क्या यह सही नहीं है कि पुलिस ने जानबूझकर उस चोट की 323 में ही रिपोर्ट लिखी जब कि 324 में लिखनी चाहिये थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

क्या यह मामला न्यायालय में जा चुका है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है कि पहली रिपोर्ट 323 में लिखी गई और मेडिकल रिपोर्ट के बाद उसमें परिवर्तन किया गया तो क्या उस दरोगा/थानेदार के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने गलत रिपोर्ट दर्ज की ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न तो माननीय न्यायालय में आयेंगे तो क्या इन प्रश्नों से न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी ?

श्री रियासत हुसैन--

नहीं होगी । न्यायालय में इन्होंने 324 का केस भेजा है। हमारा प्रश्न है यह कि पहले ही रिपोर्ट 324 में दर्ज क्यों नहीं की गई क्या इसकी जांच करावायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं यह न्यायालय में है । इन सवालों से न्यायालय प्रभावित होगा ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी केवल उस चोट का मेडिकल विवरण देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं यह सब तो न्यायालय में खुद ही उठेगा ।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के हेड टाइम कीपर की मृत्यु तथा घटना स्थल पर उपस्थित कर्मचारी तथा जांच

*12--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

विधान सभा 1981 के द्वितीय सत्र के पहले के पहले मंगलवार के तारांकित संख्या 13 के उत्तर के संबंध में क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित घटना के समय घटना स्थल पर कौन कौन अधिकारी मौजूद थे और क्यों सिक्योरिटी आफिसर द्वारा घटना की रिपोर्ट जो थाने में दर्ज करायी गयी है वह नामजद नहीं है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि घटना में मिल के कौन कौन से श्रमिक पुलिस द्वारा की गयी जांच प्रकाश में आये हैं तथा विभाग ने अब तक उन श्रमिकों के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

मिल के तत्कालीन श्रम अधिकारी तथा श्रम कल्याण अधिकारी का उपस्थित होना प्रकाश में है ।

क्योंकि यह ज्ञात नहीं था कि यह गोली काण्ड कैसे घटित हुआ । श्री ओमप्रकाश सिंह व श्री विद्या सागर प्रकाश में आये हैं । इन दोनों श्रमिकों के विरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही किये जाने के आदेश यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कं0 नं0 1 के दिये जा चुके हैं और कम्पनी द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है तत्कालीन श्रम अधिकारी और श्रम कल्याण अधिकारी वहां उपस्थित थे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब ये दोनों अधिकारी वहां घटना के समय उपस्थित थे तो फिर इन लोगों ने नामजद रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई यानी घटना की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करायी ? यदि नहीं दर्ज करायी तो इनके खिलाफ विभाग ने या मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नियाज हसन खां--

यह प्रश्न साल भर पहले आ चुका था। माननीय जेतली जी इस संबंध में मिले भी थे। फैजाबाद अकबरपुर की इस मिल के बारे में इस सेशन में सैकड़ों प्रश्न आये होंगे। मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि वे इतनी दिलचस्पी इस बारे में रखते हैं। वह एफ0 आई0 आर0 सिक्योरिटी आफिसर ने लिखवायी थी। उस वक्त पता नहीं चल सका कि किस कारण से घटना हुई लिहाजा नामजद रिपोर्ट लिखाना संभव नहीं हो सका।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी की तकलीफ को महसूस भी कर रहा हूं और अपनी तकलीफ के नाते उनसे प्रश्न पूछने के लिये बाध्य हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं डाक्टर नहीं हूं कि दोनों की तकलीफों का कोई इलाज कर सकूं। (हंसी)

श्री प्रियदर्शी जैतली--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब दो उच्च अधिकारी गोलीकांड के समय, जब हेड टाइम कीपर को गोली मारी गयी, शासन ने इसे स्वीकार किया है वहां मौजूद थे और जब मौजूद थे तो उस मिल के उच्च अधिकारी होने के नाते, स्वयं या वेलफेयर अधिकारी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन थाने में रिपोर्ट लिखा कर क्यों नहीं किया ? और यदि नहीं किया तो उनके खिलाफ अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिये शासन ने या विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुझाव दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री प्रियदर्शी जेतली--

जब उनकी मौजूदगी में फैक्टरी के सामने हेड टाइम कीपर को गोली मारी गयी तो शासन ने या विभाग ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

उत्तर दूसरा दिया है, प्रश्न को आप देखें। दो उच्च अधिकारी मौजूद थे जबकि हेड टाइम कीपर को गोली मारी गयी फैक्टरी के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कहानी न कहें, केवल प्रश्न पूछें।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

जब दो उच्च अधिकारी घटना के समय मौजूद थे तो शासन ने अब तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री नियाज हसन खां---

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने चार्जशीट यह लगाया है और यह मामला चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फैजाबाद के सामने है। जिन आफिसरों की माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं उनको पुलिस ने चश्मदीद गवाह रखा है। और रिपोर्ट सिक्योरिटी आफिसर ने लिखायी है। तो ऐसी सूरत मे जब कि वे गवाह हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उठता नहीं है। इस वक्त मामला चीफ जुडिशियल मैजिट्रेंट, फैजाबाद के सामने है। तो कोई और कार्यवाही करने का जब तक यह मुकदमा खत्म न हो जाय सवाल नहीं उठता खास तौर से जबकि वह गवाह है।

श्री पंचानन राय---

मंत्री जी ने पहले पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि नामजद रिपोर्ट इस कारण नहीं की गई कि कारण नहीं मालूम था कि घटना क्यों हुई, मैं यह जानना चाहता हूं कि घटना में जो लोग शामिल होते हैं उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट होती है या पहले कारण का पता लगाया जाता है। साकेती जी के पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट यह कहा कि घटना क्यों हुई इसका पता नहीं चला इसलिये नामजद रिपोर्ट नहीं हुई। जो लोग घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट होती है कि पहले घटना का कारण पता चले जब रिपोर्ट की जाती है।

श्री नियाज हसन खां---

जवाब में यह है, क्योंकि यह ज्ञात नहीं था कि वह गोली काण्ड कैसे घटित हुआ।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

मान्यवर, घटना 9 बजे दिन में फैक्टरी के फोर वाल्स में, अधिकारियों के निवास स्थल के पास, जहां इस हेड टाइम कीपर का निवास स्थल भी था; हुई, 9 बजे दिन में मारा गया। सवाल यह है कि जो जवाब शासन से आ रहा है उस जवाब को भी आप देखें। हमारे अधिकारों की रक्षा आप करेंगे और उसका समुचित उत्तर····

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन सदन के समय की रक्षा करना भी मेरा काम है····

श्री प्रियदर्शी जेटली---

मैं आप के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि घटना की जानकारी के बारे में यह जानकारी क्यों नहीं हुई। यह तो उत्तर बन गया कि घटना हुई गोली मारी गई और आदमी मारा गया टाइम कीपर। अधिकारी मौजूद हैं वहां पर, गवाह बना करके मालूम नहीं है। मेरा कहना यह है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन दो कर्मचारियों को मुलजिम बनाया गया उनके खिलाफ शासन ने कार्यवाही के लिये कब आदेश दिया और क्या आदेश दिया?

श्री नियाज हसन खां---

दिसम्बर, 81 में आदेश हुआ कि इसकी डिपार्टमेन्टल जांच कर ली जाय।

थानाध्यक्ष, निगोही श्री एम0 एल0 गौतम के नेतृत्व में डाकुओं के गिरोह से सशस्त्र मुठभेड़ तथा पुलिस पदक प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यवाही

*13---श्री सत्यपाल सिंह [अनुपस्थित]----

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर, थाना निगोही अन्तर्गत ग्राम पचदौरा में दिनांक 19/20-1-1974 को थाना अध्यक्ष, निगोही श्री एम0एल0 गौतम की अध्यक्षता में

एक मठभेड़ डाकुओं से पुलिस जनता की हुई थी जिसमें कुख्यात डकैत बनवारी सहित तीन अन्य डकैत मौके पर ही मारे गये थे ? थानाध्यक्ष, श्री गौतम उक्त मुठभेड़ में गम्भीर रूप से घायल भी हुये थे ? इस मुठभेड़ के संबंध में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर ने पुलिस व जनता को पारितोषिक तथा थाना अध्यक्ष, श्री गौतम को इण्डियन पुलिस मेडेल प्रदान करने के लिये शासन को संस्तुति की थी ? क्या शासन ने उक्त पुलिस कर्मचारियों को पुलिस मेडल व पारितोषिक प्रदान कर दिये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक शासन इस कार्य को पूरा कर देगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक जनवरी 18/19, 1974 को थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत ग्राम पचदौरा में तत्कालीन थानाध्यक्ष निगोही श्री एम0एल0 गौतम के नेतृत्व में पुलिस एवं जनता के सहयोग से डाकुओं के गिरोह से शस्त्र मुठभेड़ हुई जिसमें कुख्यात डकैत बनवारी तथा तीन अन्य डकैत मारे गये। जहां तक वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान किय जाने का संबंध है, यह संस्तुतियां तथा कार्यवाही गोपनीय प्रकार की होती है, अतः इनके बारे में जानकारी देना जनहित में न होगा।

सबसे पिछड़ा जनपद, बदायूं में औद्योगिक योजना लगाने पर विचार

*14--श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों में सब से पिछड़े जनपद बदायूं के लिये कोई औद्योगिक योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां–

सरकार की नीति है कि जिन जिलों में एक भी बड़ा अथवा मध्यम उद्योग नहीं है, वहां एक उद्योग स्थापित किया जाय। बदायूं भी ऐसा जिला है जहां एक न एक उद्योग लगाने पर विचार किया जा रहा है।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि लगभग दो साल से यह विचार किया जा रहा है। जरा विचार करें कि क्या समय है, 5 साल 4 साल 6 साल। कब यह विचार जो है वह उसमें आ जायगा कि हम कौन सा उद्योग बदायूं में लगा रहे हैं जब कि बदायूं में कोई उद्योग न छोटा और न बड़ा है। नम्बर दो....

श्री उपाध्यक्ष---

आपने कहा उस पर आ जायगा। कहां पर आ जायगा....

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने समय में लगेगा। दो साल तो हो गये। अब और कितना समय लगेगा कि वहां पर उद्योग लगा दिया जायगा ?

श्री नियाज हसन खां----

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जैसा मैंने कहा, कि यहां उद्योग नहीं है। उद्योग या तो केन्द्र सरकार लगाये या प्रान्त की सरकार लगाये, या निजी क्षेत्र में लगे या एसिस्टेड सेक्टर या ज्वाइंट सेक्टर में लगे, ये चार-पांच तरीके हैं जिनकी वजह से उद्योग लगाते हैं। अब कोशिश यह हमारी हो रही है, जैसा मैंने अर्ज किया, सरकार की नीति है कि जिन जिलों में उद्योग नहीं है वहां अवश्य लगाये जायें अब उत्तर प्रदेश सरकार लगा सके, निजी क्षेत्र में कोई लगा सके, ज्वाइन्ट सेक्टर में लगा सके लेकिन यह कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द कोई न कोई कारखाना वहां लगा दिया जाय।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

मान्यवर, एक, प्रश्न की इजाजत और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कह दिया है कि युक्तियुक्त समय के भीतर हो जायेगा।

श्री देवता दीन, निवासी कटरा बाजार द्वारा उनके पुत्र श्री शिव कुमार को पुलिस कर्मियों द्वारा घर में घुस कर पकड़ कर ले जाने की सूचना

*15--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है कि क्या श्री देवता दीन पुत्र बुधई निवासी कटरा बाजार, थाना कटरा, जनपद गोंड़ा ने पुलिस अधीक्षक गोंडा को दिनांक 23--5--81 को तार द्वारा तथा दस्ती दरख्वास्त द्वारा तथा दिनांक 5--6--81 अथवा उसके आस-पास गृह मंत्री, डी0आई0जी0 पुलिस को रजिस्ट्री द्वारा इस बात की सूचना दी कि उसके लड़के शिव कुमार को पुलिस थाना कटरा, जनपद गोंड़ा के इन्चार्ज तथा पुलिस कर्मियों ने उसकी दीवाल व दरवाजे को तोड़कर घर में घुसकर मारपीट कर पकड़ ले गई ? क्या उक्त शिव कुमार इस समय लापता है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री देवतादीन का दिनांक 23-5-81 इस आशय का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जांच से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी देवतादीन एवं एक नानक शरण के मध्य दीवाल बनाने के संबंध में विवाद की सूचना प्राप्त होने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री त्रिशूलधारी सिंह मौके पर गये थे। जिनके साथ प्रार्थी का लड़का शिव कुमार यह कहकर थाने गया था कि मुझे विपक्षीगण से जान माल का खतरा है यदि वह घर पर रहा तो विपक्षी उसे मार डालेंगें। उसी दिन सायंकाल श्री बाबा दीन जमींदार व राम रसीक मास्टर के साथ शिवकुमार स्वेच्छा सें चला गया। प्रश्न में उल्लिखित तार का प्राप्त होना नहीं पाया गया।

प्रार्थी ने मामले को गम्भीर बनाने के लिये अपने लड़के को बम्बई भेज दिया था जिसे करीब ढाई माह पूर्व उसने पत्र लिखकर घर पर वापस बुला लिया है। वह अपने पिता के साथ सकुशल रह रहा है।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के आखीर में कहा है कि वह लड़का अपने पिता के साथ सकुशल रह रहा है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्रीय अधिकारी ने इस मामले की जांच की वह कब की ? क्या उस लड़के से उस अधिकारी की मुलाकात हुई ? यदि हुई, तो क्या उससे यह भी बयान लिया गया कि वह किन परिस्थितियों में बाहर रहा ?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि वह सकुशल रह रहा है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, यह सूचना गलत भी हो सकती है। इसलिये जब उस लड़के की मुलाकात हुई होगी तब उसके बयान भी लिये गये होंगे कि किन परिस्थितियों में वह बाहर रहा है ? यह बात उसमें जरूर आयी होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने उत्तर ठीक से सुना था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, लड़का बम्बई घूमने गया था। खुशी-खुशी गया था, खुशी-खुशी वापस आ गया है। घी के चिराग जलाइये।

मिर्जापुर जिला केन्द्र पर नागा युवकों के पास कारतूस की बरामदगी

*16--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे अक्टूबर, 1981, में मिर्जापुर जिला केन्द्र पर 2 नागा युवक 1200 कारतूस सहित पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19/20-10-81 को आसाम मेल से नागालैंड के दो व्यक्तियों के भारी मात्रा में कारतूस लेकर आने की सूचना पर थानाध्यक्ष जी0 आर0 पी0, मिर्जापुर ने उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1200 कारतूस बरामद किये। इस सम्बन्ध में थाना जी0आर0पी0 मिर्जापुर में धारा 3/25/27 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये। विवेचनोपरांत उक्त अभियोगों में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जहां दोनों अभियुक्तों को 2-2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली।

श्री नन्द किशोर सिंह--

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों अभियुक्तों से यह पता लगाया गया कि ये कारतूस कहां से लाया जा रहा था और किसको देने के लिये ले जाया जा रहा था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, उन अधिकारियों ने स्वास्तिक आर्म्स कम्पनी कानपुर.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप सिर्फ यह बताये कि कहां से वह कारतूस आई थीं और किसको देने के लिये ले जायी जा रही थी ताकि समय कम लगे।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभियुक्तों के कथनानुसार यह फर्म स्वास्तिक आर्म्स कं0 कानपुर की है जहां से उन्होंने यह खरीदे थे लेकिन इसके ऊपर मान्यवर, जांच जारी है पर इसकी पुष्टि नहीं हो पायी है कि उन्होंने वाकयी में वहां से खरीदे या नहीं। जो भी जांच रिपोर्ट आयेगी आपको सूचित कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

किसको देने के लिए ले जा रहे थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी सिद्ध नहीं हो पाया है कि किसको देने के लिये थे, जांच जारी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जैसा बताया गया कि जो आर्म्स थे वह कानपुर की किसी फर्म से लाये जा रहे थे। तो क्या तत्काल उस फर्म को सीज कर दिया गया है और उसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया कि जांच इसके बारे में हो रही है लेकिन अभी यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि अभियुक्तों ने जो कहा वह सही है अगर सही पाया जायेगा तो कार्यवाही जरूर की जायेगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र

*17--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-10-81 के साथ (जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती के विरुद्ध) कोई मुद्रित शिकायती पत्र प्राप्त है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी तथा जांच के क्या परिणाम निकले?

श्री सच्चिदानन्द--

जी हां।

अभी मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा की जा रही जांच की कार्यवाही चल रही है।

श्री शिव पूजन चौहान, ग्राम अतरौला, जिला गाजीपुर के कांग्रेस (ई) के सक्रिय कार्यकर्ता के चुनाव प्रचार करते समय बेरहमी से मारने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*18--श्री झिलमिट राम--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत थाना भुड़कुड़ा के पुलिस चौकी, दुल्लहपुर के भूतपूर्व सब इन्सपेक्टर श्री आर० पी० विशेन सिंह द्वारा एवं हेड कान्स्टेबिल श्री भोला नाथ यादव के द्वारा दिनांक 23-5-1980 को श्री शिव पूजन चौहान ग्राम जिला गाजीपुर के कांग्रेस (ई) सक्रिय कार्यकर्त्ता की चुनाव प्रचार करते समय बेरहमी से मारपीट करके उसका हाथ तोड़ दिया था? उस संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा जांच करने हेतु अखनिया ब्लाक कांग्रेस (ई) के मंत्री एवं श्री शम्भूनाथ सिंह सक्रिय कार्यकर्त्ता माह अगस्त, 1980 में प्रार्थना-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उसमें कौन सी कार्यवाही गयी? यदि नहीं की गई तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शिव पूजन चौहान तथा प्रश्नकर्ता के प्रार्थना पत्रों दिनांक 18-8-80 पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच कराई गई उप निरीक्षक तथा हेड कान्सटेबिल पुलिस चौकी दुल्लहपुर थाना भुड़कुड़ा, जनपद गाजीपुर के विरुद्ध दिनांक 23-5-80 की घटना के संबंध में प्रथम दृष्टया मारपीट करने तथा पुलिस अभिलेखों में गलत इंदराज करने का साक्ष्य पाया गया। अतः दोनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध धारा 218/323/325 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है।

*19--श्री बलवीर सिंह--

[16-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 196 द्वारा उत्तरित]

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या-17 के उपरांत तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*20—श्री मोहन सिंह तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

(16-2-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 52 द्वारा उत्तरित)।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

कु0 हृदयेश कुमारी कासगंज, आगरा के भाई चन्द्र प्रकाश तथा नौकर महेश जाटव की हत्या की जांच विषयक प्रार्थना पत्र

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जिला के अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन को एक लिखित प्रार्थना-पत्र दे कर कु0 हृदयेशकुमारी कासगंज, आगरा ने दिनांक 5 या 6-2-82 को सूचित किया कि उनके भाई चन्द्र प्रकाश तथा नौकर महेश जाटव की हत्या उनके घर के भीतर दिनांक 4-2-82 की रात्रि में घुसकर फिरोजाबाद थाने की पुलिस ने गोली मारकर की है? यदि हां, तो पूरी सूचना क्या है तथा इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी —

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-2-82 को कुमारी हृदयेश कुमारी, नि0 28/572 कंसगेट गोकुलपुरा, आगरा ने एक प्रार्थना-पत्र अतिरिक्त जिला अधिकारी (प्रशासन) को इस आशय का दिया कि दिनांक 4-2-82 को 10 बजे उसके भाई चन्द्र प्रकाश उर्फ मनोज तथा महेश जाटव को बिना किसी अपराध के जान से मारने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। इस सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 55 ए धारा 147/148/149/302/401/404/380 भा0 दं0 वि0 थाना लोहामंडी, आगरा में पंजीकृत किया गया। प्रश्नगत अभियोग की विवेचना से विदित हुआ कि थाना फिरोजाबाद की पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से यह सूचना मिली कि थाना लोहामंडी, आगरा के क्षेत्र के मोहल्ला कंसगेट में श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा के मकान में जनपद इटावा का डकैत चन्द्र प्रकाश अपने गिरोह के सदस्यों के साथ रुका हुआ है जो बहुत से कत्ल, डकैती तथा अपहरण के अनेक अपराधों के संबध में फरार है। इस सूचना पर थाना फिरोजाबाद एवं लोहामंडी के पुलिस कर्मियों ने जनता के तीन व्यक्तियों को अपने साथ लिया और उपरोक्त डकैत एवं सदस्यों को गिरफ्तारी हेतु चन्द्र प्रकाश शर्मा के मकान पर पहुंचे। पुलिस द्वारा मकान की घेराबंदी करने पर बदमाश छत पर चढ़ गये और जब पुलिस उन्हें पकड़ने के लिये छत पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग पर जब दो पुलिस कर्मी घायल हो गये तो पुलिस ने भी चेतावनी देने के पश्चात् आत्मरक्षार्थ डकैतों पर फायर किये जिसमें चन्द्र प्रकाश गड़ेरिया व महेश जाटव घटनास्थल पर ही मारे गये तथा दो डकैतों को मय अवैध हथियारों के गिरफ्तार किया गया। दोनों मृतक डकैतों के कब्जे से भी अवैध हथियार बरामद हुए। इस घटना के संबंध में अभियोग धारा 307 भा0दं0वि0 एवं 25/27 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

इस घटना की जांच एस0 आई0 एस0 द्वारा करायी जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, क्योंकि मान्यवर, फर्जी एकाउन्टर का यह बड़ा ज्वलन्त उदाहरण है, जो हृदयेश कुमारी हैं, 4 तारीख को घटना होती है 13 तारीख को वह गांव से शहर के मकान में आए थे, जो आगरा के अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) को उन्होंने पत्र लिखा है, वह क्या है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

पूरा पत्र पढ़ दूं या उसका आशय बता दूं?

श्री उपाध्यक्ष—

आशय बता दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं बता दूं, उस पत्र में.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्यों बता रहे हैं, उनको ही बताने दीजिए।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

पत्र में लिखा है कि एक कोई बगल म इनस रंजिश रखने वाल थे, उनके साथ आए और उनके भाई को जो, जिनकी चार तारीख को हत्या कर दी गयी है, जब उनसे लाश मांगने गये थे, उनको नहीं दी गई और घर का सामान पुलिस वालों ने लूटा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि पत्र को ट्विस्ट करक कहा जा रहा है। यह कहीं नहीं लिखा है उसमें कि हमको लाश दे दी जाए। तो जब तक पूरा पत्र पढ़ा जाएगा, स्थिति स्पष्ट नहीं होती। पत्र में हृदयेश कुमारी ने साफ शिकायत की थी कि दो पुलिसकर्मी फिरोजाबाद के वहां आ गये और फिरोजाबाद के पुलिस कर्मियों ने मनोज कुमार को पुकारा और उसको गोली मार दी और जब वह घायल होकर भाग रहा था तो उसको पकड़ कर, उसके हाथ पीछे बांधकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया और उसके बाद पुलिस उनको छत पर ल गयी वहां ल जाकर उसको गोली मार दी थी। इस तरह बिना किसी भाग-दौड़ कर उसको गोली मार दी गई, उसने कोई प्रहार भी नहीं किया था। श्रीमन्, पूरा पत्र आप सदन में पढ़वा दें, तो स्थिति साफ हो जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

श्री माननीय गुप्त जी ने कहा है क्या वह सही है, क्या पत्र में वह है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

यह इन्होंने आरोप लगाया है। यह लिखा है कि उनके भाई को मारा गया और जब वह भाग रहे थे, उनके भाई को लोगों ने पकड़ा। यह दो पेज का उनका पत्र है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं, एक पेज का केवल पत्र है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने आरोप को तो स्वीकार कर लिया, उसके आगे जो पूछना हो, पूछ लें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

आरोप को स्वीकार नहीं किया, पत्र में जो हृदयेश कुमारी ने लिखा है, उसको स्वीकार किया है। इस पत्र में है:—

"श्रीमान् अतिरिक्त जिला अधिकारी, प्रशासन, आगरा। महोदय, श्रीमान् जी से निवेदन है कि दिनांक 4-2-1982 को रात के करीब 10 बजे थाना फिरोजाबाद उत्तर पुलिस के स0इं0 श्री सी0 बी0 सिंह, महासिंह, नरेन्द्र कुमार त्यागी एवं इन्सपेक्टर बलजीत सिंह थाना फिरोजाबाद दक्षिण से इंन्सपेक्टर श्री तिलक राम वर्मा स0इं0 श्री राजकुमार थाना लोहामंडी के थानाध्यक्ष मेवाराम लखीरिया, स0 इं0 कलेह सिंह, एस0 पी0 सिंह, सिपाही जयचन्द्र व

फिरोजाबाद के पास बही के निवासी बाबूव जगन बघेल तीन चार अन्य पुलिस कर्मी जिन्हें सामने आने पर पहचाना जा सकता है। नाम स परिचित नहीं हूं। जो मेरे घर पर आय थे। पुलिस मैनों ने घर के चारों ओर के दरवाजे बाहर से व भीतर से घेर लिया था, पुलिस वालों ने मनोज के नाम से आवाज दी इस पर मैंने व कुमारी पूनम शर्मा ने ऊपरी मंजिल से झांक कर गली की ओर देखा और पूछा कौन है इतने में ही पड़ोस के श्री राम किशन उप्रेती व कैलाश प्रसाद उप्रेती के मकानों से दो तीन पुलिस कर्मी मकान की छत पर आ गये और कहनें लगे कि जो जहां पर है वहीं पर खड़ा रहे। पुलिस की ललकार सुनकर मेरा भाई चन्द्र प्रकाश उर्फ मनोज, महेश जाटव, श्री प्रकाश व सुरेन्द्र यादव छत पर चले गये और पुलिस वालों से मामला पूछने लगे। इस पर चन्द्र प्रकाश उर्फ मनोज व अन्य तीन लोगों को पुलिस मैनों ने पकड़ लिया। चन्द्र प्रकाश सिपाही से छूटकर छत से गली की ओर कूद कर भागा। सब इन्सपैक्टर ने गोली चलायी जो चन्द्र प्रकाश की टांग में लगी मगर वह कूदकर गली में भाग गया। गली के अन्दर कुछ पड़ौसियों ने पकड़ कर चन्द्र प्रकाश उर्फ मनोज को नीचे खड़े पुलिस कर्मियों को सौंप दिया। महेश जाटव को सी0बी0 सिंह व महासिंह ने गोली चला कर मार दिया, नीचे खड़े पुलिस कर्मियों ने लुंगी से बांध कर चन्द्र प्रकाश को भी छत पर ऊपर ले गये वहां ले जाकर सी0 बी0 सिंह व महासिंह व अन्य थानेदारों ने गोली चलाकर उसे भी मार दिया। इसके बाद श्री प्रकाश को मारने को कहने लगे कि मैं व मेरी भाभी सरोज श्री प्रकाश के ऊपर लेट गयी और कहा कि श्री प्रकाश को मारने से पहले हमको मार दो। अब हमारे परिवार में कोई आदमी जिन्दा नहीं बचा है। मेरी भाभी ने कहा कि मेरे दो केवल मासूम बच्चे हैं उन्हें पालने वाला कोई नहीं है जिस पर नरेन्द्र कुमार त्यागी एस0आई0 इस पर रहम खाकर कहा कि चलो इसे छोड़ दो। इस पर श्री नरेन्द्र कुमार त्यागी ने पैर की ठोकर मार कर धक्का मार दिया। मैं व मेरी भाभी व श्री प्रकाश व सुरेन्द्र यादव नीचे उतर आये। पुलिस कर्मी इसके बाद नीचे हमारे किरायेदारी वाले मकान में रखे सामान को बक्से से निकाल कर ले गये ऊपर मेरे सामने चन्द्र प्रकाश के हाथ से अंगूठी सी0 बी0 सिंह थानेदार ने खींच ली, एक चांदी की थाली, दो चांदी की चूड़ी, पांच हजार दो सौ रुपये नकद, एक सोने व चांदी का ताबीज और शादी के कपड़े पुलिस वाले ले गये। पुलिस कर्मियों ने गोली कांड करने से पहले बस्ती के लोगों को भी धमकी दी कि अब गोली चलने वाली है इसलिए लोग अपने-अपने घर में छिप जाओ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है लेकिन आप पढ़वाना चाहते थे, इसलिए मैंने पूरा पत्र पढ़ने को कहा था।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्रीमान् जी, मेरी शादी 13 फरवरी, 1982 को सम्पन्न होने वाली थी और इसी संबंध में शादी के लिए सामान मेरे घर वालों ने इकट्ठा किया था तथा सुरेन्द्र यादव को पकड़ कर थाने ले गये। सुरन्द्र यादव व महेश जाटव, हृदयेश कुमारी मेरे घर पर गेहूं लेकर आय थे। बाबू व जगन मुखबिर भी मेरे परिवार वालों से रंजिश खाते थे अतः श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना ह कि मेरी रिपोर्ट लिखकर अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाय। मैं और मेरा परिवार गण गांव गढ़ी मानिक चन्द्र के ठाकुर.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने शुरू में ही कहा था कि ये आरोप स्वीकार कर रहे हैं।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मक्खन तो निकल आया है।

श्री उपाध्यक्ष--

एक बार मैंने कहा था कि पत्र पढ़ा जाय। इसलिए वे पढ़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

"ऊदल सिंह के परिवार जनों के डर के कारण जान बचाने व शांति के साथ शादी सम्पन्न करने के लिए ही आगरा में एक माह से विगत एक माह से किराये का एक मकान लेकर गोकुल पुरा में रहे थे। प्रार्थना है कि मेरा भाई तथा महेश जाटव को बिना किसी अपराध के जान से मारने वाले पुलिस कर्मियों को सख्त एवं कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जाय। प्रार्थिनी कु0 हृदयेश कुमारी (हृदेश) बघेल, मकान नं0 28/572 कंस गट, गोकुलपुरा, आगरा दिनांक 7--2--82। पुनश्च निवेदन है कि मेरे भाई चन्द्र प्रकाश उर्फ मनोज तथा महेश जाटव के शब्दों को पुलिस ने जान-बूझकर बदनीयत से खुर्द-बुर्द कर दिया। अपने भाई चन्द्र प्रकाश के शव का पोस्टमार्टम मैं पुन: कराना चाहती थीं तथा उसकी चोटों की जांच पुन: कराना चाहती थी। स्थानीय पुलिस ने चन्द्र प्रकाश की चोटों की जांच, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ कराया है। पुलिस कर्मियों ने साक्ष्य को मिटाने के लिये शव को गायब कर दिया है। पुलिस कर्मियों ने जान-बूझकर शव उसे या उसके परिवारजनों को नहीं दिया गया।

अत: आपसे प्रार्थना है कि उसके लिए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर दंडित करने की कृपा करें। हृदयेश कुमारी बघेल, मकान नं0 2/5728 कन्सगट गोकुल-पुरा, आगरा, हैंड आफ दि एप्लीकैंट, एस0एच0ओ0 लोहा मंडी, प्लिज लौज थी रिपोर्ट इम्पी-डिएटली। एडैस्टार्ट इन्वस्टिगेशन दि मैटर। एस0 डी0 अपठित ए0डी0एम0 सिटी आगरा, 7-2-82।"

7-2-82 को उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया है और 4-2-82 की यह घटना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस पत्र में कुछ लोगों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि इन लोगों के सामने उसको पकड़ा गया और पुलिस को दिया गया तो क्या जांच करते वक्त इन साक्षियों में किसी व्यक्ति का साक्ष्य लिया गया, यदि लिया गया तो उसने क्या बयान दिया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी----

अब तक जो जांच हुई है मान्यवर, उससे यह तथ्य प्रकाश में आया है कि यह श्री चन्द्र प्रकाश बहुत पुराना हिस्ट्रीशीटर था तथा इसके खिलाफ 24 अपराध मर्डर, चोरी और डकैती आदि के थे..... (शोर)..... (व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस---

कितने ही किसी के विरुद्ध आरोप हों, उसका मतलब यह नहीं होता कि आप उसे गोली से मार दें.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं, कृपया बैठें। माननीय राजेन्द्र कुमार जी, आप कृपया अपने दल के लोगों से कहें कि इस तरह से न तो रिपोर्टर ही लिख पायेगा, न समझ में ही कोई बात आयेगी।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस---

इन्टरप्ट करने का हमें अधिकार है। उत्तर सही नहीं आयेगा, तो मान्यवर, और क्या होगा..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

उत्तर से अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो दोबारा उत्तर मैं दिलवाऊंगा। पर इस तरह से तो आप कृपया बिना मेरी आज्ञा के न बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, अगर किसी के विरुद्ध आरोप थे तो उसे न्यायालय में ले जाया जाता, जब पुलिस के हाथ में उसे दे दिया गया, लोगों ने स्वयं उसे पकड़ कर पुलिस को दिया, तो पुलिस को उसे गोली से मारने का क्या अधिकार था? उसकी जो जांच रिपोर्ट आयी है वह क्या है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह भी जांच हो रही है कि उसको वहां के लोग पकड़ कर लाये या नहीं।

(व्यवधान----शोर)

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर-शोर और व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, इस तरह से मासूम लोगों का खून किया जा रहा है और पुलिस का नंगा नाच सामने आ रहा है। इस मामले में यह स्पष्ट है कि आदमी जिसे पकड़ कर ले गये, गवाह भी मौजूद हैं, उसके बाद भी पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। इस तरह से आये दिन निर्मम हत्यायें पुलिस कर रही है। (व्यवधान) इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री हुकुम सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री मुईद अहमद---

जब भी क्रिमिनल्स मारे जाते हैं, तो इसी तरह से ये सदन का त्याग करते हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, सवाल इस बात का है कि बिना कारण बताये हुए गोली मार दी जायगी। सरकार के इस रवैये के खिलाफ मैं अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग करता हूं

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

प्रदेश के विधायकों को सस्ते दर पर रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल शस्त्र दिलाने पर विचार

**2---श्री हरिबंश सहाय तथा श्री राधेश्याम पटेल---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विधायकों को सस्ते दर पर रिवाल्वर पिस्टल राइफल शस्त्र दिलाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट:---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री राम आसरे वर्मा--

(दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण, निरस्त किया गया)।

मंत्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा हेलीकाप्टर का प्रयोग

2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रि-परिषद् के किन-किन सदस्यों ने 1 जनवरी, 81 से 25 अगस्त, 81 के बीच हेलीकाप्टर का प्रयोग किन-किन तिथियों किन-किन स्थानों की यात्रा के लिए किया? यात्रा का उद्देश्य क्या-क्या था?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1038 पर।)

3--श्री प्रभूनारायण सिंह--

[8 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

हरिहर महादेव इण्टर कालेज, देवचन्द्रपुर, वाराणसी में समाज शास्त्र प्रवक्ता की नियुक्ति में अनियमितता संबंधी शिकायती-पत्र

4--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हरिहर महादेव इण्टर कालेज, देवचन्दपुर, वाराणसी में समाज शास्त्र प्रवक्ता की नियुक्ति में अनियमितता की गई है? क्या यह सत्य है कि इस संबध में श्री राम सिंगार सिंह ने दिनांक 6-1-81, 16-1-81 एवं 10-3-81 को जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी, दिनांक 7-4-81 को शिक्षा उप निदेशक, वाराणसी एवं दिनांक 21-7-81 को शिक्षा निदेशक को शिकायती-पत्र लिखा है? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

शिक्षा मन्त्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद देवरिया के ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल

5--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इस सत्र के अन्त तक देवरिया जनपद में कितने प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जनपदों की पारस्परिक आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों को दृष्टिकोण में रखते हुए शिक्षा सत्र 1981-82 में जनपद देवरिया के ग्रामीण क्षेत्र हेतु पांच जूनियर हाई स्कूल तथा पांच प्राइमरी स्कूल और नगर क्षेत्र हेतु एक प्राइमरी स्कूल खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी है।

तत्कालीन श्री ललिता प्रसाद दुबे, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, सलेमपुर (देवरिया) को बकाया वेतन का भुगतान

6--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन श्री ललित प्रसाद दुबे, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, सलेमपुर (देवरिया) का वेतन 1974 से 1976 तक का अब तक बकाया है यदि हां, तो भुगतान कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों का कार्यान्वयन

7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित] की सिफारिश क्रमांक 108, 109 तथा 114 के संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

वन राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित] की सिफारिश क्रमांक 108 के संबंध में जहां तक ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति की सही सूचना जानने का प्रश्न है ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु नियम बना दिये गये हैं । क्रमांक 109 में की गई संस्तुति पर भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । उपरोक्त प्रतिवेदन के सिफारिश 114 के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित तत्कालीन अरण्यपाल सेवा विमुक्त हो गये हैं। उन पर कार्यवाही करने के संबंध में विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है ।

कजरहट चुनार सीमेन्ट फैक्टरी के कर्मचारियों की समाप्त सेवायें

8--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जून, 1980 में कजरहट चुनार सीमेंट फक्ट्री, मिर्जापुर में 23 लोगों को बिला वजह सेवा से निकाल दिया गया ? क्या यह सही है कि इनकी जमीन भी फैक्ट्री में ली गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी कोई जांच बैठाने की कृपा करेगी ?

श्री नियाज हसन--

कजरहट चुनार सीमेन्ट फैक्टरी चुनार के 23 कर्मचारियों की सेवायें उ0 प्र0 स्टेट सीमेंट कारपोरेशन में लागू प्रमाणित स्थायी आदेशों के अन्तर्गत लम्बी अवधि तक कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण जून, 1980 में स्वतः समाप्त हो गईं इनमें से केवल 7 व्यक्ति ऐसे हैं, जिनकी भूमि परियोजना में अध्याप्त की गई थी। जांच की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

9--श्री यदुनाथ सिंह--

[10-2-82 को नियम 51 के अन्तर्गत चर्चित]

माननीय विधायक श्री कुंवर सिंह नेगी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पत्रों में शिकायतें तथा मांगों पर कृत कार्यवाही

10--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्रांक 4190 (II)/15 (2)-36 (225)-76, (शिक्षा-2 अनुभाग), दिनांक 22 जून, 1981 के क्रम में प्रश्नकर्ता के प्रतिवेदन पत्र दिनांक 15 अगस्त, 1981 तथा दिनांक 2 अक्टूबर, 1981 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त-पत्र प्रतिवेदनों में क्या-क्या शिकायतें और मांगें अंकित हैं और शासन ने इन मांग शिकायतों पर विन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। सन्दर्भगत प्रतिवेदन-पत्रों में उल्लिखित मांग शिकायतों पर मदवार कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1043 पर।)

थाना आलमबाग, लखनऊ में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों का स्थानान्तरण

11--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना आलमबाग, लखनऊ में ऐसे कितने पुलिस कर्मचारी (कान्स्टेबिल एवं सब-इन्सपेक्टर) हैं जो विगत पांच वर्ष या उससे अधिक समय से थाना आलमबाग में ही तैनात हैं ? क्या सरकार ऐसे पुलिस कर्मचारियों का स्थानान्तरण, तुरन्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना आलमबाग, लखनऊ में कोई भी सब-इन्सपेक्टर अथवा कान्सटेबुल ऐसा नहीं है जो वहां विगत पांच वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात हो। अतः किसी ऐसे पुलिस कर्मचारी के स्थानान्तरण का कोई प्रश्न नहीं है।

12--श्री हरिवंश सहाय--

[6ठे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

गृह पुलिस विभाग में नियमित रूप से नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों की प्रोन्नति तथा विनियमित करने की कार्यवाही

13--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह पुलिस विभाग से जन अभियोजन अधिकारियों को अलग कर एक स्वतंत्र, निदेशालय की स्थापना शासन द्वारा कर दी गई है। परन्तु नियमित रूप से विभाग में नियुक्ति सहायक अभियोजन अधिकारियों (ए0 पी0 ओ0) की कोई वरिष्ठता सूची आज तक विभाग में नहीं तैयार हुई है ? यदि हां, तो क्यों और अस्थाई तदर्थ तथा प्रोन्नतियां किस आधार पर की जा रही हैं ? क्या यह भी बताने का कष्ट करेगीं कि वर्ष 1973-से अब तक कुल कितने सहायक अभियोजन अधिकारी तदर्थ रूप से इस प्रदेश में इस विभाग में कार्य कर रहे हैं तथा शासन द्वारा उनको नियमित किये जाने के संबंध में हुई निश्चित नीति निर्धारित की गई है यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

नियमित रूप से नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों की जो ज्येष्ठता सूची उपलब्ध है उसी के आधार पर अस्थायी एवं तदर्थ प्रोन्नतियां ज्येष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर अयोग्य को छोड़ते हुए के सिद्धांत पर की जा रही है।

वर्तमान में 383 सहायक अभियोजन अधिकारी तदर्थ आधार कार्यरत हैं। इनमें से दिनांक 1 जनवरी, 1977 से पूर्व नियुक्त 128 अधिकारियों की नियुक्ति को कार्मिक विभाग द्वारा प्रसारित अधिसूचना संख्या 19/8/75(1)-का-1,- दिनांक 14-5-79 के प्राविधानों के अनुसार विनियमित करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष 255 तदर्थ रूप से नियुक्त अधिकारियों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने के लिये उन्हें आयु सीमा में आवश्यक छूट देने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में जन अभियोजन निदेशालय की स्थापना तथा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तथा अभियोजन अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची

14---श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में जन अभियोजक निदेशालय की स्थापना लगभग एक वर्ष पूर्व की गई थी परन्तु उप निदेशक अभियोजन के 6 पद अभी भी रिक्त है तथा इन पर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों और क्या प्रदश में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (ए0पी0 ओ0) तथा अभियोजन अधिकारी की कोई वरिष्ठता सूची तैयार की गई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रदेश में अभियोजन निदेशालय की स्थापना करते समय अन्य पदों के साथ-साथ उप-निदेशक अभियोजन के 5 पद सृजित किये गये थे, जिन पर अधिकारियों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों तथा अभियोजन अधिकारियों की ज्येष्ठता सूचियां बनी हैं, किन्तु विस्तृत होने के कारण उनकी प्रतियां तैयार करने में लगने वाले समय एवं व्यय की तुलना में उनकी उपयोगिता और सार्थकता को देखते हुए प्रत्येक अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना लाभदायक प्रतीत नहीं होता।

जनपद जौनपुर के शिक्षकों को पेंशन और प्राविधायी निधि का भुगतान में विलम्ब

15---श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के प्राथमिक शिक्षकों का प्राविडेन्ट फंड और पेंशन के प्रकरण वर्ष 1975 से अपूर्ण है और अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों को उनका भुगतान समय से नहीं होता? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता को दूर कर शिक्षकों को पेंशन और प्राविधायी निधि का भुगतान समय से कराने की व्यवस्था करेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा शिक्षकों की सेवा सुरक्षा शर्तें

16—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा की वह सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो उन्हीं विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों को प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाकर उन्हें भी सेवा सुरक्षा प्रदान करेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा से संबंधित प्राविधानों में कुछ अन्तर है। इन दोनों स्तरों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों के रूप में निर्धारित हैं।

17—श्री प्रभूनारायण सिंह—

[8 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

थाना भटनी, जिला देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

18—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि थानाध्य. ाटनी, जिला देवरिया के भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती पत्र दिनांक 27-11-81 को आई0जी0 पुलिस को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हरिवंश सहाय, विधायक का इस आशय का शिकायती-पत्र दिनांक 27-11-81 को पुलिस महानिरीक्षक को प्राप्त हुआ है। शिकायतों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है।

देवरिया जिलान्तर्गत थाना खामपार में चोरी, राहजनी व डकैती की घटनाएं

19—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थाना खामपुर में 1-9-81 से 28-11-81 के बीच कितनी चोरियां, डकैतियां तथा राहजनी हुई हैं ? उनमें कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत अवधि में थाना खामपार में 13 चोरी, डकैती शून्य व एक राहजनी का अभियोग पंजीकृत हुआ। राहजनी के अभियोग में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा साक्ष्य के अभाव एवं माल व मुल्जिम का पता न लगने के कारण चोरी के सभी 13 मामलों में विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त हुई।

थानाध्यक्ष भटनी, जिला देवरिया के विरुद्ध अदालत में चल रहे मुकदमें

20—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष भटनी, जिला देवरिया के विरुद्ध कोई मुकदमा वर्तमान समय में अदालत में चल रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

जिला देवरिया, ग्राम निजामाबाद की भूमि पर अवैध कब्जा खाली कराने के आदेश

21--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला सलेमपुर थानान्तर्गत ग्राम निजामाबाद के सहती व हती हरिजन (धोबी) के घर को माह सितम्बर, 81 में सहायक थानेदार ने सदल बल पहुंचकर उजड़वा दिया ? यदि हां, तो वह किसके आदेश से उजाड़ा गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम निजामाबाद में आराजी नं0 4/80 की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त गांव के व्यक्तियों सलामत, करमुल्लाह व अमानुल्लाह को आवंटित की गई थी और उस भूमि पर फुहती अवैध कब्जा किये था जिस पर कोई निर्माण नहीं था। एस0डी0एम0 के आदेश दिनांक 19-8-81 से उक्त भूमि का अवध कब्जा खाली कराया गया था।

सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति

22--श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में कितने सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी गई है और उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका कार्यकाल सहायक अभियन्ता के पद पर 10 साल से कम है और उनके खिलाफ चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां भी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

सहायक अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के लिये वे ही सहायक अभियन्ता पात्र होते हैं, जिन्होंने विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। अधिशासी अभियन्ता के पद पर चयन "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर किया जाता है।

उपरोक्त मानदंड की परिधि में वर्ष 1981 में 201 सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर तदर्थ प्रोन्नति हेतु अनुमोदित किया गया था। इन अधिकारियों में से केवल 2 अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने उपरोक्त अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं की थी। इन दो अधिकारियों में से, 1 अधिकारी अनुसूचित जाति के थे, उन्हें अनुसूचित जाति के कोटे के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की शर्त से छूट देते हुए, अधिशासी अभियन्ता के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान की गयी। दूसरा अधिकारी सामान्य श्रेणी का था किन्तु चूंकि उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति दी जा रही थी। अतः इन्हें भी उपरोक्त अर्हकारी सेवा से छूट प्रदान करते हुए तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान कर दी गई।

प्रोन्नत अधिकारियों में से कतिपय अधिकारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं किन्तु यह चयन "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर किया गया था और इस परिपेक्ष्य में संबंधित अभियन्ताओं के सेवा अभिलेखों, उनके कार्य एवं आचरण का समग्र आंकलन के आधार पर वे तदर्थ अधिशासी अभियन्ता के पद पर तदर्थ प्रोन्नति हतु उपयुक्त पाये गये थे।

अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति

23—श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में कितने अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी गई और उनमें से कितने लोगों की सेवायें अधिशासी अभियन्ता के पद पर 15 साल से कम है ? और उनके विरुद्ध चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

अधीक्षण अभियन्ता के पद के लिये वे ही अधिशासी अभियन्ता चयन के लिये पात्र होते हैं, जिन्होंने चयन के वर्ष 1 जुलाई को उ0 प्र0 अभियंत्रण सेवा में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस पूरी सेवा में कम से कम 6 वर्ष अधिशासी, अभियन्ता के पद पर कार्य किया हो नियमित चयन का आधार "श्रेष्ठता" तदथ चयन "अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता" के आधार पर किया जाता है।

उपरोक्त मानदंड की परिधि के अन्तर्गत वर्ष 1981 में कुल 47 अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तदर्थ प्रोन्नतियां प्रदान की गईं। इनमें से केवल 1 अधिशासी अभियन्ता उपरोक्त उल्लिखित अर्हकारी सेवा की शर्त पूर्ण नहीं करते थे परन्तु क्योंकि उनसे कनिष्ठ अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किये जा चुके थे, अतः उन्हें भी अर्हकारी सेवा की शर्त शिथिल करते हुए अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति दे दी गई। प्रोन्नत अधिकारियों में से कतिपय अधिकारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं किन्तु यह चयन "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर" किया गया था और उक्त परिपेक्ष्य में संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं के सेवा अभिलेखों उनके कार्य एवं आचरण का समग्र आंकलन के आधार पर वे अधीक्षण अभियन्ता पद पर तदर्थ प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये थे।

अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ताओं के पद पर प्रोन्नति का आधार

24—श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में कुछ ऐसे अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता बना दिया गया है जिनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं ? यदि हां, तो उनको तरक्की देने का क्या आधार है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

तरक्की संबंधित अवर अभियन्ता के सेवा अभिलेखों तथा उसके कार्य, आचरण एवं व्यवहार के संपूर्ण आंकलन के आधार पर होती है। यह आंकलन एक चार सदस्यीय चयन समिति द्वारा किया गया जिसमें सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग तथा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग सदस्य थे।

राजकीय बालिका विद्यालय, अकबरपुर, जिला फैजाबाद में बस सुविधा

25—श्री जियाराम 'शुक्ल विकल साकेती'—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका विद्यालय, अकबरपुर, जिला फैजाबाद की दोनों बस नहीं चलाई जा रही है ? फलस्वरूप बालिकाओं को दूर-दूर से आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शिक्षा विभाग इसके लिए तुरन्त कोई कदम उठायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं। विद्यालय की दो बसों में से एक बस चलाई जा रही है।

बस से आने-जाने वाली छात्राओं को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि एक ही बस से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना मुगुलपुरा, जिला मुरादाबाद में गूंगी लड़की के साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट

26--श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन--

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 9/10-8-80 को थाना मुगुलपुरा, जिला मुरादाबाद में जो एक गूंगी लड़की के साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट श्री मुख्तार अहमद, अनवर और किशन अवतार के द्वारा लिखाई गयी और दिनांक 10-8-80 को लड़की का डाक्टरी परीक्षण भी हुआ ? यदि हां, तो उस केस में क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10-8-80 को मुख्तार अहमद, अनवर अंसारी, किशन औतार आदि ने एक गूंगी लड़की के साथ बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट थाना मुगुलपुरा में लिखाई थी जिसके आधार पर धारा 376 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। लड़की के डाक्टरी परीक्षण तथा विवेचना से लड़की के साथ बलात्कार का किया जाना नहीं पाया गया। अतः मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है।

थाना छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद में पंजीकृत अभियोग तथा कृत कार्यवाही

27--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के थाना छिबरामऊ के अन्तर्गत दिनांक 9/10-8-81 की मध्य रात्रि में श्री राजेन्द्र का छिबरामऊ में उनके ट्यूबवेल से अपहरण किया गया तथा बाद में उनकी हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना के संबंध में थाना छिबरामऊ जनपद फर्रुखाबाद में धारा 364/302 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी अब तक की विवेचना से दो अभियुक्त राम प्रकाश उर्फ प्रग्गा और शेरा उर्फ शेर सिंह व उनके साथी प्रकाश में आये हैं। विवेचना अभी जारी है।

दारुलशफा में कर्मचारियों के क्वार्टर में परिवर्तन एवं मरम्मत कार्य

28--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या आर0--10927/32-80 102-80, दिनांक 4-2-81 द्वारा तथा संख्या आर0-741/32-81-102-80 दिनांक 15 अप्रैल, 1981 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण-2 सार्वजनिक निर्माण विभाग को दारुल शफा के 6 कर्मचारियों के क्वार्टर में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन हेतु तुरन्त कार्यवाही करें और कार्यों का आंगणन करके शासन को आख्या दें ऐसा लिखा है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और क्या 6 कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

2--कुछ कर्मचारियों के क्वार्टरों में विशेष मरम्मती कार्यों के प्राप्त आंगणन स्वीकृत किये गये तथा कार्य करा दिये गये हैं।

3--कुछ मूल निर्माण कार्यों एवं विशेष मरम्मती कार्यों के आंगणन का परीक्षण किया जा रहा है। आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

महन्थ त्रिवेणी पर्वत इण्टर कालेज, विशुनपुर बाजार, देवरिया में प्राकृतिक प्रकोप से हुयी क्षति एवं अनुदान

29--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में महन्थ त्रिवेणी पर्वत इन्टर कालेज, विशुनपुर बाजार, देवरिया की प्राकृतिक प्रकोप सन् 78-79 में हुई क्षति के संबंध में अनुदान देने के लिए शासन के निर्देश पर निदेशालय के पत्रांक अर्थ-1/15436-5/2 (5)/80-81, दिनांक 10-11-80 द्वारा जांच करायी गयी थी? यदि हां, तो आख्या एवं संस्तुति प्राप्त होने पर अनुदान क्यों नहीं दिया गया? क्या इस संबंध में संस्था का पत्रांक 66/81-82, दिनांक 24-10-81 शासन को प्राप्त हो गया है? तथ्य प्रमाणित हो चुका है तो क्या शासन वर्ष 1981-82 में इस संस्था के अनुदान प्रस्ताव पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

हां।

वर्ष 1980-81 में केवल उसी वर्ष की क्षति पर अनुदान दिया जाना अनुमन्य किया गया था। पिछले वर्ष की क्षति के लिये उपलब्ध धनराशि से अनुदान अनुमन्य नहीं था।

हां।

नहीं।

प्रकरण चालू वित्तीय वर्ष का न होने के कारण अनुदान अनुमन्य नहीं किया जा सकता।

महन्थ लाल दास इण्टर कालेज, देव गांव, फैजाबाद के छात्रों की पास बुक में जमा की गयी छात्रवृत्ति तथा पासबुक्स एवं आफिस रिकार्ड की जांच

30--श्री सुग्रीव सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानाचार्य महन्थ लाल दास इण्टर कालेज, देवगांव, फैजाबाद द्वारा वर्ष 1980-81 के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों की छात्रवृत्तियों की धनराशि 2 अप्रैल, 1981 को ही सरकार से आहरित करके पांच माह बाद अगस्त, 1981 में संबंधित छात्रों की पास बुक्स में जमा किया गया है जबकि आफिस रिकार्ड में उक्त प्रधानाचार्य द्वारा उक्त धनराशि यथासमय पास बुक्स में जमा करना दिखाया गया है? क्या सरकार संबंधित पोस्ट आफिस से धनरशि जमा करने की तिथियों की पुष्टि तथा पास बुक्स एवं आफिस रिकार्ड की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवाने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

महन्थ लाल दास इण्टर कालेज, देवगांव, फैजाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों का शिक्षण शुल्क सरकारी कोष में जमा किये जाने की जांच

31—श्री सुग्रीव सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानाचार्य महन्थ लाल दास इण्टर कालेज, देवगांव, फैजाबाद द्वारा माह जनवरी एवं फरवरी, 1979 के कक्षा 12 के समस्त छात्रों का शिक्षण शुल्क छात्रों से यथासमय वसूल करके निजी कार्यों में प्रयोग कर लिया गया है तथा उक्त धनराशि को अभी तक सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया है ? अब तक उक्त धनराशि सरकारी कोष में जमा न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण

32 —श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत कुचेरा बाजार से तरौली, कुरावन, गद्दीपुर, अमानीगंज मार्ग विभाग द्वारा निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो इसकी कुल दूरी क्या है कितनी की स्वीकृति मिली है ? कितना काम शेष है ? पूरा काम न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत 24 कि0 मी0 लम्बे मार्ग में से 17 कि0 मी0 लम्बाई निर्माणार्थ स्वीकृत है। भूमि उपलब्ध न होने के कारण 5 कि0 मी0 लम्बाई में कार्य अवशेष है।

श्री अग्रसेन कन्या पाठशाला इंटर कालेज, आजमगढ़ के प्रबन्धाधिकरण द्वारा अनधिकृत शुल्क की वसूली तथा अनियमितताओं से संबंधित शिकायती पत्र

33—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अग्रसेन कन्या पाठशाला इंटर कालेज, आजमगढ़ के प्रबंधाधिकरण द्वारा अनधिकृत शुल्क वसूली तथा अन्य आर्थिक अनियमितताओं से संबंधित कोई शिकायत सितम्बर, 80 में शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी है ? जांच के परिणाम निकले हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

हां। प्रमुख शिकायतें निम्नवत् हैं;

1—विद्यालय के कर्मचारियों से उनके वेतन से चन्दा के नाम पर धन लिया जाता है।

2—छात्राओं से भी चन्दा के नाम पर धन प्राप्त किया जाता है।

3—छात्रवृत्ति के धन का गोलमाल किया जाता है।

4—प्रबन्धक विद्यालय के अभिलेख अपने पास रखते हैं।

5—विद्यालय की प्रशासन योजना के अनुसार प्रबन्धक का कार्यकाल समाप्त होने पर चुनाव नहीं कराया गया।

जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा करायी गई जिसमें अनेक गम्भीर अनियमिततायें प्रकाश में आयीं। विद्यालय का विशेष आडिट कराने के आदेश दे दिये गये हैं

तथा अनियमितताओं के निराकरण हेतु विद्यालय के प्रबन्धक को भी इन्टर शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ (2) के अन्तर्गत निदेश दे दिये गये हैं।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, कन्या जूनियर बेसिक विद्यालय, बरौली, बाराबंकी के वेतन का भुगतान

34--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 1979 का वेतन श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, कन्या जूनियर बेसिक विद्यालय, बरौली, जाटा, बाराबंकी को न देकर संबंधित सहायक विद्यालय निरीक्षिका ने अपने पास रख लिया है ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों को दंडित करके वेतन का भुगतान कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

35--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

[8 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रान्तीयकृत हाई स्कूल, इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य प्रवक्ताओं का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

36--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1977 से पूर्व प्रांतीय कृत हाई स्कूल, इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य प्रवक्ताओं का पर्वतीय क्षेत्र में लोक सेवा आयोग द्वारा औपचारिक चयन किया गया है, किन्तु 1977 के बाद प्रांतीयकरण किये गये प्रधानाचार्य व प्रवक्ता सहायक अध्यापक जिनको 4-4 वर्ष से अधिक हो गया है लोक सेवा आयोग से औपचारिक चयन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजीपुर के महाविद्यालयों में छात्र तथा हरिजन एवं हरिजन जनजाति/पिछड़े वर्ग की संख्या

37--श्री रामनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के महाविद्यालयों में कितने-कितने छात्र विभिन्न कक्षाओं में इस वर्ष शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा इन विद्यालयों में हरिजन एवं हरिजन जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की संख्या कितनी है ? और सरकार द्वारा कौन-सी आर्थिक सहायता उन्हें प्रदान की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

तालिका संलग्न है।

हरिजन एवं हरिजन जनजाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है अथवा दिये जाने की कार्यवाही चल रही है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के छात्रों व पिछड़ी जाति के छात्रों को बुक बैंक की सुविधा में प्राथमिकता उपलब्ध है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1044 पर।)

जनपद मिर्जापुर में आग्नेयास्त्रों के जारी किये गये लाइसेन्स

38--श्री कल्लूराम रत्नाकर--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायगे कि जनपद मिर्जापुर में आग्नेयास्त्र (रिवाल्वर, पिस्टल,बंदूक; राइफल) वर्ष 1981-82 के कितने लाइसेन्स प्रदान किये गये हैं ? उसमें कितने लाइसेन्स सवर्ण, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 में कुल 224 आग्नेयास्त्रों के लाईसेन्स जारी किये गये ।

आर्म्स एक्ट एवं रूल्स के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारकों का जाति/वर्ग के आधार पर विवरण रखने की व्यवस्था निर्धारित न होने के कारण इस प्रकार की वर्गीकृत निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

गढ़वाल मंडल के उप शिक्षा निदेशक तथा मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं द्वारा की गई तदर्थ नियुक्तियां तथा आरक्षण कोटा

39--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियां न किये जाने के बावजूद गढ़वाल मंडल के उप शिक्षा निदेशक तथा मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं द्वारा पुन:अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1981 में एल0 टी0 वेतनक्रम में बड़े पैमाने पर तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो ऐसी तदर्थ नियुक्तियां क्यों और कितनी-कितनी की गईं तथा इन तदर्थ नियुक्तियों में आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति की कितनी-कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पद

40--श्रीमती धनेश्वरी देवी--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि इस समय सहायक अभियोजन अधिकारी के लगभग 300 पद कई वर्षों से रिक्त हैं तथा इसके लिए आवेदन-पत्र वर्ष 78-79 में मांगे गये थे ? यदि हां, तो अब तक उपर्युक्त पदों पर नियुक्तियां न करने का क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सहायक अभियोजन अधिकारी के 86 रिक्त पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 4 जनवरी, 1979 के विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किये गये थे । किन्तु उसी बीच शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जायेगी । अत: तदनुसार उक्त रिक्तियां नहीं भरी गईं । अब शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सहायक अभियोजन अधिकारी की वर्तमान 460 रिक्तियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित रूप से भरे जाने हेतु अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है ।

थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर में दर्ज घटनाएं

41--श्री हुकम सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगी कि थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर में जनवरी, 81 से लेकर दिसम्बर, 1981 तक हत्या की कितनी घटनायें दर्ज हुई एवं कितनी घटनाओं की विवेचना पूरी कर के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना जानसठ क्षेत्र में 1-1-81 स 31-12-81 की अवधि में हत्या की आठ घटनायें हुईं। उक्त आठों मामलों की विवेचना पूर्ण कर के आरोप-पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

थाना कोतवाली, मुजफ्फरनगर में हत्या के पंजीकृत अभियोग तथा कृत कार्यवाही

42—श्री हुकम सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना कोतवाली, मुजफ्फरनगर में जनवरी, 81 से लेकर दिसम्बर, 1981 तक हत्या के कितने ऐसे मामले विवेचना के लिये विचाराधीन हैं और जिनमें अभी तक अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका? इनमें से कितने मामलों में पुलिस धारा 169 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत अन्तिम रिपोर्ट लगाकर केस समाप्त करने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत कर चुकी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में हत्या के 12 (बारह) अभियोग थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर में पंजीकृत हुये। उनमें से आठ मामलों में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। दो मामलों में विवचना अभी प्रचलित है। अन्य दो मामलों में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट लगायी जा चुकी है।

थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर में हत्या के अभियोग

43—श्री हुकम सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगी कि थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर में जनवरी, 81 से लेकर दिसम्बर, 81 तक हत्या के कितने ऐसे मामले विवेचना के लिये विचाराधीन हैं। जिनमें अभी तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सका उनमें से कितने मामलों में पुलिस धारा 169 जाब्ता फौजदरी के अन्तर्गत अन्तिम रिपोर्ट लगा कर केस समाप्त करने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत कर चुकी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना जानसठ क्षेत्र में 1-1-81 से 31-12-81 की अवधि के मध्य का कोई हत्या का अभियोग न तो विवचनाधीन है न ही किसी अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी है।

मुजफ्फरनगर जनपद के विभिन्न थानों में हत्या के मामले

44—श्री हुकम सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनवरी, 81 से लेकर दिसम्बर, 81 तक मुजफ्फरनगर जनपद से विभिन्न थानों में कितने हत्या के मामले एसे हैं जिनकी विवचना अभी तक केवल इस कारण अधूरी है कि अभियुक्तगण गिरफ्तार न किये जा सके हों? शासन ने गिरफ्तारी के लिये अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में हत्या मे दस मामले ऐसे हैं, जिनकी विवेचना सभी अभियुक्तगण के गिरफ्तार न हो सकने के कारण अधूरी है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं और आवश्यकतानुसार कुछ मामलों में 82-83 जा0 फौ0 की भी कार्यवाही की गई है।

बसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) स्व0 श्रीमती लज्जारानी निगम के अवशेष वेतन, सेवा निवृत्त लाभ, पेंशन का भुगतान

45—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा जनपद की बसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) स्व0 श्रीमती लज्जारानी निगम के अवशेष वेतन, सेवा निवृत्त लाभ, आदि का भुगतान 15 दिसम्बर, 81 तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा भुगतान के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

46—श्री मलिक मु0 कमाल यूसुफ—

[8 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

सुल्तानपुर बाराबंकी की सीमा पर रेछघाट पर पुल के निर्माण की योजना

47—श्री दीप नरायन वन महन्थ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर, बाराबंकी की सीमा पर रेछघाट, जो गोमती नदी पर है पुल नहीं है, जिससे जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है तथा पुल निर्माण हो जाने से बहराइच गोंडा से सुल्तानपुर रायबरेली का सीधा संबंध हो जायगा ? यदि हां, तो क्या इस मार्ग पर पुल बनाने का ममला शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक पुल का निर्माण हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम रसलपुर, जिला सुल्तानपुर म प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था

48—श्री दीप नरायन वन महन्थ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में प्रौढ़ शिक्षा की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो इसका केन्द्र तथा स्थान कहां है और शिक्षार्थियों की संख्या क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी नहीं । राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमान्तर्गत, जनपद सुल्तानपुर के विकास खड, जगदीशपुर के ग्राम रसूलपुर में प्रौढ़ शिक्षा का कोई केन्द्र संचालित नहीं किया गया है ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में भतपूर्व सैनिकों की संख्या तथा कल्याण हेतु सुविधाएं

49—श्री दीप नरायन वन महन्थ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खंड, रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्या है ? तथा उनके स्वास्थ्य एवं सैनिक कल्याण हेतु अब तक क्या कार्यवही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

ग्राम रसूलपुर में 8 पुरवों को मिलाकर लगभग 40 भूतपूर्व सैनिक हैं । इनकी चिकित्सा के लिये जिला चिकित्सालय में 6 शैय्याओं का वार्ड है । आवश्यकता पड़ने पर

लखनऊ, फैजाबाद और इलाहाबाद स्थित सैनिक चिकित्सालयों में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु निम्न सुविधा दी जाती हैं :-

1--विद्यार्थियों में शिक्षा पाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति ।
2--अनुदान
3--सेवायोजन में सहायता
4--बैंकों से ऋण/ब्याज पर सब्सिडी
5--सीमेंन्ट की आपूर्ति ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने का विचार

50--श्री दीपनारायन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है जिससे ग्राम की कन्याओं को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है ? क्या शासन इस ग्राम में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। जनपदों की पारस्परिक आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों को दृष्टिकोण में रखते हुये, रसूलपुर में जूनियर हाई स्कूल खोलन क विषय पर जिला बसिक शिक्षा समिति द्वारा ही विचार किया जा सकेगा।

जनपद देवरिया में पीच किये जाने हेतु स्वीकृत सड़कें

51--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में वर्ष 1980-81 में कौन-कौन सड़कें पीच हेतु स्वीकृत हुई हैं ? क्या स्वीकृत सड़कें बन गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद देवरिया में वर्ष 1980-81 में कोई भी सड़क पीच किये जाने हेतु स्वीकृत नहीं हुयी थी। प्रश्न नहीं उठता।

अष्टम् विधान सभा के विधायकों के पास नियुक्त अंगरक्षक एवं उनके यात्रा भत्ता बिल का भुगतान

52--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अष्टम् विधान सभा के कितने विधायकों के पास अंग रक्षक हैं ? उक्त सदस्यों ने नाम के साथ क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अंग-रक्षक प्रदेश शासन की आज्ञा से हैं तथा कितने जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों ने दिये हैं और मा0विधायकों के साथ रहने वाले अंग-रक्षकों का प्रदेश के जिलास्तर तक यात्रा भत्ता का भुगतान हो चुका है ? यदि नहीं, तो उन अंगरक्षकों का नाम क्या है, जिन्हें यात्रा-भत्ता नहीं मिला है ? क्या शासन इसके भुगतान की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार अष्टम विधान सभा के 113 सदस्यों के पास अंगरक्षक नियुक्त हैं। माननीय सदस्यों का नाम बताना जनहित में न होगा। अंगरक्षक सामान्यत: शासन की स्वीकृति से ही प्रदान किये जाते हैं परन्तु विशेष परिस्थितियों में शासन की स्वीकृति

के प्रत्याशा में पुलिस अधीक्षकों द्वारा भी अंगरक्षक प्रदान कर दिया जाता है। दिसम्बर, 1981 तक की प्रदेश के अन्दर की गई यात्राओं के यात्रा भत्ता बिल, जो संबंधित अंगरक्षकों द्वारा दिये जा चुके हैं, का भुगतान किया जा चुका है।

जनपद गाजीपुर में महाविद्यालयों में कार्यरत विभिन्न वर्ग के कर्मचारी तथा आरक्षण कोटा

53---श्री राम नारायण सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितने महाविद्यालय हैं और इन महाविद्यालयों में विभिन्न वर्ग के पदों पर कितने कर्मचारी हैं तथा हरिजनों एवं हरिजन जन-जाति एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की कितनी संख्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

नौ महाविद्यालय हैं।

412 कर्मचारी विभिन्न वर्ग के पदों पर कार्यरत हैं। हरिजन कर्मचारियों की संख्या 31 है हरिजन जनजाति की संख्या शून्य है पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 149 है।

नगरपालिका, नैनीताल के वन विभाग में कार्यरत कर्मचारी तथा राज्य कर्मचारियों के समक्ष प्रदान की गयी सुविधायें

54---श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अक्तूबर, 1975 से नगरपालिका, नैनीताल के वन को वन विभाग ने अपने अधिकार में लिया है ? उसमें सेवारत सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारी घोषित किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त कर्मचारियों को वन विभाग में पदोन्नति पेंशन एवं वन विभाग में मिलने वाली सुविधा नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायन सिंह---

जी हां, 1 अक्तूबर, 1975 से नगरपालिका नैनीताल के वन को वन विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया है। नगरपालिका के वनों में कार्यरत कर्मचारियों को उनकी लिखित सहमति के अनुसार दिनांक 1-10-75 से राजकीय सेवा में माना गया है तथा तद्नुसार ही राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधायें उन्हें प्रदान की गई हैं।

वन विभाग के सर्वे एक्सपर्ट एवं सर्वे अमीन को स्थायी किये जाने की मांग

55---श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग के सर्वे एक्सपर्ट एवं सर्वे अमीन जिनकी सेवायें पांच साल से अधिक हो गयी हैं स्थायी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और कब तक स्थायी कर दिए जायेंगे ?

श्री निर्भय नारायण सिंह---

वन विभाग में कोई ऐसे सर्वे एक्सपर्ट एवं सर्वे अमीन नहीं हैं जिनकी सेवायें पांच साल से अधिक हो गई हैं। वन बन्दोबस्त कार्य हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारियों के साथ जो राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं कुछ सर्वे एक्सपर्ट तथा सर्वे अमीनों की सेवायें पांच वर्ष से अधिक हो गई हैं परन्तु बन्दोबस्त कार्य की प्रगति अस्थाई होने के कारण इनको स्थाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रम विभाग के चिकित्साधिकारियों द्वारा जमानत के रूप में जमा की गई धनराशि

56--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग के चिकित्साधिकारियों से रुपया दो हजार नकद जमानत जमा कराई जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

जी हां। श्रम विभाग के चिकित्साधिकारी (एलोपैथ) से 2500 रु0 तथा चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद यूनानी एवं होम्योपैथ) से 2000 रु0 जमानत जमा करायी जाती है क्योंकि चिकित्सालयों में चिकित्सा संबंधी दवाइयां तथा अन्य उपकरण उनके चार्ज में रहते हैं।

थाना परौर जिला शाहजहांपुर की पुलिस के विरुद्ध रिश्वत लेने एवं मुकदमों में झूठा फंसने की शिकायत

57--श्री सत्यपाल सिंह --

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अब्दुल सईद खां, उप प्रधान, ग्राम सभा कौछी, थाना परौर, जिला शाहजहांपुर ने दिनांक 23-12-81 को कोई शिकायती-प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र के साथ पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ को थाना अध्यक्ष परौर, जिला शाहजहांपुर की शिकायतों के विषय में दिया है ? यदि हां तो इसमें मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। प्राप्त सूचना के अनसार श्री अब्दुल सईद खां, उप प्रधान, ग्राम सभा कौछी; थाना परौर का एक प्रार्थना-पत्र, दिनांक 23-12-81 पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय से पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को दिनांक 1-2-82 को जांच हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त प्रार्थना-पत्र में मुख्य रूप से थाना परौर की पुलिस के विरुद्ध रिश्वत लेने एवं लोगों को मुकदमों में झूठा फंसाने आदि की शिकायत की गई हैं। प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों के संबंध में विस्तृत जांच क्षेत्राधिकारी जलालाबाद द्वारा की जा रही है, जो शिकायतकर्ता तथा अन्य गवाहों के बयान देने हेतु अभी तक उपलब्ध न हो सकने के कारण पूर्ण नहीं हो सकी है।

गृह जनपदों में कार्यरत पुलिस निरीक्षकों का स्थानान्तरण

58--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या वर्तमान में गृह विभाग का ऐसा नियम है कि पुलिस निरीक्षक अपने गृह जनपद के रेंज में तैनात नहीं रह सकते हैं ? यदि हां, तो थाना अध्यक्ष, परौर, जिला शाहजहांपुर में क्यों तैनात हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। ऐसे आदेश दिये गये हैं।

उप निरीक्षक श्री सत्यपाल सिंह, थानाध्यक्ष परौर के स्थानान्तरण आदेश लखनऊ परिक्षेत्र को कर दिये गये हैं।

कत्था उद्योग हेतु प्रार्थना-पत्र तथा आवश्यक कार्यवाही

59--श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1980-81 और 1981-82 में कितने प्रार्थना-पत्र कत्था उद्योग के लिये जिलों में स्वीकृत होकर फैजाबाद वित्त निगम को अन्तिम स्वीकृति के लिये भेजे गए ? उनमें से कितने प्रार्थना-पत्रों को वित्त निगम, फैजाबाद द्वारा ऋण स्वीकृत करके भुगतान करने का आदेश दे दिया और कितने प्रार्थना-पत्र आज भी विचाराधीन हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

वर्ष 1980-81 में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद को जिलों से स्वीकृत होकर कोई भी प्राथना-पत्र कत्था उद्योग के लिये अन्तिम स्वीकृति के लिये नहीं प्राप्त हुआ।

वर्ष 1981-82 में (सितम्बर, 1981 तक) तीन प्रार्थना-पत्र जिला उद्योग केन्द्र, गोण्डा से प्राप्त हुए जिन्हें सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को स्वीकृति से पूर्व आवश्यक कायवाही जैसे स्थान का निरीक्षण आदि को पूरा कराकर पुनः भेजने का आग्रह किया गया है।

प्राइमरी पाठशाला, भिंगारी बाजार में विभिन्न प्रकार के लिए गये छात्रों से शुल्क तथा बक के खाते में जमा की गई धनराशि

60--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला ब्लाक भाटपार रानी के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला, भिंगारीबाजार में वर्ष 1972 से 31 मार्च, 1981 तक कितना कला शुल्क, क्रीणा शुल्क टी0सी0 शुल्क तथा कितना जूनियर रडक्रास शुल्क जमा हुआ किस बैंक व खाते में जमा हुआ ? यदि नहीं जमा हुआ तो सम्बन्धित कमचारी अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कायवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम कुंइचवर, थाना लार, जिला देवरिया के श्री श्याम लाल हरिजन की हत्या की जांच

61--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कुइंचवर, थाना लार, जिला देवरिया में 25/26 नवम्बर, 1981 की रात में श्यामलाल हरिजन को गोली मार दी गयी और उसकी स्त्री मरणासन्न स्थिति में देवरिया अस्पताल में भरती है ? यदि हां, तो हत्या का कारण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम कुण्डौली थाना लार, जिला देवरिया निवासी परमात्मा सिंह पुत्र नरायन सिंह तथा उसका साथी शिवदत्त हरिजन निवासी ग्राम इटौरा दिनांक 26/27.11.81 की आधी रात में ग्राम कुइचवर छावनी थाना लार जिला देवरिया निवासी श्यामलाल हरिजन के घर आकर उनकी नागिन सुगन्ती से मिलने के लिए कहे। श्री श्याम लाल और उनकी पत्नी द्वारा विरोध करने पर उक्त परमात्मा सिंह फायर किये। परिणाम-स्वरूप श्यामलाल घटनास्थल पर मर गया तथा उसकी पत्नी घायल हुई जिसका उपचार सदर अस्पताल देवरिया में कराया गया जिससे वह बच गई और अब अपने घर पर है।

इस संबंध में थाना लार पर धारा 302/307 भा0दं0 वि0 पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचना उपरांत आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका हैं।

श्री बलभद्र सहाय, ग्राम परसादपुर, जिला बस्ती की हत्या की जांच तथा कृत कार्यवाही

62--श्री कुबेर भंडारी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बलभद्र सहाय, ग्राम परसादपुर, थाना घनघटा, जिला बस्ती जो लगभग 82 वर्ष के एक वृद्ध एवं क्षेत्र के सम्भ्रान्त तथा राजकीय सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, जिन्होंने अपने जानमाल की रक्षा हेतु उप महा निरीक्षक

पुलिस, गोरखपुर पुलिस अधीक्षक, बस्ती एवं जिलाधिकारी, बस्ती को कई प्रार्थना-पत्र देने के उपरान्त भी किन परिस्थितियों में उनकी हत्या दिनांक 14-9-81 को की गयी और उनकी हत्या के पूर्व एवं बाद में पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बलभद्र सहाय ने एक प्रार्थना पत्र अपराध संख्या 472/75 की विवेचना के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक को दिया था जिसमें सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भी कहा गया था। श्री बलभद्र सहाय की हत्या 14-9-81 को उनके बगीचे में हुई थी जिस संदर्भ में विवेचना के बाद आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है और वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रदेश के मंत्रियों द्वारा तहसील-अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की यात्रायें तथा उनके संबंध में विधायकों को दी गई सूचना

63--श्री सन्त बक्स रावत तथा श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1981 से अब तक तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में प्रदेश के किन-किन मंत्रियों ने कब-कब अपना दौरा किया ? क्या उन्होंने अपने इन दौरे के कार्यक्रमों की सूचना स्थानीय विधायकों को दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1045 पर।)

वाराणसी जनपद के कालिकाधाम पर बरुणा नदी के पुल का निर्माण

64--श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद के कालिकाधाम नामक स्थान पर वरुणा नदी का पुल गत कितने वर्षों से निर्माणाधीन है ? क्या यह सच है कि इस पुल के अधूरे रहने से लोगों को आवागमन में घोर असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या इस पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

लगभग 8 वर्षों से।

जी हां।

जी हां।

पुल को यातायात हेतु खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

जिला गाजियाबाद में स्थित राम किशन इस्पात नामक औद्योगिक संस्थान को कोयला, लोहा, डीजल का आवंटन

65--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे गाजियाबाद जिले में घुम दादरों में स्थित राम किशन इस्पात नामक औद्योगिक संस्थान को जनता शासन काल में कितना कोयला, लोहा, डीजल मिला ? क्या यह सही है कि वह नियमानुसार था ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नियाज हसन खां--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

शिक्षा अनुभाग 2--के विरुद्ध शिकायतें तथा कृत कार्यवाही

66-- श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य मंत्री जी को अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के संगठनों, राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल, कुमायूं के संयुक्त अधिवेशन 3 अगस्त, 1980 में प्रस्तुत ज्ञापन तथा पारित प्रस्ताव, विधायकों, सांसदों, अनुसूचित जाति तथा जन-जाति आयोग भारत सरकार तथा आयुक्त अनुसूचित, जाति जन-जाति उत्तर प्रदेश द्वारा शासन के शिक्षा 2 अनुभाग के विरुद्ध वर्ष 1981 में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वे क्या-क्या शिकायतें हैं और शासन द्वारा उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। मुख्य मुख्य शिकायतों तथा उन पर कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1046 पर।)

मोहल्ला आदमपुर में कन्या विद्यालय खोले जाने की मांग

67--श्री खैरुल बशर--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी के मोहल्ला आदमपुर में एक कन्या विद्यालय खोले जाने की मांग 13 अगस्त, 1977 से अब तक की जाती रही है ? यदि हां, तो इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

कोपागंज, जनपद आजमगढ़ में बुनकरों की सामूहिक कार्ड बनाये जाने की योजना

68--श्री खैरुल बशर--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ की टाउन एरिया कोपागंज में हैण्डलूम कारपोरेशन की शाखा द्वारा अभी हाल ही में बुनकरों के सामुहिक कार्ड बनाने की प्रक्रिया चलाई जिसके विरोध में बुनकरों ने मुख्य मंत्री, राज्य उद्योग मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नियाज हसन खां--

हाल में मा0 प्रश्नकर्ता से प्रश्न में उल्लिखित विषय पर कोई पत्र उद्योग विभाग में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता। किन्तु कोपागंज, जनपद आजमगढ़ में बुनकरों को सामूहिक कार्ड बनाये जाने की कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।

स्थानीय पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

69--श्री खैरुल बशर--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बालकरन यादव, पुत्र श्री सोमरु यादव सी0 27/253 मल्दहिया, थाना चेतगंज जिला वाराणसी द्वारा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध एक शिकायती पत्र डी0 आई0 जी0 पुलिस, वाराणसी को अगस्त, 1981 के अन्त में दिया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, शिकायती पत्र में स्थानीय पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए।

थाना कोतवाली, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कत्ल की घटनाएं

70--श्री हुकम सिंह---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मास अक्तूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 1981 में थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कत्ल की कितनी घटनाएं थाने पर दर्ज हुई? इनमें से किस-किस घटना के अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया जा सका हैं और शेष की गिरफ्तारी के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार अक्तूबर, 81 में हत्या की तीन घटनायें दर्ज हुई। पहली घटना अपराध संख्या-1148 के दोनों अभियुक्तों का मफरुसी में चालान न्यायालय किया गया। दूसरी घटना-अपराध संख्या-1168 के 6 अभियुक्तों में से पांच अभियुक्तों का चालान न्यायालय को किया गया है तथा शेष एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। तीसरी घटना-अपराध संख्या 1170 के आठों अभियुक्तों का चालान न्यायालय को किया गया है।

नवम्बर, 81 में हत्या की कोई घटना दर्ज नहीं हुई।

दिसम्बर, 81 में हत्या की तीन घटनायें दर्ज हुई हैं। पहली घटना के तीनों अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया है। दूसरी घटना में अभी विवेचना प्रचलित है तथा तीसरी घटना के दो अभियुक्तों को जेल भेजा गया है तथा एक की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

ग्राम बरला, मुजफ्फरनगर में तीन कृषकों की हत्या तथा जांच

71--श्री हुकम सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अप्रैल, मई, 1981 में ग्राम बरला, थाना शामली, मुजफ्फरनगर में खलियान में गेहूं का लान काटते हुए, रात के समय तीन कृषकों की हत्या कर दी गयी थी? यदि हां, तो हत्यारे अभी तक गिरफ्तार हुए एवं मुकदमें की विवेचना कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25/26-5-81 की रात्रि में बदमाशों द्वारा दो व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या करने एवं एक व्यक्ति को घायल करने के संबंध में धारा 302/307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग कायम कराया गया। काफी प्रयास के बाद भी अभियुक्तों का कोई पता नहीं लग पाया। अतएव अभियोग की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

थाना शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में श्री नाथीराम के कत्ल के संबंध में जांच

72--श्री हुकम सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना शामली, जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत शामली निवासी नाथीराम का कत्ल 13-8-81 को हुआ था इसके सम्बन्ध में 14-8-81 को अपराध संख्या 365, सन् 1981 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया उक्त मुकदमों की विवेचना पूर्ण हो गयी है? अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुरेश उर्फ नातीराम निवासी मो0 बरखन्डी, शामली की दिनांक 13-8-81 की रात्रि मे हुई हत्या के संबंध में दिनांक 14-8-81 को थाना शामली पर धारा 302/379 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अपराध संख्या-365 पंजीकृत किया गया। उक्त अपराध में विवेचना द्वारा अपराधियों का पता लगाने के हर सम्भव प्रयास किये गये लेकिन सफलता न मिलने के फलस्वरूप, अन्तिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है।

जनपद फर्रुखाबाद के विभिन्न थानों में डकैती क मामलों की रिपोर्ट

73-श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जनपद के विभिन्न थाने में 1 जनवरी, 1981 से 21 दिसम्बर,, 1981 तक डकैती के कितने म मले दर्ज हुये ? उनमें से कितने में चार्जशीट लगाई गयी तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगी तथा अभी कितने विवेचनाधीन है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-1981 से 21 दिसम्बर 1981 की अवधि में फर्रुखाबाद के विभिन्न थानों में डकैती की 75 मामलों की रिपोर्ट अंकित कराई गई जिनमें से 41 मामलों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये। 19 में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई और 15 मामले अभी विवेचनाधीन हैं।

बुन्देलखंड में इंजीनियरिंग कालेज के प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

74--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में इंजीनियरिंग कालेज के प्रारम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

चरखारी में श्रम विभाग का वर्ष 1982 से चल रहा एक गवर्नमेंट टेक्नकल इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट का भवन किसी ऐसी सोसाइटी को, जो 5 लाख रुपया एकत्र करके एनवायरमेंट एण्ड इकोलाजी, ज्योलाजी एवं ज्योग्राफी के विषयों में बुन्देलखंड विश्वविद्यालय से डिग्री कालेज स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर लै, श्रम विभाग ने स्थानान्तरित करने की इच्छा व्यक्त की हैं। उनकी इस योजना की संभावनाओं/सार्थकताओं की परीक्षा करने लिये विभाग ने एक समिति नियुक्त की है। 5 लाख रु0 एकत्र होने की सूचना शासन को नहीं मिली हैं और न ही समिति की रिपोर्ट। इंजीनियरिंग कालेज प्रारम्भ करने का शासन का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

बुन्देलखंड के कुछ और स्थानों को औद्योगिक विकास के लिये सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र के रूप में लेने का प्रस्ताव

75--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड के कुछ और स्थानों को औद्योगिक विकास के लिये सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र के रूप में लेने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो 15 दिसम्बर, 1981 तक प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नियाज हसन खां--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में औद्योगिक मानीटरिंग सेल की स्थापना

76--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्धी मानीटरिंग सेल की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

कर्वी, बुन्देलखंड में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

77--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड के कर्वी (बांदा) में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव वर्तमान समय शासन के विचाराधीन है ? यदि हां तो 15 दिसम्बर, 1981 तक प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

कर्वी, जिला बांदा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश के महाविद्यालयों के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण के प्रस्ताव पर विचार

78--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन उत्तर प्रदेश सरकार के महाविद्यालयों के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती में मौन्सिर मुलनापुर मार्ग को पक्का करान का विचार

80--श्री राम आसरे पासवान---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में मौन्सिर मुलनापुर मार्ग जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खड़ंजा दो वर्ष पहले लगाया जा चुका है, उसे पक्की करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सरकारी क्षेत्र में अधिक सीमेन्ट संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव

81--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में चल रहे सीमेंट संयन्त्रों का ब्योरा क्या है ? उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है ? प्रत्येक सीमेंट संयन्त्र का वास्तविक वार्षिक उत्पादन क्या है ? क्या निकट भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसका तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री नियाज हसन खां---

सरकारी क्षेत्र के उ0 प्र0 स्टेट सीमेण्ट कारपोरेशन के अधीन तीन सीमेन्ट फैक्टरियां

कार्यरत हैं चुर्क फैक्टरी, डाला फैक्टरी एवं चुनार के फैक्टरी। इन फैक्टरियों की वार्षिक उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार हैं :--

(लाख टनों में)

चुर्क	डाला	चुनार
4.8 मै0 टन	4.00 मै0 टन	16.80 मै0 टन

और वास्तविक वार्षिक उत्पादन इस प्रकार है :--

चुर्क	डाला	चुनार
3.04 मै0 टन	2.12 मै0 टन	प्रयोगात्मक उत्पादन माह अप्रैल, 1981 से प्रारम्भ हुआ है।

निकट भविष्य में सीमेन्ट का एक लघु कारखाना पुरुकुल गांव, देहरादून में सिंचाई विभाग अपने कैप्टिव प्लान्ट के रूप में उ0 प्र0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन के माध्यम से लगा रहा है। इसकी क्षमता 200 मै0 टन प्रति दिन होगी।

जनपद गोरखपुर के थाना सहजनवां में लूटने की सूचना की दर्ज रिपोर्ट

82--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना सहजनवां मु0अ0सं0 230, धारा 394 भा0 दं0 वि0, दिनांक 11-9-81 में एक साधन सहकारी समिति धकसरा के सचिव (श्री लहरमन प्रसाद) ने 3155.90 रु0 लूटने की सूचना दर्ज कराई है? यदि हां, तो क्या इसमें अंकित अपराधियों को जेल भेजा गया और आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अपराध दिनांक 11-9-81 को नहीं अपितु 9-9-81 को पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना से मामला फर्जी पाया गया। अतः दिनांक 11-9-81 को अंतिम रिपोर्ट द्वारा विवेचना समाप्त की गई।

गुरूनानक खालसा, हाई स्कूल, झांसी को अल्पसंख्यक विद्यालयों की सूची में रखन हेतु आवेदन-पत्र

83--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुरुनानक खालसा, हाई स्कूल, झांसी की ओर से सन 1980-81 में उसे अल्पसंख्यक विद्यालयों की सूची में रखने हेतु कोई आवेदन किया गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

हां, मामले में विचार किया जा रहा है।

राजकीय इंटर कालेज, झांसी के अध्यापकों का नियमितीकरण

84- श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इंटर कालेज, झांसी में 1-1-77 के पहले के कार्यरत कितने अध्यापकों का नियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है? शासन का कब तक इन सभी अध्यापकों का नियमितीकरण करने का विचार है?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आर्डिनेन्स क्लाथिंग फैक्ट्री, शाहजहांपुर द्वारा टेलर पद हेतु सेवा योजन कार्यालय से मांगे गये नाम

85—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्डीनेंस क्लाथिंग, फैक्ट्री, शाहजहांपुर द्वारा टेलर पद हेतु माह दिसम्बर, 1981 में जिला सेवायोजन कार्यालय, शाहजहांपुर से कितने नाम मांगे गये थे ? उक्त सेवायोजन कार्यालय द्वारा नाम भेजने का आधार क्या रहा ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

आर्डिनेन्स क्लाथिंग फैक्ट्री, शाहजहांपुर द्वारा माह दिसम्बर, 1981 में नहीं वरन् माह नवम्बर, 1981 में टेलर पद की 200 रिक्तियों के लिये अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये थे।

सेवायोजन कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के नाम भेजने का निम्नलिखित आधार था :—

(1) सामान्य वर्ग के टेलर अभ्यर्थी जो दिनांक 30 सितम्बर, 1976 तक पंजीकृत थे।

(2) अनुसूचित जाति के टेलर अभ्यर्थी, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 तक पंजीकृत थे।

(3) दिनांक 24 नवम्बर, 1981 तक पंजीकृत सभी भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जनजाति, अपंग एवं आई0टी0आई0 या समकक्ष प्रमाण-पत्र प्राप्त टेलर अभ्यर्थी।

(4) नियोजक की मांग के अनुसार दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 तक पंजीकृत सभी टेलर जो आर्डिनेन्स क्लाथिंग फैक्ट्री में कार्य कर चुके थे।

श्री राजकरन द्विवेदी, मनकापुर, जिला गोंडा पर कातिलाना हमला एवं बर्बतापूर्ण अत्याचार किये जाने की जांच

86—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व संसद सदस्य श्री सत्यदेव सिंह एवं भा0ज0पार्टी जिला अध्यक्ष, श्री तुलसीदास जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 29—8—81 को प्रेषित रजिस्टर्ड शिकायत-पत्र जो श्री राजकरन द्विवेदी, मनकापुर, जिला गोण्डा पर कातिलाना हमला एवं बर्बतापूर्ण अत्याचार किये जाने से संबंधित था मा0 मुख्य मन्त्री अथवा उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार इस आशय का दिनांक 28—7—81 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी उतरौला द्वारा कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए। जांच से श्री राजकरन द्विवेदी पर कातिलाना हमले की घटना आपसी रंजिश आदि के आधार पर अंकित कराना पाया गया। उक्त घटना के संबंध में श्री रामलखन दुबे (श्री राजकरन द्विवेदी के भाई) की लिखित सूचना के आधार पर थाना मनकापुर पर दिनांक 22-7-81 मु0 अ0 सं0 233 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 का रामधारी आदि 5 व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया जिसमें विवेचना अभी प्रचलित है।

ग्राम सरया, थाना खामपार, जिला देवरिया के श्री छेदी कुर्मी के घर पड़ी डकैती तथा कार्यवाही

87—श्री हरिबंश सहाय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सरया (मठियाटोला) थाना खामपर, जिला देवरिया में 24/25 दिसम्बर, 1981 को श्री छेदी कुर्मी के घर भीषण डकैती पड़ी जिसमें पांच आदमियों को बम फरसा तथा लाठियों की चोटें हैं तथा चार बक्से सामान लूट में गया ? यदि हां, तो मुकदमा कब तक किस दफा में कायम हुआ तथा कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक, 24/25—12—81 की रात्रि को श्री छेदी कुर्मी के घरपर डकैती पड़ी थी। और वादी की लिखित सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 137/81, दिनांक 25—12—81 को अन्तर्गत धारा 394/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। अब तक की विवेचना से 6 साड़ी और एक धोती मर्दानी व दो अदद पतलून कुल कीमत

लगभग 210/ का चोरी जाना पाया गया । सही अभियुक्तों का पता न लगने के कारण; अभी तक किसी अभियुक्त को गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है । वादी ने दिनांक 10-1-82 को पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें प्रार्थी ने कहा कि उसके घर चोरी हुई थी और उसने चोरी को केवल भागते हुये देखा किसी को पहचाना नहीं । इस मामले में विवेचना अभी जारी है ।

राम सागर मिश्र नगर कालोनी के एल-2 व एल-3 श्रेणी के मकानों में उपलब्ध सुविधाएं

88--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बताने कृपा करेंगे कि रा0 सा0 मिश्र, नगर स्थिति रा0 सा0 विभाग का कालोनी के एल-2 में मकानों में आंगन, व लान की फर्श, वाउन्ड्री वाल्स, सिस्टर्न, टंकी, मिरर, शावर आदि की सुविधा क्यों नहीं प्रदान की गयी है जबकि एल-3 के मकानों में यह सुविधा प्रदान की गयी है ? क्या मा0 मंत्री जी उक्त सुविधायें एल-2 के आवासों में भी प्रदान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

सामन्यतया श्रेणी-2 के आवासों में आंगन व लान में फर्श, बाउन्ड्री वाल्स, मिरर, शीबर, आदि की सुविधा अनुमन्य नहीं है । रामसागर मिश्र नगर में एल-2 व एल-3 टाइप के आवास इसी श्रेणी के है । परन्तु एल-3 टाईम के आवासों में भी सिस्टर्न के अलावा अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है । समरूपता के आधार पर एल-2 के आवासों में भी सिस्टर्न की व्यवस्था की जायेगी ।

अस्थाई निर्माण खंड, हरदोई के बिलग्राम निरीक्षण भवन के स्टोर से नाजायज तरीके से बाहर गयी सीमेन्ट की जांच

89--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि 9-12-81 को अस्थायी निर्माण खण्ड, हरदोई के बिलग्राम निरीक्षण भवन स्टोर की 200 बोरी सीमेंट नाजायज तरीके से बाहर जाती है, जिलाधिकारी, हरदोई ने पकड़ी ? यदि हां, तो सीमेंट किसके आदेश से जारी कीगयी और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

दिनांक 9-12-81 बिलग्राम निरीक्षण भवन में स्थित अस्थायी निर्माण खण्ड, हरदोई के स्टोर पर 100 बोरी सीमेन्ट लदे ट्रक को जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा रोक लिया गया था। यह सीमेन्ट बिलग्राम, उन्नाव इलाहाबाद राज्य मार्ग सं0-38 को निर्माणाधीन पुलिया सं0 10/2 के कार्य के लिए जा रहा था । मामले की रिपोर्ट परगनाधिकारी द्वारा थाने में लिखाई गई ।

दिनांक 25-1-82 को जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा इस सीमेन्ट को विभाग को इस शर्त के साथ वापस देने के आदेश हुये हैं सक्षम न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे प्रस्तुत किया जायेगा ।

अस्थायी निर्माण खण्ड, हरदोई में ट्रेसर का पद तथा ट्रेसिंग टेबुल खरीदने का औचित्य

90--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है अस्थायी निर्माण खण्ड हरदोई में ट्रेसर का कोई पद स्वीकृत नहीं है यदि हां, तो नवम्बर, 1981 में 2200 रु0 की टेसिंग टेबुल किस प्रयोजन से खरीदी गयी और किसके आदेश से ?

श्री अम्मार रिजवी--

सार्वजनिक निर्माण विभाग, में ट्रेसर का कोई पद नहीं होता है। अस्थायी खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरदोई में ट्रेसर का कोई पद स्वीकृत नहीं है। किन्तु समय-समय पर नक्शों का ट्रेसिंग के कार्य के लिये ट्रेसिंगटेबिल का क्रय किया गया। इस पर मानचित्रकार तथा अवर अभियन्ताओं द्वारा ट्रेसिंग का कार्य किया जाता है। उक्त क्रय सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया।

अस्थायी खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरदोई में मानचित्रकार का स्वीकृत पद तथा इक्यूपमेन्ट बाक्स ड्राइंग बोर्ड तथा सेट्स स्क्वायर खरीदने का औचित्य

91--श्री हरिवंश सहाय--

क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण खण्ड में ड्राफ्टसमैन का केवल एक पद स्वीकृत है ? यदि हां, तो तीन इक्यूपमेंट बाक्स, 6 ड्राइंग बोर्ड तथा 6 सेट्स क्वायर (पेयर में) क्यों और किसके आदेश के खरीदे गये और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

अस्थाई खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरदोई में मानचित्रकार का एक पद स्वीकृत है किन्तु इस खण्ड में अवरअभियन्ता भी हैं जिन्हे समय समय पर ड्राइंग करने पड़ती है इसलिये क्रय किये गये इक्यूपमेंट बाक्स, ड्राइंग बोर्ड तथा सेट स्क्वायर आवश्यकता के अनुरुप ही है। उक्त क्रय सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है।

जौनपुर में बालकों के इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज खोलने का विचार

92--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने राजकीय इण्टर कालेज एवं महाविद्यालय हैं क्या यह सत्य है कि जौनपुर नगर में बालकों की इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज की एक भी शिक्षण संस्था नहीं है ? क्या क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुये सरकार जौनपुर नगर में बालकों का कालेज खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

तराई भावर डिवीजन, राम नगर डिवीजन व हल्द्वानी डिवीजन के सीजनल निकास मुहर्रिरों को नियमित किये जाने का प्राविधान

93--डा० शिवानन्द नौटियाल--

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 1980 को उन्हें कोई पत्र दिया था जो कि तरई भावर डिवीजन, रामनगर डिवीजन व हल्द्वानी डिवीजन के सीजनल निकास मुहर्रिरों को नियमित किये जाने व राज्य सरकार के समान अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली हर सहूलियत के समान ही उन्हें भी दिये जाने के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी हां, निकासी मुहर्रिर वन विभाग में वनों से माल की निकासी की, निकासी चौकियों में जांच करने हेतु, कार्य सीजन में, प्रतिवर्ष आठ महीने के लिये नियुक्त किये जाते हैं। इस अवधि में इनको अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन तथा नियमानुसार अनुमन्य भत्ते दिये जाते हैं। अवर अधीस्थ वन सेवा नियमावली, 1980 में, जो रक्षक के पदों पर,

65 प्रतिशत रिक्तियों में सामयिक कर्मकारों (सीजनल कर्मचारियों) को नियमित नियुक्त देने का प्राविधान किया गया है और तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ के शस्त्र विक्रेताओं द्वारा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली से रिवाल्वरों का क्रय

94--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगें कि लखनऊ नगर में किन-किन शस्त्र विक्रताओं को कितना-कितना रिवाल्वर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली से दिनांक 1-1-80 से 30-12-81 के बीच प्राप्त हुआ? उक्त रिवाल्वरों को किन-किन लोगों के नाम विक्रय किया गया? उनके नाम व पता क्या हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

शस्त्र विक्रेताओं द्वारा आर्डिनेन्स फैक्ट्री से रायफलों का क्रय

95--श्री हरिवंश सहाय-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में 1-1-80 से 30-12-80 के बीच कितनी 315 बोर की रायफलें (भारतीय) शस्त्र विक्रेताओं ने आर्डिनेन्स फैक्ट्री से क्रय किया? शस्त्र विक्रेताओं के नाम क्या है? उक्त अवधि में ये राइफलें किन-किन लोगों के नाम विक्रय की गयीं? उनके नाम व पता क्या है? क्या दूसरे जनपदों के लाईसेंसियों के पास शस्त्र क्रय करने का अधिकार-पत्र था? यदि हां, तो क्या उसकी पुष्टि कराई गई? यदि अधिकार-पत्र नहीं है तो क्या शस्त्र विक्रताओं के खिलाफ कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद बाराबंकी का अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के वेतन बैंक में जमा करने के विरूद्ध कायवाही

96--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 12 के उत्तर के सन्दर्भ में प्रधानाध्यापक, अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के वेतन बैंक में जमा कर सकता है? 128 के उत्तर के सदंर्भ में प्रधानाध्यापक, अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के वेतन बैंक में जमा कर सकता है क्या यह भी सही है कि 22-1-79 के पूर्व ही उपरोक्त अवकाश स्वीकृत हो चुका था? क्या उपरोक्त भुगतान अब कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला जजी, मैनपुरी में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के हरिजन कर्मचारियों का आरक्षण

97--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या न्याय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला जजी मैनपुरी में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी हरिजन कर्मचारियों का आरक्षण अब तक पूरा किया गया है? यदि नहीं, तो उसे पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जगदीश प्रसाद--

31 जनवरी, 1982 की स्थिति के अनुसार जिला जजी, मैनपुरी में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के हरिजन (अनुसूचित जाति) कर्मचारियों का आरक्षण पूरा है।

मैनपुरी जिले के विकास हेतु महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

98--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 23 नवम्बर, 1981 (मा0 मुख्य मंत्री द्वारा मैनपुरी जिले की अराजक स्थिति से निपटने हेतु उच्च-स्तरीय बैठक पुलिस लाइन, मैनपुरी में संबोधित करने) के बाद मैनपुरी जिले के विकास हतु कुछ महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या प्रान्तीय खण्ड मैनपुरी, स्थायी खण्ड मैनपुरी और अस्थायी खण्ड, शिकोहाबाद उन मार्गों के इस्टीमट भी विभाग मुख्यालय पर आ चुका हैं? यदि हां, तो इन सड़कों के निर्माण पर पृथक-पृथक कितना व्यय होगा और इन मार्गों पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायगा?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

99--श्री हरिवंश सहाय--

(8वें मंगलवार के लिये स्थगित।)

प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के संयुक्त प्रदेश परीक्षा में अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र

100--श्री हरिवंश सहाय--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के संयुक्त प्रदश परीक्षा, 1981 में की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-10-81 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौनसी कार्यवाही की गयी? जांच किस अधिकारी से कराई गयी? जांच का परिणाम क्या निकला।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी हां, प्रश्नकर्ता तथा दो अन्य विधायकों का शिकायती पत्र दिनांक 1-10-81 प्राप्त हुआ था जिसमें निम्नलिखित शिकायतें की गयी थीं :--

(1) सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, के छात्रों की प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा कराये जाने हेतु सहमति दी और सीमित स्टाफ द्वारा परीक्षा कराये जाने के फलस्वरूप अधिक विलम्ब के कारण प्रथम वर्ष का सत्र विलम्ब स आरम्भ किया गया।

(2) प्रवेश परीक्षा के दौरान मनमाने ढंग से सामान का क्रय, विभिन्न पत्रों का मुद्रण तथा बाहरी फर्मों से घटिया किस्म के लिफाफों को क्रय करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।

(3) सहायक प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण के बाद भी उनकी सेवाओं को प्राप्त करके प्रवेश परीक्षा के गोपनीय कार्य से सम्बद्ध रखा गया जिसका उद्देश्य अपने खास व्यक्तियों को प्रवेश दिलाना था।

(4) परीक्षा फल में सामान्य अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की मेरिट सूची नहीं घोषित की गयी और कुछ जिलों के छात्रों के सफल अभ्यर्थियों की संख्या अधिक पायी गयी ।

(5) प्रवेश परीक्षा का कार्य शासन के आदेश के विपरीत अन्य अधिकारी को दिया गया और आदेशों की अवहेलना की गई ।

(6) सचिव, परिषद् ने अपनी पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में संशोधन करवा कर "बेसिक इलेक्ट्रीसिटी" का विषय प्रथम वर्ष में अनिवार्य कर दिया और अपनी पुस्तकों की बिक्री हेतु संस्थाओं के अधिकारियों पर दबाव डाला तथा "प्राविधिक शिक्षा गाइड" निकलवा-कर मनमाने ढंग से आर्थिक लाभ उठाया ।

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद् से शिकायतों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया था और विचारोपरान्त शिकायतें निराधार पाई गईं ।

101--श्री हरिवंश सहाय--

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त) ।

अस्थायी खण्ड सा0 नि0 वि0, देवरिया के अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र

102--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अस्थायी खण्ड, सा0 नि0 वि0, देवरिया के अभियन्ताओं के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-12-81 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संलग्नक में प्रमुख क्या बातें हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, प्रश्नगत शिकायती पत्र के साथ प्राप्त संलग्नक में अस्थायी खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया के अभियंताओं द्वारा टी0 एण्ड पी0 की खरीद में अनियमितता बरतने की शिकायत की गई है । इसमें लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है ।

103-105--श्री भीखा लाल--

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

प्रदेश के विद्यालयों के लिये बाढ़ एवं अतिवृष्टि अनुदान

106--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981 में प्रदेश के विद्यालयों के लिये बाढ़ एवं अतिवृष्टि अनुदान के मद में कितनी धनराशि की स्वीकृति शासन द्वारा की गयी और उसका वितरण कब किया गया ? यदि वितरण नहीं किया गया, तो उसके कारण क्या हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

क्षतिग्रस्त भवनों हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् को एक करोड़ रुपये ।
जिलेवार वितरण 2 फरवरी, 1982 को किया गया । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के सा0 नि0 विभाग अस्थायी खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन आदि का शिकायती-पत्र

107—श्री जमुना प्रसाद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के सा0 नि0 विभाग अस्थाई खण्ड के अधिशासी अभियन्ता श्री के0 जी0 श्रीवास्तव, राम बख्श सिंह, अवर अभियन्ता एवं श्री द्वारिका प्रसाद राम, प्रधान लिपिक के विरुद्ध दिनांक 25-9-81 को भ्रष्टाचार, गबन एवं अवैध रूप से नई नियुक्तियों के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई जा रही है।

ब्लाक अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दुद्धी, जिला मिर्जापुर को गालियां देने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने के सम्बन्ध में पत्र

108—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26-11-81 जिसमें ब्लाक अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, दुद्धी, जिला मिर्जापुर को थाना दुद्धी के थानेदार द्वारा अकारण गालियां देने तथा झूठे मकदमें में फंसाने की धमकी देने के संबंध में लिखा है ? यदि हां, तो अभी तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित आशय का पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई जा रही है।

थाना सदर कोतवाली, सीतापुर के एक पुलिस कर्मी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग

109—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थाना सदर कोतवाली सीतापुर के एक पुलिस कर्मी के विरुद्ध नवम्बर, 1981 के प्रथम पखवारे में कोतवाली थाने में यह प्रथम सूचना लिखाई गयी कि उसने एक हरिजन लड़की को स्वयं असामाजिक तत्वों से मिलकर गायब करा दिया ? यदि हां, तो प्रथम सूचना क्या है तथा प्रथम सूचना पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती सुरजिया निवासी ग्राम राम पुरवा,, मजरा नेपालपुर थाना कोतवाली, सीतापुर ने दिनांक 20-11-81 को 10-30 बजे रात्रि थाना कोतवाली पर इस आशय की सूचना अंकित कराई कि उसी रात्रि करीब 8-30 बजे दो पुलिस कर्मियों सहित पांच व्यक्तियों ने वादिनी के घर में घुसकर उसकी पुत्री को पकड़ लिया एवं उक्त लोग, उसकी पुत्री को भगा ले गये। इस सूचना पर थाना कोतवाली पर अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के मध्य उपलब्ध साक्ष्यों से उपरोक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुये। अपहृत लड़की की बरामदगी एवं शेष तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। विवेचना प्रचलित है।

सीतापुर नगर के बीचो-बीच राष्ट्रीय मार्ग के लिये बाई पास का निर्माण

110—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर (जिला सीतापुर) नगर के बीचो-बीच निकलने वाली राष्ट्रीय मार्ग के लिये स्वीकृत बाई-पास के बनने में क्या बाधा है ? वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिज़वी—

इस बाईपास का निर्माण कार्य अभी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर की कतिपय आग्नेयास्त्रों की दुकानों द्वारा आर्डिनेन्स फैक्टरीज तथा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा शस्त्रों का क्रय

111—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में नन्दा गन हाउस, हिन्द आर्म्स, कैपिटल गन हाउस तथा इंडिया आर्म्स कारपोरेशन ने 1-1-80 से 31-12-81 के बीच कितना शास्त्र आर्डिनेन्स फैक्टरीज तथा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से मंगाया ? और उक्त अवधि में मंगाये गये शस्त्रों को किन-किन व्यक्तियों के नाम बिक्री किया गया ? क्या संबंधित जिलों से इस बारे में शस्त्र की पड़तालिग कराई जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

112—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[6ठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई द्वारा श्री हजारी लाल वर्मा को प्रधानाचार्य पद का कार्य भार ग्रहण कराने हेतु निर्देश

113—श्री हरी शंकर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई ने पत्र सं0 3991/81-82, दिनांक 10-9-81 द्वारा देवदरबार आश्रम इण्टर कालेज, साण्डी के प्रबन्धक को निदेश दिया है कि वह वरिष्ठ प्रवक्ता श्री हजारी लाल वर्मा को प्रधानाचार्य का कार्य-भार ग्रहण कराये ? क्या इसके अनुसार श्री वर्मा को कार्य-भार ग्रहण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

हां। स्थानीय विद्यालय निरीक्षक के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत विद्यालय के प्रबन्धक को निर्देशित किया गया था कि वह श्री हजारी लाल वर्मा को ही कार्यवाहक प्रधानाचार्य माने और तदनुसार कार्यवाही करें।

इस संबंध में प्रबन्धाधिकरण द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ को अपील की गयी है जिसका निर्णय अभी तक अप्राप्त है।

श्री ओ0 एन0 सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के संबंध में शिकायती-पत्र

114---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हे श्री ओ0 एन0 सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के संबंध में दिनांक 18-11-81 का एक शिकायती-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के लिये छात्र कोष से सम्बन्धित शुल्कों की निर्धारित धनराशि

115---श्रीमती धनेश्वरी देवी---

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय अथवा शासन ने सहायता प्राप्त पालीटेकनिक के लिये छात्र कोष से संबंधित शुल्कों की धनराशि निर्धारित की है ? यदि हां, तो वे शुल्क किन-किन मदों में तथा कितनी-कितनी निर्धारित की गयी हैं ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

जी हां । प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के आदेश परिपत्र 63-92/ई-35-एक्स-55, दिनांक 1-4-75 से सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के लिये छात्रकोष के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न मदों की दरें निर्धारित की गई हैं जो मद वार निम्नवत् है---

1---परिचय पत्र	रु0 1.00 प्रति वर्ष
2---रीडिंग रूम	रु0 2.00 प्रति वर्ष
3---क्रीड़ा शुल्क	रु0 20.00 प्रति वर्ष
4---रिसोर्स लेटर/मैगजीन फीस	रु0 6.00 प्रति वर्ष
5---उत्सव शुल्क	रु0 6.00 प्रति वर्ष
6-स्पेशल परीक्षा शुल्क/क्लास टेस्ट	रु0 6.00 प्रति वर्ष
7---मिनी ड्राफ्टर (जहां सुविधायें प्रदान की जा रही हों)	रु0 5.00 प्रति वर्ष
8---हावी पेन्टर	रु0 12.00 प्रति वर्ष

ग्राम सभा जमीपुर, जिला फैजाबाद के निवासियों का पुलिया बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र

116---श्री मुंशी लाल---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेगें कि ग्राम सभा जमीपुर, पोस्ट बलरामपुर जिला फैजाबाद के निवासियों ने रिरिया के मैदान से मिलती झील में पुलिया बनाने के लिये अगस्त, 1981 में प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो पुलिया कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोंडा जनपद के शिक्षा क्षेत्र मनकापुर पूर्वी स्थित प्राइमरी पाठशाला क भवन का निर्माण

117---श्री यदुनाथ सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के शिक्षा क्षेत्र मनकापुर पूर्वी स्थित प्राइमरी पाठशाला सिंचाई रानीपुर का भवन लगभग दस वर्ष पूर्व गिर गया था ? यदि हां, तो इस विद्यालय भवन के निर्माण हेतु शासन द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

जी हां। गोण्डा जनपद के शिक्षा क्षेत्र मनकापुर पूर्वी स्थित प्राइमरी पाठशाला सिंसई रानीपुर का भवन दस वर्ष पूर्व गिर गया था। शासन किसी विद्यालय विशेष के भवन निर्माण का निर्णय नहीं करता है वरन् उपलब्ध साधनों के अनुसार भवन निर्माण हेतु जिलेवार अनुदान स्वीकृत करता है। निर्माण होने वाले स्कूल भवनों के चयन का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा समिति की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा के अनुसार उक्त स्कूल भवन के वर्ष 1981-82 के अनुदान से निर्माण का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और चयन किये जाने पर स्कूल भवन का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

माननीय विधायक श्री मित्रसेन द्वारा दिये गये शिकायती पत्र की जांच

118---श्री मित्रसेन---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र श्री वी0के0 बंसल, अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक, तथा आर0के0 बंसल, परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, कुमारगंज मुनिद, फैजाबाद के संबंध में दिनांक 8/9 दिसम्बर, वर्ष 1981 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किन मुद्दों पर कराई गयी और कौन-कौन-सी आर्थिक अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

प्रश्नकर्ता का 8/9 दिसम्बर, 1981 का कोई शिकायती-पत्र श्री वी0के0 बंसल, परियोजना प्रबन्धक तथा आर 0 के0 बंसल, परियोजना प्रबन्धक, कुमारगंज मुनिद, फैजाबाद के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

माननीय विधायक श्री मित्रसेन द्वारा मुख्य अरण्यपाल (नियोजन) को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

119---श्री मित्रसेन---

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मूल संलग्नक के साथ श्री सी0एल0 भाटिया मुख्य अरण्यपाल (नियोजन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिनांक 21 नवम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह---

जी हां। इस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है जिससे माननीय प्रश्नकर्ता को अवगत करा दिया गया था।

120—श्री मोती लाल देहलवी—

[5 वें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उन्नाव खण्ड षष्टम उपखंड शारदा नहर, उन्नाव के ठेकेदार श्री काली शंकर पाल के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

121—श्री मलिक मु0 कमाल यूसुफ—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, अप्रैल, 1980 में उन्नाव खण्ड षष्टम उपखण्ड शारदा नहर, उन्नाव के ठेकेदार श्री कालीशंकर पाल के विरुद्ध 45,000 रुपये की रिपोर्ट थाना रायबरेली में स्टेट बैंक आफ इंडिया, रायबरेली शाखा द्वारा दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री काली शंकर पाल, निवासी शिवदीन खेड़ा उन्नाव द्वारा थाना बीघापुर में दिनांक 2-4-80 को धारा 392 भा0 दं0 वि0 की सूचना अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराई गई जिसमें कहा गया कि 44,500.00 रु0 छीना गया है। विवेचना से प्रकाश में आया कि वादी नें अपने गांव के श्री प्रेम शंकर कटियार से 20,000.00 रुपया उधार लिया था कि जिसे वह वापस नहीं करना चाहता था। अतः उसने तथ्यहीन रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा दिनांक 3-4-80 को समाप्त की गई ।

122—श्री हरिवंश सहाय—

[9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

झांसी मण्डल के जिलों में खेल सामग्री की खरीदारी

123—श्री हरवंश प्रसाद पांडेय—

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979-80 से 15 नवम्बर, 1981 तक झांसी मण्डल के किन-किन जिलों में बालक बालिकाओं की प्रतियोगिताओं, सामानों की खरीदारी व अन्य मदों में कितना-कितना धन व्यय किया गया ? और क्या यह सत्य है कि उप क्रीड़ा अधिकारी, बांदा ने एक स्थानीय फर्म से खेल सामग्री हाकी के पोल्स आदि की खरीदारी की है ? यदि हां, तो किस अधिकारी की स्वीकृति से ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

वांछित व्यय विवरण निम्न प्रकार है :

प्रतियोगिता	सामान की खरीद	अन्य मद (जैसे प्रशिक्षण शिविर महिला खेल कूद आदि)
1	2	3
(1) झांसी जनपद ..	52822.31	52983.50	390447.66
(2) बांदा जनपद	16806.42	2700.00	23069.80
(3) उरई जनपद	6444.14	..	11190.40
(4) हमीरपुर जनपद	..	..	5447.50
(5) ललितपुर जनपद	..	..	3300.00

जी हां । क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, झांसी की स्वीकृति से ।

बांदा जनपद को केन्द्रीय पूंजी राज सहायता योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

124—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने बांदा जनपद को केन्द्रीय पूंजी राज सहायता (सेन्ट्रल कैपिटल सब्सिडी स्कीम) योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को दिया है ? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

बांदा जनपद के बड़ोखर खुर्द एवं नरैनी ब्लाक्स में केन्द्रीय पूंजीगत उपादान योजना लागू करके के संबंध में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। भारत सरकार ने अभी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है।

श्री जगदीश चन्द्र बुधराजा, निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान को उनके पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित करने के आदेश

125—श्री छत्तर सिंह—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के निदेशक को 31 जुलाई, 1979 को प्रत्यावर्तित अपने पैतृक विभाग में कर दिया गया था लेकिन वे अब भी निदेशक की हैसियत से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

श्री जगदीश चन्द्र बुधराजा निदेशक क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान को उनके पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिनांक 5 मई, 1979 को प्रसारित किये गये थे न कि दिनांक 31 जुलाई, 1979 को बाद में उच्चादेश प्राप्त कर यह निर्णय लिया गया कि उन्हें लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक उक्त पद पर बना रहने दिया जाय।

गांधी आश्रम, उ0 प्र0 को राज्य सरकार द्वारा बिक्री पर छूट

126—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी आश्रम, उ0 प्र0 को राज्य सरकार द्वारा बिक्री पर छूट दिए जाने का भुगतान पिछले दो वर्षों से नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह रकम दो करोड़ के ऊपर है ? इसके भुगतान में सरकार अब तक क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नियाज हसन खां—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। शासन ने दिनांक 27-2-82 को रु0 45.24 लाख का अनुदान रिवेट हेतु खादी बोर्ड को दिया है। भुगतान की कार्यवाही खादी बोर्ड द्वारा की जायेगी।

श्री हरीशचन्द्र, निवासी ग्राम लालनेर, थाना पहासू में आग लगने की अंकित रिपोर्ट

127—श्री किरनपाल सिंह—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि 10/11-6-81 को रात को 2 बजे श्री हरीशचन्द, पुत्र ज्वाला सिंह बालमीकि, निवासी लालनेर, थाना पहासू, जिला बुलन्दशहर के घर कुछ लोगों ने आग लगाकर तमाम सामान फूंक दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19-6-81 को प्रात: 6-15 बज श्री हरीशचन्द पुत्र श्री ज्वाला सिंह बाल्मीकि निवासी ग्राम लालनेर ने थाना पहासु पर इस आशय की सूचना अंकित करायी कि रात में लगभग ढाई बजे, तीन नामजद अभियुक्तों ने, वादी के छप्पर में आग लगा दी। इस सूचना पर थाना पहासू पर धारा 436 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गयी। नामजदगी झूठी पाये जाने के कारण विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा दिनांक 5-8-81 को समाप्त कर दी गयी।

श्रीमती शिवरानी विधवा रघुनन्दन सिंह, ग्राम दिपवल के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

128--श्री भीखा लाल---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शिवरानी विधवा रघुनन्दन सिंह, निवासी ग्राम दिपवल, थाना औरास का प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-7-81 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-7-81 के साथ उनको मिला है, जिसमें यह शिकायत की गयी है कि श्री सुरेश सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह, निवासी ग्राम पुरथावा, थाना औरास, जिला उन्नाव ने प्रार्थिनी के मृत पुत्र जसकरन सिंह के नाम की भूमि जमानत में देकर फर्जी व्यक्ति द्वारा शिनाख्त कराकर स्टेट बैंक, संडीला, जिला हरदोई से ट्रैक्टर खरीदने के लिये 65 हजार रुपए का ऋण प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो इस धोखाधड़ी के मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित आशय के प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना संडीला, जिला हरदोई में दर्ज मुकदमा अ0सं0 8 धारा 420 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया जिसके विवेचना उपरांत आरोप पत्र 5/2/82 को प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है।

स्पोर्टस् कालेज, कुर्सी रोड, लखनऊ के वर्तमान प्रधानाचार्य के विरुद्ध खेलकूद से संबंधित सामान ऊंचे मूल्य पर, खाद्य सामग्री इत्यादि क्रय किए जाने की शिकायत

129---श्री श्यामलाल बाजपेयी---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज, कुर्सी रोड लखनऊ के वर्तमान प्रधानाचार्य के विरुद्ध फर्जी फर्मों से खेल-कूद से संबंधित सामान तथा छात्रावास के लिए ऊंचे मूल्य पर खाद्य सामग्री इत्यादि क्रय किए जाने संबंधी शिकायत पर शासन द्वारा अभी हाल में जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच के आधार पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

प्रश्न में कथित शिकायत स्पोर्ट्स विभाग में प्राप्त नहीं हुई है अतएव, जांच अथवा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

130---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

[8 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सिंचाई उद्योगशाला, झांसी में ट्रकों के फ्यूज पम्प की चोरी

131---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

क्या गृह मन्त्री को यह जानकारी है कि सिंचाई उद्योगशाला, झांसी में फरवरी, 80 में 3 ट्रकों के फ्यूज पम्प चोरी गये थे ? इसकी रिपोर्ट थाना नवाबाद, झांसी में कार्यशाला के फोरमैन ने लिखाई थी ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना के संबंध में फोरमैन की रिपोर्ट पर दिनांक 5-2-80को थाना नवाबाद, झांसी पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 379भा0दं0वि0 का अभियोग अपराध संख्या 69 पर कायम हुआ था। माल व मुल्जिमान का पता न लगने के कारण विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई।

132--श्री विजय सिंह राना--

[दिनांक 24-3-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 25 द्वारा उत्तरित।]

माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अनिवार्य जमा किश्त वापस लकर स्टाफ को वितरण न करने के विरुद्ध कायवाही

133--श्री धर्मवीर सिंह त्यागी--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितने हैं जिन्होंने भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के यहां से एक भी अनिवार्य जमा किस्त वापस लेकर 31-12-81 तक स्टाफ को वितरित नहीं की है? सरकार ने ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्पिनिंग सुपरवाइजर श्री राजदेव शर्मा द्वारा अन्तिम भुगतान पान हतु पत्र

134--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञान है कि माह जुलाई, 1981 में सेवा निवृत्त होने वाले स्पिनिंग सुपरवाइजरों में श्री राजदेव शर्मा का भी नाम है? यदि हां, तो अनेक भुगतान बाकी रहने के विषय में ग्रामोद्योग अधिकारी, गोरखपुर एवं बोर्ड के सचिव को दिनाक 5-11-81, दिनांक 20-11-81 एवं दिनांक 2-12-81 में प्रार्थना-पत्र अन्तिम भुगतान पाने हेतु भेजा है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी और अन्तिम भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री नियाज हसन खां--

जी हां।

श्री राजदेव शर्मा के कार्यकाल में बिक्री भण्डार गोरखपुर एवं केन्द्रीय बस्त्रागार, लखनऊ में स्टाक की कमी के मामले पर खादी बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अदेयता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा संबंधित जनपदों से प्राप्त किये जा रहे हैं। औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरांत खादी बोर्ड द्वारा भुगतान किया जायेगा।

श्री जगदीश चन्द्र बुधराजा निदेशक, राज्य नियोजन संस्थान की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि तथा प्रत्यावर्तन

135--श्री छत्तर सिंह--

क्या नियोजन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान क्षेत्रीय नियोजन विभाग के निदेशक की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि वर्ष 1978, 1979-80 में की गयी तथा नियोजन के विषय में शासन ने पूर्ण अनभिज्ञ ठहरा दिया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब भी अनभिज्ञ होते हुए भी, उक्त अधिकारी निदशक के पद पर कार्य कर रहे हैं? अब कब तक इनको प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

श्री जगदीश चन्द्र बुधराजा, निदेशक क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान की चरित्र पंजिका में वर्ष 1978-79 व 79-80 में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गई है। श्री बुधराजा ने इस प्रविष्टि के विरुद्ध एक प्रत्यावदन दिया है, जो शासन के विचाराधीन है। चूंकि श्री बुधराजा ने पैतृक विभाग में उनके उपयुक्त कोई पद उपलब्ध नहीं था, और उन्होंने अपने प्रत्यावर्तन के विरुद्ध प्रशासनिक न्यायाधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे, अतः उन्हे निदेशक के पद पर तदर्थ रूप से बना रहने दिया गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने पर तदर्थ व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी।

शामली, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाते हुए मुख्य मंत्री को दिया गया ज्ञापन

136--श्री हुकम सिंह--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शामली, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना के विरुद्ध प्रश्नकर्ता एवं नगर वासियों द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1981को भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन मुख्य मन्त्री जी को दिया गया था, जिसके संबंध में अर्द्ध शा0प0सं0 425 वो0आई0पी0/आठ-3-11/72/2 पी/81, दिनांक 27-11-81 गृह पुलिस अनुभाग-3 द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु आश्वासन दिया गया था? जांच अब तक पूर्ण हो चुकी है या नहीं, यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस मामले की जांच कराई गई थी लेकिन आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं।

थाना चिल्हिया, जनपद बस्ती में थानाध्यक्ष की नियुक्ति

137--श्रीमती कमला साहनी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 81 के प्रथम सप्ताह में थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण के बाद से थाना चिल्हिया, जनपद बस्ती में किसी थाना अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गयी, यदि हां, तो इसका उत्तरदायी कौन है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना चिल्हिया, जनपद बस्ती वर्तमान समय में रिक्त नहीं है। यहां उप निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह की नियुक्ति थानाध्यक्ष पद पर की जा चुकी है।

सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर निवासी मुकेश द्वारा गोली मारकर आत्महत्या कर लिये जाने की रिपोर्ट

138--श्री किरनपाल सिंह--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 17 दिसम्बर, 1981 की शाम को सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर निवासी मुकेश नामक नवयुवक की गोली मार कर हत्या कर दी गयी, जिसकी सूचना विधिवत् पुलिस थाना सिकन्द्राबाद को दे दी गयी थी? परन्तु पुलिस वालों ने न तो पोस्टमार्टम कराया और न ही अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार किया? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त घटना की जांच अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा कराकर थानाध्यक्ष, श्री सी0पी0डी0 शर्मा व अन्य दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-12-81 को श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री छुरमिल निवासी मोहल्ला हरीशाह थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर ने अपने भाई मुकेश द्वारा गोली मार कर आत्म हत्या कर लिये जाने की रिपोर्ट थाने पर अंकित करायी। उक्त सुचना पर पुलिस मौक पर पहुंची। मृतक के घर वाले, सगे संबंधी तथा उस समय वहां पर उपस्थित दूसरे लोगों ने मृतक की मृत्यु के संबंध में कोई संदेह होना नहीं बतलाया। पंचायतनामें में गवाहों ने भी इस मामले को आत्म-हत्या का ही मामला बताते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु न भेजकर क्रिया-कर्म हेतु परिवारजनों को दिये जाने की प्रार्थना की। अतः मृत्यु के संबंध में कोई संदेह न पाते हुए शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और उसे क्रिया-कर्म हेतु परिवार जनों को दे दिया गया।

दिनांक 20-12-81 को श्री बृजेश कुमार नामक व्यक्ति का एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को प्राप्त हुआ, जिसमें मृतक की हत्या किय जान का आरोप लगाया गया था। उक्त प्रार्थना-पत्र पर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार इस घटना के संबंध में धारा 302 भा0 दं0 वि0 का अपराध थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बुलन्दशहर द्वारा की जा रही है। अभी तक की विवेचना से हत्या का कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। इस घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। लेकिन शासन द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को आदेश दिये गये हैं कि वे इस मामले को देखें तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

श्री हाशिम अली सिद्दीकी, एडवोकेट, लखनऊ का महानगर पुलिस के विरुद्ध दिया गया शिकायती-पत्र

139--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें हाशिमअली सिद्दीकी, एडवोकेट, लखनऊ द्वारा अप्रैल के पहले सप्ताह 1981 में महानगर पुलिस के विरुद्ध दिया गया शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की प्रमुख बात क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हाशिम अली सिद्दीकी एडवोकेट, लखनऊ का एक शिकायती प्रार्थना-पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ, जिसे मूल रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद बुलन्दशहर को भेजा गया।

देवरिया जनपद में पुलिस डकैत मुठभेड़ तथा मारे गये डकैतों का विवरण

140-- श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में 1 जून, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 के बीच कितने लोगों को कथित पुलिस डकैत मुठभेड़ में मारा गया? किन-किन पुलिस सब इंसपक्टरों ने किन-किन लोगों को मारा? मारने वाले सब इन्सपेक्टरों तथा मारे जाने वालों के नाम तथा पता क्या है और घटना का स्थान कहां है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में देवरिया जनपद में पुलिस डकैत मुठ-भेड़ में 51 डकैत मारे गये। इन मुठभेड़ों में मारे गये डकैतों का नाम पता आदि के संबंध में विवरण संलग्न है।

डकैतों के गिरोह के साथ मुठभेड़ हेतु अकेले सब इन्सपेक्टर नहीं अपितु पुलिस दल जाते हैं अतः किसी विशेष सब इन्सपेक्टरों द्वारा डकैतों को मारने का कोई प्रश्न नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1047 पर।)

बुलन्शहर सैदपुर मार्ग के निर्माण से संबंधित पत्र

141—श्री किरनपाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण वि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का बुलन्दशहर सैदपुर मार्ग के बारे में दिनांक 6-11-81 का कोई पत्र मुख्य अभियन्ता सा0 नि0 वि0 को मिला था? यदि हां, तो उसके बारे में क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

मार्ग गन्ना विभाग का है। धनाभाव के कारण सा0 नि0 वि0 द्वारा स्वीकृत करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में चोरी, कत्ल, डकैती, एवं डाकू मुठभेड़ की घटनायें

142—श्री रामनारायण सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली जनवरी सन् 1981 से 11-1-82 तक गाजीपुर जनपद में चोरी, कत्ल, डकैती, गुण्डा अधिनियम एवं डाकू मुठभेड़ की कितनी घटनायें हुई हैं तथा तत्संबंधी कितनी प्रथम सूचनाएं किन-किन थानों में दर्ज हुई हैं? जनपद के गिरते कानून एवं व्यवस्था को रोकने हेतु कौन से कदम उठाये गये हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कोई प्राविधान नहीं है केवल कार्यवाही होती है। प्रश्न में वांछित अन्य विवरण संलग्न है।

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गाजीपुर में अपराधों में कमी हुई है, फिर भी कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला प्रशासन बराबर सजग है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1052 पर)

143—श्री राम आसरे पासवान—

[पुनरावृत्ति के आधार पर पुनः निरस्त]

कु0 शोभना राजन को तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से संगीत प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति

144—श्री खैरुल बशर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित कुमारी शोभना राजन की नियुक्ति संगीत एवं वादन प्रवक्ता के पद पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) इलाहाबाद के आज्ञा संख्या डिग्री सेवा 219/एल0 3/1/12—81-82 दिनांक 9-9-81 द्वारा राजकीय महिला महाविद्यालय, रामपुर में की गई? क्या यह सही है कि अब तक उक्त विद्यालय में उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया है? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

कु0 शोभना राजन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित अभ्यर्थी नहीं है। इनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से राजकीय महिला महाविद्यालय रामपुर में की गयी थी।

जी हां।

उक्त महाविद्यालय में केवल संगीत (गायन) विषय ही है जबकि कु0 शोभना राजन संगीत (वादन) में योग्यता रखती हैं। अतः उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गयी थी।

कुआनों नदी पर बने जर्जर पुल का पुनर्निर्माण

145--कुमारी अलमेलु अम्माल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 26-12-81 को बस्ती भ्रमण के दौरान कुआनों नदी पर बने जर्जर पुल को पुनः बनवाने का जनता को आश्वासन दिया था? यदि हां, तो क्या सन् 82 में बनवा देंगे? यदि नहीं, तो कब तक बन जायगा?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जिला मुरादाबाद, थाना सम्भल में साम्प्रदायिक दंगे के फलस्वरूप दर्ज मुकदमें तथा कृत कार्यवाही

146--श्री मोहन सिंह--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि 1978 में मुरादाबाद जिले के सम्भल के बीच में एक व्यापक साम्प्रदायिक दंगा हुआ था इस दंगे में कितने लोगों के खिलाफ पुलिस थानों में रपट दर्ज हुई और कितने के विरुद्ध अदालत में पुलिस की ओर से मुकदमा चलाये जा रहे हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार इस दंगे के सबंध म 168 मुकदमें 1272 नामजद तथा लगभग 200 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सम्भल में दर्ज हुए थे। इसमें 43 मुकदमों में 473 व्यक्तियों का चालान अदालत में किया गया तथा शेष 125 मुकदमें 799 व्यक्ति नामजद एवं कुछ अज्ञात थे। इनमें साक्ष्य की कमी के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। चालान किये गये मुकदमों में 12 मुकदमे जिसमें 31 आदमी थे शासन के आदेश से वापस लिये गये, 2 मुकदमे जिसमें 6 व्यक्ति थे अदालत से सजा हुई तथा 6 मुकदमें जिसमें 80 व्यक्ति थे अदालत से बरी किये गये।

इस समय 23 मुकदमे जिसमें 356 व्यक्ति अभियुक्त हैं, न्यायालय में विचाराधीन हैं।

क्षेत्रीय एवं जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका

147--श्री हरिवंश सहाय--

क्या न्याय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विगत 4 जनवरी, 1982 को क्षेत्रीय समिति एवं जिला परिषद् संशोधन अध्यादेश के

[श्री हरवंश सहाय]

विरुद्ध एक याचिका दाखिल की गयी और उसमें शासन की ओर से महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता और चीफ स्टैंडिंग कौंसिल के रहते हुए किन्हीं अतिरिक्त दो अधिवक्ताओं को पैरवी के लिये नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इन अधिवक्ताओं के नाम क्या हैं और इनकी नियुक्त करने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

क्षेत्रीय समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विगत 4 जनवरी, 1982 को कोई याचिका दाखिल नहीं की गई।

थानाध्यक्ष खामपार, जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्रों की जांच

148--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री यह बतायेंगे कि थानाध्यक्ष खामपार, जिला देवरिया के विरुद्ध 1-1-81 से 31-12-81 के बीच कितनी शिकायती पत्रों की जांच पुलिस अधीक्षक देवरिया ने की तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में थानाध्यक्ष खामपार के विरुद्ध सात शिकायती पत्रों की जांच पुलिस अधीक्षक, देवरिया द्वारा कराई गई।

आरोप प्रमाणित न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बी० टी० सी० ग्रेड पर बिना रिक्तियों का विज्ञापन तथा आर० आई० जी० एस० मेरठ द्वारा की गई नियुक्तियों पर कृत कार्यवाही

149--श्री छत्तर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर०आई०जी०एस० मेरठ ने बी०टी० सी० ग्रेड पर बिना रिक्तियों का विज्ञापन तथा बिना चुनाव प्रक्रिया अपनाये सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 1981 में कुल कितनी नियुक्तियां कीं ? इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है

जनपद गोरखपुर, थाना महाराजगंज में श्री रामजीयाद की दर्ज रिपोर्ट

150--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज में दिनांक 10-8-81 से 30-8-81 में श्री रामजीयाद श्रम दरहटा की रपट धारा 406 भा०द०वि० में दर्ज कराई गई जिसकी पूर्व सूचना सं० पुलिस अधीक्षक को कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या इसमें आरोप-पत्र न्यायालय में दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक भेज दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में पुलिस द्वारा विवेचना नहीं की गयी क्योंकि मामला दीवानी प्रकृति का था। अतः आरोप-पत्र न्यायालय भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में निलम्बित पुलिस कर्मचारी तथा उनका आवश्यक विवरण

151--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में 8-1-82 को कुल कितने थानाध्यक्ष, सब-इन्सपेक्टर, सिपाही व दीवान आदि निलम्बित हैं ? इस निलम्बन के अलग-अलग क्या कारण हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद गोरखपुर में दिनांक 8 जनवरी, 1982 को 8 सब-इन्स्पेक्टर, एक सहायक सब-इन्स्पेक्टर तथा 14 कान्सटेबिल निलम्बित थे। कोई थानाध्यक्ष व दीवान निलम्बित नहीं रहा। निलम्बित कर्मचारियों के निलम्बन के कारणों के संबंध में आवश्यक विवरण संलग्न है।

[देखिए नत्थी (ञ) आगे पृष्ठ...1054....पर।]

श्री मन मोहन सती, ठेकेदार द्वारा दिया गया शिकायती पत्र की जांच

152--श्री हरिवंश सहाय--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ईश्वर चन्द रस्तोगी, वन्य जन्तु प्रतिपालक, रामनगर पश्चिमी क्षेत्र द्वारा सरकारी पैसे के हनन एवं दुरुपयोग के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति सहित 23 अक्टूबर, 1981 को श्री मनमोहन सती ठेकेदार की शिकायत दिनांक 22 अक्टूबर, 1981 मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक, लखनऊ को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

श्री मनमोहन सती ठेकेदार द्वारा दिया गया शिकायती पत्र दिनांक 22 अक्टूबर, 1981 क्षेत्रीय विधायक की दिनांक 23 अक्टूबर, 1981 की संस्तुति सहित मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। परन्तु उक्त शिकायती पत्र श्री ईश्वर चन्द्र रस्तोगी वन्य जन्तु प्रतिपालक, पश्चिमी क्षेत्र, राम नगर द्वारा पैसे के हनन एवं दुरुपयोग से सम्बन्धित नहीं है। काला दुंगी में एक सहायक वन्य जन्तु प्रतिपालक के आवास के निर्माण का ठेका श्री मनमोहन सती द्वारा लिया गया था। उक्त शिकायती पत्र उस ठेके के भुगतान से सम्बन्धित है। शिकायत की जांच को अपराध अनुसंधान विभाग से कराने को लिखा जा रहा है।

लालबाग स्थित राजकीय सचिवालय के आवासीय काम्पलेक्स में अनुसचित जाति के अनुभाग अधिकारी को आरक्षण व्यवस्था

153--श्री राम समुझावन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लाल बाग, लखनऊ स्थित आवासीय काम्प्लेक्स में आरक्षण व्यवस्था होने के बावजूद भी राजकीय सचिवालय के अनुसूचित जाति के अनुभाग अधिकारियों को उक्त आवास आवंटित न करने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

हर कालोनी में आवासों के आवंटन के लिये अलग-अलग आरक्षण कोटा पूरा किया जाना नियमान्तर्गत आवश्यक नहीं है।

जनपद बस्ती, खलीलाबाद कोतवाली तथा कतिपय थानों में डकैती

154--श्री राम आसरे पासवान--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती खलीलाबाद कोतवाली तथा थाना बखिरा, महुली, दुधारा तथा थाना मुन्डरवा में कुल कितनी डकैती सन् 1981 में पड़ी है, उसमें से कितने को पुलिस पता लगाकर कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1981 में जनपद बस्ती के खलीलाबाद कोतवाली में 3, बखिरा में 2, महुली में 2, मुण्डेरवा में 10 तथा दुधारा में 3 डकैती के मामले दर्ज हुए। बखिरा थाने में दर्ज डकैती के केवल एक मामले को छोड़कर, जिसमें अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी, शेष सभी मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं जो विचाराधीन न्यायालय हैं।

जनपद बस्ती में पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं

155--श्री राम आसरे पासवान--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में सन् 1981 में कितने एन्काउन्टर हुए हैं? इन इनकाउन्टर में मारे जाने वाले लोगों पर क्या आक्षेप थे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत वर्ष जनपद बस्ती में पुलिस डकैत मुठभेड़ की 9 घटनाएं हुयीं। इनमें मारे गये सभी 10 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास था।

जनपद मैनपुरी में अखिल भारतीय क्षत्री महासभा की मीटिंग तथा चेतावनी

156--श्री राम स्वरूप निम--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि मैनपुरी जिले में देहुली नर संहार के बाद, क्षेत्रीय ब्राह्मण इत्यादि सवर्णों के संगठनों की ग्राम साढ़ूपुर की 30-12-81 की घटना से पहले कोई मीटिंग हुई थी, क्या उस मीटिंग के बाद कोई पम्पलेट छपा था, जिसमें देहुली की घटनाओं जैसी घटना करने की चेतावनी दी गई थी? यदि हां, तो सरकार ने उन संगठनों के संगठन कर्त्ताओं को क्या सजा दी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मैनपुरी में दिनांक 27-12-81 को अखिल भारतीय क्षत्री महासभा की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद कोई पम्पलेट जिसमें देहुली की घटना जैसी घटना करने की चेतावनी दी गई हो का प्रकाशित होना जानकारी में नहीं आया। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद्, फैजाबाद के अन्तर्गत सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां तथा स्वर्गीय श्रीमती अमरावती देवी के आश्रित पति को नियुक्ति की सुविधा

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद स्थित बेसिक शिक्षा कार्यालय के अन्तर्गत दिनांक 1-7-1980 से अब तक कितनी नियुक्तियां, किन-किन पदों पर की गयी हैं? क्या यह सही है कि स्वर्गीय श्रीमती अमरावती देवी, जो कि उक्त कार्यालय के अधीनस्थ विभाग में अध्यापिका के पद पर कार्य रत थीं और उसके सेवाकाल में ही मरणोपरांत उसके पति को शासन के आदेशों के बावजूद नियुक्ति नहीं दी गयी? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

बेसिक शिक्षा परिषद् फैजाबाद के अन्तर्गत दिनांक 1-7-80 से अब तक मात्र 107 सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी हैं। स्वर्गीय श्रीमती अमरावती देवी, सहायक अध्यापिका, प्राइमरी पाठशाला बेवाना की मृत्यु दिनांक 24-6-1974 को हुई थी और परिषदीय अध्यापकों एवं कर्मचारियों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को दी जाने वाली सुविधा 16-12-1975 से लागू की गयी है। अतः स्वर्गीय अध्यापिका के आश्रित पति को नियुक्ति की सुविधा देय नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को अध्ययन एवं पुनर्वास की सुविधायें

158--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को क्या सुविधाएं (सेवाओं तथा अध्ययन एवं पुनर्वास आदि के लिए) दी जाती हैं तथा उनमें से वह सुविधायें कौन-कौन हैं जो अभी हाल में ही घोषित की गई हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को सेवाओं तथा अध्ययन एवं पुनर्वास आदि के लिये जो सुविधायें दी जाती हैं वह अनुलग्नक "क" में संलग्न हैं तथा उनमें से वह सुविधायें जो अभी हाल में ही घोषित की गई हैं वह अनुलग्नक "ख" में संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ....1056....पर)

अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति के अध्यापकों का प्रतिवेदन

159--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति के अध्यापकों के प्रतिवेदन वर्ष 1981में शासन और शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों पर निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं जब कि उक्त वेतनमान में इनका कोटा केवल 4 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है और विभाग आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य ही वर्ग के अध्यापकों की पदोन्नति कर रहा है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। यथोचित निर्णयोपरांत पात्र एवं अर्ह अध्यापकों को पदोन्नति दी जा चुकी है।

अनुसूचित जाति के अध्यापकों को राजपत्रित वतनमान में पदोन्नति

160--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन ने ऐसे आदेश निर्गत किये हैं कि यदि किसी कर्मचारी का स्थायीकरण समय पर न हो सके तो ऐसे कर्मचारी को अग्रतर पदोन्नति से वंचित न किया जाय ? यदि हां, तो विभाग अनुसूचित जाति के ऐसे अध्यापकों को आरक्षित कोटे के अन्तर्गत भी अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति न देने का क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। शेष प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बस्ती विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भवनहीन जूनियर बेसिक पाठशालायें

161--कु0 अलमेलु अम्माल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान समय में कितने जूनियर बे0 पाठशालायें भवनहीन हैं ? कितने तथा कौन से जू0 बे0 पा0 इस वित्तीय वर्ष में बनना प्रस्तावित हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

बस्ती विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में 37 जूनियर बेसिक पाठशालायें भवनहीन हैं। जनपद बस्ती को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24 जूनियर बेसिक पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा समिति अभी निर्मित होने वाले स्कूल भवनों के स्थान का चयन नहीं कर पाई है।

162--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

अकबरपुर राज्य कताई मिल में गोली कांड की घटना के समय गिरफ्तारी

163--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद स्थित अकबरपुर राज्य कताई मिल में दिनांक 5 अप्रैल, 1981 को हुई गोली कांड की घटना के समय कौन-कौन व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे? उनमें कितने श्रमिक थे? किस यूनियन से संबंधित थे, और क्या वे सभी मुलजिम श्रमिक जमानत पर छूटने के बाद उक्त मिल में उसी प्रकार कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री नियाज हसन खां--

घटना के समय कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ था। घटना के बाद एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था और दो ने आत्मसमर्पण किया था।

उनमें दो श्रमिक थे।

दोनों श्रमिक अकबरपुर कताई मिल मजदूर यूनियन से सम्बन्धित बताये जाते हैं।

दोनों श्रमिक मिल में कार्यरत हैं क्योंकि उनके विरुद्ध की गई अदालती तथा विभागीय कार्यवाही में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

मुख्य मंत्री के कार्यकाल में मेहमानों, आगन्तुकों के आवभगत में कुल व्यय की गई धनराशि

164--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके अपने कार्यकाल में कितनी धनराशि मेहमानों, आगन्तुकों के आवभगत (प्रोटोकाल) में व्यय की है?

श्री अम्मार रिजवी--

रु0 5,93,465-93 (रुपया पांच लाख तिरानवे हजार चार सौ पैंसठ तथा पैसे तिरानवे केवल) व्यय हुआ।

ग्राम सारंगपुर, प्लाट नं0-3, जिला गाजियाबाद में अनधिकृत रूप से पट्टे के नाम कब्जा करने के संबंध में कार्यवाही

165--श्री रियासत हुसैन--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सारंगपुर प्लाट नं0-3 तहसील नवगढ़, जिला गाजियाबाद की वन भूमि पर श्री सुदेश पाल पुत्र श्री रहमसिंह के पिछले 10 वर्षों से अनधिकृत रूप से पट्टे के नाम पर कब्जा करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-1-82 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी हां। जांच की जा रही है

166--श्री शेर बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[16-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित।]

जनता पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा मेहमानों, आगुन्तकों पर व्यय की गई धनराशि

167--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश जनता पार्टी के शासन काल से कुल कितनी धनराशि मा० मुख्य मंत्री तत्कालीन ने मेहमानों, आगन्तुकों के (प्रोटोकाल) आवभगत में व्यय किया है ?

श्री अम्मार रिजवी --

रु० 8,42,214-32 (रुपया आठ लाख ब्यालीस हजार दो सौ चौदह तथा पैसे बत्तीस केवल) व्यय हुआ।

बेसिक शिक्षा परिषद् में शिक्षकों की प्रोन्नति तथा स्थानान्तरण

168--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेसिक शिक्षा परिषद् में महिला शिक्षकों के स्थानान्तरण प्रोन्नति करके पुरुष स्कूल में तथा पुरुष शिक्षकों के स्थानान्तरण प्रोन्नति करके महिला स्कूल में किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों को मकान किराया भत्ता दिये जाने की घोषणा

169--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों को मकान किराया भत्ता दिए जाने की घोषणा अभी हाल में की गयी है ? यदि हां तो निर्णय क्या है तथा कार्यान्वयन उसका कब से किया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां।

शासकीय निर्णय के अनुसार 5 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को नगर-महापालिका क्षेत्र में अवस्थित सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं पूर्णकालिक शिक्षकों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत प्रतिमास की दर से तथा एक लाख या उससे अधिक किन्तु पांच लाख से कम जन संख्या वाले नगरों की नगरपालिका क्षेत्र में प्रवस्थित उक्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित व पूर्णकालिक शिक्षकों को उनके मूल वेतन का 7 1/2 प्रतिशत प्रतिमास की दर से मकान किराया भत्ता 1 अप्रैल, 1981 से स्वीकार किये जाने का आदेश 13-10-81 को जारी किया गया है और उस आदेश को कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्राम बधराई के अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा थाना बांस गांव में सवर्णों के विरुद्ध दर्ज घटना

170--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या गृहमन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना बांसगांव के ग्राम बधराई के कितने अनुसूचित जाति के लोगों ने सवर्णों द्वारा जबरदस्ती बेगार लेने व एसा न करने पर बुरी तरह मारने पीटने, उजाड़ने व अनेक प्रकार की धमकी देने से संबंधित घटनाए माह अगस्त, 81 से माह अक्टूबर 1981 तक स्थानीय थाने में दर्ज की गई? क्या इसमें श्री बिहारी, पुत्र श्री सहदेव हरिजन की रपट धारा 323/504 भा0 दं0 वि0 में दिनांक 6-9-81 को दर्ज हुई है? यदि हां, तो कब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में ग्राम बधराई के अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा थाना बांसगांव में सवर्णों के विरुद्ध दो प्रथम सूचनायें दर्ज कराई।

श्री बिहारी, पुत्र श्री सहदेव द्वारा दो प्रथम सूचनायें दिनांक 9-8-81 धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 तथा दिनांक 6-9-81 की धारा 323/504 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज कराई पहली सूचना में हल जोतने से इंकार करने पर तथा दूसरी सूचना में पुरानी रंजिश के कारण पिटाई करने का आरोप लगाया गया है।

दोनों मामलों में विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

विपक्षीय सवर्णों के विरुद्ध एक पक्षीय निरोधात्मक कार्यवाही भी की गयी हैं।

जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद बाराबंकी में श्रीमती कमला देवी नाम की एक से अधिक कार्यरत सहायक अध्यापिकायें

171--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर बेसिक विद्यालय सफेदाबाद, बाराबंकी माह अगस्त, 79 में श्रीमती कमला देवी नाम का एक से अधिक सहायक अध्यापिकायें कार्यरत थी? यदि हां, तो क्या उक्त माह में श्रीमती कमला देवी नाम की सभी अध्यापिकाओं ने वेतन स्वयं प्राप्त किया?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गाजीपुर जनपद के कार्यरत ईंट के भट्टे तथा पंजीकरण

172--श्री राम नारायण सिंह--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितनें ईंट भट्टे वर्ष 1980 के अब तक कार्यरत हैं तथा गाजीपुर उद्योग केन्द्र द्वारा इनका पंजीकरण अब तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री नियाज हसन खां--

गाजीपुर जनपद में वर्ष 1980 से अब तक ईंट-भट्ठे की 173 इकाइयां कार्यरत हैं। जिला उद्योग केन्द्र, गाजीपुर में पंजीकरण हेतु ईंट-भट्ठे की चार इकाइयों ने आवेदन-पत्र दिया, जिनका पंजीकरण किया जा चुका है।

बेसिक शिक्षा विभाग के प्रारम्भिक पाठशालाओं, लघु माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन , नकदीकरण का भुगतान

173—श्री रामनारायण सिंह—(एडवोकेट)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गाजीपुर जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रारम्भिक पाठशालाओं, लघु माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन, नकदीकरण तथा अन्य प्रकार के भुगतान की कितनी धनराशि वर्ष 1978 से दिसम्बर, सन् 1981 तक बाकी है ? अब तक इनका भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र चंदौली के प्राथमिक विद्यालय परासी कलां के अधूरे भवन का निर्माण

174—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र चन्दौली के प्राथमिक विद्यालय, परासी कलां 6 के भवन का निर्माण सरकारी अनुदान से माह जनवरी, 1980 में प्रारम्भ किया गया था परन्तु किसी कारण यह निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया ? क्या सरकार इस विद्यालय के अधूरे भवन को पूर्ण करायेगी और अनियमितता के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

175—श्री प्रभूनारायण सिंह—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

दिनकर बालिका जूनियर हाईस्कूल, जमालापुर, जौनपुर की अध्यापिकायों को पूर्ण और नियमित वेतन दिलाने की व्यवस्था

176—श्री प्रभूनारायण सिंह—

प्रश्नकर्ता के विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के दूसरे मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगें कि माह दिसम्बर, 1981 तक क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रकरण विचाराधीन था ।

जनपद जौनपुर के कस्बा गौराबाद शाहपुर के नया थाना स्थापित किये जाने पर विचार

177—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में जनपद जौनपुर के कस्बा गौराबाद शाहपुर में एक नया थाना स्थापित किए जाने की जो स्वीकृति दी गई थी, वह थाना खोल दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत कस्बा गौराबादशाहपुर में एक नये थाने की स्वीकृति दिनांक 2-4-81 को दी गई है।

इस नये थाने की विधिवत् स्थापना के लिये इसके कार्यक्षेत्र की विज्ञप्ति भी शासकीय गजट में दिनांक 6-2-82 को प्रकाशित हो चुकी है। अन्य सुसंगत प्रबन्ध पूर्ण होते ही यह थाना कार्य करने लगेगा।

तराई भावर, रामनगर, हल्द्वानी डिवीजन के सीजनल निकासी मुहर्रिरों एवं खूंट मुहर्रिरों को नियमित करने के संबंध में कार्यवाही

178—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई भावर डिवीजन रामनगर डिवीजन व हल्द्वानी डिवीजन के सीजनल निकासी मुहर्रिरों एवं खूंट मुहर्रिरों को नियमित किये जाने व राज्य सरकार के समान अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली हर सुविधा के समान ही उन्हें भी सुविधा दिये जाने के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? उक्त डिवीजनों में पिछले 10 वर्षों से ऐसे कितने निकासी मुहर्रिर हैं जो अभी तक नियमित नहीं किये गये हैं? क्या इनके भविष्य में नियमित करने के संबंध में सरकार कोई कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

निकासी मुहर्रिर वन विभाग में, वनों से माल की निकासी की, निकासी चौकियों में जांच करने हेतु, कार्य सीजन में, प्रति वर्ष आठ महीने के लिये नियुक्त किये जाते हैं। इस अवधि में इनको अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन तथा नियमानुसार अनुमन्य भत्ते दिये जाते हैं।

खूंट मुहर्रिरों को, प्रत्येक लाट की कार्य अवधि के लिये, नियत वेतन पर, रखा जाता है। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। लौट में कार्य समाप्त होने पर इनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अतः इनको अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह सुविधायें देना संभव नहीं है।

तराई भावर, रामनगर तथा हलद्वानी डिवीजनों में कुल 58 निकासी मुहर्रिर ऐसे हैं जिनकी सेवायें 10 वर्ष की हो गयी हैं।

अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 1980 के प्राविधानों के अनुसार, रिक्तियां उपलब्ध होने पर, इन सामयिक कर्मकारों को नियमित नियुक्ति दी जायेगी।

स्व0 श्री महेश बहादुर श्रीवास्तव की पत्नी को प्रदान की गयी आर्थिक सहायता

179—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इत्तिफाल रसूल इण्टरमीडिएट कालेज, संडीला, जिला हरदोई के भूतपूर्व उप प्रधानाचार्य स्व0 महेश बहादुर श्रीवास्तव जिनकी 25 मार्च, 1965 को कालेज के अन्दर ही ड्यूटी समय पर ही चाकू मार कर हत्या कर दी गयी थी, के परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार आर्थिक सहायता दिलाने के आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

हां। अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के नियमों के अनुसार स्व0 श्री श्रीवास्तव की पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी को 5 वर्ष तक आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

बलिया जनपद में फेफना-बक्सर मार्ग की मरम्मत

180--श्री गौरी शंकर भैया--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में फेफना-बक्सर मार्ग की दशा अत्यन्त खराब हो गयी है जिससे मार्ग पर आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इस सड़क के लिये विशेष मरम्मत का अनुदान देकर कार्य प्रारम्भ कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अवकाश ग्रहण करने वाले प्रधानाचार्य श्री हरिनाथ मिश्र को पेंशन का भुगतान

181--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इण्टर कालेज, सुजानगंज जौनपुर के गत सात वर्ष पूर्व अवकाश ग्रहण करने वाले प्रधानाचार्य श्री हरिनाथ मिश्र को अभी तक न तो पेंशन स्वीकृत की गई और न अन्य सुविधायें दी गई ? क्या सरकार उन्हें पेंशन तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के चमोली एवं पौड़ी जिले में राजकीय विकल्प पद धारक अध्यापकों के भविष्य-निधि की कटौती

182--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-4-74 के बाद बेसिक शिक्षा परिषद् के चमोली एवं पौड़ी जिलों के अन्तर्गत राजकीय विकल्प पद धारक अध्यापकों के भविष्य निर्वाह निधि में नियमानुसार कटौती हो रही है और उनके खातों में उक्त राशि नियमानुसार जमा हो रही है ? यदि हां, तो कितने ऐसे अध्यापकों की वार्षिक पर्चियां दी जा रही हैं और यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जनपद पौड़ी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत राजकीय विकल्प पद धारक कोई भी अध्यापक कार्यरत नहीं है। अतः भविष्य निधि की कटौती और उसकी वार्षिक पर्ची के दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चमोली के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

पौड़ी गढ़वाल में मरोड़ा-व्यासघाट मोटर मार्ग से ग्रामों की दूरी

183--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में मरोड़ा-

व्यासघाट मोटर मार्ग किन-किन गांवों से जोड़कर निर्मित किया जा रहा है और उन गांवों की मोटर मार्ग से अलग-अलग दूरी क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना निम्नवत् है:--

प्रश्नगत मोटर मार्ग से जुड़ रहे ग्रामों के नाम	प्रश्नगत मोटर मार्ग से ग्रामों की दूरी
1--तोली ..	सड़क पर स्थित है।
2--बडियूं ..	सड़क पर स्थित है।
3--ओलना ..	सड़क से ऊपर 1.5 कि0 मी0 पर है।
4--बसगड्डी ..	सड़क पर स्थित है।
5--ट्यूसी ..	सड़क के ऊपर 1.5 कि0 मी0 पर है।
6--कुंड ..	सड़क से ऊपर 0.50 कि0 मी0 पर है।
7--चोपड़ा ..	सड़क पर स्थित है।
8--खाण्डा ..	सड़क के ऊपर 0.50 कि0 मी0 पर है।
9--मूलगढ़ ..	सड़क के ऊपर 1.5 कि0 मी0 पर है।
10--मतोली लग्गा भण्डालू	सड़क पर स्थित है।
11--भटकोटी ..	सड़क से 1.5 कि0 मी0 पर है।
12--नौगांव ..	सड़क पर स्थित है।

स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद जायसवाल, परीक्षक की पत्नी को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का भुगतान

184--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द प्रसाद जायसवाल, परीक्षक संख्या 8787 ने इन्टरमीडिएट परीक्षा 1973-74 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया था और उनका भुगतान नहीं किया गया तथा इसी बीच उनका देहान्त भी हो गया ? यदि हां, तो 8 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी उक्त भुगतान उनकी विधवा श्रीमती विद्यावती, 334, अशर्फाबाद, लखनऊ को नहीं किया गया है ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

हां।

हां। यथाशीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जावेगी।

पेंशन के राशिकरण की योजना

185--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पेंशन के राशिकरण की योजना व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पर भी पेंशन राशिकरण की योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब से ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

हां।

सम्प्रति ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमा शंकर मिश्र, दयानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थौर जौनपुर की प्राविधायी निधि और पेंशन की सुविधा

186—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री रमाशंकर मिश्र, दयानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थौर, जौनपुर में जुलाई, 1954 से जून, 1978 तक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे ? क्या यह भी सत्य है कि विद्यालय के अधिकारियों ने उनका अनुमोदन नहीं लिया और अनुमोदन के अभाव में उक्त शिक्षक को प्राविधायी निधि और पेंशन मिलने में व्यवधान उपस्थित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षक को उनकी लम्बी सेवाओं को देखते हुए, प्राविधायी निधि और पेंशन की सुविधा दिलवायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

हां। वर्तमान, नियमों के अन्तर्गत पेंशन देने में कठिनाई है फिर भी श्री रमाशंकर मिश्र की लम्बी सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनके प्रकरण को मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक वाराणसी को विचारार्थ संदर्भित किया गया है।

नारायण स्वामी रा0 इं0 कालेज, तल्ला रामगढ़, जनपद नैनीताल के प्रधानाचार्य, सहायक प्रधानाचार्य व कला अध्यापक क विरुद्ध अनियमितता बरतने की शिकायती पत्र

187—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारायण स्वामी रा0 इं0 कालेज, तल्ला, रामगढ़, जनपद नैनीताल में प्रधानाचार्य, सहायक प्रधानाचार्य व कला अध्यापक के विरुद्ध अनियमितता बरतने पर छात्रों में असंतोष है ? यदि हां, तो उपरोक्त अध्यापकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़ के मंत्री श्री राम जनम सिंह का शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित पत्रों की संख्या तथा समस्यायें व निराकरण

188—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 4 (नत्थी "क") के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छानबीन के उपरांत प्रश्नगत अवधि में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या निश्चित की जा चुकी है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि छानबीन के उपरांत निश्चित किए गए पत्रों में कुल कितनी समस्याएं हैं और उनमें से कितने का समाधान कर दिया गया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

परमहंस उ0 मा0 विद्यालय, देऊपुर, हनुमान नगर, आजमगढ़ में प्रवक्ता वेतनक्रम में आरक्षण कोटा

189—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रवक्ता वेतनक्रम में आरक्षण पूरा करने के सन्दर्भ में संस्था अधिकारियों द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रवक्ता वेतनक्रम में इस बीच न तो कोई नया पद सृजित हुआ है और न सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र तथा अन्य कारणों से ही प्रवक्ता वेतन-क्रम में कोई रिक्ति हुई है। अतः अभी आश्वासन की पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

बेस्ली इन्टर कालेज, आजमगढ़ के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच

190—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र (1981) के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय के कौन से अधिकारी ने आजमगढ़ जाकर जांच आख्या प्राप्त की ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जांच के समय शिकायतकर्ता को भी साक्ष्य देने के लिये आमन्त्रित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच के परिणाम क्या निकले हैं तथा इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

विधान सभा की लोक लेखासमिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों का क्रियान्वयन

191—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981–82 के प्रतिवेदन (भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट 1975–76) (सिविल) पर आधारित सिफारिश संख्या 7, 24 पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं उनके कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की शिकायतों की जांच

192—श्री पंचानन राय —

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती पत्र, दिनांक 23 मई, 77 की जांच के समय क्या शिकायत कर्त्ताओं को साक्ष्य देने का अवसर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जी0 एन0 के0 इन्टर कालेज, कानपुर में छात्रों से अवैध शुल्क वसूल किये जाने के संबंध में जांच

193—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिक शुल्क वसूल किए जाने की शिकायती की जांच कराई गयी तथा जांच में शिकायतकर्त्ताओं को साक्ष्य के लिये बुलाया गया? उसके क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जनपद के गैर सरकारी सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का भुगतान

194—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पांचवे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष 34 विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को देय धनराशि का भुगतान 6—11—81 तक कर दिया गया है? यदि नहीं, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जनपद के शेष उप विद्यालयों में से 10 विद्यालयों के कर्मचारियों के अनिवार्य जमा धन का भुगतान हो गया है। 20 विद्यालयों के संस्थाधिकारियों ने बिल बनाकर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर को भेजा हैं। शेष 4 विद्यालयों क कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी दय धनराशि के भुगतान करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

मैनपुरी जिले में कतिपय मार्गों पर निर्माण कार्य

195—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि मैनपुरी जिले के मैनपुरी—सिरसागंज मार्ग, मैनपुरी—कुसमरा मार्ग, मैनपुरी—संकीट मार्ग तथा छिबरामऊ—किशनी मार्गों में कुल लम्बाई में कितने पर मिट्टी का कार्य हो गया है? कितनी पुलियां व पुल बन गये हैं? कितना खड़ंजा हो गया है? कितनी लम्बाई पर कंक्रीट होकर तारकोल हो चुका है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना निम्नवत् है—

मार्ग का नाम	मिट्टी का कार्य	पुलियां व पुल	खड़न्जा	तारकोल लेपन कार्य
1—मैनपुरी—सिरसागंज मार्ग	26 कि0मी0	14 कि0 मी0 लम्बाई में	21.50 कि0 मी0	3.00 कि0 मी0 मन्डी-परिषद् द्वारा
2—मैनपुरी कुसमरा मार्ग	24.30 कि0 मी0	13.80कि0 मी0 लम्बाई में	17.30 कि0 मी0	10.30 कि0 मी0
3—मैनपुरी—सकीट मार्ग (जनपद मैनपुरी में)	25.51 कि0 मी0	25.51 कि0 मी0 लम्बाई में	25.51 कि0 मी0	22.01 कि0 मी0
4—छिबरामऊ—किशनी मार्ग	5.00 कि0 मी0	5.00 कि0 मी0 लम्बाई में	3.00 कि0 मी0	3.00 कि0 मी0

आजमगढ़ जनपद में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षकों की अनियमित नियुक्ति तथा अन्य अनिमितताओं की जांच हेतु गठित समिति तथा कृत कार्यवाही

196—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि तदर्थ गठित समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं तथा शिकायतें किसके विरुद्ध हैं ? क्या जांच के समय शिकायतकर्त्ता को साक्ष्य का अवसर दिया गया है, यदि नहीं, तो क्यों? जांच के उपरान्त क्या परिणाम निकले हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

तदर्थ गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1—श्री श्रीनारायण मिश्र, प्रधानाचार्य, डी0 ए0 बी0 इन्टर कालेज, मऊनाथ भंजन—अध्यक्ष ।

2—श्री कपिलदेव सिंह, अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़—सदस्य ।

3—श्री राम बचन पाठक, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, बिलरियांगज—सदस्य

शिकायतें तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के विरुद्ध थीं । जांच के दौरान शिकायत कर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । जांच में ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाई गई जिससे किसी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, आजमगढ़ में बी0 टी0 सी0 वेतन-क्रम के अध्यापिकाओं का स्थायीकरण

197—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित पांच अध्यापिकाओं के स्थाई न किए जाने के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, आजमगढ़ में पांच अध्यापिकायें बी0 टी0 सी0 वेतन-क्रम में अस्थाई रूप से कार्यरत हैं, इनमें से एक अध्यापिका श्रीमती सुशीला राय की नियुक्ति परीक्षणकाल पर करते हुए स्थायीकरण के पत्रजात मांगे गये हैं । स्थायीकरण के पत्रजात प्राप्त होने पर स्थाईकरण करना सम्भव होगा । बी0 टी0 सी0 अध्यापिकाओं का स्थाईकरण मण्डल के ज्येष्ठतानुसार किया जाता है । शेष चारों अध्यापिकायें कनिष्ठ होने के कारण स्थाई नहीं की जा सकीं ।

श्यामकृष्ण उ0 मा0 विद्यालय, थवईपार, गोरखपुर में विभिन्न वेतन-क्रमों में सृजित पदों की जांच

198—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 61 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत अवधि में सृजित पदों में किन-किन पदों के सृजन की आवश्यकता नहीं थी और इस संबंध विस्तृत जांच कराये जाने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को बाढ़ तथा अतिवृष्टि से हुई क्षति पूर्ति हेतु अनुदान

199--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सची 'ख' में अंकित विद्यालय से बिल प्रतिहस्ताक्षर के लिये प्राप्त करने हतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि इन विद्यालयों द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किये जाने के बाद भी अनुदान का भुगतान नहीं किया गया ? क्या यह भी सही है कि शिवली नेशलन इंटर कालेज, आजमगढ़ को भुगतान हेतु चेक तैयार होने के बाद भी नहीं दिया गया ? क्या इस पूरे मामले की किसी उच्चाधिकारी से जांच करायी जायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

दिनांक 19-3-79 को संबंधित विद्यालयों को अनुदान का चेक प्राप्त करने हेतु लिखित सूचना दी गई तथा 15-9-79 को उसका अनुस्मारक भी दिया गया। चूंकि चेक तैयार थे अतः बिल प्रति हस्ताक्षर करने या कराने का प्रश्न ही नहीं था।

जी हां।

जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग्राम समाज इण्टर कालेज, जयनगर, जिगनी, आजमगढ़ का आडिट आपत्तियों के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक द्वारा मांगी गयी आख्या

200--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आडिट आपत्तियों के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक द्वारा कब अनुपालन आख्या मांगी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 6-1-81 तक कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को अल्प संख्यक विद्यालय घोषित किया जाना

201--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976-77 में प्रदेश के कितने गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को अल्प संख्यक विद्यालय घोषित किया गया ? इसमें कितने विद्यालय किस अल्प संख्यक समुदाय से संबंधित थे ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि इसके पूर्व और अभी कोई गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय अल्प संख्यक विद्यालय घोषित हुआ था ? यदि नहीं, तो वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण इनका प्रारम्भ वर्ष 1976-77 में ही किया गया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण को अनुरक्षण तथा अन्य अनुदान तथा आदर्श इण्टर कालज, मानिकपुर, बांदा के संन्दर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

202—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के कालातीत प्रबन्धाधिकरणों को अनुरक्षण तथा अन्य अनुदान यथावत् मिलत रहत हैं तथा क्या यह भी सही है कि इस प्रकार क प्रबन्धाधिकरणों को सभी अधिकारयुक्त विभाग तथा शासन द्वारा माना जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को आदर्श इण्टर कालज, मानिकपुर, बांदा के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय, द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी है ? यदि हां, तो इस निर्णय के आधार पर क्या शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में क्रीड़ा-स्थल विहीन गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय

203 —श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कौन-कौन से गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास इस समय क्रीड़ा-स्थल नहीं हैं ? इन विद्यालयों के पास क्रीड़ा-स्थल न होने के कारण विद्यार्थियों के खेलकूद की क्या व्यवस्था है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रमाशंकर उपाध्याय, कताई शिक्षक, जिला बोर्ड, आजमगढ़ के वेतन का भुगतान

204—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर उपाध्याय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो 1948 में जिला बोर्ड, आजमगढ़ में कताई शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थ और जिनका वेतन बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिसम्बर, 1975 तक मिलता रहा, का वेतन जनवरी, 1976 सें अकारण रोक दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इनके वेतन का शीघ्र भुगतान कराने के लिये कार्यवाही करेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के तहसील मड़ियाहू नार्मल स्कूल के प्रशिक्षण हेतु भवन का निर्माण

205—श्री जंग बहादुर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर, तहसील मड़ियाहूं में जौनपुर-मिर्जापुर राजकोय मार्ग पर ग्राम सेऊर में 5-6 लाख की लागत का भवन नार्मल स्कूल के प्रशिक्षण हेतु लगभग सात वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया था और इससे सम्बन्धित 50 एकड़ भूमि है

और भवन किसी उपयोग में लाया नहीं जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार की इसकी उपयोगिता के लिये क्या योजना है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बल्देव इन्टर कालेज, बड़ागांव, वाराणसी में छात्रावास को तुड़वा कर दुकान बनाने की योजना

206---श्री ऊदल---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे श्री बल्देव इटर कालेज, बड़ागांव, वाराणसी को सन् 55 या 56 में छात्रावास हेतु 50 हजार से ऊपर रुपया दिया गया था और छात्रावास बना हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास को जुलाई, 81 में श्री बल्देव डिग्री कालेज को ट्रांसफर कर उसे परवर्तित किया गया है और उसको तोड़वा कर दुकान बनाने की योजना है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ;

राजकीय क्वीन्स कालेज, वाराणसी के प्रधानाचार्य के बीमार रहने पर नयी नियुक्ति के सम्बन्ध में अध्यापकों तथा वाराणसी के विधायको द्वारा दिया गया ज्ञापन

207---श्री ऊदल---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय क्वींस कालेज, वाराणसी के प्रधानाचार्य अरसा दो वर्ष से बीमार चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी कि उनको कहीं आराम की जगह दिया जाय और वह एक अनुभवी, स्वस्थ तथा योग्य प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाय ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

जी नहीं। वे इस समय बीमार नहीं हैं किन्तु उन्हें एक बार हृदय रोग हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

208---श्री ऊदल---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उक्त कालेज के अध्यापक एवं वाराणसी के कई विधायकों ने इस संबंध में 20 अगस्त, 1981 के पूर्व ज्ञापन भी भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

जी नहीं।

राजकीय क्वीन्स इंटर कालेज के अध्यापकों का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ। मुख्य मंत्री जी को संबोधित 6 व्यक्तियों का एक पत्र दिनांक 15-8-1981 तथा माननीय विधायक का पत्र दिनांक 16-9-1981 का प्राप्त हुआ है किन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति, परीक्षाओं तथा शैक्षिक सत्र के अंत की सन्निकटता के कारण मध्य सत्र में स्थानान्तरण उचित नहीं समझा गया।

कजरहट सीमेन्ट परियोजना (चुनार) जनपद मिर्जापुर में कार्यरत स्थाई तथा अस्थाई कर्मचारी तथा अध्याप्त की गई कृषकों की भूमि तथा नियुक्ति

209—श्री राम चरण सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कजरहट सीमेन्ट परियोजना (चुनार) जनपद मिर्जापुर में इस समय कितने स्थाई तथा अस्थायी कर्मचारी तथा अधिकारी कार्यरत है? उनकी संख्या अलग-अलग क्या है ? परियोजना में कितने कर्मचारी अधिकारी चुनार तहसील के हैं तथा कितने मिर्जापुर जनपद के अन्य तहसीलों के तथा कितने मिर्जापुर जनपद के बाहर अलग-अलग उनकी संख्या क्या है ? इस योजना में कितने कृषकों की जमीनें ली गई हैं ? कृषकों की संख्या और नाम-पते क्या हैं तथा उन कृषकों में से कितने को इस परियोजना में नौकरी दी गई तथा कितने कृषकों के परिवार वालों को नौकरी नहीं दी गई ? अगर नहीं दी गई, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

कजरहट सीमेन्ट परियोजना में स्थायी कर्मचारियों की संख्या—871 एवं स्थायी अधिकारियों की संख्या 52 है।

अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 6 तथा अस्थायी अधिकारियों की संख्या शून्य है।

परियोजना में चुनार तहसील के 179 कर्मचारी तथा एक अधिकारी है। मिर्जापुर के अन्य तहसीलों के 276 कर्मचारी तथा 4 अधिकारी है।

मिर्जापुर जनपद के बाहर कुल 422 कर्मचारी तथा 47 अधिकारी है।

इस परियोजना के कुल 247 कृषकों (खातेदारों) की भूमि अध्याप्त की गई है। इनका विवरण संलग्न है।

इस परियोजना में 178 कृषकों (खातेदारों) की नियमित नियुक्ति की गई तथा एक खातेदार आकस्मिक कर्मकार के रूप में कार्यरत हैं।

शेष 68 कृषक (खातेदार), जिनकी भूमि अध्याप्त की गई परन्तु नियोजन में नहीं है, का निम्नलिखित कारण है:—

(1) 5 खातेदारों की मृत्यु होने से,

(2) 3 खातेदारों की नियमित नियुक्ति की गई थी, परन्तु लम्बी अवधि तक अनुपस्थित होने के कारण नियमानुसार उनकी सेवायें समाप्त हो गई,

(3) 21 खातेदार अवयस्क बताये जाते हैं,

(4) 12 खातेदार स्वयं के बदले अपने रिश्तेदार का नियोजन चाहते थे,

(5) 12 खातेदारों ने कार्य करने में अनिच्छा व्यक्त की है,

(6) 2 खातेदारों की नियमित नियुक्ति की गई थी परन्तु चिकित्सीय रूप से अयोग्य होने के कारण उपस्थित न हो सके,

(7) 6 खातेदार निर्माण कार्य में सिविल मस्टर रोल पर नियुक्त थे परन्तु लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहने के कारण उनका नाम नियमानुसार कट गया,

(8) 7 खाते इस कारण से समाप्त किये गये कि 6 खातेदारों की नियुक्ति से 13 खाते बन्द होते हैं। (प्रभावित हुये)।

---

† (छापी नहीं गयी)

पिंडरा–कठिरांव मार्ग, जिला वाराणसी के रामपुर में बाई पास का निर्माण

210––श्री ऊदल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि पिंडरा–कठिरांव मार्ग, जिला वाराणसी के रामपुर में बाई–पास अब तक नहीं बना पाया ? क्या यह सही है कि किसान जमीनें देने के लिये तैयार हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि बाई-पास का वह हिस्सा रुका पड़ा है जो एक बन्दोबस्ती बाग में है ? इसका समाधान करने के लिये विभाग ने क्या कार्यवाही की है ।

श्री अम्मार रिजवी––

बाई पास का केवल आंशिक भाग नहीं बन पाया है ।

जी नहीं ।

पूरे बाई–पास में से लगभग 350 मीटर लम्बाई में कार्य रुका है जिसमें बाग भी सम्मिलित है ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूरी की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद के गांधी विद्यालय इंटर कालेज, झामकपुर, मर्यादपुर, आजमगढ़ की प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन

211––श्री राजकुमार राय––

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के गांधी विद्यालय इंटर कालेज, झामकपुर मर्यादपुर, आजमगढ़ की प्रबन्ध समिति किन परिस्थितियोंवश भंग कर दी गई है ? उक्त समिति का पुनः रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त भी अब तक उक्त समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

प्रबन्धकीय विवाद होने के कारण प्रबन्ध समिति भंग की गई थी । विद्यालय में वैधानिक रूप से गठित प्रबन्ध समिति को मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा दिनांक 3-11-81 को मान्यता प्रदान कर दी है और वही समिति कार्यरत है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़, श्री पंचम लाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

212––श्री पंचानन राय––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़, श्री पंचम लाल के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 13–10–81 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ।

चौधरी नौनिहाल सिंह––

जी नहीं । श्री पंचम लाल के विरुद्ध भेजा गया कथित शिकायती-पत्र, दिनांक 13–10–81 शासन को प्राप्त नहीं हुआ था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अल्प संख्यक घोषित करने हेतु सक्षम अधिकारी

213---श्री सत्यपाल सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अल्प संख्यकों द्वारा संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अल्प संख्यक घोषित करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है तथा सत्र 1980-81 एवं 1981-82 में प्रदेश में कितने विद्यालयों को अल्प संख्यक घोषित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् (शून्य) 1981-82 में प्राप्त आवेदन-पत्र विचाराधीन है ।

श्री हरिकेश राम, परिचारक, जूनियर हाई स्कूल, कठिहारी, जनपद आजमगढ़ का वेतन भुगतान संबंधित पत्र

214---श्री पंचानन राय---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिकेश राम परिचारक, जूनियर हाई स्कूल, कठिहारी, विकास खण्ड बड़राव, जनपद आजमगढ़ को 12 रुपये प्रतिमाह वेतन भुगतान किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6 जुलाई, 81 शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर 15-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

जी हां । संबंधित पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ को विलम्ब से मिला । अब वे अपेक्षित कार्यवाही हेतु जांच करा रहे हैं ।

बी० के० हायर सेकेण्डरी स्कूल, कुर्सी खेड़ा, कानपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी नियुक्ति

215---श्री मोतीलाल देहलवी---

क्या शिक्षा मंत्री बी० के० हायर सेकेण्डरी स्कूल, कुर्सी खेड़ा, कानपुर से संबंधित 10 मार्च, 81 की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत स्कूल में नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 तक तथा मार्च, 1980 से 5 दिसम्बर, 80 तक कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो संख्या 8 व 7 बतायी गयी है, उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा उनकी नियुक्ति किसके द्वारा कब की गई और क्या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी नियुक्ति अनुमोदित कर दी गई है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित पालीटेक्निक प्रवेश परीक्षा में छात्रों का चयन तथा समाचार-पत्र में प्रकाशित सूची

216---श्री गया सिंह---

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जुलाई, 1981 में प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित पालीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिये प्रदेश में किन-किन स्थानों में प्रवेश परीक्षा केन्द्र बनाये गये और प्रत्येक केन्द्र से (केन्द्रवार) कितने छात्र परीक्षा में

सम्मिलित हुए और प्रत्येक केन्द्र से कितने छात्रों का चयन किया गया तथा क्या उन चयन किये गये छात्रों की सूची किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित की गई ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

प्रवेश परीक्षा केन्द्रों तथा उनमें पंजीकृत और चयनित छात्रों का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची दैनिक नेशनल हेराल्ड में दिनांक 12-9-81 को प्रकाशित हुई थी।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 1059 पर।)

प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, मवाना, मेरठ द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली हेतु कार्यवाही

217---श्री श्याम नारायन तिवारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, मवाना, मेरठ द्वारा छात्राओं से निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली प्रतिमाह की जाती है, जिसके सम्बन्ध में छात्राओं ने 28-8-81 को एक शिकायती-पत्र मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षक, मेरठ को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उक्त प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध कृत जांच कार्यवाही रिपोर्ट एवं कृत प्रशासनिक कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इन्टर कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति

218---श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इण्टर कालजों में सन् 1979 से 1981 अक्तूबर तक किन-किन विषयों के अध्यापक व किन-किन विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं है ? क्या छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो शासन ने क्या वकल्पिक व्यवस्था की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

किसान माध्यमिक विद्यालय, कुन्दन गनेशपुर, जिला फर्रुखाबाद को हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों हेतु प्राप्त छात्रवृत्ति

219---श्री भीखालाल---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान माध्यमिक विद्यालय, कुन्दन गनेशपुर, जिला फर्रुखाबाद में वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के लिए कितना धन छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता के रूप में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से प्राप्त हुआ है और कितना धन विद्यार्थियों में बांटा गया ? क्या इस सम्बन्ध में विद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा हरिजन समाज कल्याण राज्य मन्त्री को सम्बोधित शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 19-9-81 उनको प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर

क्या कार्यवाही की गयी और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और पुस्तकीय सहायता का पैसा दिलाकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

किसान माध्यमिक विद्यालय, कुन्दन गनेशपुर, जिला फर्रुखाबाद को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता के लिये वर्ष 1977-78 में रु0 2648.00 प्राप्त हुआ था कुल धनराशि वितरित कर दी गई । वर्ष 1878–79 में रु0 11848.00 प्राप्त हुआ जिसमें से रु0 11023.00 वितरित कर दिया गया और शेष धनराशि कोषागार में जमा कर दी गई । वर्ष 1979–80 में रु0 7512.00 प्राप्त हुआ तथा कुल धनराशि वितरित कर दी गई । कथित शिकायती पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई । कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जागेश्वर प्रसाद, सहायक शिक्षक प्राइमरी पाठशाला, माहो, जनपद रायबरेली के वेतन का भुगतान

220—श्री मया सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगेश्वर प्रसाद सहायक शिक्षक प्राइमरी पाठशाला माहो, विकास क्षेत्र खीरों, जनपद रायबरेली का 15 माह का वेतन (माह सितम्बर, 1978 से नवम्बर सन् 1979 तक) नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है ।

महन्थ लाल दास इन्टर कालेज, दवगांव, फैजाबाद के छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान

221— श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि महन्थ लाल दास इण्टर कालेज, देवगांव, फैजाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा गत वर्ष 1979–80 हाई स्कूल के छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि सरकार से आहरित करके वितरित नहीं की गयी ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

इस विद्यालय में शिक्षा सत्र 1979–80 में छात्रों को छात्रवृत्ति की समस्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित छात्रों को कर दिया गया है । किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित करने को शेष नहीं है ।

जौनपुर जनपद के माध्यमिक विद्यालयों को बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षति तथा स्वीकृत आर्थिक सहायता

222—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 1980 भीषण बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जौनपुर जनपद के कितने माध्यमिक विद्यालयों के भवन पूर्ण या आंशिक रूप से क्षति ग्रस्त हुए थे और उनमें से कितने विद्यालयों को क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी थी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

25 माध्यमिक विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए किन्तु किसी को भी आर्थिक सहायता नहीं स्वीकृत की जा सकी ।

श्री राम रतन इण्टर कालेज, कचौसी बाजार, जनपद कानपुर के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

223—श्री धनीराम वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम रतन इण्टर कालेज, कचौसी बाजार, जनपद कानपुर के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का अगस्त, सन् 1971 का वेतन अवशेष है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार वेतन दिलाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

हां ।

वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत शुल्काय का 80 प्रतिशत एवं 85 प्रतिशत विद्यालय के वेतन वितरण खाते में जमा करने के उपरान्त ही डैफिसिट अनुदान स्वीकृत करने का प्राविधान है । प्रबन्ध समिति में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण माह अगस्त, 1971 की शुल्काय विद्यालय क वतन वितरण खाते में जमा नहीं की गई । अतः उस मास का वेतन भुगतान नहीं किया गया ।

जो हां । क्षेत्रीय अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक आदेश भेजने हेतु शिक्षा निदेशक को निर्देशित कर दिया गया है ।

राजकीय शिक्षकों की मांगे तथा कार्यान्वयन

224—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों एवं शिक्षा निदेशक, सहित शासकीय प्रतिनिधियों की जो बठक राजकीय शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए लखनऊ में दिनांक 2—7—81 तथा 5—9—81 (बैठक शासन द्वारा आयोजित की गयी थी) को हुई उसके विचारणीय बिन्दु क्या-क्या थे तथा क्या फैसला किया गया तथा फैसले के कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें तथा जांच

225—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री पंचमलाल तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें किन-किन व्यक्तियों से प्राप्त हुई थीं तथा उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? क्या जांच के समय शिकायत-कर्त्ताओं को साक्ष्य का अवसर उपलब्ध कराया गया ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर पर सदस्यों में असंतोष के कारण में व्यवधान

(12 बजकर 21 मिनट)

(व्यवधान के मध्य)

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, जो यह घटना रात को 10 बजे घटी, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि किस तरह से उसे पकड़ कर मारा गया है। इस घटना को माननीया गृह मंत्री छिपा रही हैं और माननीया गृह मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि पुलिस वाले जो ज्यादती जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन जब वह हिस्ट्रीशीटर था, अगर वह हिस्ट्रीशीटर है या बदमाश है तो उसका राइट आफ सिटिजेनशिप नहीं खत्म होता और झूठा मामला बनाकर, उसका इनकाउन्टर दिखाकर, उसका मरडर कर दिया जाय। इसलिये मेरी पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खैरुल बशर---

यह हिटलर के चेलो की सरकार, पुलिस हत्यारों की रक्षा कर रही है और इस सरकार के गृह मन्त्री पुलिस हत्यारों की रक्षा कर रही है और असत्य और अनर्गल बातें करती है। इसके विरोध में प्रगतिशील विधायक दल सदन का त्याग करते हैं।

(श्री खैरुल बशर सदन का त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मान्यवर, माननीया गृह मन्त्री के असत्य बयान के विरोध में मेरा दल भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी सदन का त्याग कर रहे हैं।

(श्री विद्या सागर नौटियाल अपने दल सहित सदन का त्याग करके चले गये)।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, न्यायालय का काम पुलिस और सरकार करने लगेगी, तो न्याय कहां मिलेगा। इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम स्वरूप वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री फखरे आलम---

मान्यवर, इस सरकार के असत्य बयान के विरोध में मैं भी अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री फखरे आलम अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(विरोधी पक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए सदन में प्रवेश किये कि "लाठी, गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कोई प्रश्न होता है और प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो एक-एक करके प्रश्न पूछे जायं । अगर प्रश्न का उत्तर देने के लिये सरकार कतराती है, तो आपकी रक्षा करने के लिये मैं यहां पर बैठा हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैंने प्रार्थना की पत्र पढ़ने के लिये .....

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, यह बार-बार कहा गया है .....

(व्यवधान)

(श्री मोती लाल देहलवी, श्री बदन सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मुख्तार अनीस, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद एवं श्री शंकरसिंह एक साथ खड़े होकर कुछ कहने लगे, जो कि व्यवधान के मध्य सुनाई नहीं पड़ा ।)

श्री मोती लाल देहलवी---

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस माननीय सदन में काफी दिनों से एक तरीका चल रहा है इस सरकार और खासतौर से गृह विभाग के मंत्रियों को कि प्रश्नों का कभी भी संगत उत्तर नहीं देते । घटना को छिपाने का प्रयास करते हैं । मान्यवर, जैसा कि आपको अभी देखने से परिलक्षित हुआ कि जब माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने एक प्रश्न किया कि क्या कु० हृदयेश ने अपने प्रार्थनापत्र में इन बातों का उल्लेख किया कि नहीं किया .....

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)---

मान्यवर, एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मोतीलाल जी, व्यवस्था का प्रश्न है, आप बैठ जाइये ।

श्री लोकपति---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । किसी बिन्दु पर विरोध पक्ष अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बहिर्गमन करदे तो पुनः आने पर क्या उसी प्रश्न को उठा सकते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्यों नहीं उठा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री लोकपति---

मैंने व्यवस्था उपाध्यक्ष से मांगी है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

हम बगावत करेंगे । सरकार के फर्जी इनकाउन्टर के खिलाफ हम आवाज उठायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें ।

श्री खैरुल बशर--

ऐसी सरकार है तो संघर्ष होगा, मुकाबला होगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें

श्री मुखतार अनीस--

मान्यवर, आप हम लोगों को सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से करेंगे तो सदन नहीं चल सकेगा ।

एक सदस्य--

आज फर्जी इनकाउन्टर बनाने का सिलसिला चल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष:

मुझसे व्यवस्था मांगी गई है कि अगर एक बिन्दु पर विरोध पक्ष अपना विरोध प्रदर्शित करता है और सदन का त्याग करता है .....

(व्यवधान)

मैं उपनेता विरोधी दल से आग्रह करता हूं और कहता हूं कि वह अपने लोगों को संयत करें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरे दल के लोग संयत है आप व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है । अगर एक बिन्दु पर विपक्ष अपने अधिकार...

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

हमको पहले आप सुने ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

हमें अत्यन्त दुख है मोती लाल जी आपके अनुशासित करने के बाद भी आपका दल अनुशासित नहीं हो रहा है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरा दल अनुशासित है ।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

अनुशासित है लेकिन मैं कहना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरा दल अनुशासित है आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर यह बोलते रहेंगे तो व्यवस्था कैसे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

यह हमको उकसाते हैं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर पक्ष या विपक्ष अपने नेता की बात न सुने तो निश्चित रूप से सदन को चलाना बहुत मुश्किल होगा। हमको इस बात का दुःख है कि इतने वरिष्ठतम सदस्य और इस सदन के उपनेता विरोधीदल किसी चीज की अपील करें, उनके अपील करने के बाद कोई उनकी अपील पर ध्यान न दे यह बात शोभनीय नहीं है।

श्री शंकर सिंह--

हमारे नेता.....

(व्यवधान)

डा० बृज किशोर मिश्र--

छबिराम के साथी नहीं मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

उपनेता विरोधी दल और माननीय संसदीय कार्यमंत्री यह दोनों जब तक हमको आश्वस्त नहीं करेंगे कि इनके दल इनके अनुशासन में रहेंगे तब तक आप बतायें इस सदन को चलाना कितना मुश्किल काम है।

मैं आप दोनों से आश्वासन चाहूंगा और उसके बाद ही मैं अपनी व्यवस्था सुनाऊंगा।

श्री मुख्तार अनीस--

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मुख्तार अनीस, आपइस सदन में शासन की कुर्सियों को भी सुशोभित कर चुके हैं और आप स्वयं बतायें कि जब आपके नेता से हमारी बात हो रही है, मैं सदन को व्यवस्थित कर रहा हूं तो आपको बिना मेरी आज्ञा के बोलना क्या मुनासिब है। यदि नहीं, तो जो कुछ भी आपने बोला है वह सब कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, आपने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया, आप पहले मेरी बात को सुन लें।

नोट --[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष क आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, सदन की गरिमा को रखना हम सब का कर्त्तव्य है और वह उस समय नहीं रह सकती है जब तक आपके आदेशों का पूर्णतः पालन न हो। मान्यवर,मैं अपने दल की तरफ से आपको आश्वस्त करूंगा कि जो आपका आदेश होगा और जो आपकी बात होगी उसको शांति से हम सुनेंगे और आपका जो आदेश होगा वह शिरोधार्य होगा।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, विपक्ष पूर्णतः अनुशासन में रहना चाहता है और रहता आया है। मान्यवर, इस सदन की कार्यवाही को पूर्णतः शांतिपूर्वक चलाने में विपक्ष सहयोग करना चाहता है लेकिन कभी कभी इस सदन में इस तरीके की घटनायें होती हैं कि मंत्रीगण अपनी वाकपटुता से, वाक चातुर्य से और शब्दजाल से जब वास्तविकता पर पर्दा डालने की जबर्दस्ती कोशिश करते हैं और संख्या बल से विपक्ष को दबाने का प्रयास करते हैं तो विपक्ष के पास और कोई चारा नहीं है कि वह अपने असंतोष को व्यक्त करे और वह असंतोष विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, यह मान्यवर, हम लोगों का अधिकार भी है।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन असंतोष विभिन्न संसदीय प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है।

श्री मोती लाल देहलवी--

असंसदीय प्रकार से असंतोष अभी तक कोई व्यक्त नहीं किया गया है।

मान्यवर, आपको स्वयं जानकारी है कि हम लोगों ने मा० गृह मंत्री के वक्तव्यों का बहिष्कार कर रखा है और यहां निवेदन किया है जब तक मा० मुख्य मंत्री तर्क संगत उत्तर नहीं देने आयेंगे तब तक गृह मंत्री का वक्तव्य नहीं सुनेंगे। मान्यवर, आप देखें कि राज्य गृह मंत्री से जब श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जानना चाहा कि क्या आवेदन पत्र में यह है कि नहीं। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य गृह मंत्री तथ्यों को दबाना चाहते थे, इसलिये विवश होकर आपको पूरा पत्र पढ़ने के लिये उनको निर्देश देना पड़ा। तो यह स्थिति चल रही है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आपके माध्यम से मैं उप नेता विरोध पक्ष से जानना चाहता हूं कि इस बात को वह बता दें..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं।

जब कोई व्यवस्था मांगी जाती है तो अध्यक्ष पीठ से मांगी जाती है। व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने उठाया, और व्यवस्था का प्रश्न नहीं बना, तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष पीठ ही सक्षम है कि उसको अस्वीकृत करे, न कि आप। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और वाक्य पूरा नहीं हुआ तो उनकी नीयत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। यदि उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और नीयत साफ हुई कि वह क्या चाहते हैं, और व्यवस्था का प्रश्न नहीं बना, तो निश्चित रूप से आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिये इस पीठासीन अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि उसको वह अस्वीकार कर दे। अभी तो उसकी नौबत ही नहीं आयी, इसलिये उनको आप कहने दें।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, जो शब्द उसमें प्रयोग किया है, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि कृपा कर यह बतायें कि जो तथ्य आपने इंगित किये थे, उत्तर देने के लिये कहा था, उनका उत्तर स्पष्ट शब्दों में दिया और साथ ही साथ आपके आदेश से हमने पत्र को पूरा पढ़ना इसलिये चाहा कि उसमें आखिर में लिखा था जिसके संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो केवल उन बातों को दोहरा रहे हैं, व्यवस्था क्या चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

व्यवस्था यह चाहता हू कि आपके द्वारा इंगित आपके द्वारा निर्देशित प्रश्न के उत्तर दिया है। तो मैंने क्या कोई अपराध किया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अपराध की स्थिति का तो सवाल ही नहीं आया। आपने व्यवस्था के नाम पर अपेक्षा किया कि मैं कोई व्यवस्था दूंगा लेकिन आपने कोई व्यवस्था की बात मेरे सामने नहीं रखी, इसलिये आपकी इस बात में कोई दम नहीं था, इसलिये व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता है।

श्री लोकपति --

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न किया था जिसका उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष--

स्वास्थ्य मंत्री, आपने व्यवस्था का प्रश्न बड़ा ही दमदार किया और अभी उस पर मैं व्यवस्था देता ही तब तक पूर्ण रूप से अव्यवस्था हो गयी। अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा हूं और व्यवस्थित हो जाय तब व्यवस्था मैं दूंगा।

श्री रामआसरे वर्मा--

मान्यवर, अव्यवस्था किसकी तरफ से हुई। राज्य गृह मंत्री ने अव्यवस्था पैदा किया कि नहीं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, कई दिनों से गृह मंत्री के बोलने के मामले में चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राम आसरे वर्मा, आपने एक व्यवस्था मांगी, मोती लाल देहलवी जी के सिलसिले में, तो मैं सदन की गरिमा को रखने के लिये आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस पर व्यवस्था न मांगें, यह बड़ा कटु होगा।

श्री मोती लाल देहलवी----

मान्यवर, मुझे आज बड़े दर्द और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विपक्ष के इस दर्द और तकलीफ को नहीं समझा कि माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य का बहिष्कार हो रहा है, विपक्ष के लोग माननीय गृह मंत्री को नहीं सुनना चाहते हैं और मुख्य मंत्री को सुनना चाहते हैं। इस अपील और इस दर्द भरी पुकार के बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक दिन भी इस सदन में आने का कष्ट नहीं किया। हमें वेदना और दर्द

[श्री मोती लाल देहलवी--]

है, हमारे प्रश्नों का संगत उत्तर नहीं आता है। आपकी पीठ से माननीय अध्यक्ष जी न मालूम कितनी बार इस तरह का निर्देश दे चुके हैं कि संगत उत्तर दिया जाय लेकिन अभी तक मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ है। तो मान्यवर, इस स्थिति के रहते हुये क्या यह सदन शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से चल सकता है। विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलाना चाहता है लेकिन शासक दल के लोग इस माननीय सदन को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, कुछ चीजें, कुछ घटनायें इस प्रदेश में इस तरह की हुयी हैं जो बराबर इस सदन में उठ रही हैं और उठती रहेंगी। इस प्रदेश में झूठे इन्काउन्टर में हजारों बेगुनाह लोगों को मारा गया है और मारा जा रहा है आज तक मान्यवर, जब भी इस तरह की दर्द भरी परिस्थितियां इस प्रदेश में पैदा होती हैं तो हम लोग भी हाड़-मांस के बने हुये मनुष्य हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

आपने सहयोग की मांग की थी और हम लोगों को भाषण सुनने को मिल रहा है।

श्री मुईद अहमद--

प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुईद अहमद जी, बैठिये।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, विपक्ष के लोगों के भी अंतर आत्मायें हैं। जब इस तरह की अमानवीय घटनायें सामने आती हैं तो हमारी आत्मायें भी उद्वेलित होती हैं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, भाषण सुना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय उप नेता विरोधी दल, मैंने आपके भाषण और आपके भावनाओं पर विचार किया, काफी मार्मिक है। जो घटना हुयी उसने आपके मन को छुवा।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, हम लोगों को सुन लीजिये।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, विपक्ष के कई ठेकेदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय मोती लाल देहलवी को नहीं सुन रहा हूं। मैं उप नेता विरोधी दल को सुन रहा हूं। उप नेता विरोधी दल जब अपनी बात कहते हैं तो सामान्य सौजन्य है ....

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरा प्रश्न सुन लें, अगर आप बैठ जायं तो मैं कहूं।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मैं खड़ा हूं तो व्यवस्था का प्रश्न उठाना अव्यवस्था है।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, आप बेठ जायं तो कहूं।

श्री उपाध्यक्ष--

जब म खड़ा हूं तब बोलना और मुझ बैठने के लिये निर्देश देना यह मूर्तिमान अव्यवस्था है। इसके लिये मैं क्या कह सकता हूं। माननीय उप नेता, सदन! उप नेता, विरोधी दल! आपने जिन बातों को कहा, यह बातें आज कई दिन से हाउस में रह रह कर उठ रही हैं और यह उस कांटे की तरह चुभ रही हैं, जो कांटा आदमी को चाहे कष्ट कम दे लेकिन "अनकमफरटेबिल" कर देता है और यह निश्चित रूप से आप सब के लिये "अनकमफरटेबिल" बात होगी।

एक सदस्य--

मान्यवर, इस "अनकमफरटेबिल" को हिन्दी में ट्रांसलेट करा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझ से गलती हुई, "अनकमफरटेबिल" का हिन्दी" असुविधाजनक" है।

एक सदस्य--

काफी विद्वान लोग हैं, उधर के।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर कोई विद्वान नहीं है, तो उसे विद्वान बना दूंगा।

(हंसी)

आपकी भावनाओं को देखते हुए मैं शासन से यह अपेक्षा अवश्य करूंगा कि जब ऐसे नाजुक मसले सदन में आने वाले हों और खास तौर से गृह विभाग के बारे में, जैसा कि विपक्ष अपनी कई बार भावनायें व्यक्त कर चुका है, तो जब उस पर प्रश्न हों या उस पर बयान होने वाले हों, तो मुख्य मंत्री जी और आप नेताओं के बीच में बातचीत से जब तक इसका रास्ता नहीं निकलता है उन्हें सदन में रहना चाहिये। मेरा ख्याल है कि उप नेता, विरोधी दल मेरी बात से इत्तिफाक करेंगे और अगर वह उपस्थित होते तो शायद उनके मन में वह खलिश, वह चुभन, वह अनकम्फर्टनेस, वह असुविधा न महसूस होती। मैंने कई भाषाओं में इसलिये कहा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो।

अब एक व्यवस्था, जो माननीय सदस्य की व्यवस्था के पहले आ गयी थी, वह महाशय नजर नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने व्यवस्था उठायी थी।

एक सदस्य--

वह चले गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर वह चले गये हैं, तो उनकी व्यवस्था भी चली गयी। अब हम आगे चलते हैं।

समय 12 बजकर 59 मिनट

आगरा जनपद के खदौली क्षत्र का आलू ट्रक यूनियन की साजिश से ट्रक उपलब्धता में कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 310 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं आयी हैं जिनमें 5 स्वीकार हुई हैं।

श्री बदन सिंह---

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आगरा जनपद का खदौली क्षेत्र एक बहुत बड़ा आलू उत्पादक क्षेत्र है। इसमें 50 लाख क्विन्टल से अधिक बढ़िया किस्म का आलू उत्पन्न होता है और देश के सभी बड़े बाजारों में उसकी मांग रहती है। इसी मांग पर यहां का आलू मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, रांची, हिमाचल प्रदेश, जयपुर आदि स्थानों को ट्रकों में लाद कर किसानों के द्वारा बेचने के लिये बाहर भेजा जाता है। यह इस वर्ष आगरा के कुछ असामाजिक तत्वों ने एक ट्रक आपरेटर यूनियन बना ली है। जिसने अवैध तरीकों से आलू के लदान में भारी कठिनाईयां पैदा कर ली हैं। इसी यूनियन द्वारा लाटरी सिस्टम से पर्चीं दे कर हजारों ट्रक होने पर भी अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। भाड़ा निर्धारित रेट से दुगना बढ़ा दिया है। जिले की सीमा पर उसने अवैध बैरियर बना लिये हैं जो इस यूनियन के अतिरिक्त अन्य ट्रकों को नहीं निकलने देते हैं। इस आतंक से बाहर के ट्रकों का, आलू के लदान के लिये मिलना बन्द हो गया है। बार-बार शिकायत करने पर जिला प्रशासन भी आलू उत्पादक किसानों को राहत नहीं दे पाये हैं क्योंकि उक्त ट्रक यूनियन के असामाजिक गुण्डे उस पर भी हावी हैं। फलस्वरूप इस क्षेत्र का लाखों क्विन्टल आलू सड़ चुका है और क्षेत्र के पूरे आलू के सड़ने की सम्भावना पैदा हो गयी है। आलू उत्पादन किसान भारी दुखी और बेचैन हैं। आलू के सड़ने से उनमें भारी खलबली मची हुई है। किसान आंदोलित हो गया है और विवश होकर ट्रकों का चक्का जाम करने पर उतारू हो चुका है।

अस्तु, मेरी शासन से मांग है कि उक्त ट्रक यूनियन की अवैध गति विधियां व कार्यवाहियां तुरन्त रोक दी जांय और आलू किसान को उसके लदान के लिये ट्रकों की व्यवस्था करवा दी जाय ताकि उनका आलू सड़ने से बच सके।

जनपद फैजाबाद की सदर तहसील के अन्तर्गत माझा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में भूमि आवंटन संबंधी विवाद के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्र सेन---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाने की अनुमति चाहता हूं।

श्रीमन्, जनपद फैजाबाद तहसील सदर के अन्तर्गत माझा क्षेत्र के गांव काजीपुर माझा, रामपुर पोवारी माझा, मांझा मड़ना, मांझा मूड़ाडीहा और माझा दलपतपुर जो क्षेत्र सरयू नदी के किनारे स्थित है, के हजारों भूमिहीन निवासी अपनी हजारों बीघा आवंटित भूमि पर विगत 10-12 वर्षों के दौरान अभी तक कब्जा नहीं पा सके और न उनको इस बात का ज्ञान है कि उनकी आबंटित भूमि कहां है। उपरोक्त गांव के भूमिहीन निवासी आवंटित भूमि पर कब्जा न पाने के कारण असन्तुष्ट एवं उत्तेजित हैं। उपरोक्त गांव के संबंधित लेखपाल आवंटित भूमि पर बिना कब्जा दिलाये ही उसके पुनः आवंटन का नाटक बनाकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगोंसे पैसा वसूल कर रहे हैं। जनपद गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ से विस्थापित सैकड़ों भूमिहीन आकर इस जमीन पर बस रहे हैं और वे संगठित रूप से यह कह कर कब्जा कर रहे हैं कि उक्त भूमि जनपद फैजाबाद के बजाय जनपद बस्ती की है और राजस्व विभाग के कर्मचारी ने उक्त आवंटित भूमि पर दो दलों के बीच ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है कि गम्भीर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी है। दोनों दलों में भूमि विवाद को लेकर के शक्ति परीक्षण तक की स्थिति हो गयी है। इस तनावपूर्ण स्थिति को देख कर राजस्व विभाग के कर्मचारी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार तथा परगनाधिकारी व्यापक संघर्ष के खतरे से भयभीत हैं और गम्भीर खतरे की स्थिति से कतरा रहे हैं। इस खतरे की आशंका की रिपोर्ट परगनाधिकारी ने जिलाधिकारी, फैजाबाद तथा मण्डलायुक्त, फैजाबाद को भी इस आशय से प्रेषित की है कि तत्काल माझा क्षेत्र के दो जिलों की सीमा विवाद का बन्दोबस्त न कराया गया तो उत्तेजित दलों में संघर्ष एवं मार-पीट हो जायेगी। किन्तु इस विवाद के निस्तारण हेतु प्रशासन से कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है।

अतएव दो जनपदों की सीमाविवाद को लेकर माझा क्षेत्र में आवंटित भूमि पर संघर्ष के गम्भीर खतरे को देखते हुए तत्काल भूमि बन्दोबस्त कराये जाने की शासन से मांग करता हूं।

सीतापुर जिले के परिषदीय जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों से वेतन की अनुचित कटौती क संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरगोविन्द वर्मा—

माननीय अध्यक्ष, महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। सीतापुर जिले में अप्रैल सन 80 से 30-35 रुपये की अनुचित कटौती 34 अध्यापकों की की जा रही है। उक्त अध्यापक अगस्त, 72 से पूर्व प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक पद से पदोन्नति हो कर जूनियर हाई स्कूल में आ गये थे। सेवा अवधि के आधार पर वेतन निर्धारण में इनको अपने पूर्व पद प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला से 30-35 रुपये की हानि हो रही थी। प्रोन्नति के उपरान्त अपने पूर्व पद के मूल वेतन से कम वतन न पाने के औचित्य को दृष्टि में रख कर विभाग ने पत्रांक अ0 मु0 वे0/15335-699/31-10-78/76, दिनांक 25-8-75 के अनुसार उन के पूर्व पद प्राधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला की सेवायें जोड़ कर वेतन निर्धारण के आदेश दिया था। जिस के अनुसार सभी शिक्षकों का वेतन निधारण हुआ था। नवम्बर 79 में विभाग ने अपने पूर्व आदेश को निरस्त कर आदेश सं0 11704-10/9/79-80 दिनांक 23-11-79 के अनुसार निरस्त कर दिया, फलस्वरूप जनपद सीतापुर, रामपुर, सुल्तानपुर, आदि प्रभावित हुए। उक्त कटौती रोकने के संबंध में अनेकों प्रार्थना पत्र शासन तथा विभाग को दिये जा चुके हैं। दिनांक 15-12-81 को मा0 शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव शासन को कटौती रोकने हेतु तथा दिनांक 18-11-82 को पुनः स्मृति पत्र श्री खान गुफरान जाहिदी सदस्य, विधान सभा के माध्यम से दिया गया। परन्तु आज तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ और कटौती बराबर हो रही है। तथा पिछली रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् जी से सानुरोध आग्रह है कि शिक्षकों की इस दयनीय दशा को देखते हुए अनुचित कटौती को रोकने के संबंध में तत्काल शासनादेश प्रदान करने की व्यवस्था करें जिससे इस मंहगी के समय में शिक्षकों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

जिला अस्पताल मथुरा में दवाइयों की चोरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, 27-28 फरवरी, 82 की रात्रि को जिला अस्पताल मथुरा में हजारों रूपये की सारी दवाइयों की चोरी हो गयी। इस कारण से अस्पताल में भर्ती मरीजों को सरकारी दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस घटना की कोतवाली मथुरा में रपट दर्ज कर दी गई है लेकिन अभी तक चोरी का कोई सुराग नहीं मिला है। ड्यूटी पर तैनात चौकीदार के खिलाफ भी अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है।

अस्पताल में दवाई न होने के कारण तथा मरीजों को दवाई न मिलने के कारण रोगियों में, व उनके अभिभावकों में भारी असंतोष है।यह चोरी बड़े ही नाटकीय एवं रहस्यमय ढंग से हुई है क्योंकि सर्जिकल वार्ड एवं इमरजेंसी वार्ड दवाई स्टोर के पास ही थे। जहां पर कि किसी न किसी स्टाफ की ड्यूटी रात में भी रहती है। इस घटना से आम जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है तथा असुरक्षा की भावना बढ़ गई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि तुरन्त रोगियों के लिए दवाइयों की व्यवस्था की जाये तथा घटना की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से करा कर दोषियों को दंडित कराया जाये।

निर्वाचन क्षेत्र हरैया (ब्लाक) में उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल वितरित न किये जाने क सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके अनुमति से माननीय सदन तथा राज्य सरकार के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना लाना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित हरैया ब्लाक के नागरिकों को पूरे फरवरी माह में एक भी लीटर मिट्टी का तेल वितरित नहीं किया गया है। इससे वहां की जनता को महान कष्ट है, भारी कठिनाई है तथा उनमें क्षोभ और असंतोष व्याप्त है। मैंने कल अनेक प्रयास के बाद तेल न वितरित होने के कारण का पता लगाया तो पता यह चला कि इससे पूर्व गर्ग पेट्रोलियम, आजमगढ़ हरैया ब्लाक के लिये मिट्टी के तेल के डीलर थे और वह प्रत्येक माह निर्धारित तिथि और समय पर अपने टैंकर से तेल विकास खंड के प्रमुख स्थानों पर पहुंचा देते थे जहां से फुटकर लाइसेंसी तथा साधन सहकारी समितियों के सचिव इसे प्राप्त कर आम जनता में वितरित करते थे।

इस महीने ग्राम करमैनी की एक अज्ञात महिला को इस ब्लाक के लिए सब डीलर पूर्ति विभाग अधिकारियों द्वारा नियुक्त कर दिया गया है, उसने पूरा तेल या तो काले बाजार में बेंच दिया है या उसे उठाया नहीं है। जो भी स्थिति हो प्रतिदिन साधन सहकारी समितियों के सचिव तेल के लिए उक्त करमैनी गांव जा रहे हैं और वहां से निराश वापस लौट रहे हैं। इस सूचना को माननीय सदन तथा शासन के संज्ञान में लाकर हमारी मांग है कि तेल वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। अज्ञात महिला को दी गई सब डीलरशिप निरस्त की जाय तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, एक मैंने भी 301 में दिया था। पुलिस एनकाउन्टर्स का था।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी 301 के अन्तर्गत। एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार के सबंध में।

श्री उपाध्यक्ष--

301 में जितनी सूचनायें आती हैं, महत्व के लिहाज से उनमें से 5 ले ली जाती हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना और क्या होगी कि एक हरिजन महिला को थाने पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया जाय। मान्यवर, दो मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह एक गलत परम्परा पड़ रही है। वैसे जो महत्वपूर्ण है उसके लिए मैं आगे विचार करूंगा।

विधान भवन के एस0 आई0 श्री ब्रम्हदीन पाल व दो सिपाहियों के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की जो सूचनायें मेरे सामने आई हैं उनका मैं निर्णय दे रहा हूं। माननीय श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 28 जनवरी, 1982 को एस0आई0 श्री ब्रह्मदीन पाल व दो सिपाहियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है, जिसमें उनका कहना है कि दिनांक 28 जनवरी, 1982 को जब वे विधान सभा सत्र में उपस्थित होने के लिए आ रहे थे तब गेट पर मौजूद उक्त एस0 आई0 तथा दो सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनका बैग भी छीन लिया और कहा कि "बहुत से विधायक घूमा करते हैं, आप मेरा क्या कर लेंगे।"

मैंने इस सम्बन्ध में शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय राज्य मंत्री, सचिवालय प्रशासन ने अपने दिनांक 19 फरवरी, 1982 के पत्र द्वारा मुझे सूचित किया है कि प्रतिसार निरीक्षक (सुरक्षा), उत्तर प्रदेश सचिवालय, से मामले की जांच कराये जाने के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि श्री ब्रह्मदीन पाल, उप निरीक्षक ने माननीय सदस्य, विधान सभा के साथ दिनांक 28 जनवरी, 1982 को अभद्र व्यवहार नहीं किया था। उक्त प्रतिसार निरीक्षक की जांच रिपोर्ट संलग्न करते हुए माननीय राज्य मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि जिस स्कूटर पर माननीय सदस्य जा रहे थे उसके चालक से, जिसके पास प्रवेश-पत्र नहीं था, उप निरीक्षक ने प्रवेश-पत्र बनवा कर अन्दर जाने का आग्रह किया तथा बिना प्रवेश-पत्र के चालक को अन्दर नहीं जाने दिया। प्रतिसार निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि माननीय विधायक का यह आरोप कि रक्षक और उप निरीक्षक ने उन्हें रोककर अभद्रता की और उनका बैग छीन लिया, सत्य नहीं है।

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किसी सदस्य को सदन के उपवेशन में उपस्थित होने के लिये जाते समय अवरोध उत्पन्न करना अथवा उन्हें उत्पीड़ित करने से उत्पन्न होता है।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्नगत मामले में जैसा कि शासन द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी देते समय स्पष्ट किया गया है, माननीय सदस्य श्री अग्रवाल को विधान भवन के प्रवेश-द्वार पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य पालन में माननीय सदस्य के स्कूटर चालक से प्रवेश-पत्र की मांग के लिए रोका गया था। माननीय सदस्य ने भी कोई तर्क संगत आधार नहीं दिया है, जिससे यह प्रतीत हो कि उन्हें विधान सभा के उपवेशन में उपस्थित होने में अवरोध उत्पन्न करने के इरादे से रोका गया हो।

श्री हुकम सिंह---

पहले मुझे सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी मैं निर्णय पढ़ रहा हूं।

अतएव मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना की प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

इस अध्यक्ष पीठ से कई बार निदेश दिये जा चुके हैं तथा उनके अनुसार शासन द्वारा भी निर्देश जारी हुए हैं कि विधायकों के साथ व्यवहार में शिष्टता और विनम्रता होनी चाहिये। लेकिन इसके बावजूद शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा माननीय सदस्यों के प्रति इस प्रकार के व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। अतएव मैं शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि पूर्व निदेशों और आदेशों का पूर्णरूपेण पालन किया जाय और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

टिहरी गढ़वाल के भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय श्री विद्यासागर नौटियाल ने आज टिहरी गढ़वाल के भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी है। इसमें उनका कहना है कि उक्त अधिकारी ने दिनांक 20.2.82 को जब माननीय सदन सत्र में था, उन्हें तथा दो अन्य माननीय सदस्यों को पत्र भेजकर सूचित किया कि जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति टिहरी गढ़वाल की बैठक 1.3.82 को होनी निश्चित हुई है, और इस प्रकार उन्होंने श्री नौटियाल तथा उक्त तो विधायकों को सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने से रोकने का प्रयास किया।

इसी प्रकार के एक विशेषाधिकार के मामले में कल ही निर्णय देते हुए मैंने कहा है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न सदन या उसकी समिति के किसी कार्य में किसी सदस्य द्वारा बाधा या रुकावट डालने पर ही उत्पन्न हो सकता है। प्रश्नगत मामला एक शासकीय समिति की बैठक से सम्बन्धित है और उसके ऐसे सदस्य जो विधान सभा के भी सदस्य हैं, इस बात के लिये बाध्य नहीं थे कि वे सदन की बैठकों को छोड़कर उक्त शासकीय समिति की बैठक में जायं। अतः इसे मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं, परन्तु साथ ही शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि वह पूर्व में जारी किये अपने इस निदेश का पूर्णरूपेण पालन करावे कि जब सदन का अधिवेशन हो रहा हो ऐसी सरकारी समितियों की बैठकें न बुलायी जायं जिनमें विधायक भी सदस्य हों।

फैजाबाद से प्रकाशित " फैजाबाद की आवाज" साप्ताहिक समाचार-पत्र के सम्पादक, सह-सम्पादक, प्रबन्धक तथा सह प्रबन्धक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना क प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष---

एक और निर्णय आ गया है उसे भी सुन लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने फैजाबाद से प्रकाशित होने वाले "फैजाबाद की आवाज" साप्ताहिक समाचार-पत्र के सम्पादक, सह सम्पादक, प्रबन्धक तथा सह प्रबन्धक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमान के प्रश्न की एक सूचना आज ही दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि उक्त समाचार-पत्र के दिनांक 22 फरवरी, 1982 के अंक में मुख्य पृष्ठ पर "बड़े स्तर से हेराफेरी," लाखों रुपये का घोटाला, विभागीय मंत्री को बर्खास्त किया जाय "शीर्षक से यह समाचार छपा है जिसमें माननीय पशुधन एवं डेरी मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह पर कुछ आरोप लगाये गये हैं। शिकायत के अनुसार उक्त समाचार के प्रकाशन से न केवल श्री भानु प्रताप सिंह की प्रतिष्ठा को आघात लगा है वरन् इस सदन की भी अवमानना हुई है।

प्रश्नगत सूचना केवल समाचार-पत्र में छपे आरोपात्मक समाचार पर आधारित हैं और अध्यक्ष पीठ से अनेक बार इस प्रकार की व्यवस्था दी जा चुकी है कि केवल समाचार-पत्र के आधार पर किसी व्यक्ति के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह प्रश्न सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही से संबंधित नहीं है और यदि सदन के बाहर किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये जायें तो वह मंत्री उन आरोपों का प्रतिवाद स्वयं कर सकते हैं। अतः मैं इस मामले को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल----

एक मिनट के लिए आप हमारा निवेदन सुन लें, श्रीमन् मुझे निवेदन यह करना है कि...

श्री उपाध्यक्ष---

निर्णय के बाद कुछ नहीं सुनेंगे.....

श्री विद्यासागर नौटियाल---

आपकी अनुमति मिले तो मैं बोलूं.....

*श्री शंकर सिंह---

कुछ माननीय सदस्य, नौटियाल जी और हमारे दूसरे साथी: इन्होंने आपसे व्यवस्था देने के पूर्व कुछ बातें आपके सामने रखनी चाही। निर्णय देने से पूर्व उनकी बातें सुननी चाहिये थी। माननीय हुकुम सिंह जी ने जब आप एक पैरा पढ़ रहे थे तब आपसे कुछ कहना चाहा: आपने कहा अभी नहीं, निर्णय दे रहा हूं। निर्णय सुनाने के बाद आपने कहा कि पहले कहना चाहिए था। पहले कहने की माननीय सदस्यों ने कोशिश की। निर्णय आपने दे दिया। निर्णय के बाद कुछ नहीं कहा जा सकता पहले सुना नहीं जा सकता। आखिर जब माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार के प्रश्न आपके सामने जाते हैं तो कोई ऐसा अवसर होना चाहिये कि माननीय सदस्यों को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर प्राप्त हो जाय। इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे आपने यह अधिकार आपके द्वारा बनाये गये नियमों के द्वारा दिया है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने ही द्वारा बनाया गया नियम 66 पढ़ लें उसके बाद आपकी बात साफ हो जायगी।

श्री शंकर सिंह--

आप सुनें यह परम्परा रही है.....

श्री हुकुम सिंह--

आप सुन सकते हैं। आज हमें तकलीफ इस बात की हुई कि शासन पक्ष के माननीय विधायक ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। विधायक महोदय के सारे कथन असत्य मानकर एक अधिकारी के कथन को सरासर सही माना गया इसकी तकलीफ है। प्रश्न पर विस्तार से विचार होता, कमेटी में जाता, दोनों के बचनों की तुलना करके सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता था। परम्परा रही है माननीय विधायकों को जिम्मेदार जरूर माना जाना चाहिए। लिखकर उन्होंने कोई बात दी है। कोई न कोई सार वजन तो है। इस प्रकार से अधिकारियों के वरसन पर मान लेने से विशेषाधिकार के प्रश्न का महत्व ही क्या रहा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विधायक ने जो भी तथ्य प्रस्तुत किये थे उन तथ्यों को देखा गया, जांच भी की गई। उनके आने में अवरोध तब उत्पन्न हुआ जब उनके स्कूटर चालक के पास प्रवेश-पत्र नहीं था.....

श्री हुकुम सिंह--

मेरे आने में अवरोध पैदा हुआ उन्होंने साफ तौर पर कहा है। स्कूटर चालक की बात नहीं आई।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रकारान्तर में हो सकता है लेकिन सीधे नहीं इसलिए कि ड्राइवर का रोका गया....

(मद संख्या 5 पुकारे जाने पर)

टिहरी गढ़वाल के भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय पर पुनर्विचार की मांग

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक मिनट मेरी बात सुन लें। मेरा निवेदन यह है कि जब हम श्रीमन् के सामने कोई विशेषाधिकार का प्रश्न लाते हैं तो वह कोई हमारे लिये तफरीह की बात नहीं होती। वह एक जरूरत होती है। हम यह महसूस करते हैं कि इस माननीय सदन के एक सदस्य के रूप में हमारे विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। इसमें पक्ष विपक्ष का प्रश्न नहीं है। माननीय शिवानन्द नौटियाल, माननीय नरेन्द्र सिंह भंडारी ने एक ऐसा ही प्रश्न उठाया था। श्रीमन् ने उस पर निर्णय दिया कि उन्होंने अपने प्रश्न में यह बात नहीं कही थी कि इस माननीय सदन के सत्र की कार्यवाहियों में भाग लेने से उनको रोका गया था। आज मैंने श्रीमन् के सामने जो प्रश्न दिया उसमें मैंने बाकायदा यह आरोप लगाया था कि वह मीटिंग जान-बूझकर सत्र के दौरान बुलाई गई है और यह जानते हुए कि पहली तारीख को सत्र चल रहा होगा इसलिये बुलाई गई थी कि हम उसमें उपस्थित न हो सकें।

मान्यवर, भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक जिले के अन्दर जो होती है वह हमारी जिन्दगी से ज्यादा महत्व पूर्ण होती है। उसमें हम लोगों का उपस्थित होना आवश्यक होता है क्योंकि पहाड़ के अन्दर भू-स्खलन होते हैं, बाढ़ें आती हैं जिससे पूरा प्रदेश और दश प्रभावित होता है। इसलिये मान्यवर, यदि मुझे 104 डिग्री बुखार भी रहे तब भी मैं उस समिति की बैठकों में शामिल होता हूं। इसलिये यह सब जानते हुए मैं, खुशाल सिह रांग तथा बल्देव सिह जी आर्य उस समिति की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। इसलिये मान्यवर, जान-बूझकर वह बैठक ऐसे दिन बुलाई गई है जिस दिन कि हम में से कोई भी उसमें न जा सके। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न हमने श्रीमन् के समक्ष प्रस्तुत किया, यह बात नहीं है कि हम समिति की बैठक में हाजिर नहीं हुए, यह एक शासकीय समिति है और हम इस माननीय सदन के सदस्य हैं और इस सम्मानित सदन के सदस्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उस समिति की बैठकों में भाग लें और यदि इस तरह से हम उन समितियों म भाग नहीं लेंगे तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसी दशा में या तो हम इस माननीय सदन में उपस्थित रहें या जिला मुख्यालय में समिति की बैठक में जायं। लिहाजा जो प्रश्न मैंने रखा था वह अपनी जगह पर बिलकुल सही है कि एक विधायक को अपने विधायी कर्तव्यों और मेरे साथ दो अन्य माननीय सदस्यों के विधायी कर्तव्यों के पालन में बाधा डाली जा रही है।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि हम जब कोई प्रश्न यहां पर उपस्थित करते हैं तो हम सिर्फ दो मिनट का समय आपसे चाहते हैं चाहे आप यह समय हमें अपने चैम्बर में दें या सदन में दें, किन्तु आप हमें अपनी बात कहने का मौका दें। मान्यवर, मुझे अफसोस है कि मैं इस प्रश्न पर सदन का समय ले रहा हूं। मैं बोलना नहीं चाहता हूं और न आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की फिक्र भी नहीं है कि मुझे दिन भर में कुछ न कुछ बोलना है लेकिन मुझे पता है कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे यहां इसलिये भेजा है कि मैं यहां पर मूक बनकर न बैठा रहूं। मैं अपने अधिकारों की रक्षा चाहता हूं। इसलिये मान्यवर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कहीं न कहीं आइन्दा मुझे दो मिनट का समय अपना निर्णय देने से पहले अवश्य दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नौटियाल जी, विशेषाधिकार का प्रश्न तब बनता है कि जब सदन की किसी कार्यवाही में कोई व्यवधान उपस्थित हो। जहां तक आपका प्रश्न है वह एक प्रशासनिक समिति है। लेकिन मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। समिति को ऐसे दिन नहीं बैठना चाहिये जिस दिन बैठने से आपके लिये कोई दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाय और इसीलिये मैंने शासन को निर्देशित किया है कि वह आइन्दा इसका ख्याल रखें। जहां तक मेरे चम्बर में मुझसे मिलने का प्रश्न है मेरे पास कोई चैम्बर नहीं है। मैं तो आपने बैरेल में ही बैठा हूं। आप जब चाहें अपने बैरेल में मेरे साथ बैठ सकते हैं। आप यहां आयें चाहे मेरे घर पर आयें, आपका स्वागत है। जहां तक चैम्बर की बात है, चैम्बर तो बन्दूक के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें कारतूस भरा जाता है, मैं उसका प्रयोग नहीं करता इसलिये कि मैं आपके बैरेल का हिस्सा हूं। आइन्दा शासन ऐसी गलती नहीं करेगा।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, यह शासन को निर्देशित कर दें कि जिस समिति की मीटिंग में मैं नहीं जा सका उसकी प्रोसीडिंग रद्द कर दी जायं।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द---

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। (व्यवधान) हमारी बात भी सुन लें।

श्री शंकर सिंह---

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

पहले फखरे आलम साहब खड़े हैं, उनको सुन लूं। आप बैठें।

श्री फखरे आलम---

मान्यवर, आप हमारे संरक्षण हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

संरक्षण नहीं संरक्षक हूं।

विधान भवन के एस0 आई0 श्री ब्रह्मदीन पाल व दो सिपाहियों के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर कार्यवाही 1 बज कर 21 मिनट की मांग

श्री फखरे आलम---

मान्यवर, केवल माननीय सदस्य की मानहानि नहीं हुई, माननीय नरेश अग्रवाल की मानहानि नहीं हुई,हम सबकी मानहानि हुई किसी एक सबइंस्पेक्टर या कर्मचारी का कहना सही समझ लिया जायेगा और विधायक की बात को गलत समझा जायेगा तो सदन की गरिमा क्या रहेगी। इस माननीय सदस्य के सदस्य की पोजीशन क्या रहेगी। इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं, हमारे हकूक की रक्षा करें और सदन की गरिमा को रखने की कृपा करें। अगर सदन की गरिमा नहीं रहेगी तो तमाम प्रदेश में गरिमा नहीं रहेगी। माननीय नरेश अग्रवाल ने जो शिकायत की थी वह इतनी मजबूत थी जिस पर हम समझ रहे थे कि उसको आप विशेषाधिकार समिति को भेजेंगे और वहां पर सुनवाई होगी। मैं देख रहा हूं कि माननीय नरेश अग्रवाल बड़े रुआंसू बठे हुए हैं। हमें अफसोस है कि उन्होंने हमें नहीं बताया उनके साथ यह घटना घटी इतने दिनों तक घटना को दबाये रहे।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप का आदेश हमारे सर आंखों पर है, आप अपने आदेश को पुनः रिव्यू करें और जो ज्यादती नरेश अग्रवाल साहब के साथ हुई है उसकी पुनः जांच करवाने की कृपा करें। हमें इस बात का मौका दें कि हम अपने हकूक की हिफाजत करें और ज्यादती के सवाल को आपके सामने रखें। अगर ऐसी बातें होती रही तो सदन में बैठना मुश्किल हो जायगा। माननीय सदस्यों का ही नहीं माननीय मंत्रियों के साथ भी एक दिन इस प्रकार के दुर्व्यवहार होने लगेंगे और उसका कोई इलाज नहीं होगा। मैं आपसे बार-बार निवेदन करूंगा कि आप इस सदन में पुनः इस बात की जांच कराने के आदेश दें जो दुर्घटना माननीय नरेश अग्रवाल के साथ हुई है फिर इस किस्म की बात न हो।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री थम्मन सिंह गहलौत के खड़े होने पर) माननीय थम्मन सिंह जी मैंने अभी फखरे आलम साहब की बात सुनी। जहां तक माननीय नरेश अग्रवाल का सवाल है उनके बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि उनकी प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है। लेकिन संरक्षण का जहां तक सवाल है मैं जितना आपका संरक्षक हूं आप भी उतने ही मेरे संरक्षक हैं। अगर नियम है कि हमारे चालकों के पास-पास होने चाहिये तो उसकी पाबंदी में दोनों तरफ से सहायता होनी चाहिये और यह उसके परिपेक्ष में हुआ है इससे आगे और कोई खास बात नहीं है।

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

जैसा नौटियाल साहब ने कहा उन्होंने एक समिति का उल्लेख किया जिसमें जिला योजना अधिकारियों की बात थी। यहां हमारे जिला बिजनौर में जो मंडलीय मंत्री हैं कुंवर जावेद अली साहब उन्होंने 27 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई जिसमें सारे विधायकों को उपस्थित होना था। तो अधिकारियों की क्या बात है यहां तो मंत्री इस बात का उल्लंघन कर रहे हैं। हम वहां अपने जिले की योजना बनायें या यहां सदन में रहें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने मेरे निर्णय का उत्तरार्द्ध नहीं सुना? कोई मंत्री शासन का केवल एक सदस्य है और शासन को निर्देशित किया गया है कि वह भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। इसलिए यह प्रश्न आपसे आप व्यक्तिगत होता है।

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

आप आदेश तो दीजिये किस प्रकार ऐसी अवहेलना होती है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो मैंने कह दिया। आपने सुना तो। मैंने कहा कभी मीटिंग ऐसी न बुलाई जाए जब सदन चल रहा हो।

फैजाबाद से प्रकाशित "फैजाबाद की आवाज" साप्ताहिक समाचार पत्र के सम्पादक, सह सम्पादक, प्रबन्धक तथा सह प्रबन्धक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना पर पुनर्विचार की मांग

*श्री राम गोविन्द--

मैंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न आपको दिया था उसमें यह है, उसमें एक संवैधानिक अड़चन पड़ गई है। संविधान और विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत यह विधान सभा चलती है। उसमें है कि तमाम सदस्यों को अलग से उनकी व्यवस्था के लिए क्या दिया जाए, उसकी उसमें व्यवस्था की गयी है और माननीय मंत्रियों के लिये भी अलग से व्यवस्था है। उनके सदस्य या मंत्री होने के रूप में कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, उसमें वह दिया है। मैंने यह दिया है कि उस प्रक्रिया के अनुसार उनको जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके अतिरिक्त उन्होंने दो लाख रुपये का कमीशन प्राप्त कर लिया है। तो यह प्रक्रिया नियमावली के बाहर है। कमीशन के रूप में उन्होंने दो लाख रुपया ले लिया है, जो बिलकुल संविधान व नियमावली के विपरीत और उसके बाहर है। सम्पादक ने लिखा है कि मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाए। मंत्री जी मंत्री होने के साथ-साथ इस सदन के सदस्य हैं और उसके बाद ही वह मंत्री हुए हैं। भानु प्रताप सिंह को सम्पादक ने लिखा है उन्होंने उस कम्पनी से दो लाख रुपया अधिक लिया है, जिसका काम भी नहीं था। जिस सामान की उन्होंने खरीद की, उसका विभाग में कोई उपयोग नहीं था, केवल कमीशन लेने के लिए उसकी खरीदारी करवाया है। इसलिए मैं आपसे और सदन से निवेदन करना चाहता हूं। निश्चित रूप से यह सदन के एक आदमी की अवमानना है, तो मैं यह मानता हूं कि यह पूरे सदन की अवमानना हुई है। यदि यह बात गलत होती तो भानु प्रताप सिंह मंत्री अखबार में उसका खंडन कर दिये होते।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें, मैं आपकी बात समझ गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्क्षिण नहीं किया।

श्री राम गोविन्द—

यह स्पष्ट विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है, इस पर आप पुनर्विचार कर लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपके मन में बड़ा दर्द है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती मेरी यह है कि आपने अपने दर्द को दूसरे पर उतार दिया और जिसका स्वयं दर्द था वह बोला तक नहीं। इस पर मुझे तो मीर का एक शेर याद आ रहा है—वह काटे हैं गला मेरा, मैं कहूं हुजूर अहिस्ता अहिस्ता, जनाब अहिस्ता अहिस्ता।' वह बोल नहीं रहे हैं, चिल्ला आप रहे हैं। उनको अधिकार था, वह स्वयं चिल्लाते। आपने उनके स्थान पर इसे उठा दिया इसलिए मैंने इसको रेजेक्ट कर दिया।

(व्यवधान)

निर्णय देने के बाद सुनने की बात नहीं होती है, मैं यह जानता हूं लेकिन विरोध पक्ष के पास अपनी बात कहने के सिवाय, उनके हाथ में है ही क्या। इस लिए सामान्य नियम से ऊपर उठकर आपके मन की भावनाओं को जानने के लिए, उसके अनुरूप सरकार को चलाने के लिए मैं आपकी बात सुनता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सद्भावना पूर्ण तरीके से सदन को चलने दें। निर्णय हो गया है।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बिराजें। यह इश्यू खत्म नहीं होने वाला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इश्यू रोकने के लिये परेशान हो गये लेकिन इश्यू रुके नहीं (हंसी)

श्री मुख्तार अनीस—

श्रीमन्, मेरी बात तो सुन लें?

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइये।

सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति रहने हेतु श्री स्वामी नेमपाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी प्रार्थना पत्र सहमति का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेमपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा ने एक प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि वर्ष 1982 के प्रथम सत्र के दिनांक 15 जनवरी, 1982 से 15 मार्च, 1982 तक (दो महीने) तक उपवेशनों से अनुपस्थित हेतु उनको इजाजत दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 1 मार्च, 1982 की बैठक में यह सिफारिश की है कि शनिवार, दिनांक 6 मार्च, 1982 को विधान सभा का उपवेशन हो और सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 1982 को विधान सभा का उपवेशन न हो। तदनुसार दिनांक 6 मार्च, 1982 को वित्तीय वर्ष 1982–83 के आय-व्ययक के कृषि, पशुधन एवं मत्स्य विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान हो तथा 31 मार्च, 1982 तक का शेष कार्यक्रम यथावत रहे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(1 बजकर 34 मिनट)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 के पुरः स्थापन पर आपत्ति

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला.....

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है और वह यह है कि जिस विधेयक को माननीय मंत्री जी पुरःस्थापित करने की माननीय सदन से अनुज्ञा चाह रहे हैं, वह उनके आश्वासनों के प्रतिकूल है। 15 दिन की बात होगी जब इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि जून के महीने में जिला परिषद् के चुनाव होंगे। तो जब यह आश्वासन सदन में दिया गया था अब उसके बाद 31 मार्च, 1983 तक अवधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज ये आश्वासन देते हैं और कल उसको ध्वस्त कर देते हैं। इस प्रकार माननीय सदन का उपहास बनाये हुए हैं। तो क्या इस प्रकार का विधेयक, जो कि शासन के आश्वासन के विरुद्ध है, सदन में उपस्थित किया जा सकता है?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें कोई तबदीली नहीं की गयी है। यह तो प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण लाया गया है। चुनाव न कराये जाने की कोई मंशा या बात इसमें नहीं है। इसमें तो केवल समय बढ़ाने की बात है क्योंकि वह खत्म हो रहा है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, 31 मार्च, 1983 तक समय बढ़ाने के लिये विधेयक लाया गया है। इसी सदन में यह आश्वासन दिया जा चुका है कि जून मास में यह चुनाव करवा देंगे। आश्वासन को तोड़ा जा रहा है। (व्यवधान) इनकी नीयत साफ नहीं है..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने स्वयं यह मान लिया है कि पहले चुनाव का आश्वासन दिया गया था, अब वे विधेयक ला रहे हैं.....

श्री हुकम सिंह—

विधेयक तो जिला परिषदों का टाइम बढ़ाने के लिये ही ला रहे हैं और जब उनका समय बढ़ जायगा तो यह चुनाव टाल देंगे। जो आश्वासन दिया गया था चुनाव कराने का वह वह पूरा नहीं करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी—

चुनाव कराने की जहां तक बात है मान्यवर, वह इस विधेयक में यह कहीं नहीं है कि चुनाव नहीं कराये जायेंगे। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बात हो सकती है जिसके लिये इसे लाया गया है...

श्री उपाध्यक्ष—

आप एहतियात के लिये ला रहे हैं। (हंसी)

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां

श्री उपाध्यक्ष—

इनकी नीयत साफ है वह चुनाव करा रहे हैं, यह केवल एहतियात के लिये ला रहे हैं

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय हुकम सिंह जी हमारी नीयत हमेशा खराब लगती है, यह चीजें ही ऐसी हैं कि हमारी नीयत खराब हो जाती है.....(हंसी)

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर बात है। अगर प्रशासनिक मामला था तो यह उसमें संशोधन ला सकते थे, लेकिन विधेयक जो लाया गया है यह एक गम्भीर मामला है। यह चुनाव नहीं कराना चाहते हैं जबकि इसी सदन में यह स्पष्ट आश्वासन दिया जा चुका है कि चुनाव जून मास में कराये जायेंगे। इनकी नीयत ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका समय तो 31 मार्च, 1982 तक ही है, चुनाव जून में होगे, तो इसके बीच के गैप का क्या होगा ?

श्री हुकम सिंह—

तो जून मास तक का समय बढ़ा ले।

श्री उपाध्यक्ष—

तो विधेयक पर जब विचार हो तब आप इसे कहें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

अगर नीयत इनकी साफ है तो 30 जून तक का समय मांग लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग विधेयक को आने दीजिए, जब उस पर विचार हो तब आप यह संशोधन पेश कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यस्था) संशोधन विधेयक, 1982†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद्' (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा 'हां' की संख्या अधिक कहने पर)

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, नहीं की संख्या ज्यादा है। विभाजन कराया जाय।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, नहीं की संख्या ज्यादा थी, वहां पर सब लोग सो रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष--

घंटी बजाई जाय। 5 मिनट बाद दरवाजा बंद होगा।

(विभाजन के लिए घंटी बजाई गयी।)

(विभाजन की घंटी बजाने के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप कहां-कहां घंटी बजा-बजा कर कहां-कहां तक लोगों को जगायेंगे ?

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, एक-एक लोगों के गले में घंटी बांध दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

घंटी बांधने का काम मैंने रियासत साहब को सौंप दिया है।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री सदस्यों को बंधुआ मजदूर की तरह से ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय धरमपाल, बहराइच में बंधुआ मजदूर बहुत ज्यादा हैं,इसलिए आप उनकी बात कर रहे हैं।

---

†दिनांक मार्च, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, यह शब्द सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, इनके भटठे पर बंधुआ मजदूर ही काम करते हैं। इसलिए इनको वही याद आता है।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

तुम्हीं तो शमा महफिल हो, तुम्हें पहले से आना था, ये महफिल क्या कहेगी शमा परवानों के बाद आई।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

क्या इसी को इश्क कहते हैं, जो परवाने को है, शमा जो भी आई महफिल में, उसी का हो गया।

श्री रियासत हुसैन--

परवाने तो बहुत हैं, पर, पर सबके कट गये।

श्री उपाध्यक्ष--

घंटी बजाने से आप लोग इतना प्रसन्न हो गये। अगर मैं यह जानता तो पहले ही घंटी बजवा देता।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

वो चुप बैठे हैं, अरे यार भी चुप, मैं भी खामोश ऐसी सोहबत से अब तबीयत मेरी घबराती है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

तबीयत आपकी बेचैन हो रही है, तो आपको क्या पिलाया जाय, आबकारी का बजट है।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, सरकार की घंटी बजती रहेगी ?

(घंटी बन्द होने पर) (प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य-स्थगन में नियम 56 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें से 1 से लेकर 6 तक की सूचना कानपुर में उपलवृष्टि से संबंधित है। यही सूचना नियम 51 में भी आयी है। इस पर हम नियम 51 के समय विचार करते वक्त विचार कर लेंगे। जो 6 सूचना सदस्यों ने

दी है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री मोती लाल देहलवी, श्री राधे श्याम पटेल, श्री भगवानदीन कुशवाहा, श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री सरदार सिंह, श्री अकबर हुसैन, श्री राम गोविन्द चौधरी।

श्री मित्र सेन--

हम लोगों ने नियम 56 में दिया था कि काम रोक कर सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

सातवें नम्बर पर जो आइटम है वह है श्री राम आसरे वर्मा, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री मसरूर जाफरी, श्री खैरूल बशर ने दी है। यह पहली मार्च से प्रदेश के ट्रक आपरेटरों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में है। इसी विषय पर श्री हुकुम सिंह और श्री प्रदीप कुमार यादव ने दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री से मैं अपेक्षा करूंगा कि वह इस पर अपना बयान देंगे।

एक सूचना श्रीमती गौरी देवी ने गोरखपुर-देवरिया जनपद स्थित चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद बिहार से करने के कारण गन्ना किसानों में उत्पन्न असन्तोष के संबंध में दिया है। एक सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने पी0ए0सी0 बटालियन के श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री द्वारा आत्म हत्या किये जाने के संबंध में दी है। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने महाबीर सुगर मिल के बन्द होने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में सूचना दी है इन सभी सूचनाओं को अस्वीकृत किया गया। श्री कुबेर भंडारी, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री दलगंजन सिंह ने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पद के दुरुपयोग के संबंध में एक सूचना दी है तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने बस्ती जनपद में पुलिस कर्मियों द्वारा डकैतों को सरकारी बन्दूक सप्लाई के संबंध में दिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, चीनी मिल 15 दिनों से बन्द है जिससे मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। आपके गांव की बात है।

(व्यवधान) (कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे गांव का नाम तक नहीं लिया गया है।

1982-83 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76-सूचना विभाग

(1 बजकर 48 मिनट)

*सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,98,72,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

आधा दिन सूचना विभाग के लिये और आधा दिन आबकारी के लिये निश्चय किया गया है अब हमारे पास 3 घंटे 10 मिनट का समय बचा है । इसलिये एक घंटा 35 मिनट सूचना विभाग के लिये और एक घंटा 35 मिनट आबकारी विभाग के लिये है । इसको ध्यान में रखते हुए मंत्री जी से और कटौती के प्रस्तावक से निवेदन करना चाहूंगा कि वह कम से कम समय लेंगें और बाकी बोलने के लिये मा0 सदस्यों का 5-5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है ।

श्री काशी नाथ मिश्र---

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जैसे ही मैंने 1,98,72,000 रुपये की धनराशि का जिक्र किया, तो विरोध पक्ष के कुछ मा0 सदस्यों ने कहा कि यह धनराशि क्या पत्र छपवाने के लिये मांगते हैं । तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि जो समझते हैं कि सूचना विभाग की अहमियत क्या है, तो सूचना विभाग ही मैं समझता हूं कि शासन की छवि जन-साधारण तक पहुंचाने के लिये एक मात्र विभाग है ।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

उत्तर प्रदेश शासन ने जो विकेन्द्रित योजना प्रणाली चलाई है जिसको जन साधारण तक पहुंचाना है और इस योजना में उत्तर प्रदेश को फक्र हासिल है कि सर्वप्रथम इसमें विरोध पक्ष के लोगों को शामिल किया गया है । आज तक जो योजनायें चलीं वह राज्य स्तर और केन्द्र स्तर से होती थीं लेकिन जो अब योजनायें जिलों में बनेंगी वह विरोध पक्ष के विधायकों की राय से बनेंगी और इन योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना इस विभाग का प्रमुख कार्य है और साथ ही साथ इन योजनाओं की जन-साधारण में क्या प्रतिक्रिया है उसको शासन तक पहुंचावें । तो मैं समझता हूं कि सूचना विभाग के जरिये जो सही जन-संपर्क विभाग नाम है, वह काम कर पायेंगे कि योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना और उसकी प्रतिक्रिया जन-साधारण पर क्या होती है उसको शासन तक लायें । विरोध पक्ष के मा0 सदस्य यह भी कह सकते हैं कि सही काम जो सूचना विभाग का है वह हो नहीं पा रहे हैं लेकिन कोशिश की जा रही है कि जन-साधारण की जो प्रतिक्रिया है वह मालूम हो सके ।

मान्यवर, साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शासन का राजनीतिक स्वरूप का निखार जन-साधारण में होता है और इससे बहुत से लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है । विरोध पक्ष के लोग यह सोचते हैं कि यह सूचना विभाग का अनायास या अनर्गल प्रचार तो नहीं है, तो मैं यह कहना चाहता हूं विरोध पक्ष के सदस्यों से कि सूचना विभाग ही शासन के अन्दर एक ऐसा विभाग है जो मजबूरी से कहिये या जैसे भी कहिये, सत्य कहता है और असत्य तो कभी बोल ही नहीं सकता, जो शासन में हम कहते हैं उसको सही रूप में जनता तक पहुंचाता है । आपको असत्य का आभास कैसे होता है इसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । शासन के कायदे कानून बनाने वाले, योजनायें बनाने वाले जो लोग हैं, प्लानिंग कमीशन के लोग हों या कोई हों वह कहते हैं उसको सही ढंग से जन-साधारण तक यह विभाग पहुंचाता है लेकिन अगर योजनायें कार्यान्वित सही तरीके से नहीं हो पाती हैं तो आपको कहने का मौका मिल जाता है । तो सूचना विभाग कभी गलत बोल ही नहीं सकता है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको विरोधाभास कहीं न कहीं इसलिये नजर आ जाता है, जैसे एकीकृत योजना है, विकेन्द्रीकरण की जो योजना है, अगर शासन के लोग उतने समय के अन्दर उन कार्यों को पूरा नहीं करते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि काम पूरा नहीं हुआ है लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि सूचना विभाग की तरफ से गलत बात कही गयी है । दिशा निर्देशन और नियंत्रण का काम भी सूचना विभाग का है और वह कर भी रहा है । जितने प्रदेश के बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं, वैज्ञानिक हैं,

बुद्धिजीवी हैं उन लोगों को शासन से सटाये रखने का और रागात्मक एकता बनाये रखने का काम भी सूचना विभाग का है। क्योंकि बुद्धिजीवी प्रदेश के प्रशासन की आंख हैं। इनके द्वारा शासन की छवि हम निहारते, निखारते हैं।

मुझे बड़ा फख्र हासिल है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ऐसे व्यक्ति हैं, मुख्य मंत्री स्वतः कवि हैं, आपने देखा कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा, विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन में, दो दो बार माननीय मुख्य मंत्री जी को निमंत्रण मिला। बुद्धिजीवियों कि जमात में, बौद्धिक सम्मेलन में निमंत्रण दिया गया और इसका तात्पर्य यह है कि विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि जो सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हुआ था उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से संस्कृत भाषा के उत्थान के लिये और जो कार्य प्रशासन के थे उनकी जानकारी देश और विदेश के लोगों को हुई और प्रशासन की छवि का निखार हुआ।

श्री रियासत हुसैन--
बदायूं में क्या हुआ ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जैसा हमारे रियासत हुसैन साहब कह रहे हैं कि बदायूं में क्या हुआ तो बदायूं के बारे में ज्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना कहूंगा कि कहीं कवि सम्मेलन हुआ तो आपको कविता करने का अधिकार है, किसी के पक्ष या विपक्ष में कविता सुना सकते हैं। आप कविता सुना सकते हैं लेकिन श्रोतागण को विरोध करने का हक है। किसी एक कवि से ज्यादा लोकप्रिय श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। अगर आप श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ कविता पढ़ेंगे तो जन साधारण क्या करेगा। जन साधारण ने जो विरोध दिखाया वह बदायूं में हुआ। तो ज्यादा समय न लेकर मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस विभाग द्वारा कवियों और शायरों का सम्मान करते हैं जिससे कि हमारे और उनके सम्बन्ध ठीक रहें। साथ ही साथ, पत्रकार का स्वस्थ, सार्थक और साकार सम्बन्ध बना रहे, इसलिये इस विभाग की तरफ से मैंने एक कमेटी का गठन किया है, वह कमेटी पत्रकारों की कमेटी होगी और उसके जरिये, जो प्रेस और सरकार के बीच में अन्तर पैदा हो जाता है, वह कोई विरोधाभास या अन्तर न होने पाये, इसके लिये समन्वय समिति का गठन किया गया है। किस पत्र को मान्यता दी जाय या न दी जाय, इसका भी निर्णय कमेटी करेगी। पत्रकारों को जो सुविधायें दी गयी हैं, उस सम्बन्ध में "पत्रकार कल्याण कोष" का सृजन किया गया है, इसमें 3 लाख रु0 शासन की तरफ से, और जो पत्र के मालिक हैं, या पत्रकार बन्धुओं से तथा और भी जो उदारता से देंगे, उनके यहां से पैसा इकट्ठा करके संचित धनराशि रखी जायगी, संचालन 12 सदस्यों की एक कमेटी करेगी, उसमें पत्रकार ही रहेंगे। मूलधन जमा रहेगा और सूद के द्वारा पत्रकार बन्धुओं की बराबर मदद की जायगी। जिसने अपना सारा जीवन पत्रकारिता में बिताया, उसके साथ यदि कोई आकस्मिकता होती है और उनके परिवार की कोई देख-रेख करने वाला नहीं है तो उनकी मदद की जायगी।

इसके अतिरिक्त कई तरह की बातें पत्रकारों ने कहीं। पहाड़ के लोगों ने कहा कि उनको कई-कई मील तक चलना पड़ता है। इसलिये पहाड़ के लोगों को 3000 कि0मी0 तक मुफ्त चलने की सुविधा दी गयी है और मैदानी इलाके में 2500 कि0मी0 तक की सुविधा दी गयी है। मैं गढ़वाल गया था, वहां मैंने इस चीज को देखा था। इसके अलावा रेलवे के जो कूपन होते हैं, जैसे मा0 सदस्यों को दिये जाते हैं, वैसे ही कूपन 5000 कि0मी0 तक के इनको भी दिये जायेंगे।

श्री मुख्तार अनीस--
पालेकर एवार्ड पर क्या अमल किया ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

चूंकि अनीस साहब ने बात कही पालेकर एवार्ड की तो इसके बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है और शासन ने निर्णय लिया है कि इस विभाग के मन्त्री दीक्षित जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और पत्र के मालिकों को यह निदेशित किया गया है कि "पालेकर एवार्ड" को सख्ती से लागू करें। 79 अखबार के मालिकों में से 47 ने यह सूचना दी है कि हमने लागू कर दिया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत से अखबार सही मायनों में 'पालेकर एवार्ड' को लागू नहीं किये हैं और शासन को गलत सूचना दी है।

एक सदस्य---

"नवजीवन", "नेशनल हेरल्ड" और उर्दू के अखबारों के बारे में ही बता दें, ये तो आपके अखबार हैं।

श्री अधिष्ठाता---

जब भाषण पूरा हो जाय, उसके बाद भाषण में जो बात कही गयी है, उसका स्पष्टीकरण आप ले सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र ---

तो मान्यवर, 47 अखबारों ने सूचना दी है, इसमें भी "स्क्रूटिनी" करने के लिये जो कमेटी बनी है दीक्षित जी की अध्यक्षता में, उसके सामने यह बात रखी गयी। और सरकार बहुत जल्दी ही एक लाईन खींचने वाली है, तारीख की घोषणा करने वाली है और यदि उस तारीख तक अखबार उसे अपने यहां लागू नहीं करते हैं तो शासन जो भी कदम उचित होगा, वह उठायेगी।

साथ ही साथ हमने अखबारों की एजेंसियों को भी लिख दिया है जिसमें पी0टी0आई0 वगैरह हैं कि उन लोगों को भी, उन एजेंसियों के लोगों को भी जो अखबारी काम करते हैं, उनके लिये भी यह लागू की जायगी। इसके साथ ही सहकारिता के आधार पर जो पत्र निकलेंगे चाहे वे छोटे पत्र हों या मझोले पत्र हों, 80 प्रतिशत विज्ञापन उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत छोटे और मझोले अखबारों को दिये जायेंगे। इससे छोटे, मझोले और सहकारिता द्वारा प्रकाशित पत्रों को बढ़ावा दिया जायेगा।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ पत्र ऐसे थे जो कि कपोल कल्पित कथायें लिख दिया करते थे और अब यह पत्र राजनीति में कूद पड़े हैं। सत्य से परे निराधार बातें ये लिखा करते हैं। तो शासन द्वारा जो समन्वय समिति निर्मित की जा रही है उस कमेटी के सामने हम अपने पत्रकार बन्धुओं से यह निर्णय लिवाना चाहते हैं कि जो बातें इस तरह से प्रकाशित की जाती हैं, यह कहां तक उचित हैं? यह निर्णय हमारे पत्रकार बन्धु ही करेंगे समिति के समक्ष कि जो पत्र साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, जगह-जगह पर तनावपूर्ण स्थिति को पैदा करते हैं, ऐसे पत्रों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय, इस बात को समिति के अन्तर्गत पत्रकार बन्धु ही तय करेंगे।

पत्र या अखबार वही काम करता है जैसे कि रंगमंच पर कोई ड्रामा हो रहा है परन्तु फोकस के कारण नाटककार तरह-तरह से दिखाई देता है। यह फोकस देने वाले व्यक्ति का काम है कि एक तरह की घटना को विविध रंग से भर देता है। मान लीजिये जैसे कोई घटना घटित हुई मुरादाबाद में, उसके लिये बनारस में छप गया कि उस घटना में 20 हिन्दू मारे गये और अलीगढ़ में छप गया कि उस घटना में 20 मुसलमान मारे गये। क्या क्या सत्य है उससे कुछ वास्ता नहीं है, बस लिख दिया। तो इस तरह से साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाले अखबारों पर रोक लगाने के लिये सूचना विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है और शासन इस ओर कदम उठाने के लिये प्रयत्नशील है।

तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा । इसमें जितने हमारे मुख्यालय के संजीदा पत्र हैं उनके पत्रकारों के विचारों को सुन कर ही इसमें कार्यान्वयन किये जायेंगे, ऐसा शासन का विचार है । चलचित्र के माध्यम से, डाकोमेन्ट्री फिल्म के माध्यम से प्रगति को काफी बढ़ावा मिलता है परन्तु इसके लिये बजट बहुत ही कम है । महाराष्ट्र में इस पर 5 करोड़ रुपये व्यय होते हैं । ऐसे ही बंगाल में भी इस पर 5 करोड़ रुपयों का खर्चा होता है परन्तु हमारे यहां इसके लिये केवल 2 करोड़ का ही बजट है । मान्यवर, अभी पिछले साल से हमारे चलचित्र निगम द्वारा 14 लाख का फायदा हुआ है । जहां पर हमारे यहां मनोरंजन के साधन नहीं हैं, छविगृह नहीं हैं,वहां पर चलचित्र निगम द्वारा छविगृह बनाये जायेंगे । इसके अलावा कोई और योजना के बारे में यदि हमारे माननीय सदस्य कोई ठोस सुझाव देंगे तो उस पर भी ध्यान दिया जायगा और यदि हो सका तो कार्यवाही भी की जायगी ।

*श्री अकबाल हुसैन--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76— सूचना विभाग के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी मैं प्रदेश के सूचना और जन सम्पर्क मन्त्री, पंडित काशी नाथ मिश्र जी के भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था और मैं केवल उनके भाषण का एक वाक्य दोबारा आप के सामने प्रस्तुत करते हुए अपना तर्क रखना चाहता हूं । आपने कहा कि सूचना विभाग सत्य के बजाय असत्य कह ही नहीं सकता । मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी मैं बताना चाहता हूं कि उनका विभाग सत्य तो कहेगा ही नहीं बल्कि असत्य का ही प्रचार करेगा। उन्होंने जो हम लोगों को पुस्तिका दी है, सूचना और प्रचार 1981-82, उसक प्रथम पृष्ठ पर आपके विभाग ने उत्तर प्रदेश की आबादी को आज भी 10 करोड़ बताया है जब कि उत्तर प्रदेश की आबादी 1981-82 में सेंसेस के आधार पर 11 करोड़, 8 लाख, 85 हजार 874 है जिस को भारत सरकार ने प्रकाशित किया है । तो जो सत्य और कर्मठता का प्रचार कर रहे थे उस असत्य पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को मैं इसके विरोध में फाड़ रहा हूं । अगर इसी तरह की सूचना दे कर के इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं तो इस विभाग क लिए एक भी पैसा देना बेकार होगा ।

आपके विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक मिसाल ही देना चाहता हूं । इस देश में बहुत ही अच्छा और जाना-माना अखबार है "ब्लिट्ज" । उसने लिखा है कि प्रयाग के संगम तट पर भक्तों का मेला अर्ध कुम्भ में अफसरी लूट, और यह लूट सूचना विभाग के अधिकारियों ने की । आपने लगभग 6 लाख 70 हजार रुपये इस मेले के लिए दिये । इसमें 3 लाख प्रदर्शनी पर और 3 लाख 70 हजार अन्य मदों में खर्च किय गये । निश्चित रूप से पत्र ने प्रकाशित किया है कि इसमें से एक लाख 30 हजार रुपये आपके अधिकारियों को कमीशन के रूप में लखनऊ को पहुंचाया गया । यही नहीं आपने जो वहां पर प्रदर्शनी लगायी थी 7 एकड़ भूमि में, वह सरकारी थी शासन की ओर से और उसमें आपके अधिकारियों ने प्राइवेट बिजनेस मैन को जगह देकर के उन का अपना सेल-काउण्टर खुलवाया और लाखों रुपये की बिक्री हुई और जिससे इस प्रदेश के बिक्री-कर की चोरी हुई । तो अपने विभाग में व्याप्त इस भ्रष्टाचार पर तो नियंत्रण नहीं कर पाते और 2 करोड़ रुपये का अनुदान मांग रहे हैं । चूंकि आप के नीचे की खर्च करने में गलती हुई इस लिये आप को एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिये । मान्यवर, जिला सूचना कार्यालयों के बारे में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अकबाल हुसैन---]

कि प्रदेश की सरकार के जो कार्यकलाप हैं, जो विकास होता है प्रदेश में वह जनसाधारण तक पहुंचाये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इस लोकतंत्र में इसका बहुत महत्व है। मान्यवर, इनक विभाग के लोग किस तरह से काम करते हैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, 1857 की आजादी की लड़ाई में इस प्रदेश के जनपद गोण्डा में तुलसीपुर की मातृभूमि पर सबसे पहले क्रान्ति हुई। वहां पर फजल अली के लिए हमारी तरफ से, जनता की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया। आपके सूचना अधिकारी को लिखा गया कि वह इसकी सूचना शासन तक पहुंचायें लेकिन मान्यवर, आपके शासन का जिलाधिकारी तो वहां पर पहुंच गया लेकिन आपके सूचना विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचा तो आपके विभाग का जो अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर है,जनपद लेबिल पर है उसकी यह क्षमता है इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों पर भी नियंत्रण रखें। आपने एक सूचना सलाहकार समिति का गठन किया। इसी सदन में आपत्ति की गई थी इस पर 60-70 हजार रु0 उनकी तनख्वाह, गाड़ी, ड्राइवर, कार्यालय आदि पर सब बेकार गया और अब आखिरकार आपको होश आया और आपने उसको भी समाप्त किया।

मान्यवर, पत्र सूचना शाखा द्वारा भेजे जाने वाले समाचार हिन्दी में और बाद में उसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है। आप उर्दू पर बहुत बल देने की बात कहते हैं लेकिन अभी आपकी जो पत्रिका छपी वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई लेकिन आपकी सरकार और आपके दल की जो नीति है, अभी जिसकी आपने घोषणा की थी 31, दिसम्बर, 1981 को कि उर्दू को आप दूसरा स्थान देंगे फिर भी यह पुस्तिका प्रकाशित की गई हिन्दी और अंग्रेजी में जब कि इस देश में हिन्दी के बाद उर्दू जानने वाले लोग ज्यादा हैं आपने उसको उर्दू में प्रकाशित नहीं किया। आपने उर्दू को ज्यादा महत्व नहीं दिया। पहले माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से प्रगति के बारे में हर सप्ताह मा0 विधायकों को सूचना मिलती थी लेकिन जब से मा0 मंत्री जी आये हैं इसको पाक्षिक कर दिया और आपने घोषणा की है कि अब वह मासिक हो गया है और अगर ऐसे ही तरक्की आप करते रहेंगे तो कुछ समय बाद उसको वार्षिक कर देंगे तो यह तो आपकी प्रगति है।

मान्यवर, जहां तक निरीक्षण शाखा का सम्बन्ध है, निरीक्षण शाखा का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश के कार्यकलाप और प्रदेश में उसकी प्रतिक्रिया जो होती है जनसाधारण में उसकी कटिंग को और अपने संबंधित मन्त्रियों और संबंधित विभागों को देना चाहिये यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है।

लेकिन इसमें जो आपने ब्योरा दिया है, और जो आंकड़े प्रकाशित किया है, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या 11 करोड़ से भी ज्यादा है, जो आपने आंकड़े दिय हैं वह बहुत ही कम हैं और आप का विभाग उसमें सतर्क नहीं रहा। तहसील मुख्यालयों पर सूचना विभाग क कार्यालय खोलने की बात कही गयी। इस प्रदेश के जिन जनपदों की आबादी 37 लाख से ऊपर है वहां के बहुत से तहसील मुख्यालयों पर सूचना विभाग के कार्यालय नहीं खोले गये। आपके अधिकारियों ने कवल चाटुकारिता में जैसे सीतापुर में श्री अम्मार रिजवी साहब को खुश करने के लिये खोल दिय,वैसे ही सुल्तानपुर में श्री राजीव गांधी को खुश करने के लिये खोल दिये। आप तो असमानता को दूर कर रहे हैं और समानता के आधार पर चल रहे हैं। आपकी यह नीति होनी चाहिये कि जब कोई इस तरह का निर्णय लें कि तहसील मुख्यालयों पर सूचना विभाग के कार्यालय होने चाहिये तो जितने भी जनपद इस प्रदेश में हैं उन सब के तहसील मुख्यालयों पर सूचना विभाग के कार्यालय खोलने चाहिये। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। तुलसीपुर चीनी

मिल, बलरामपुर तहसील गोंडा में 11 जनवरी को किसानों पर गोली चली, लाठियां चलायी गयीं और उसकी सूचना आप प्रदेश की जनता को 13 जनवरी को दे पाये। 72 घंटे बाद यह आपके सूचना विभाग की सतर्कता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी इस विभाग के ऊपर प्रभावी अंकुश जरूर लगावें।

अभी अभी माननीय मंत्री जी ने हमारे पत्रकार बन्धुओं की दुहाई दी कि उनको बहुत सी सुविधायें दी जा रही हैं, खासकर पालेकर एवार्ड लागू करने के लिये। आपने सदन में स्वीकार किया है कि 89 में से केवल 43 ने ही यह सूचना दी है कि उन्होंने प्रभावी ढंग से इस एवार्ड को लागू किया है। आप स्वीकार करते हैं कि जिन्होंने सूचनायें दी ह उन्होंने भी सारी सुविधायें पत्रकार बन्धुओं को नहीं दी हैं। जिन्होंने पालेकर एवार्ड को लागू करके पत्रकारों को सुविधायें नहीं दी हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, इसे आपने सदन को नहीं बतलाया। अभी जो आपने पत्रकारों के लिये कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी गृह विभाग के भी मंत्री हैं। पत्रकारों का बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत हिम्मत से वे खबरें छापते हैं। यू0 एन0 आई0 के कारेस्पांडेंस ने इसी प्रकार हिम्मत करके मुख्य मंत्री के खिलाफ वह खबरें छापी है और अभी इसी सदन में लखनऊ के ही एक पत्रकार बन्धु को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का मामला उठाया गया था। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम माननीय मंत्री जी को आज इस सदन में पत्रकारों को सुरक्षा देने का एलान करना चाहिये। अगर वे इस प्रदेश की जनता को सत्य सूचनाओं से अवगत कराते हैं, और इसकी हिम्मत दिखलाते हैं तो कम से कम आपके विभाग को आपके शासन की पुलिस को उन्हें आतंकित नहीं करना चाहिये। आपको चाहिये कि इस तरह की घोषणा आज इस सदन में करें ताकि हमारे पत्रकार बन्धु अपने आप को सुरक्षित समझें।

श्री अधिष्ठाता---

श्री अकबाल हुसैन जी, आपको फिर बाद में बोलने का समय मिलेगा। समय का निर्धारण उपाध्यक्ष जी ने पहले ही से कर रखा है।

श्री अकबाल हुसैन---

चल चित्र निगम को छबिगृह बनाने के लिये आप जो सुविधायें दे रहे हैं, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूं कि छबिगृह जो आपने बनाया है दो साल में 6, पिछले साल और इस साल 36 की संख्या तक पहुंचने की आशा है। तो उस सम्बन्ध में म कहना चाहता हूं कि इस शासन के गन्ना विभाग ने एक डाकुमेंट्री फिल्म बना करके इस विभाग को दी थी। वह कई वर्षों तक पड़ी रही। दुबारा जब उन को लिखा गया केवल उस पर काम न करने की वजह से लागत बढ़ गयी। इस तरह की अकर्मण्यता आपके विभाग में है। इसको आप दूर करें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए, मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकीकरण और साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिये आप प्रभावी कदम उठायें। इस संबंध में कम से कम जिन शहीदों से इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राण न्योछावर किये थे उनकी स्मृति में एक पर्व इस प्रदेश में मनाया जाना चाहिये। इस में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिणी, अस्फाक उल्ला आदि लोगों की आप को डाकूमेंट्री बनानी चाहिये। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं आप की आज्ञा से माननीय मंत्री जी से कि सशस्त्र क्रान्ति इस प्रदेश में सब से पहले 1857 में हुई थी। मंगल पाण्डे ने 1857 के मई में सशस्त्र क्रान्ति की थी। लेकिन उस से पूर्व 1857 के 10 फरवरी को फजल अली ने तुलसीपुर पवित्र तीर्थ में डायल को गोली से मार कर सशस्त्र क्रान्ति की थी। इस देश की आजादी की लड़ाई

[श्री यकबाल हुसैन]

में उन्होंने भूमिका निभाई थी। उन के संबंध में विस्तृत सूचना एकत्र कर के एक डाकूमेन्ट्री बननी चाहिये जिससे हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक भावना, एकता सद्भावना और राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिले। धन्यवाद।

*श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'—

मान्यवर.....

श्री अधिष्ठाता—

समय पांच मिनट का रखा गया है। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'—

सूचना विभाग के अनुदानों पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

मान्यवर, यह सूचना विभाग कहने में, देखने में, छोटा लगता है लेकिन इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है। मनुष्य के तमाम आदर्शों, कार्यों और अन्य जो संबंधित क्षेत्र हैं उनकी उन्नति होने से ही मानवता की उन्नति मानी जाती है। मनुष्य केवल रोटी, कपड़ा मकान नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कुछ है। इन सब क्षेत्रों में सूचना विभाग का दायित्व होता है कि उन्नति करे।

माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया और मुझे भी ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र की अपेक्षा हमारे प्रदेश की आबादी, क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बात का निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस बजट को आगे बढ़ावें। जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार इसका निर्धारण किया जाय ताकि हम इस क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रगति कर सकें।

माननीय मंत्री जी बड़े तेज हैं और उन्होंने कुछ नये काम इस क्षेत्र में किये हैं जिनकी सराहना आप भी करेंगे, हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य भी करेंगे और मैं तो करूंगा ही। माननीय मंत्री जी ने पत्रकारों को कुछ सुविधायें दी हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि भविष्य में.....

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

कवियों को क्या मिला, साकेती जी?.....

श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'—

पत्रकारों को और सुविधायें देते रहेंगे।

मान्यवर, अखबारों का जो रोल है, कार्यकलाप है, उनसे मैं थोड़ा विवेक रखता हूं। अखबार वाले हर घटना के ऐसे पक्ष को प्रकाशित करते हैं कि जिससे समाज में संत्रास, कुण्ठा आदि पैदा होती है, कोई रचनात्मक विचार समाज में उत्पन्न नहीं होता यह अखबार वालों की ड्यूटी है और उनका कर्तव्य है कि वे उधर ध्यान देकर सरकार के या समाज के अन्दर उसके सृजन के लिये एक विशेष दृष्टिकोण अपनायें, मान्यवर, माननीय सदस्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे उन्होंने कहा कि सूचना विभाग की इकाइयों को तहसील स्तर तक ले जावें। यह मेरा भी निश्चित मत है कि तहसील स्तर तक इन इकाइयों को पहुंचाया जाय। मेरा यह भी व्यक्तिगत मत है कि सरकारी नौकरियों में जिन लोगों को रखा जाय वे केवल योग्यता के आधार पर ही न रखे जायं बल्कि कुछ साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार तथा संगीतज्ञ भी ऐसी नौकरियों में रखे जायं जिससे प्रदेश का व्यापक लाभ हो और जिससे कि वे केवल फाइलों तक ही सीमित न रह सकें। मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था मनुष्य तो वह है—

साहित्य संगीत कला विहीना
साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हीना
तृणम् न खाद्यान्नपि जीव मानस
तद्भागधेयम् परम् पशूनांम।

यानी साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य उसी प्रकार है जिस प्रकार कि बिना सींग और पूछ वाला जानवर होता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं समझता था कि मेरे ऐसा कहने पर ऐसे लोग अवश्य बोलने लगेंगे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मुख्तार अनीस के बारे में बता दें, उनके पास न कोई संगीत है न कला है...

(व्यवधान)

श्री जिया राम शुक्ल "विकल साकेती"—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्तार अनीस साहब को बता दूं कि पराये मर्द को छेड़ना अच्छी बात नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी सूचना विभाग के अन्तर्गत साहित्य, संगीत और कला के लोगों को भी लें जिससे कि उनकी सूचनायें गांवों तक भी पहुंच सकें। हमारा देश गांवों का देश है इसलिये हमारी हर समस्या गांव-मुलक होनी चाहिये। मैं पुनः एक बार माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे ऐसी योजनायें चलायें जो कि गांवों तक सूचना पहुंचा सकें क्योंकि आकाशवाणी और दूर-दर्शन तो केन्द्र सरकार के हैं, आपके पास भी जो साधन हों, पत्रिका, संगीत, भजन, कीर्तन, नाटक, कठपुतली का नाच जो भी हो, उसकी व्यवस्था करें। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कोई सृजनात्मक दृष्टिकोण हो। अपने देश की संस्कृति का भी परिचय गांवों के लोगों को आप अपने विभाग द्वारा दे सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है और उसके विरोध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं बजट का समर्थन क्यों नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, एक जमाना था जब उनकी एक झलक और प्यार से उनकी बातों पर हम कुर्बानी देने के लिये तैयार थे.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

अब क्या काशीनाथ जी बदल गये हैं, वही तो हैं ?

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, एक कारखाना खुला था जिसमें डाक्टर लोहिया भी थे और माननीय मंत्री जी और हम एक कुली के रूप में उसमें थे । अपने समाजवादी मंत्री तो प्रमोट होकर इंजीनियर हो गये । आपने उनको बुलाया था किसी और काम के लिये लेकिन मालूम हुआ कि आपने सांप के बजाय रस्सी पकड़ ली । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किय उसमें जो आय-व्ययक का ब्यौरा दिया है वह जर देख लें कितना है पृष्ठ 254 पर अंकित किया है उसमें निर्माण कार्यों में, प्रचार कार्यों में जितना पैसा होना चाहिये था उतना नहीं दिया गया है । इन्होंने जो खर्चा दिखाया है उसमें टेलीफोन पर 2 लाख और कार्यालय पर व्यय 21 लाख 22 हजार दिखाया गया है, इसी तरह से मोटर गाड़ियों और उनके रख रखाव के लिये 4 लाख 50 हजार दिखाया गया है लेकिन निर्माण कार्यों के लिये एक हजार रु0 दिखाया है । यही नहीं 15 हजार रु0 विवेकाधीन कोष के लिये मंत्री जी ने रखा है तो जब जिसको मर्जी आयेगी, छोटे बड़े समाचार पत्रों को जिससे अपनी बात मनवाना चाहेंगे उसको देंगे तो उसका लोभ उनको देते रहेंगे । मैं अपनी बात दो चार वाक्य में रखना चाहूंगा । सूचना विभाग की जिम्मेदारी है कि वह शासन के लक्ष्यों को, शासन की नीति को जनता तक पहुंचाये तो इनकी बात तो इनके प्रथम पृष्ठ पर ही असत्य हो गयी । जैसा हमारे माननीय । साथी अकबाल साहब ने कहा कि इंकाउन्टर के संबंध मे सारी सूचना आनी चाहिये थी लेकिन आपके विभाग से इंकाउन्टर के संबंध में कोई सूचना नहीं आती कि इंकाउन्टर कहां हुआ किसके साथ मुठभेड़ हुई या कैसे हुई ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

यह सूचना देने का मुद्दा नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भावना बनाने की जिम्मेदारी आपके सूचना विभाग की होनी चाहिये इस से बड़ा काम कोई दूसरा नहीं हो सकता है । इसलिये गांवों में जो नाटक मंडलियां हैं उनको इस काम में प्रोत्साहन मिलना चाहिये जिस प्रकार आप चलचित्र निगम को फिल्म बनाने के लिये 80 प्रतिशत ऋण देते हैं, उत्तर प्रदेश की अच्छी-अच्छी जगहों के चित्र खींचने के लिये पैसा देते हैं उसी तरह से मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं उसी तरह से हमारे गांवों में बहुत सी ऐसी नाटक मंडलियां हैं जो ऐसे-ऐसे नाटक करती हैं जिससे गांवों में सद्भावना पैदा होती है, लोगों में चरित्र निर्माण की बात होती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग उन लोगों की तरफ भी ध्यान दे और उनको प्रोत्साहन दे । चलचित्र निगम जो फिल्म बना रहा है उसमें काफी पैसा खर्च कर रहा है और घाटे में चल रहा है उसके बजट को आप कभी मंगा कर देख लें उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । हमारे यहां गांवों में कितने ऐसे लोग हैं जो फिल्म देखने जाते है । मेरा सुझाव है कि गांवों में जो नाटक मंडलियां हैं उनके माध्यम से सांप्रदायिक सद्भावना बनाये रख सकते हैं उनको आप सहायता दें ।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, हमारे जो सूचना विभाग के दफ्तर जगह-जगह आपने खोल रखे हैं, जिला स्तर पर सूचना अधिकारी रखे हैं, और तहसीलों में भी बना रखे हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि आप उन लोगों को निष्पक्ष सूचना देने का आश्वासन न दें वह सही बात को नहीं दे पाते हैं केवल वही बात देते हैं जो शासन के हित की होती है, सही बात जनता की शासन

तक नहीं पहुंचा पाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनको पूर्णतया आजादी मिलनी चाहिये ताकि साधारण लोगों की बात सत्ता तक पहुंचा सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अकबाल हुसैन द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय अधिठाता महोदय, जो आपने मुझे सूचना विभाग के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सब से पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी सूचना स्वत: पूरी प्रदेश भर के लोगों तक पहुंचा देते है। इसके साथ-साथ उनका जो सूचना विभाग है वह पूरा सहयोग कर रहा है जिससे सरकारी नीति और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से सूचना विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है वह सरकार की सारी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के साथ साथ सरकार की छवि उज्जवल बनाने का काम करता है। उसी तरह कार्य को करने में यह विभाग और मंत्री जी भी बहुत ही सजग हैं। इसको सामने रखते हुये मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि यह 9 जनवरी से 13 जनवरी तक उत्तर प्रदेश की सूचना एवं जनसंपर्क समिति पश्चिमी बंगाल के दौरे पर गई थी। वहां जाकर देखा गया कि उत्तर प्रदेश के जो लोग वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं वह चाहे कल कारखानों में काम करते हों, छोटे-मोटे धन्धे में लगे हुये हों या नौकरी करते हैं सब के सब लोग बहुत ही असन्तुष्ट हैं। क्योंकि वहां कम्युनिस्ट सरकार है और वहां के बंगाली लोग जो अपने को बंगाली कहते हैं इनको बाहरी कहकर दुर्व्यवहार करते हैं। (व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

अब आपने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्ती । दे दिया है और लोकदल में है, इसका ध्यान रखें।

श्री मसरूर जाफरी--

यह पार्टी का प्रश्न नहीं है..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

हमें यह कहना पड़ता है कि जब सत्ता पक्ष का कोई साथी बोल रहा है, तो कम से कम सत्ता पक्ष के लोग ही उसमें व्यवधान न डालें। यह आपकी तरफ से भी चलता है। तो जब एक सदस्य बोलता है, दूसरा टिप्पणी कर रहा है बैठें बैठें, तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि यह जो एक मिनट चला गया वह अच्छा नहीं है, इसमें किसी का काम नहीं हुआ है।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, यह हमारा समय बढ़ा दिया जाए, जो कट गया है तो मैं कह रहा था वहां हम सब सदस्यों ने प्रयत्न किया कि बंगाल सरकार का सूचना विभाग के मामले में क्या कार्यक्रम है उससे हम अवगत हो जायें और उत्तर प्रदेश में भी उसके अच्छे कार्यक्रम को लागू कर सकें, तो अच्छा हो। लेकिन इस संबंध में हमें वहां की सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला, केवल वहां के निदेशक से मुलाकात हुई और उन्होंने पूछने पर यह बताया कि सूचना विभाग द्वारा हम सरकारी कार्यक्रम की सूचना तहसील-तहसील और गांव-गांव तक पहुंचाते हैं और तहसील स्तर का संगठन बनाकर पूरे तहसील के हर गांव से सूचना मांगते हैं। हर गांव की सूचना तहसील पर आती है और तहसील का अधिकारी उसे जिले के अधिकारी को भेजता है और जिला अधिकारी उसे प्रदेश के सूचना अधिकारी तक पहुंचाता है। कार्यक्रम का क्या

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री]

असर पड़ा इसको भी हम जानना चाहते हैं और जानकारी रखते हैं। तो मैं चाहता हूं मंत्री जी से कि वह अपने विभाग का एक केन्द्र वहां हावड़ा में स्थापित करें, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग निवास करते हैं। इसी तरह से मैं बम्बई के लिये भी मांग करता हूं, वहां भी उत्तर भारतीय बहुत हैं। इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि तहसील स्तर पर उत्तर प्रदेश में विभाग का संगठन करके इस कार्यक्रम को बहुत तेजी से बढ़ाया जाय।

हमारे लखनऊ रेडियो के कबीर शाह हैं, उनको कमेन्ट्री करने के लिये टेलीविजन के डायरेक्टर जनरल, नई दिल्ली ने बम्बई भेजा था। उन्होंने वहां वर्ल्ड हाकी कप टूर्नामेन्ट का हिन्दी में कमेन्ट्री किया जिसमें 10–12 विदेशी लोग शामिल थे। कमेन्ट्री करने के लिये 8 लोग भारत से चुने गये थे और केवल 4 अच्छे चुने हुये लोगों में एक कबीर शाह भी थे। तो प्रदेश का कोई अधिकारी या कर्मचारी, यदि विदेशी लोगों के सामने सूचना विभाग का नाम उजागर करता है तो उसको विभाग द्वारा उचित सम्मान दिया जाना चाहिये तो मैं सदन के माध्यम से सूचना मंत्री जी से वह विभाग से मांग करता हूं कि उनको समुचित सम्मान दे कर उनका मनोबल ऊंचा कर सकें, तो करें। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना विभाग के अनुदान के संबंध में बोलने का अवसर दिया। मैं, श्रीमन्, कोई भाषण नहीं दूंगा लकिन 4–5 बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा और चाहूंगा कि व इन चीजों का स्पष्टीकरण और जवाब अपने अंतिम भाषण में दे दें? माननीय मंत्री जी हमारे बड़े बोलते हैं और एक्टिव हैं लेकिन मुझ उनक प्रति बड़ी ही हमदर्दी ह कि उन्हें कवल 1 करोड़ 98 लाख रुपय की धनराशि दी गयी है जो बहुत ही कम है। हमारे इकबाल साहब को बड़ी परेशानी हुयी कि जन संख्या कम कर दी। एक पंडित ने दूसरे पंडित की मदद कर दी। माननीय लोकपति जी की उन्होंने मदद कर दी और 1 करोड़ की जनसंख्या कम कर दी।

मान्यवर, बदायूं में बड़ी मारा मारी हुयी जिसमें एक शायर ने य शेर कह दी थी कि 'इंदिरा मैया रोटी दे, छोटी दे या मोटी द'। तो अगर शायर के तखइयुल पर मारामारी होने लगे तो कैसे काम चलेगा। वहीं के एक शायर काका हाथरसी ने अपनी बीबी को एक शेर कही थी "कि" डार्लिंग तुम्हारा हुक्का हो गया है, पुराना,

यह तो हम हैं कि गुड़गुड़ाये जाते हैं।"

तो अगर वे इस पर एतराज करतीं तो काका हाथरसी को घर में न घुसने देतीं। तो यह तो शायरों का एक तखइयुल है।

आज आपकी डायरेक्टोरेट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है जिसके बारे में केवल 2–3 प्रश्न ही पूछना चाहता हूं। एक तो आपके डायरेक्टोरट में मिस वंदना शास्त्री और दूसरी मिस बाजपेयी हैं। मैं जानना चहता हूं कि ये किस पद पर काम कर रही हैं, किस आधार पर इनकी नियुक्ति हुयी थी, कितनी तनख्वाह ये पाती हैं और किस काम के लिये आपकी डायरेक्टोरेट में रहती हैं, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपकी डायरेक्टोरेट में उर्दू का एक सेक्शन सेंशन हुआ था लेकिन वित्त विभाग द्वारा उसे रोक दिया गया है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी हमेशा उर्दू के प्रति हमदर्दी रखते हैं और कहा भी है कि हम उर्दू को उत्तर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में दूसरा दर्जा देंगे तो मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी इन बातों के बारे में अपन अंतिम भाषण में उत्तर दे दें।

दूसरे मुझे यह कहना है कि आपके यहां जो इन्फार्मेशन आफिसर्स की सीनियारिटी लिस्ट बनी है उसमें जो 11 नम्बर पर हैं जो वर्ष 1973 हैं उनके हक मार दिये गये हैं बमुकाबले उनसे जो 3-5-74 को आपके यहां पर नियुक्त हुये थे। उन्होंने टेस्ट भी पास कर लिये हैं। एक श्री नरेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव है जो वर्ष 1974 के हैं और जिन्होंने कोई टेस्ट भी पास नहीं किया है। जबकि जो वर्ष 1973 (1-12-73) नियुक्त लोग हैं और नम्बर 11 पर हैं और 10वें नम्बर वाले 1-4-73 से आपके यहां पर नियुक्त हैं, जिन्होंने आपका टेस्ट भी पास कर लिया है जिनको मौका मिलना चाहिये था लेकिन उनसे जूनियर्स को किन कारणों से रखा गया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे माननीय मंत्री जी का साइज बड़ा छोटा है, इसलिये उन्हें थोड़ी ही ग्रान्ट दी गयी है। मेरी उन से हमदर्दी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये जो आपने मुझे मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, वाइज का हर इक इरशाद बजा तकरीर बहुत दिलचस्प सही,

चेहरे पर सरूदे इस्क नहीं, आंखों में हया का नूर नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

कल माननीय रियासत साहब ने शब्द "बेहया" के लिये बहुत कुछ कहा है। (हंसी)

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी—

मेरे कहने का मतलब यह है कि विरोधी दल वालों को तस्वीर के दोनों पहलू को देखना चाहिये। यह सूचना विभाग जो कल तक केवल सरकारी सूचना एकत्र करके ही दिया करता था, आज उसका कार्यक्षेत्र इतना अधिक बढ़ गया है कि वह गांव गांव और गली-गली तक में फैल गया है। आज चल चित्र निगम के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और लाभप्रद बातों को जनता तक पहुंचाया जाता है और यह एक सराहनीय कार्य है। मान्यवर, जहां विभाग के कुछ सराहनीय कार्य हैं वहां कुछ त्रुटियों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं।

आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय एकीकरण पर बल दिया जा रहा है, पर इस दिशा में इस सूचना विभाग को जिस गति से काम करना चाहिये था उतनी तीव्र गति से यह विभाग काम नहीं कर रहा है। बजट भी इतना कम इस विभाग के लिये रखा गया है कि बाद को ही कह दिया जायेगा कि काम इसलिये कम हुआ क्योंकि बजट कम रखा गया था। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बजट को कम से कम दूना कर दिया जाय।

मान्यवर, समाचार-पत्र समाज का आइना होते हैं और वे समाज की सही तस्वीर को सामने रखते हैं। पर इनकी स्थिति एक समान नहीं होती है। कुछ अखबार अमीर होते हैं, साधन सम्पन्न होते हैं, कुछ बहुत कमजोर होते हैं, उनके पास साधनों की कमी होती है। पहले एक विवेक निधि माननीय सूचना मंत्री के पास रहा करती थी जिसमें से आवश्यकता पड़ने पर मंत्री अपने विवेक से जरुरत मंद मान्यता प्राप्त पत्रकारों व अखबारों को सहायता

[श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–]

दे दिया करते थे, अब वह नहीं रखा गया है । अगर किसी जर्नलिस्ट का मकान गिर जाये या और कोई विपत्ति उसके ऊपर आ जाये तो उसकी सहायता के लिये मंत्री के पास कोई धन अब नहीं रहता जो पहले रहा करता था । छोटे अखबारों वालों को अनुदान या सहायता देने हेतु आपके पास कोई ऐसा 'सेल' नहीं है । जिससे कि छोटे अखबार ऋण या अनुदान लेकर अखबार व प्रेस चला सकें । विज्ञापन देने के लिये भी आपने अब यह शर्त लगा दी है कि विज्ञापन केवल उन्हीं अखबार वालों को दिये जायेंगे जिनके पास टेलीप्रिन्टिर्स सर्विस होंगे । जो छोटे अखबार वाले हैं, जिन के पास टेलीप्रिन्टर्स नहीं, ह उनको अब विज्ञापन नहीं मिल सकेंगे । आपको चाहिये यह था कि इन छोटे अखबार वालों की सबसिडी करने के लिये टेलीप्रिन्टर्स आदि क लिये आप इनको कोई सहायता देते ताकि वह टलीप्रिन्टर्स सर्विस प्राप्त करने में आगे आवें ।

माननीय गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में उर्दू के लिये कुछ बातें कही थीं । लेकिन जो प्रेस नोट सूचना विभाग से जारी होते हैं उनका कवल 50 प्रतिशत ही उर्दू में अनुवाद होता है । सब का उर्दू अनुवाद नहीं किया जाता । इसका कारण शायद यह है । कि आप यहां उर्दू अनुवाद करने वाले केवल 2 ही व्यक्ति रखे गये हैं । मेरा सुझाव है कि जो भी सूचना इस विभाग के माध्यम से जारी की जाये वह सभी उर्दू में भी जारी हो और उसके लिये आवश्यकतानुसार उर्दू अनुवाद करने वालों का स्टाफ भी बढ़ाया जाये ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा कि उर्दू प्रोत्साहन देने की बात तो ठीक है, परन्तु टेन्डर, नोटिसेज आज भी उर्दू में नहीं दिये जाते हैं, बल्कि हिन्दी में ही दिये जाते हैं । उन्हें उर्दू में अनुवाद करने में कठिनाई होती है । आज से एक साल पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने सूचना विभाग में उर्दू सम्पादकों की मीटिंग की थी, माननीय अम्मार रिजवी साहब उस समय इसके मंत्री थे ।मान्यवर, उस समय उर्दू के बारे में बहुत से आश्वासन दिये गये थे लेकिन उसमें अभी तक किसी भी आश्वासन का कार्यान्वियन नहीं हुआ होगा,मुझे सन्देह है ।यदि एक ओर विभाग जन जीवन से जुड़ा है तो दूसरी ओर हमारे यह पत्रकार बन्धु,समाचार प्रतिनिधि बन्धु भी पब्लिक लाइफ से जुड़े हुये हैं । आज विज्ञापन की स्थिति यह है कि आप 70 प्रतिशत विज्ञापन हिन्दी अखबारों को देते हैं, 20 प्रतिशत अंग्रेजी अखबारों को 10 प्रतिशत आप उर्दू अखबारों को विज्ञापन देते हैं । अगर रिकार्ड देख लिया जाय, तो यह पता चल जायगा कि 10 प्रतिशत भी वह उर्दू का विज्ञापन पूरा नहीं किया जाता था । आज कुछ लोग प्रदेश में उर्दू के मुखालिफत भी करते है तो उर्दू भाषा बोलकर ही करते हैं । मान्यवर, उनके विरोध करने से कुछ नहीं । उर्दू को उसका स्थान मिलकर रहेगा "न टूटा है, न टूटेगा किसी रिस्ते ये उर्दू ।नजर आती है, सबकी जिन्दगी, वाबिल्तये उर्दू । गुलिस्तांने जहां के फूल जब चुन-चुन रखे हैं, बना है तब कहीं इस शान का गुलदस्त उर्दू ।" इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(2 बजकर 55 मिनट ।)

*श्री धरमपाल—

मान्यवर, सूचना जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । श्री अकबाल साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये एवं माननीय मंत्री द्वारा रखे हुये बजट का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, प्रजातन्त्र के अन्दर सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि एक तरफ विधायिका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और एक तरफ पत्रकार रहते हैं। पत्रकार समाज की आंख और हमारे ऊपर निगरानी के प्रहरी के रूप में रहते हैं। लेकिन इनके शासन के अन्दर पत्रकारों को पीटा जाता है, हत्यायें होती हैं, उनको दी जाने वाली सुविधायें नाम की हैं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि ढाई हजार किलोमीटर की सुविधा पत्रकारों को जरनी के लिये द दिया है। यह सुविधा बहुत ही कम है। मान्यवर, इनको भी विधायकों की तरह पास दिया जाना चाहिये, क्योंकि इनकी भी समस्या करीब-करीब वही है और इनका कार्य-क्षेत्र कहीं भी कम नहीं है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान माननीय मंत्री जी चलचित्र निगम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके लिये काफी मात्रा में आपने रुपया इकट्ठा कर रखा है। आपने चलचित्र निगम प्रत्येक तहसील में नहीं बनाया है, कुछ ही जनपदों में बनाया है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी की या संजय सिंह की अथवा राजीव जी की मुख्य मंत्री की इच्छा थी। प्रदेश की गरीब जनता को उसकी राहत से कोई मतलब नहीं है। दूसरा मान्यवर, रेडियो की बात है। प्रदेश ही नहीं मैं सारे देश की बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय धरमपाल जी, विषय के अन्दर ही बोलें।

श्री धरमपाल---

मान्यवर, टेलीविजन के अन्दर आज तक पक्षपात होता चला आया है। आज तक विरोधी पक्ष के लोगों को वार्ता में भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया है। जब हमारा जनता शासन था, तो हम विरोधी पक्षके लोगों को बराबर मौका दिया करत थे। मान्यवर, दखा जाय कि इनके विभाग के अन्दर विज्ञापन के आवंटन का जो तरीका है, वह भी पक्षपातपूर्ण है इनका गुणगान जो करते हैं, उनको विज्ञापन, अत्यधिक दिये जाते हैं। नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन को आप देखें और स्वतंत्र भारत, आज की तुलना करें तो स्पष्ट मालूम हो जायगा कि पक्षपात कहां पर है। इनके विभाग की तरफ से जो पार्टी और डिनर दिया जाता है लकिन पार्टी और डिनर अपने चमचों को देत हैं साधारण पत्रकार को पूछा नहीं गया है।

मान्यवर, इसी तरह मंत्री लोग अपने क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त समाचारपत्रों को कागज का कोटा दिलवाते हैं जिसका अखबार तो कम निकलता लेकिन खुल बाजार में वह कागज अधिक बिकता है। माननीय मंत्रियों की तारीफ करना और इनका गुणगान करना इनका काम रह गया है। माननीय मंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि यह शासन की छबि उभारने के लिये है। मान्यवर, होना तो यह चाहिये कि प्रजातंत्र की सही तस्वीर जनता के सामन रखी जाय और शासन की गलत नीति को भी जनता के सामने रखा जाय। माननीय मंत्री जी कहते ह कि शासन की अच्छी नीति को बताने के लिये धन से ससाधन रखा गया है। मान्यवर, म इन थोड़े से शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का विरोध करता हूं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सूचना मंत्री द्वारा रखे गये सूचना विभाग के बजट पर बोलने का शुभ अवसर दिया मैं इसके लिये आपका आभारी हू। मान्यवर, सूचना के संबंध में और इस विभाग के संबंध में काफी देर से चर्चा चल रही है। मैं यह सुन रहा था। अव्वल तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सूचना विभाग का बजट एक करोड़ 50 लाख रखा गया है मै समझता हू कि इस देश और प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। जिस प्रदेश में 11 करोड़ 9 लाख 65 हजार लोग बसते हों उस प्रदेश के लिये एक करोड़ 50 लाख क्या माने रखता है। जिस प्रदेश में 11--12 करोड़ लोग बसते हों वहां इतना छोटा

[डाक्टर बृज किशोर मिश्र---]

बजट रखा गया है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि निश्चित रुप से इसमें संशोधन करना चाहिये । इसका कारण हिन्दुस्तान ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं यह अन्तर प्रान्तीय स्थिति को जागृत करता है ।

मान्यवर, चाहे समस्या गोरखपुर की हो, चाहे समस्या दिल्ली के किनारे की हो, मान्यवर, सूचना विभाग के माध्यम से जो देश की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं । मान्यवर, देश के परिस्थिति स जो अवगत कराता हो उसक बजट को पूरा करन की मैं मांग करता हूं । अभी हमारे माननीय सदस्य धरमपाल जी कह रहे थे कि देश और प्रदेश पत्रकारों की व्यवस्था नहीं है । जिस दश और प्रदेश के पत्रकारों का उत्पीड़न किया जाय । म अज करना चाहूंगा कि पत्रकार इस देश का नागरिक है इस प्रदेश का नागरिक है । जो हमारी हैसियत है वह उनकी हैसियत है । उन्होंने दो चीज बताया । हमारे सम्मानित सदस्य न दो चीजों का मूल्यांकन किया । एक तरफ विधायिका और दूसरी तरफ पत्रकार । मैं कहना चाहूंगा कि तीन चीज है । एक विधायिका, दूसरी न्यायपालिका और तीसरी हमारी पत्रकारिता है । हमारे पत्रकार के कतव्य हम लोगों स 4 कदम आगे हैं । लेकिन मान्यवर आज हम अपने कर्तव्य का निवहन सही रुप में करने में विफल हैं । मान्यवर, चाह पत्रकार हो चाहे हम लोग हों उसको अपने कर्तव्य से च्युत कर दिया जायेगा और सही तथ्यों को वह नहीं रखेगा तो शायद मैं समझता हूं कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पायेगा ।

मान्यवर, पत्रकार समाज का दर्पण होता है । इसलिये जब देश, प्रदेश और विश्व की सही बात परिलक्षित करने की बात आती है तो उसकी जिम्मेदारी पत्रकार पर होती है और माध्यम सूचना विभाग होता है और उसके पास इन सारी चीजों को हमारे गांवों में चूंकि अज भी गांवों में 80 से 85 प्रतिशत लोग शिक्षित नहीं हैं, वही गरीब है , वह असहाय और कमजोर हैं जिनको समझाने का माध्यम क्या होगा, सूचना विभाग होगा और उसके माध्यम से पत्रकार और पत्रकार के माध्यम स रडियो, टलीविजन जो संसाधन हैं जिनके माध्यम से लोग हमको चुनकर यहां भेजते हैं और हम यहां सदन में बैठकर अपने कर्तव्यों का कितना निर्वाह करते हैं, अच्छा या बुरा, उसको जनता नहीं देखती है, उसको तो पत्रकार या रेडियो या टलीवीजन के माध्यम से जनता जानती है कि यहां क्या हो रहा है ? मान्यवर, अभी एकीकरण के संबंध में कहा गया है, सूचना विभाग के माध्यम से जो प्रसार हो रहा है, अखबारों के जरिये जो प्रचार हो रहा है वह कम नहीं है ।

मान्यवर, आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का दिल्ली में एक सूचना विभाग का ब्यूरो है जो दिल्ली के सारे पत्रों का मूल्यांकन करता है और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में अखबार प्रकाशित करते हैं । इसलिय मैं कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग के राज्य मंत्री, श्री काशीनाथ मिश्र, जिनको माननीय सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि वह एक विद्वान, गरिमा से भरे हुये समाज सेवी, जिनके पास यह विभाग है निश्चित रुप से यह विभाग फले और फूलेगा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में रहकर । लेकिन मंत्री जी न जो इस विभाग क लिये पैसा मांगा है वह कम है और उनको अधिक पैसा मांगना चाहिये था ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, माननीय सूचना मंत्री जी ने जो अपना बजट यहां पर रखा तो उसमें उन्होंने अपने विभाग की कोई नीति ही नहीं बतायी है । लेकिन इनकी जो प्रधान मंत्री हैं उन्होंने नीति जरूर बता दिया है । उन्होंने स्वीडन में एक टेलीवीजन इंटरव्यू में कहा है कि 'प्रेस इज माई अपोजीशन' । हिन्दुस्तान में जो समाचार-पत्र हैं वह मेरे विरोधी हैं । जब समाचार पत्रों को आप अपना विरोधी मानकर चल रहे हैं, आपकी प्रधान मंत्री जिसने आपको एक कलम से सूचना का राज्य मंत्री बताया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप पढ़ते लिखते तो हैं नहीं। आप प्रधानमंत्री को गलत कोट क्यों कर रहे हैं ?

*श्री मुख्तार अनीस--

जब सरकार समाचार पत्रों को अपना विरोधी मानकर चलेगी तो फिर सूचना मंत्री क्या नीति बना सकत हैं सूचना के बारे में। मान्यवर, पालेकर एवार्ड क बारे में दिसम्बर, 1980 में श्री नारायण दत्त तिवारी ने घोषणा किया। लेकिन आज 1982 चल रहा है और आजतक आप लोग लागू नहीं कर पाये। अभी आपके श्रम मंत्री और सूचना मंत्री ने कोई बैठक उस संबंध में नहीं बुलायी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि एक चौथाई से भी कम, अखबार के मालिक जो हैं उसका पालन करते हैं। जो नशनल हराल्ड का इतना बड़ा ट्रस्ट बना हुआ है उसकी आज क्या हालत है। 'कौमी आवाज' के जो कातिब हैं उन लोगों ने साफ-साफ लिख कर दिया है कि अगर तनख्वाह नहीं देंग तो हम लोग किताबत छोड़ देंग। भाषाई जो अखबार हैं उन पर आपका दबाव है। भाषाई अखबारों को आप विज्ञापन नहीं देते हैं चाह वह उर्दू के हों या दूसरी भाषा के आप कहते हैं कि हमारी नीतियों के बार में साफ-साफ घोषणा करो और हमारे पक्ष में बयान दो। आज यह हालत है कि इनकाउन्टर की खबर अखबार में कोई नहीं आती। क्योंकि सरकार अखबारों को विज्ञापन न दकर खबर छापने को बन्द कर देना चाहती है। 19 तारीख को उत्तर प्रदेश बन्द हुआ। एसा गांव या कस्बा नहीं था जिसमें मुकम्मल बन्द न रहा हो लेकिन उसको यह बन्द नहीं मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कब बन्द मानेंगे। जब इनकी प्रधान मंत्री को हम लोग किसी कमरे में बन्द कर दें तब यह बन्द मानेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

आप विषय पर बोलें।

श्री मुख्तार अनीस--

मैं विषय पर बोल रहा हूं मैंने बन्द की डिफनीशन दिया है। आज क्या हालत हो रही है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा चलचित्र निगम है। तमाम जगहों पर यह निगम पिक्चर हाल बना रहा है। लेकिन आपक पिक्चर हाल घाट पर चलते हैं। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में एक पिक्चर हाल चलता है। मैंने वहां पर जाकर जांच किया।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, यह जरा पढ़कर बोले। चलचित्र निगम को 14 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है।

श्री मुख्तार अनीस--

वहां की जो हालत है वही हालत अन्य जगहों की है। लखनऊ की कला और कल्चर के बारे में आप कोई फिल्म नहीं बनाना चाहते हैं। बम्बई के जो बड़े-बड़े फिल्म बनाने वाले हैं उनकी जो जूठन है उसको लाकर आप यहां दिखाना चाहते हैं। मैं पूंछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो विज्ञापन छपवाये हैं वह किन-किन प्रेस से छपवाये हैं और किन-किन अधिकरियों ने कमीशन खाया है। इन तमाम बातों को आप देखिये कि सूचना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस--]

विभाग में क्या बात हो रही है। मिश्रा जी और ठाकुर जी इनके बीच में दुलत्ती चल रही है। इसकें काम को ठीक से करिये और सरकारी प्रचार द्वारा सत्य का ही प्रचार कीजिय, तभी प्रचार चलेगा, राजीव गांधी, संजय गांधी का प्रचार आप करते हैं, इससे कुछ होन वाला नहीं है। आप सत्य का प्रचार कीजिये।

*श्री मारकण्डेय चन्द--

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इस प्रजातंत्रीय युग में योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये सूचना विभाग एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस संबंध में निवेदन करूंगा कि अभी मा0 विरोधी पक्ष के सदस्य, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उन्होंने एक ही रचनात्मक सुझाव दिया। माननीय मंत्री जी की एक इस पुस्तक में कहीं नहीं लिखा है कि जो इसका संगठनात्मक स्वरूप है, उसका विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं। अब तक इसका जो स्वरूप है तो जनपद स्तर पर एक सूचना कार्यालय ह सूचना अधिकारी है, आपने तहसील स्तर पर विकेन्द्रीयकरण करन का निर्णय लिया है, तो तहसील स्तर का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करना चाहिये, लकिन जो कार्य बरसों से चला आ रहा था जैसे क्षेत्र समितियों का निर्माण हुआ हर ब्लाक में, जहां क्षेत्र समिति में भवन बना, वहां भवन के अन्दर एक सूचना केन्द्र की स्थापना हुई। सूचना केन्द्र कें इस हाल में सरकार की योजनाओं के संबंध में जो भी कार्यक्रम होते थ उनका जनता तक पहुंचाने के लिये पुस्तकें उपलब्ध होती थीं, आज सूचना केन्द्रों की यह दुर्दशा है कि सूचना केन्द्र बने हैं, लेकिन वहां पर आज तक फावड़ा, पेस्टीसाइड्स और गल्ला रखा जाता है। जब तक योजना की सही जानकारी, सही सूचना जन-जन का नहीं देंगे कि आपकी योजना क्या है, कार्यक्रम क्या है, तब तक जनता लाभान्वित नहीं होगी। हर ब्लाक स्तर पर जो सूचना कार्यालय है, सूचना केन्द्र है, उनका पुनर्जीवित करें और जितने भी सूचना की पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनको वितरित करें। सभी तरफ से यह कहा गया कि आपका बजट बहुत कम है लेकिन हर विभाग का जो तर्क है, जो काम बीसों वर्ष पहले सूचना विभाग स्थगित किया था कि हर जनपद के कार्यालय पर एक गाड़ी रहती थी और सरकार की योजनाओं का गांव में जाकर गांव के लागों का चलचित्र आदि के द्वारा दिखाते थे।

मैं यह मांग करूंगा कि गांव में जो गाड़ियां हैं, अगर मर गयी हैं तो जिन्दा करिये, अगर नहीं कर सकते तो जनपद में एक गाड़ी होनी चाहिये, जो चलचित्र दिखलाकर अपनी योजनाओं का, अपने कार्यक्रमों का, गन्ने के संबंध में जो डाक्युमेन्टरी है उसका, परिवार नियोजन के संबंध में जो प्रचार कर रहे हैं उसका, इसमें आप स्वास्थ्य मन्त्री जी से सहायता लीजिये अगर बजट कम है, परिवार नियोजन पर फिल्म बनाकर गांव में प्रचार करिये। जब तक विकेन्द्रीय करण नहीं करेंगे, इसमें ज्यादा रचनात्मक सुझाव लावें, जो गांव के लोगों तक आपकी योजनाओं को पहुंचाने के लिये सक्षम हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे यह निवेदन करूंगा कि जिला ब्लाक स्तर पर जो आपके सूचना केन्द्र हैं, जो कि बन्द पड़े हैं और जिनमें फावड़ा इत्यादि रखा जाता है, उसको प्रारम्भ करें और जो कार्य उनके लिये पहले से चला आ रहा है उसके उद्देश्य और लक्ष्य से उन्हें अवगत करायें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के साथ क्योंकि इनफारमेशन की स्टैंडिंग कमेटी में बराबर मुलाकात होती रहती है और बड़ा लुत्फ आता है यह देखने में कि माननीय विधायकगण तो बैठते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं नीचे और हमारे मंत्री महोदय और डाइरेक्टर महोदय का आसन लगता है राजा के समान ऊपर और हमारे माननीय मंत्री जी डाइरेक्टर के सामने सहमे से बैठे रहते हैं जैसे बिल्ली के सामने चूहा है। क्योंकि हमारे डाइरेक्टर महोदय मुख्य मंत्री जी के करीबी रिश्तेदार हैं। पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी आई0ए0एस0 को डाइरेक्टर न बना कर मुख्य मंत्री जी ने अपने करीबी रिश्तेदार को वहां का डाइरेक्टर बना दिया है। इसके अलावा यह आपका अपना जातीय मामला है इसलिये आगे मैं कुछ नहीं कहता।

मैं मंत्री जी से जानकारी यह चाहूंगा कि जसे, अभी माननीय रियासत हुसैन साहब ने पूछा था कि उर्दू के लिये आप बड़ी बातें करते हैं। आपके यहां उर्दू का सेक्शन खोलने की बात है, मामला फाइनेन्स को गया और फाइनेन्स ने आबजेक्शन लगा दिये तो आपने अभी उस रोक दिया है। दूसरे हर मंत्री का एक इनफारमेशन आफिसर होता है तो अगर यह बात सही है तो ऐसे कितने गैर मुस्लिम मंत्री हैं कि जिनके इनफारमेशन आफिसर उर्दू जानते हैं तथा लखनऊ से निकलने वाले कितने ऐसे रोजनामें हैं जिनके इश्तहार छपते हैं और उनमें इश्तहारों का परसेन्टेज क्या है ?

आप कहते हैं कि आपका डिपार्टमेन्ट अखबारों में दखल नहीं देता है। अभी हाल ही की बात है कि डिप्टी डाइरेक्टर प्रमोद शुक्ला ने रात को टेलीफोन किया है कि ट्रक ड्राइवरों का मामला अखबारों में हाई लाइट न किया जाय। आपके एक जिम्मेदार आफिसर ने यह एक निहायत ही घटिया काम किया है। मैं समझता हूं कि मेरी इस बात का मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय जरूर जवाब देंगे।

मैंने एक प्रश्न अल्पसूचित के रूप में दिया था कि मुजफ्फरनगर में केवल राम जो कि हरिजन है, आपके विभाग ने उसे सस्पेन्ड कर दिया, उसके बाद आपके विभाग ने उसे बहाल भी किया लेकिन फिर वही बात कि आपके डाइरक्टर महोदय ठाकुर साहब हैं और आप उनसे भी ऊंची जाति के हैं, उन्हें छोटी जाति का आदमी नहीं चाहिये था तो उसे नौकरी में नहीं लिया।

आखिर में एक बात मैं यह अर्ज करूंगा कि एक बड़ा सवाल उठ रहा है न्यूज ऐजेन्सियों का, निगमों का कि न्यूज ऐजेन्सियों निगमों के मातहत हैं। जितने निगम हैं उनके इश्तहार निकलते हैं, छपते हैं। पहिले यह इश्तहार डाइरेक्ट नहीं दिये जाते बल्कि न्यूज ऐजेन्सियों के जरिये से उन्हें दिया जाता है। आमदनी का जरिया जिस तरह से पहले होता था, अब बदला हुआ है मंत्री जी को वह अपने आप क्या देती है या नहीं आप जानें।

श्री अधिष्ठाता---

उन्हें न्यूज एजेन्सी नहीं एडवरटाइजिंग ऐजेन्सी कहिये।

श्री मुहम्मद आजम खां--

नहीं न्यूज ऐजेन्सीज ही हैं। इसमें एक है उत्तर प्रदेश बिक्री-कर निगम, लखनऊ। यह राजकीय एडवरटाइजिंग और मारकेटिंग एसोशियेशन है। इसका 1 लाख का बजट है और इस पर बकाया है 9,327 रुपये।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा और फिर खत्म कर दूंगा। मंत्री क्या आश्वासन देंगे कि प्रचार वाली 508 और अहमद क्लास 150 रुपये वगैरह--वगैरह पर जो बकाया है, उस घाटे को पूरा करने के लिये उनके बकाया अदा कराये जायेंगे। लिहाजा मैं आखिर में एक

[श्री मुहम्मद आजम खां--]

बात कह कर कि इस किस्म के जो एडवरटाइजमेन्ट है अगर वह किसी रिकग्नाइज्ड एजेंसी द्वारा दिलवायी जायें जैसे आई० ई० एन० एस० है, तो ज्यादा बेहतर होगा। मुख्य मंत्री जी ने 31 तारीख को उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाने की बात कही थी, वह मर्द आदमी हैं, उनकी जुबान, मर्द मुजाहिद की जुबान होती है, मैं तो केवल यह आश्वासन चाहूंगा कि अगर वास्तव में आप इसके लिये संजीदा हैं तो उर्दू दूसरी जुबान कब होगी, यह सवाल कब उठेगा, बाद की बात है लेकिन उर्दू के इश्तिहरात न मिलने के कारण वह छोटे-छोटे अखबारात जो अपनी मौत मर जाते हैं उनके साथ आप इंसाफ करें। उनको भी आप उतने ही इश्तिहारात दें जितने अपने चहीते अखबारात को देते हैं।

(श्री दामोदर शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त हो गया। समय कम समझ कर बोलें आप।

*श्री दामोदर शर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस महत्वपूर्ण विषय पर, सूचना, जिसका मैं अर्थ समझता हूं कि देश के पत्रकार, बुद्धिजीवी सूचना एकत्र करते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पत्रकार बड़े-बड़े देश के नेता रहे हैं और देश को आगे बढ़ाया है जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है वे भी पत्रकार रहें हैं, आगे चले हैं। आज हम राजनीतिक और आर्थिक प्रगति कर रहें हैं, वह भी उनके ही माध्यम से। आज बड़े-बड़े विद्वान पत्रकार, आज की तारीख में मौजूद हैं जिनका केवल देश के आर्थिक चरित्र राजनैतिक क्षितिज पर तुलनात्मक विश्लेषण करना महत्वपूर्ण कार्य है। मैं उनका आभारी हूं और शुक्रिया अदा करता हूं।

इस विभाग में चल चित्र निगम द्वारा जो छविगृह बनाये गये हैं, अभी विरोधी सदस्य कह रहे थे कि वे घाटे में हैं, वे घाटे में नहीं बल्कि हमारे यहां मेरठ जिले में एक हस्तिनापुर में बनाया गया है वह मुनाफे में चल रहा है और मेरा अनुरोध है कि कस्बा खरकौदा में, जिसकी आबादी 12-13 हजार है, एक छविगृह बनाने की व्यवस्था करें।

अभी आजम जी बोल रहे थे कि सूचना विभाग में हरिजनों का आरक्षण नहीं है, उनका कोटा पूरा नहीं किया गया। मेरी जहां तक जानकारी है, केवल रामजी, उनका नाम सूची में है और उन को पुनः सूचनाधिकारी बनाया जा रहा है। इस तरह से कह कर वे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

मंत्री जी से मेरा एक खास अनुरोध है, अखबार वाले जो लाबी में बैठे हैं, बुरा नहीं मानेंगे, हर जिले स्तर पर छोटे अखबार ब्लैकमेल करते हैं अधिकारियों को नेता को और वह इसलिये कि उनको पैसा मिल जाये और उनकी खबर छप जाये। अतः जो छोटे अखबार हैं, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, उनको अधिक से अधिक विज्ञापन दें ताकि वे चल सकें।

छोटे अखबार, जो छोटा मोटा आटोमेटिक प्रेस लगाना चाहते हैं उनको अनुदान, ऋण दिया जाये।

सूचना विभाग के दफ्तर तहसील स्तर पर नहीं बल्कि ग्रामीण स्तर तक पहुंचाये जायें ताकि ग्रामीण स्तर पर रह रहें हैं, उनको महसूस हो कि कहां मिट्टी का तेल बंटता है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहां नहीं । इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि यह सूचना विभाग जो वह तहसील स्तर पर करने जा रहे हैं उसे ग्रामीण स्तर पर लाया जाय और चाहे अनुदान की राशि को बढ़ायें या इसको मा0 मंत्री जी अगले बजट में रखें लेकिन इसको ग्रामीण स्तर पर अवश्य रखें। अन्त में मैं बधाई देना चाहता हूं कि रेडियो और टेलीविजन की जो बुराई कर रहे थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। मैं मा0 मंत्री जी से पत्रकार और फिल्मवालों के लिये भी अनुरोध करूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठें।

श्री दामोदर शर्मा--

अन्त में मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री मुख्तार अनीस--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है आपका ?

श्री मुख्तार अनीस--

इस सदन में कई बार इस बात का निर्णय लिया गया है कि सभी पार्टियों के एक-एक आदमी की राय आ जाती रहीं हैं। अभी जैसा कि नौटियाल जी ने कहा कि उनकी पार्टी को अवसर नहीं मिल पाया। कम्युनिस्ट पार्टी की राय भी आ जानी चाहिये इसलिये उनको दो मिनट का समय दे दें।

श्री खैरूल बशर--

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न इसी में जोड़ लीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

अभी एक का जवाब तो आ नहीं पाया और आप दूसरी व्यवस्था का प्रश्न करने लगे।

श्री खैरुल बशर--

मेरा भी प्रश्न इसी में जोड़कर जवाब दे दीजिये। जिस तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, अन्य दल हैं सबको मौका मिलता है लेकिन तीन-चार दिन से मैं खड़ा होता हूं और मुझको समय नहीं दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 अकबाल हुसैन सबकी तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव लाये हैं, वह बोल रहे हैं। मुख्तार अनीस ने एक बात कही वह भी ठीक है कि हर दल की नुमाइन्दगी हो जाना चाहिये लेकिन समय भी सामने रहता है इसलिये सबको नहीं बुलवाया जा सकता लेकिन कोशिश यह होती है कि हर दल की नुमाइंदगी हो जाय कभी-कभी ऐसा होता है कि समय की कमी के बिना पर आपके मुखालिफ की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव है वही काफी होता है।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, आज चौथा दिन है। मैं बार-बार खड़ा होता हूं लेकिन उसके बाद भी टाइम नहीं मिलता है। क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री अधिष्ठाता--

इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप बैठिये।

श्री खैरुल बशर--

या तो हम यह समझें कि सूचना मंत्री ने ऐसा कोई डिसीजन लिया।

श्री अधिष्ठाता--

बगैर अनुमति के जो सदस्य बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा। मा0 अकबाल साहब बोलें।

श्री अकबाल हुसैन--

मेरे द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया उस पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव रखे। मान्यवर, मैं उन सबका आभारी हूं। मान्यवर, सूचना विभाग का एक विज्ञापन प्रभाग है। विज्ञापन विभाग द्वारा समाचार-पत्रों को विज्ञापन दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके विज्ञापन प्रभाग में बहुत घपला होता है और आपके अधिकारी आई0 ई0 एस0 एस0 द्वारा गैर मान्यता प्राप्त ऐडवरटिजमेंट एजेन्सीज को विज्ञापन देते हैं और उसमें सुरा सुन्दरी का सहारा लेते हैं। आपके विभाग का बहुत सारा पैसा इस तरह से खर्च होता है।

मान्यवर, यहां पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो ये प्राइवेट ऐडवरटाइजिंग एजेंसीज हैं जिनको आपका विज्ञापन प्रभाग ऐडवरटिजमेंट देता है उनके नाम इस प्रकार हैं:-- राज ऐडवरटाइजिंग ऐंण्ड मारकेटिंग एसोसिएट कम्पनी, नेक ऐडवरटाइजिंग कम्पनी, नेक तथा एपिको ऐडवरटाइजिंग कम्पनी, एपिको तथा नेक ऐडवरटाइजिंग कम्पनी वोस्को कम्पनी, प्रचार वाला एजेन्सी, एस0 अहमद ऐंड कम्पनी, जे0 एस0 ऐडवरटाइजिंग एसोसिएट्स, ए0 डी0 एस0 ऐडवरटाइजिंग कम्पनी, यूरेशिया ऐडवरटाइजिंग कम्पनी। गैर मान्यता प्राप्त एजेंसीज के द्वारा लाखों रुपये का ऐडवरटिजमेंट आपने अखबारों को दिया है। इन अखबारों का भुगतान आज तक इन कम्पनियों ने नहीं किया। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि उन पत्र को दबाने के लिये उनके विज्ञापन के पैसे का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। पत्रों का शोषण किस तरह से किया जाता है और आपके अधिकारी उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। गैर मान्यता प्राप्त एजेंसियों को विज्ञापन देने वाले निम्न विभाग हैं उत्तर प्रदेश बिक्री कर आयुक्त, लखनऊ, राज ऐडवरटाइजिंग ऐन्ड मार्केटिंग एसोसिएट को, पिकअप, लखनऊ उपरोक्त को, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् नेक ऐडवरटाइजिंग को, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् नेक ऐडवरटाइजिंग को, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण, नेक ऐडवरटाइजिंग को, कोआपरेटिव फेडरेशन केक ऐडवरटाइजिंग को, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, एपिको ऐडवरटाइजिंग को, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक तथा विश्व बैंक परियोजना, एपिको तथा नेक ऐडवरटाइजिंग कम्पनी को, लखनऊ विकास प्राधिकरण एपिको ऐडवरटाइजिंग कम्पनी को विज्ञापन दिया।

इसी तरह से वोस्को का बकाया है 57,836 रु0 प्रचार वाला एजेंसी 5,205 रु0, एस0 अहमद एंड कम्पनी, 1150 रु0, जे0 एस0 ऐडवरटाइजिंग एसोसिएटस का 135 रु0, ए0 डी0 एल0 ऐडवरटाइजिंग का 400 रु0, यूरेशिया ऐडवरटाइजिंग का 16,125 रु0 और वेल्फे कन्सलटेंस का 3876 रु0 इसी तरह से बीना पब्लिसिटी का 2028 रु0, विवेक पब्लिसिटी 2798 रु0 शोभा पब्लिसिटी 4901 रु0, स्नेह पब्लिसिटी, 2488 रु0,

तनजीम ऐडवरटाइजिंग 8,909, ऐडवारटाइजिंग ऐंड मारकेटिंग 9,375 रु0, प्लेनपेड एडवरटाइजिंग 13117 रु0, ऐडवरटाइजिंग ऐड प्रिंटिंग एक्सपर्ट 21593 रु0, नेक ऐडवरटाइजिंग 19,359 रु0 आपके विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त इन एजेंसीज को विज्ञापन दिया। इसलिये उन पत्रों का शोषण हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मान्यता प्राप्त एजेंसीज को ही विभाग की ओर से विज्ञापन देने चाहिये।

आपके विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ है और जिस स्थानों के लिये ग्रेजुएट होना जरूरी है वहां भी हाई स्कूल पास ही रखे गये हैं। तदर्थ नियुक्तियों के जरिये भी आपके यहां सालों से धपला चल रहा है। आपके जो सहायक निदेशक हैं वे केवल हाई स्कूल पास हैं फिर भी उनका प्रमोशन कर दिया गया है। आपके विभाग में इस तरह की बहुत ही अनियमिततायें हैं। आपके समाचार प्रकाशन ब्यूरो द्वारा तीन पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं। उर्दू में "नया दौर" और हिन्दी में "उत्तर प्रदेश समाचार दर्शन" और "उत्तर प्रदेश"।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब ये पत्रिकायें प्रदेश का दर्पण हैं तो कम से कम आप विधायकों तक इनको पहुंचायें। आप कहां पर इनको भेजते हैं। या तो रद्दी में आपके अधिकारी इनको बेच लेते हैं। कहां चली जाती हैं ये सब। माननीय विधायकों तक और पब्लिक लाइब्रेरी तक ये नहीं पहुंच पाती। केवल पब्लिसिटी का ही एक उद्देश्य है और यह उद्देश्य भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। माननीय विधायकों को नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमारे 11 करोड़ प्रदेश की जनता को कहां से सूचना पहुंचा सकेंगे।

एक बात और कहना चाहूंगा। जिस तरह से समाचार पत्रों के द्वारा विधान सभा की कार्यवाही की समीक्षा होती है, आपके विभाग ने जो पुस्तिका दी है, जो प्रदेश के चार टेलिविजन सेन्टर हैं, जहां से प्रसारण किया जाता है, प्रदेश की जनता सुनती है, टेलीविजन देखती है और सूचना प्राप्त करती है, मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कम से कम हमारे मंत्री जी यह व्यवस्था करें कि जिस तरीके से रेडियो पर पांच मिनट विधान सभा की समीक्षा और पांच मिनट विधान परिषद् की समीक्षा रोज प्रसारित होती है उसी तरह से टेलीविजन पर भी विधान सभा तथा विधान परिषद् की कार्यवाही प्रसारित होनी चाहिये।

एक मिनट और लूंगा। सूचना विभाग का और पत्रकारों का चोली दामन का साथ है। हमारे मंत्री जी ने बड़े ही उत्साह के साथ यह कहा कि पांच हजार किलोमीटर, ढाई हजार किलोमीटर, तीन हजार किलोमीटर बस से सफर करने में आप उनको कन्सेशन देंगे। मान्यवर, केन्द्र में हमारे जो रेल मंत्री हैं, इन्होंने इस से पहले हमारे पत्रकारों को हाफ कन्सेशन पर रेल का सफर करने की व्यवस्था की थी। अब वह समाप्त कर दी गई है। तो माननीय मंत्री जी क्या अपने स्तर से, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, रेल मंत्रालय को लिखेंगे कि वह सुविधा उनको फिर से दी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

धन्यवाद।

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। श्रीमन्, हमारा विभाग उन सुझाव पर जो जनहित के हैं अमल करने का प्रयास करेगा जैसा कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि सूचना विभाग की शाखा को ग्रामीण स्तर

[श्री काशी नाथ मिश्र--]

और ब्लाक स्तर और क्या नाम तहसील स्तर तक पहुंचाया जाय जैसा कि हमारे शास्त्री जी ने कहा। बंगाल हम लोग गये थे। पश्चिम बंगाल में ब्लाक स्तर तक उनके आदमी रखे गये हैं। तो इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि ब्लाक स्तर और तहसील स्तर सूचना केन्द्र स्थापित किये जांय।

साथ ही साथ कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय हमारे बाजपेयी जी ने शुरू में चीप पत्रकारिता वाले ब्लिट्ज की आलोचना की। मैं समझता हूं कोई पढ़ा लिखा सभ्य, सुसंस्कृत मानव, जो अखबार की भावना रखते हैं, ब्लिट्ज अखबार को किस निगाह से देखते हैं। हिन्दी का ब्लिट्ज, अंग्रेजी का ब्लिट्ज, चीप पत्रकारिता का सबसे बड़ा अखबार है। अपना प्रसार बढ़ाने के लिये, सस्ती लोकप्रियता बढ़ाने के लिये, लोग इसको पढ़ते हैं और खरीदते हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी, श्रीमन्, इस ब्लिट्ज को समझता ही नहीं कि यह कोई अखबार है .....

श्री विद्यासागर नौटियाल--

ब्लिट्ज अखबार इस देश की खबरों को देता है....

श्री खैरुल बशर--

(ब्लिट्ज) अखबार किसी की चमचागीरी नहीं करता है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं माननीय सदस्यों से चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हमारे विभाग की कोई भी भ्रष्टाचार से सम्बन्धित बात आप लिखकर दें जो कि कायदे कानून के अन्तर्गत हो, और उसके ऊपर दोष साबित हो जाय तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री कुबेर भंडारी--

आज प्रदेश के अन्दर जो बलात्कार की घटनायें होती हैं ..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कुबेर भंडारी, आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं ..... (व्यवधान)। माननीय खैरुल बशर जी, आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, अर्द्ध कुम्भ के मेले में करीब-करीब 1 करोड़ आदमी 25 तारीख को गये। लाखों आदमियों का जमघट था। जो वहां प्रदर्शनी लगी थी, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया था उसे हजारों और लाखों आदमियों ने देखा जिसको कि इस देश की जनता ने गांवों में जाकर प्रशंसा की है। जो प्रदर्शनी लगी थी वह राष्ट्रीय एकता की प्रतीक थी। उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन की उपलब्धियां ही नहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी सारे हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बिखेरा है जिसकी प्रशंसा जन-जन ने देहात के लोगों से वार्ता करने पर की गई है। वहां पर मान्यवर, एक विचार मंथन का कार्यक्रम चलाया गया था जिसका उद्घाटन देश के विख्यात और सुप्रसिद्ध भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी रखने वाले व्यक्ति से किया गया था। इस तरह की गोष्ठी वहां पर की गई थी।

मान्यवर, सैकड़ों वर्ष पुराना जो सिलसिला त्रिवेणी में टूट चुका था उसकी हमने शुरुवात की है और इस प्रकार के जो प्राचीनकाल में विचार मंथन हुआ करता था, जो वहां पर प्रवचन हुआ करते थे उसका शुभारम्भ हमने फिर से वहां किया है। इस प्रकार से एक विचार-गोष्ठी का आयोजन वहां पर किया गया जिसमें हर धर्म और हर मजहब के लोगों ने हिस्सा लिया। यह केवल हमारे सूचना विभाग की देन है जिसको भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। अब मान्यवर, सूर्य की रोशनी में अगर किसी को दिखाई न दे तो वह सूरज का दोष नहीं है, देखन वाले का दोष है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं इस विभाग में हूं भ्रष्टाचार तो सोचिये ही मत और यदि सोचते हैं तो आप मुझे लिखकर दें। इस तरह से कहना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अर्थ नहीं रखता है। कौन भ्रष्टाचारी है, कब भ्रष्टाचार किया, क्या किया, कहां किया, यदि उसका नाम आप मुझे लिखकर देंगे तब तो समझूंगा कि आपके आरोप में कोई दम है, लेकिन केवल यह कहना कि बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई मतलब नहीं रखता। कुछ लोगों ने कहा कि अखबारों में विज्ञापन दकर चमचागीरी होती है। यह बिलकुल गलत बात है .....

(व्यवधान)

श्री खैरूल बशर---

"बिलट्स" ने किसी की चमचागीरी नहीं की....

श्री विद्या सागर नौटियाल--

"भगीरथ संदेश" हरिद्वार को किस आधार पर विज्ञापन दिया गया। वह किसकी चमचागीरी करता है।

श्री खैरुल बशर---

आप "बिलट्ज" से इतने भड़के हुये क्यों हैं? .....(व्यवधान)।

श्री काशीनाथ मिश्र---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो अखबार सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं उनको किसी से कम विज्ञापन नहीं दिया गया है। दैनिक जागरण जो शासन की आलोचना करता है उनको विज्ञापन दिया गया है (व्यवधान) "नेशनल हैरल्ड" से कम विज्ञापन "पायोनियर" और "स्वतंत्र भारत" को नहीं दिया गया है। नेशलन हैरल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन हमारे अखबार ही नहीं है यह स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े हथियार रहे हैं। नेशनल हेरल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन में माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उनको अखबारों की श्रेणी में न रखें।

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, वह इनकी.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नौटियाल जी आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, 'क्यों पालेकर एवार्ड' नहीं लागू करते हैं।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, नेशनल हैरल्ड वाले पालेकर एवार्ड क्यों नहीं मानते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, जो देशभक्त हैं, देश के लिये काम करते हैं ऐसे लोग नेशलन हैरल्ड में काम करते हैं वहां मजदूर काम नहीं करते हैं।

श्री अकबाल हुसैन--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एसोसियेटेड जनरल के अन्तर्गत जो अखबार निकलते हैं, नेशलन हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज उसमें जो काम करते हैं वे देश के प्रति वफादार हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अन्य अखबारों में काम करने वाले लोग देश के प्रति वफादार नहीं हैं?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है। (व्यवधान) माननीय खैरुल बशर आप बैठें।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, सारे लोगों ने भाषण किये और पालेकर एवार्ड की बात कही। लेकिन माननीय मंत्री जी यहां पर कौमी आवाज और नेशनल हैरल्ड की बात कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी कोई सप्लीमेंटरी बजट नहीं पेश कर रहे हैं। उनके भाषण में उन बातों का उत्तर आना चाहिये जो यहां पर उठाये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मुझे खेद है कि यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। समय को दखते हुये माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद कोई स्पष्टीकरण की बात होगी तो उसे कहा जा सकता है।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चार बजने वाले हैं कितना समय और मंत्री जी लेंगे?

श्री अधिष्ठाता--

व्यवस्था का उत्तर देने के बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

बगैर किसी भेदभाव के एडवरटाइजमेन्ट में दिये जाते हैं।

(व्यवधान)

कौन समर्थन करता है, कौन बिरोध करता है। जहां तक जो अखबार तत्वहीन खबरें छापत हैं..... (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

भैंय्या यह बालक बीड़ी का प्रचार नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री काशीनाथ मिश्र बोलते रहे)

श्री अधिष्ठाता--

कुबेर, जी आप बैठिये..... (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

रात दिन जो हमारी आलोचना छापते हैं, आधारहीन बातें छापते हैं..... (व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

जो हमारी अनुमति के बगैर बोलेगा, वह लिखा नहीं जाएगा। कुबर भण्डारी जी जो कह रहे हैं लिखा नहीं जाएगा, वह बैठें।

(श्री काशीनाथ मिश्र, श्री कुंबेर भंडारी व खैरुल बशर एक साथ खड़ होकर बोलते रहे)।

श्री अधिष्ठाता--

खैरुल बशर जी आप बैठें, आपकी व्यवस्था पर मैं कह चुका हूं। कुबर भंडारी जी आप बठें, खरुल बशर जी आप बठें। व्यवस्था के नाम पर आपने पांच मिनट में सारी बातें कह लीं, अब आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

हमारी बात पूरी नहीं हुई। उप नेता विरोधी दल बोलना चाहत थे, वह खड़ हो गये तो मैं बैठ गया।

श्री काशी नाथ मिश्र--

जहांतक पालेकर अवार्ड का सवाल है, मैंने उसक बार में पहल ही सदन को आश्वस्त कर दिया है कि उसको सख्ती से लागू किया जाएगा और इसकी दो-तीन बैठकें हो जाएंगी और पक्षीय समिति भी बना दी गई है और 89 में से 47 अखबारों न इसे अपने यहां लागू करने की सूचना भी हमें दी है। तब भी उसकी स्क्रूटनी कराने के लिये हमने कमटी बना दी है। जिले में श्रम विभाग के.....

श्री विद्या सागर नौटियाल--

इस संबंध में क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो अखबार पालेकर अवार्ड लागू नहीं करेंगे, आपका सूचना विभाग उसको विज्ञापन देना बन्द कर देगा ?

[3 बज कर 55 मिनट]

श्री काशीनाथ मिश्र--

वही तो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन आप मुझे अपनी बात कहने तो दीजिए आप कहने ही नहीं देते हैं, बीच में बोल देते हैं। जो अखबार इस अवार्ड को अपने यहां लागू नहीं करेगा हमारा विभाग उसको विज्ञापन देना रोक देगा और इतना हीं नहीं प्रदेश शासन केन्द्र सरकार को भी लिखेगा कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और सख्ती से इसका पालन कराया जाये।

जहां तक उर्दू का सवाल उठाया गया, मैं कहना चाहता हूं कि हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में जंगे आजादी के जितने हथियार थ, उसमें उर्दू भाषा भी एक सक्षम और तेज हथियार था। इसलिये उस उर्दू के फैलाव व प्रचार के लिये हमें सूचना विभाग द्वारा जो भी समुचित कदम उठाये जा सकते हैं, उनको हमारा विभाग अवश्य उठाएगा। क्योंकि रामप्रसाद विस्मिल ने कहा था--"सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुबे कातिल में है" और एकबाल साहब ने कहा था--"सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुल्सितां हमारा" यह देशभक्ति से ओतप्रोत भावनायें जिस भाषा में व्यक्त की गई है, उस भाषा को ऊपर उठाना और फैलाना हर हिन्दुस्तानी की नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसी उर्दूभाषा को लेकर हमारे विभाग में उर्दू के अनुवादक रखे गये हैं और 10 सैकड़ा जो विज्ञापन पहले उर्दू अखबारों को दिया जाता था अब 17 सैकड़ा दिया गया है (व्यवधान)

(श्री मुहम्मद आजम खां और कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जो सुनाई नहीं दिया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय मुहम्मद आजम खां ने कहा कि माननीय काशीनाथ जी डरते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, बलिया की सर जमीन के ऊपर कोई डरपोक पंडित पैदा हो ही नहीं सकता है।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय रियासत हुसैन ने पूछा कि कु0 वंदना शास्त्री किस पद पर हैं वे सूचना केन्द्र में फीचर लेखक के पद पर हैं और कुमारी बाजपेयी सूचना केन्द्र में रिसेप्शेनिस्ट के पद पर काम करती हैं। जहां तक सीनियारिटी का प्रश्न है अगर उस लिस्ट में कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो उस लिस्ट को कायदे कानून के अनुसार कर दिया जायेगा। केवल राम जी को रख लिया जायेगा अगर नहीं रखा गया है। मैं जब तक इस विभाग में हूं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं तब तक किसी की हक तल्फी नहीं होने पायेगी मैं इस राय का हूं कि हमारे यहां पर हरिजन, भूमिहीन और अकलियत के लोग जितने मजबूत होंगे, उतना ही हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिये मैं उनके हक हकूकों की बात करता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं जानना चाहूंगा कि वे इस विभाग में कब तक रहेंगे ?

श्री मोहन सिंह--

माननीय मंत्री जी ने अपनी वक्तृता से अपनी योग्यता साबित कर दी है।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

माननीय मंत्री जी इलाहाबाद के अध्यक्ष रहे हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं चाहता हूं कि इस विभाग में अधिक से अधिक पिक्चर्स और डाक्यूमेन्टरीज बनें । पिक्चर्स के जरिये से शासन की सारी चीजें जन-साधारण तक पहुंचती है ।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जितने सवाल उठाये थे, उन सबका जवाब मैंने दे दिया । तो मैं कहूंगा कि माननीय बाजपेयी जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि जनतंत्र में हम सूचना विभाग को जितना मजबूत करेंगे उतना ही जनता के साथ सम्पर्क हो सकेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

उन्होंने गलती से आपका नाम ले लिया था ।
(हंसी)

श्री अकबाल हुसैन---

मान्यवर, माननीय सूचना मंत्री जी की सूचना का दीवाला निकल गया है और चूंकि उन्होंने समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता, पालेकर एवार्ड को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने तथा विज्ञापन विभाग में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कोई बात नहीं कही, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं और वापस नहीं लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–सूचना विभाग संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,98,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

व्यवस्था का प्रश्न

(आबकारी मंत्री को पुकारे जाने पर)

आबकारी राज्य मंत्री (श्री गोवरधन तिवारी)---

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से · · · · ·

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता---

आप माननीय मंत्री जी कृपया बैठ जायें।

श्री हुकम सिंह---

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे जो आबकारी मंत्री जी हैं उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिये बड़ा संघर्ष किया और यह विभाग उनकी मंशा के बिल्कुल प्रतिकूल उनको द दिया गया है। जब यह इस विभाग के मंत्री बने तो इन्होंने यह इच्छा भी प्रकट की कि चूंकि उन्होंने आबकारी के विरुद्ध हमेशा लड़ाई लड़ी है, उन्हें यह विभाग न दिया जाये। इनकी सरकार में और कई रंगीले मंत्री हैं अतः यह बजट प्रस्तुत करने के लिये उन्हें दे दिया जाय, यह तो बेचारे बहुत ही सज्जन मंत्री हैं, इन्हें प्रदेश को मदिरा पिलाने का कार्य न करने दिया जाये। (हंसी) (व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी---

यह तो सौभाग्य की बात है कि आज एक गांधीवादी व्यक्ति से यह बजट पेश कराया जा रहा है। इससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिये। (हंसी)

एक सदस्य---

यह मद्य निषेध मंत्री भी हैं।

श्री अधिष्ठाता---

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(4 बजकर 3 मिनट)।

अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग

आबकारी राज्य मंत्री (श्री गोबरधन तिवारी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,55,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आबकारी के संबंध में जितनी जानकारी मेरी है, उससे कम जानकारी इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपकी अनुमति से इसके कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूंगा। आबकारी की सबसे बड़ी धनराशि अल्कोहल पर आधारित है और अल्कोहल का उत्पादन सीरे से होता है। इसलिये सबसे पहले मैं जो कच्चा माल सीरा और अल्कोहल है, उसके संबंध में सदन का थोड़ा सा समय लेना पसन्द करूंगा। जहां तक सीरे के उत्पादन का संबंध है, गन्ने उत्पादन के आधार पर ही इसकी मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। जिस सीरे का मैं जिक्र कर रहा हूं, वह केवल चीनी मिलों से उत्पादित सीरा है, क्योंकि खाण्डसारी सीरे पर अभी कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है। सरकार का नियंत्रण केवल उस सीरे पर है जो चीनी मिलों द्वारा उत्पादित होता है। 1980-81 (1 नवम्बर से अक्तूबर तक) में जो चीनी मिलों द्वारा सीरे का उत्पादन हुआ था, वह 54.86 लाख कुंटल है। उत्तर प्रदेश में जो आसवनियां है उनकी तादाद 24 है। 1980-81 में आसवनियों को 51 लाख 65 हजार कुंटल सीरा आबंटित किया गया। उसके बाद 1 लाख 43 हजार कुंटल सीरा छोटी औद्योगिक इकाई को आबंटित किया गया, लेकिन 1 लाख 80 हजार सीरा आसवनियों के अनुपयुक्त होने के कारण या तो बहा दिया गया या कम मूल्य पर उसको बिकवा दिया गया। सबसे बड़ी आज जरूरत इस बात की है कि सीरे की सुरक्षा कैसे की जाय, क्योंकि इसका संबंध चीनी मिलों से है।

चीनी मिलें ही सीरे की सुरक्षा का प्रबन्ध करती हैं। जितनी जानकारी अभी तक मुझे है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सीरे के संचय की सुरक्षा जितनी होनी चाहिये वह इस समय नहीं है जिसकी वजह से बहुत सा सीरा प्रत्येक वर्ष या तो बहा दिया जाता है या अनुपयुक्त होने के कारण सस्ती कीमत पर बेंच दिया जाता है। लेकिन इसकी मात्रा में भी यह प्रयास किया गया है कि कमी की जाय। आपको इस सदन के द्वारा जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि 1978–79 में 20 लाख 24 हजार कुंटल सीरा इस प्रकार से बहा दिया गया। उसको उपयुक्त न ह ने के कारण अथवा सस्ती कीमत पर बेंच दिया गया और 1979-80 में 4 लाख 52 हजार कुंटल सीरा इस तरह से बरबाद गया। 1980–81 में 1 लाख, 80 हजार कुंटल जैसा कि मैंने निवेदन किया सीरा बरबाद हो गया इसलिये सीरे के संचय के सम्बन्ध में यह प्रयास किया जा रहा है कि शुद्ध सीरा मिल सके और इसके लिये चीनी मिल मालिकों और संबंधित विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है।सीरे से उत्पादित अल्कोहल के लिये हमारे प्रदेश में 24 आसवनियां हैं जिससे एलकोहल का उत्पादन होता है, जिनमें 1980–81 में उत्पादन हुआ 12.73 लाख लीटर, जिसमें से 377.00 लाख लीटर सेन्थेटिक कमिकल्स, बरेली को दिया गया। जो रबड़ का निर्माण करती है और 131 लाख कुन्तल मेसर्स सोमया आर्गनिक बाराबंकी जो केमिकल बनाती है को दिया गया।10 लाख लीटर बंधित 36 औषधि निर्माण शालाओं को, 3 लाख अबधित 227 औषधि निर्माणशालाओं को 3 लाख अन्य विभिन्न 98 लाख इकाइयों को दिया गया है। टोटल 524 लाख लीटर औद्योगिक इकाइयों को दिया गया है। 450 लाख लीटर पेय मदिरा बनाने हेतु और 330 लाख लीटर अन्य राज्यों को भेजा गया है।

इन आंकड़ों से आपको विदित होगा कि कुल अलकोहल का 1/3 प्रतिशत मदिरा के रूप में उपयोग होता है। शेष औद्योगिक कार्यों के लिये प्रयोग किया जाता है। शीरे का उत्पादन घटता बढ़ता रहता है और इसी आधार पर अल्कोहल भी घटता बढ़ता रहता है। उत्तर प्रदेश में अलकोहल का औसत उत्पादन 22.5 लीटर प्रति क्विन्टल शीरा है। इन आसवनियों की क्षमता को बढ़ाकर इसको 25–26 करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र और तामिलनाडु में यह 25–26 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में इस समय 24 आसवनियां हैं। इनके अतिरिक्त 5 नयी आसवनियों को लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं और 5 असवनियों को विस्तार की अनुमति दी गई है। इन 24 आसवनियों को उनकी अधिष्ठापित क्षमता का 80 प्रतिशत उपयोग होने पर प्रतिवर्ष 90 लाख क्विन्टल शीरे की आवश्यकता होगी 5 नई आसवनियों को लाइसेंस दिया गया है और यह अनुमान है कि वर्ष 1984 तक यह कार्य करना प्रारम्भ कर देगी। इन आसवनियों के चालू हो जाने पर इनके लिये 18 लाख क्विटल शीरे की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। 24 आसवनियों, 36 बंधित तथा 227 अबंधित औषधि निर्माणशालाओं को प्राविधिक सलाह देने एवं शीरे की, मदिर की, ताड़ी की क्वालिटी का परीक्षण करने तथा आसवनियों की आसन क्षमता में सुधार लाने हेतु यह आवश्यक समझा गया कि आबकारी आयुक्त के कार्यालय में एक प्राविधिक प्रयोगशाला हो। हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर को इलाहाबाद में स्थानान्तरित किया गया। यह एक अलकोहल टेक्नालाजिस्ट के निरीक्षण में कार्य कर रहा है। यह अपनी क्षमता से बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है लेकिन इसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कुछ धन स्वीकृत करके इसको सुदृढ़ करने का इरादा शासन का है।

मान्यवर, चीनी मिलों के शीरे के नमूनों के रसायनिक परीक्षण हेतु इस प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं और जो शीरा अनुपयुक्त पाया जाता है उसे आसवनियों को नहीं दिया जाता। मान्यवर, शोध द्वारा ईस्ट की एक नयी किस्म ईजाद की गयी है जिससे अलकोहल उत्पादन के अच्छे परिणाम आये हैं। इस प्रयोगशाला में 1 अप्रैल, 1981 से फरवरी, 1982 तक 1300 से अधिक नमूनों का परीक्षण कर 1,21,000 रुपये इस प्रयोगशाला ने अर्जित किया है।

[श्री गोवरधन तिवारी-]

मान्यवर, तस्करी की जानकारी के लिये अन्तराज्यीय जो तस्करी का कार्य होता है और जो मिलावट का कार्य होता है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये एक इलाहाबाद में इक्साइज इन्टेलीजेन्स ब्यूरो की स्थापना की गयी है जो तस्करी के आंकड़े इकट्ठे करने और जांच करने का कार्य करता है और उसके अधीन इस उत्तर प्रदेश को 11 प्रवर्तन में बांटा गया है जिनमें 11 विशेष दस्ते कार्यरत हैं। छापा मारने में इनका उपयोग होता है। चार्जों, प्रवर्तन इकाईयों तथा इक्साइज इन्टेलीजेन्स द्वारा 1 अप्रैल, 1981 से 30 नवम्बर, 81 तक आबकारी संबंधी अपराधों में 8,305 अनुज्ञापी तथा 14,540 अन्य व्यक्ति पकड़े गये हैं और कुछ मामलों में 32,600 रुपये कम्पाउन्ड के तौर पर वसूल किया गया है। पकड़े गये अपराधियों से अप्रैल से 30 नवम्बर, 81 तक 7,900 लीटर, अवैध शराब, 800 कि0ग्रा0 गांजा, 42 किग्रा0 अफीम तथा 5 कि0ग्रा0 चरस पकड़ी गयी है। जो अपराधी पकड़े गये उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। आबकारी अपराधियों के विरुद्ध अर्थ-दण्ड कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 5 हजार रुपये रखा गया है। इसी प्रकार से सजा भी कम से कम 6 महीने और अधिकतम 3 साल रखी गयी है।

मान्यवर, विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का भी शासन ने निश्चय गत वर्ष से किया है ताकि वह कुशलता से जनसेवा का कार्य कर सकें। इसलिये प्रत्येक माह 7 दिन के लिये 20 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्राविधान किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें नियम और उप नियम के बारे में जानकारी कराई जाती है ताकि वह अपने विभाग के कार्यों की जानकारी अच्छी तरह से रख सकें और विभाग का संचालन ठीक से कर सकें। हिसाब किताब में चूंकि बहुत सी धनराशि विभाग की बकायें में रहती थी इसलिये परीक्षालेखा विभाग की स्थापना भी इलाहाबाद में की गयी है। जहां एक ओर विभाग का बजट बनाना, व्यय पर नियंत्रण करना इस विभाग का काम है और जिलास्तर पर उसका हिसाब-किताब सही रखा जाय इसकी देख-रेख यह विभाग करता है।

मान्यवर, इस सदन की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि आबकारी राजस्व की धनराशि के संबंध में जिला अदालतों के अतिरिक्त इस समय 324 मामले हाईकोर्ट में और 281 मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। अदालत के आदेश के मुताबिक 109 करोड़ 59 लाख रुपये की वसूली रुकी हुई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम अपने केस को बहुत अच्छी तरह से लड़ सकें इसके लिये विधिक कार्य हेतु एक अलग अधिकारी की नियुक्ति इलाहाबाद में कमिश्नर के कार्यालय में की गयी है जो तत्संबंधी अभिलेखों और प्रमाणों को इकट्ठा करता है ताकि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में कामयाबी हासिल कर सकें। बकाया राजस्व के बारे में सदन को जानकारी देना चाहता हूं। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल, 81 से 31 जनवरी, 82 के मध्य 4,945.37 लाख रुपये के स्थान पर 4289.91 लाख रुपया वसूला गया जबकि इतनी ही अवधि में गत वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल, 80 से 31 जनवरी, 81 तक 3266.37 लाख रुपये मध्य 2368.35 लाख रुपया वसूल किया गया। यानी गत वर्ष 72 प्रतिशत की वसूली हुई जब कि इस वर्ष 86 प्रतिशत धनराशि वसूल हुई है।

पिछले बकाये के सम्बन्ध में भी मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि चालू वर्ष में 80 लाख रुपये और गत वित्तीय वर्ष में 33.72 लाख रुपया वसूल हुआ। प्रतिशत की दृष्टि से गत वित्तीय वर्ष में जहां 7.2 प्रतिशत धनराशि की वसूली हुई वहां चालू वर्ष में 17 प्रतिशत धनराशि की वसूली हुई। हाई कोर्ट में 324 तथा सुप्रीम कोर्ट में 285 याचिकाओं के कारण 109.69 करोड़ रुपयों की वसूली रुकी हुई है। गलत फर्जी, सालवेंसी सर्टीफिकेट के कारण काफी रकम वसूल होने से रह जाती है इसलिये निर्णय लिया गया है कि सालवेंसी सर्टीफिकेट

केवल जिले के बाहर के ठेकेदारों से ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों से भी साल्वेंन्सी सर्टीफिकेट लिये जायें। साल्वेंसी सर्टीफिकेट में ठेकेदार का फोटो लगा रहेगा। पहले तहसीलदार को अधिकार था अब एस0डी0एम0, वित्त को अधिकार दिया गया है कि वह भी इसको प्रमाणित करें। राजस्व प्राप्ति के सिलसिले में मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी, 82 तक के 10 महीनों में आबकारी राजस्व से 133.37 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है जबकि गत वित्तीय वर्ष में इसी अवधि में 88.29 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई। गत वित्तीय वर्ष के मुकाबले 51 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जित किया गया है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा के थोक व्यवसाय को स्वयं चालू करे। जहां तक भारत निर्मित विदेशी मदिरा का सवाल है, इसे आक्शन के जरिये नीलाम नहीं किया जायगा बल्कि सरकार इस व्यवसाय को स्वयं ही चलाने वाली है। एकाधिकार की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिये एक ही दिन नीलाम करने की तिथि निश्चित की गयी है। यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विभाग साधारण तथा शराबी विभाग माना जाता है, किन्तु इसकी मौलिक नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार मादक वस्तुओं के निषेध के उन्नयन की है।

एलकोहल से शराब बनती है। यही वजह है कि शासन ने इसमें एल्कोहल की मात्रा 36 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी है। आबकारी अपराधों के लिये सजाओं में सख्ती कर दी गयी है और इस कार्य को कुशलता से अन्जाम देने के लिये हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान समिति गठित की गयी है। मदिरापान एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन करने की जो परम्परा है, यह सदियों से चली आ रही है। हमारा जो मद्य निषेध विभाग है, वह इतना छोटा है और इतनी कम धनराशि उसके लिये स्वीकृत की जाती है कि वह कण के समान है लेकिन फिर भी अपने प्रयास के द्वारा, चलचित्र के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा जनता को इस बात के लिये तैयार करता है।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यक्ति और समाज को शिक्षित कर और उनके मन बदलकर उन्हें स्वत: नशा सेवन की बुराई को त्याग देने के लिये प्रेरित किया जाय। जब तक हम इस कार्य में कामयाब नहीं होंगे तब तक 'प्रोहिबीशन" भी कर दिया जाय तो भी जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, शासन को राजस्व की हानि तो होगी ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन के सभी मा0 सदस्यों का, समाचार-पत्रों का और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग चाहूंगा कि मद्य निषेध की इस नीति के सिलसिले में जनता को सिखाने और हालात को बदलने की कोशिश करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय-कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस सदन में कटौती के प्रस्ताव को रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। अपने पक्ष में हमको बहुत सारी बातें आपके माध्यम से इस सदन से और प्रदेश की जनता से कहनी है।

मान्यवर, शुरू-शुरू में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब आजादी का आन्दोलन चल रहा था तो उसमें उनकी मुख्य मांग यह भी थी कि हिन्दुस्तान में शराब की दूकानें बन्द कर देंगे। उन्होंने कहा था कि यदि थोड़ी देर के लिये

[श्री गौरी शंकर भय्या]

मुझे हिन्दुस्तान का तानाशाह बना दिया जाय तो सबसे पहिले मैं यही करूंगा कि शराब को बन्द कर दूंगा । इसको उन्होंने सत्याग्रह के जरिये से, पिकेटिंग के जरिये से, यहां तक कि महिलाओं को भी वे आगे लाये और शराब बन्द करने के आन्दोलन में वे आगे रहे ।

जब संविधान बनने लगा तो संविधान के अनुच्छेद 47 में यह प्राविधान कर दिया कि "राज्य अपने लोगों के आहारपुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा ।"

इस बात के लिये संविधान लागू होने के बाद जा कर ढाई वर्षों को छोड़ कर महात्मा गांधी के नाम पर काम करने वाली सरकार ने कोई कोशिश नहीं की । वह ढाई वर्ष का जो समय था उस समय न तो श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधान मन्त्री थीं और न विश्वनाथ प्रताप सिंह ही उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे । वह जमाना गोबिन्द बल्लभ पन्त के जमाने की तरह था ।

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने शराब की दूकानें बन्द करवाने के लिये लाठियां खायीं, गोलियां खायीं उसी शराब को श्रीमती इन्दिरा गांधी बढ़ावा दे रही हैं । भ्रष्टाचार और गुण्डई का तथा बलात्कार को बढ़ाने का प्रधान कारण यही है और इसमें उनका पूरा-पूरा योगदान है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के मयखाने की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले शराब ठेके पर ही बिका करती थी, जो लाइसेन्सी लोग होते थे वो यह काम करते थे परन्तु अब खुले आम बिकती है और बड़े गर्व के साथ भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती हैं कि कवाल टाउन्स में सब शराब का काम ले रहे हैं और माननीय मंत्री जी वहां पर साकी का काम करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण, यहां ठेके की नीलामी नहीं हो रही है, कृपया शान्त हो कर सुनें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह अब खुद राशन की दुकान चलाने वाले हैं कवाल टाउन्स में जहां बैठ कर वह शराब बेचने वाले हैं । महात्मा गांधी के वचनों के खिलाफ अब वे स्वयं मयखोरी की आदत डाल रहे हैं । आज मरने वाला आदमी जब मरण शैय्या पर होता है तो वह वही पिक्चर वाला गाना गाता है कि पण्डित जी.....

(हंसी)

श्रीमन्, जब पण्डित जी की बात आयी तो मैं राज्य मंत्री श्री गोबरधन तिवारी जी के बारे में भी चन्द बातें आपके माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं । मान्यवर, जो आदमी आजीवन शराब बन्द करवाने के लिये लाठियां खाता रहा हो, जिसने आजीवन पिकेटिंग करायी हो, जो आजीवन मद्य सेवन के विरुद्ध आन्दोलन चलाता रहा हो, पर हाय रे किस्मत माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिये उसे जाम पर जाम भरना पड़ रहा है । यह माननीय तिवारी के विरुद्ध विश्वनाथ प्रताप सिंह का बलात्कार ही है । अब दो वर्ष पूर्व की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।एक ऐतिहासिक घटना घटी थी इस देश के अन्दर पीठासीन अधिकारी के रूप में आप उसी दल में थे । मोरारजी देसाई, प्रधान मंत्री हुआ करते थे, महात्मा गांधी का जो सपना था, शराबबन्दी लागू होनी चाहिये, हमने विभिन्न प्रदेशों में शराबबन्दी का काम शुरू किया था, आप उस स्थान पर भी शराब बिकाने का काम करने जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप लोग बैठें ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या---

तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि 100 ग्राम हरदेव जी को भी दे दिया करें ताकि उनकी परेशानी दूर हो जाये । मद्य निषेध को पूरे देश के अन्दर धीरे-धीरे लागू करने का काम हम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की बात जब हम करते हैं तो राजस्व प्राप्ति की बात आप द्वारा की जाती है । यह दो नम्बर का साधन है और मंत्री जी गांधी वादी हैं, लोगों की जो पुरानी आदत है मयखोरी की उसका हवाला भी आप देते हैं ।

(व्यवधान)

कानून की तरफ आता हूं । यह इनका आबकारी मैनुअल है, इसकी धारा 314/4 के अनुसार विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, आदि जगहों पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य जरा शान्त रहें ।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

लखनऊ में उदयगंज चौराहे पर एक ही मकान में मंदिर, मस्जिद, मदरसा और मयखाना भी चलता है । इस मैनुअल का अच्छा खासा उपहास इसी नगर में उड़ाया जा रहा है । इसके विरोध के बावजूद सचिवालय में, डिग्री कालेजों में, दफ्तरों में दूकानें खुल गईं और खोली जा रही हैं ।

(व्यवधान)

एक दफा और जोड़ी गयी है 314(6) के अनुसार समय-समय पर जांच करेंगे और अगर गलती पायेंगे तो उन दुकानों को बन्द करने का काम करेंगे । लेकिन श्रीमान जी मंत्री और विधायक सुरा और सुन्दरी में मस्त रहा करते हैं, उन के बारे में प्रदेश की जनता को कोई खास शिकायत नहीं है लेकिन जो तिवारी जी हैं, ये गांधी वादी हैं, मैं इन से साफ जानना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन से 1/4 कि0मी0 के अन्दर कोई शराब की दूकान नहीं होनी चाहिये दफा 314 (7) के अनुसार, तो कानपुर के बारे में, बलिया का भी उदाहरण दे सकता हूं, तिवारी जी के जिले का भी कि एक फर्लांग के अन्दर ही दूकानें चल रही हैं । अगर आप चाहें कि इस तरह की सूची आप को दी जाये तो बलिया समेत 57 जिलों की सूची कि कितनी दूरी पर, मन्दिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, स्कूल आदि से, मयखाने चल रहे हैं, इसकी मेरे पास पूरी सूची है । मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं । अब मैं गन्ना मिलों में जो शीरा बनता है उसकी तरफ आना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

मा0 सदस्य जरा समय के अभाव का ध्यान रखें ।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

मान्यवर, मुझे अपनी मर्यादा व समय का ख्याल है ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य कृपया आपस में बात न करें ।

श्री गौरी शंकर भग्या—

मान्यवर, जैसा कि इन्होंने कहा कि यह 45 लाख 7 हजार क्विंटल शीरा पैदा करते हैं। मिल मालिक 80 लाख क्विंटल शीरा निकालते हैं और इतनी ही शीरा अन्य जगहों से प्राप्त किया जाता है। मा0 मंत्री जी ने कहा कि 22 लाख 34 हजार क्विन्टल शीरा एक बार बहा दिया गया था, अगर आप उसको गांव में भिजवा दिये होते तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे उसको चाटते लेकिन चीनी मिल मालिकों के कहने पर 22 लाख 48 हजार क्विंटल शीरा मारकेट में उन्होंने बेच दिया या उसका अल्कोहल निकाल दिया या स्पिरिट निकाल लिया।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं एक सिंथेटिक रबड़ की फैक्टरी है बरेली में। इस सदन में यह सवाल पहले भी उठ चुका है कि जो 50 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश का उसके ऊपर पड़ा हुआ है वह क्यों नहीं वसूल किया गया है ? मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जब मंत्री जी बोलेंगे तो जरूर जबाव देंगे। अल्कोहल का 7 परसेंट पीने के काम में आता है और बाकी दूसरे मैटीरियल के रूप में इस्तेमाल होता है। यह काम हम कर रहे थे लेकिन दुष्परिणाम यह हुआ कि वह आपके हाथ में चला आया और आज श्रीमन् 7 प्रतिशत को छोड़कर बाकी सारा का सारा अल्कोहल उत्तर प्रदेश के बाहर बम्बई और कलकत्ता में भेज दिया जाता है। यदि इसको आप रोकें तो कुछ फैक्ट्री इस पर बैठ सकती हैं। तीसरी बात यह है कि बाजार के अन्दर कुछ चीजें ऐसी हैं जो दवाओं के नाम पर बिकती हैं और किसी में 90, किसी में 80 तथा किसी में 70 प्रतिशत अल्कोहल होता है इसलिए यह शराब पाकेट में लेकर चल सकते हैं। बहुत सारे माननीय सदस्य हाउस में लेकर बैठ सकते हैं क्योंकि उस पर लेबिल नहीं लगा है शराब का इसलिए यह कह देते हैं कि यह तो मृत संजीवनी शीरा है या दवा है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

एक बात मैं ताड़ी के संबंध में कहना चाहता हूं। गांधी जी ने भी कहा था और हमारे राज्य में भी हुआ था कि ताड़ी का बिकना बन्द कर दिया जाय। तथा उससे नीरा और गुड़ बनाया जाय। इस संबंध में यह निवेदन है कि ताड़ी में क्लोरल हाइड्रेट नामक जहर मिला कर बेचा जाता है। इससे भी कई लोग असामयिक मृत्यु के शिकार होते हैं।

ताड़ी के अन्दर इसको बड़ी मात्रा में मिला दिया जाता है तो इससे नशा ज्यादा बढ़ जाता है। इस जहर की मिलावट लोग हर जगह करते हैं। इसको चेक करने के लिये आपने इंस्पेक्टर लगा भी रखा है लेकिन आपका इंस्पेक्टर कितना चेक करता है इस संदर्भ में मुझे कुछ नहीं कहना है। जितने रुपये का ठेका इस प्रदेश में होता है उतने रुपये की शराब दूकानों पर नहीं बिकती है बल्कि मिलावट करके जो ताड़ी से शराब बनायी जाती है, वह दूकानों पर बेची जाती है। इसके लिये चन्द रुपये आपके इंस्पेक्टर को हर माह देने पड़ते हैं।

जहां तक डिस्टीलरीज की बात है, वैसे मोहन मिकिन डिस्टिलरी वाले तो इस सरकार के दोस्त ही हैं, उनके सन्दर्भ में मुझे यही कहना है कि जितनी मात्रा में शराब बनायी जाती है उतनी मात्रा दिखलायी नहीं जाती है। जैसे अगर दो क्विंटल शराब डिस्टिलरी में बनती है तो उतने की सूचना यह विभाग को नहीं देता है। बाकी शराब को ब्लैक में बेंच दिया जाता है। उसकी चेकिंग के लिये विभाग ने अपना आदमी दे रखा है लेकिन मोहन मीकिन डिस्टिलरी वाले उसकी जेब पैसे से बन्द कर देते हैं जिससे सही सूचना माननीय मंत्री जी या उनके विभाग को नहीं मिल पाती। यदि सूचना मिले भी तो विश्वनाथ तो शंकर हैं। उनके लिये चरस गांजा, भांग, अफीम सांस्कृतिक विरासत है वह बीसों तरह के विष को पचा सकता है। ये तो कम जहरीले हैं।

गाजीपुर में एक ओपीयम फैक्ट्री है। आपने सुना होगा और माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अन्दर गाजीपुर में ही अफीम की फैक्ट्री है।

श्री अधिष्ठाता--

हमें अफीम, गांजा, चरस व अफीम आदि का कुछ भी तजुर्बा नहीं है और आप बार-बार मुझसे उसकी चर्चा करते हैं। (हंसी)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

श्रीमन्, आपके माध्यम से ही मुझे कहना है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गाजीपुर की अफीम देश के कोने-कोने में सप्लाई की जाती है। अफीम फैक्टरी में अफीम तैयार करते समय एक गैस निकलती है जो बड़ी जहरीली होती है। उसके शमन के लिये, उसके प्रभाव को कम करने के लिये स्पष्ट कानून बनाया गया है कि अफीम फैक्टरी में काम करने वाले श्रमिकों को सस्ते मूल्य पर चीनी सप्लाई करायी जाय। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अफीम फैक्टरी के श्रमिकों को उसकी सप्लाई नहीं की जाती है।

उत्तर प्रदेश में शराब की दूकानों की नीलामी होने वाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस साल सब जिलों में एक ही दिन नीलामी होगी। उससे बहुत सारी गुंडई व बदमाशी कम हो जायेगी। भ्रष्टाचार भी अधिक नहीं हो पायेगा। और घेराव वगैरह भी नहीं हो सकेगा। इसी लखनऊ में ही पिछले साल एक ठेकेदार जिसका नाम लेने से यहां लोग डर रहे हैं, जो प्रदेश का माना जाना गुन्डा है। उसने पिछले साल पूरे लखनऊ का ठेका एक बार में ही उठा लिया। पता नहीं कितना रुपया उसे शासन को देना पड़ा। मैं अपने जिले बलिया की ही बात कहता हूं। वहां पर शराब की नीलामी के दिन सारे गुंडे पूंजीपति आ जाते हैं और बाकी लोगों को मार कर भगा देते हैं और सारा ठेका अकेले ले लेते हैं। जब एक आदमी की मनोपाली हो जाती है तो वह केवल गोदाम की शराब ही नहीं बेचता है बल्कि भट्ठियों में बनने वाली शराब को दिन रात बेंचने का काम करता है और दिन दूना-रात चौगुना उसका पैसा बढ़ता जाता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गौरी शंकर भइया, जरा समय का ध्यान रखें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

अभी सात मिनट ही हुए हैं.....

श्री अधिष्ठाता--

आप 4-28 से बोल रहे हैं। बोलिये, बोलिये.....

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी खत्म करने की।

एक बार जब आबकारी ठेकों का नीलाम हो जाता है तो ऐसा होता है कि नीलामी को निरस्त कर लिया जाता है। मिल जुल कर विभाग के अधिकारी द्वारा उसी को कम करके ठेका दे दिया जाता है।

मैं थोड़ा बहुत विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी गांधीवादी हैं उनको अपने विभाग की जानकारी रहे। (व्यवधान) अब, श्रीमन्, जब नशा ज्यादा हो जाता है तो यही हालत होती है। माननीय सदस्य का दोष नहीं है।

[श्री गौरी शंकर भैय्या]

मैं यह कह रहा था कि सितम्बर 81 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। इस निर्णय के अनुसार इनके विभाग के बीस आबकारी अधीक्षक हैं उनका प्रमोशन अवैध हो गया है। 6 महीना हो गये सर्वोच्च न्यायालय को फैसला दिये हुआ, इस फैसले को लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार पीछे हट रही है। कहा यह जाता है कि ये बीस अधिकारी जो इससे नीचे जाने वाले हैं उन्होंने दस लाख रुपये की मोटी रकम सचिवालय के अंदर अधिकारियों के पास पहुंचा दी है और वे अधिकारी चाहते हैं कि मंत्रि मंडल की बैठक होने वाली है उसके माध्यम से इस मामले को रफा-दफा कर दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने सदन में स्वीकार की है, उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विधान सभा के वर्तमान सत्र के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित श्री मोती लाल देहलवी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर में, श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि प्रश्न में उल्लिखित 22-9-81 के पत्र में आबकारी आयुक्त के पी0ए0 श्री एम0एम0 सिद्दीकी के भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी से संबंधित निम्न तथ्य वर्णित किये गये हैं:—

श्री सिद्दीकी के पास अत्यधिक सोना तथा जमीनों के प्लाट हैं जिन्हें बेंचने के लिए श्री सिद्दीकी ने उत्तर प्रदेश सरकार से 1979 में लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अनुमति मांगी थी किन्तु शासन ने श्री सिद्दीकी से यह जानकारी नहीं की कि इनके पास इतना सोना और जमीनों के खरीदने के लिये कहां से धन आया है। श्री सिद्दीकी ने सोना और प्लाट बेंचने के लिये प्रार्थना-पत्र देकर स्वयं सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने अपने सेवाकाल में बड़े पैमाने पर रिश्वत लेकर धन जुटाया है। अभी निरीक्षकों के ट्रांसफर में जिस प्रकार इतना रिश्वत लिया गया है जिसकी सारी रचना श्री सिद्दीकी ने किया था और उन्हीं के माध्यम से पैसा लिया गया।

(2) श्री सिद्दीकी ने सरकार को गलत प्रमाण-पत्र पेश किया कि वे मुस्लिम कायस्थ हैं और उसी को दिखाकर उन्होंने प्रोमोशन ले लिया जबकि आबकारी विभाग में नियुक्ति के समय उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया था। यह सीधे-सीधे उनकी धोखेबाजी एवं जालसाजी है। उपरोक्त शिकायती पत्र प्राप्त होने पर शासन ने आबकारी आयुक्त को निर्देश दिये हैं। अब श्रीमन्, यह आयुक्त की जेब है जिसमें यह पैसा जमा होता है। माननीय मंत्री जी गांधीवादी हैं इसकी जांच करायेंगे। यह करोड़ों रुपये की जो प्रापर्टी बनती है इससे आप का भट्ठा बैठ जायगा।

इसी तरह से दुकानों की बंदी के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन् मंगलवार, शुक्रवार, माह की पहली तारीख को सायंकाल के समय रोज दुकान बंद करने की बात आपके विधान में लिखी है लेकिन जैसा आप जानते हैं, आपके मोहल्ले में भी दुकान है, मंत्री जी नहीं जानते इनके पास में भी एक दुकान है, हम जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं, क्या यह सही नहीं है कि दुकानें 12 बजे रात तक खुली रहती हैं मंगलवार, शुक्रवार और महीने की पहली तारीख को क्यों बन्द नहीं की जाती हैं। गांधीवादी मंत्री जी से निवेदन है कि अगर आप गांधीवादी होने का प्रमाण देना चाहते हैं तो शराब की दुकानों को बंद करने के लिए शीघ्र समय निर्धारित करें।

श्रीमन्, शराब गोदाम में गड़बड़ी के संबंध में कमिश्नर साहब ने चार निरीक्षकों को फंसाया और उन से कहा कि अगर 22 हजार रुपये देते हों तो हम आपका दामन छोड़ देंगे। उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने सरन्डर किया तो इन्होंने माफ कर दिया।

श्रीमन्, ऐसे ही मेरे पास चार-पांच पृष्ठों का नोट है इसको आप चाहें तो जन्मनामा कहें या कुछ कह लें। मैं केवल मुख्य-मुख्य चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, भूतपूर्व आबकारी मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह, बरेली की रबर फैक्टरी के मालिक किलाचन्द के दोस्त हैं। इनके ऊपर 50 करोड़ रुपये का बकाया है। हालत यह है कि माननीय मंत्री जी कार का फाटक खोलकर उनको अन्दर बिठाते थे। उसके बाद एक लीलाधर.....

श्री अधिष्ठाता--

यह आप क्या कोई लिस्ट पढ़ रहे हैं।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

जी नहीं, मैं रिफरेंस देख रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

अगर कोई लिस्ट पढ़ रहे हों तो उसे मंत्री जी के पास भी भिजवा दें। अन्यथा रिफरेन्स देकर सूचना पूरी करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि रिश्वत बड़े पैमाने पर लेकर आबकारी निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। एक साल में पांच बार ट्रांसफर किया गया है, एक साल में 8 बार किया गया है, 4 बार ट्रांसफर उनका किया गया है। मान्यवर, एक लीलाधर राय आबकारी निरीक्षक हैं उनका वाराणसी से गोरखपुर दो बार कर दिया गया और फिर वहीं कर दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में उनको निलम्बित भी किया गया था। इसी तरह से एक एस0 एन0 चौधरी थे, उनका भी एक वर्ष में 4 बार स्थानांतरण किया गया। मैं कई ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि एक वर्ष में कितने लोगों का कितनी बार तबादला किया गया है। मान्यवर, अब मैं कन्क्लूजन पर आता हूं मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग के द्वारा जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है उसको देखते हुए तुरन्त जांच होनी चाहिए अपने विरुद्ध उठने वाली आवाजों पर इनका कहना है कि---

क्या हस्र हुआ उसका
थोड़ी सी अभी पी है,
डाका तो नहीं डाला,
चोरी भी नहीं की है।

श्री अधिष्ठाता--

यह तो आपने अपने पीने-पिलाने की बात कही है।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश के अन्दर 16 अरब 8 करोड़ से अधिक रुपये के मादक द्रव्यों का प्रयोग हिन्दुस्तान की जनता द्वारा किया जाता है। ऐसे द्रव्य हैं जिनके इस्तेमाल से समाज में बैचैनी और घुटन फैल रही है और मिलावट की जा रही है और इस शराब से देश के अन्दर हिंसा, अत्याचार, अनाचार और बलात्कार हो रहे हैं। इसका कारण केवल मादक द्रव्यों का सेवन है। मैं मांग करता हूं कि एक कलम से इस विभाग को दी जाने वाली रकम एक रुपया कर दी जाय ताकि पूर्णरूप से मद्य-निषेध का कार्यक्रम लागू किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, आपने मुझे आबकारी के बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, आबकारी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और इस आबकारी के बजट को पूज्य बापू के अनुयायी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, आजादी के दीवाने पंडित गोवर्द्धन तिवारी ने जो कि माननीय आबकारी मंत्री हैं, रखा है, इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 59 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, वैसे मैं बोलने का इच्छुक नहीं था मैंने सोचा था कि सामान्य प्रशासन और गृह पर ही बोलूंगा परन्तु मेरे मित्रों ने कहा नहीं माननीय तिवारी जैसे श्रेष्ठ आजादी के दीवानों के सम्मान में कुछ पुष्पांजलि अर्पित करना आवश्यक है।

मान्यवर, मैं अभी कटौती के प्रस्तावक को सुन रहा था, हमारे माननीय गौरी भैय्या बड़े मनोयोग से बोले और उसकी तैयारी में इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय रियासत साहब का योगदान रहा है इसके लिये मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। मान्यवर, जहां तक मैं उनको बधाई देता हूं वहीं मान्यवर, पूरे सदन के लिए समझने की बात है अभी कुछ लोगों ने बार-बार माननीय तिवारी जी की आलोचना की, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी आबकारी मंत्री ने उन परम्पराओं के प्रतीक के रूप में आपके सामने यह बजट रखा है यह सोचने व समझने की बात है कि इस देश के माननीय मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जिनकी इतनी विलक्षण बुद्धि है कि जो बकरी और बाघ को एक घाट पानी पिलाने की क्षमता रखते हैं, यह विरोधी दलों के लिए आलोचना करने की बात नहीं है। इनको चाहिये कि हमारे मुख्य मंत्री जी को बधाई दें, हमारे मंत्रिमंडल को बधाई दें, हमारे नेता को बधाई दें कि उनमें इतनी क्षमता है कि ऐसे महान गांधीवादी व्यक्ति से भी आबकारी विभाग के बजट को रखवा कर संपूर्ण जनजीवन को मद्यनिषेध का संदेश दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि गांधीवाद का दम भरने वाली इस सरकार ने शराब बंदी को क्यों खोल दिया।

मान्यवर, इसके पीछे केवल राजस्व अर्जित करने का इतिहास नहीं है कि राजस्व के लिए शराब बंदी को खोला है। मान्यवर, जिस समय शराब के नाम पर स्प्रिट बिकने लगी और तमाम दूषित पदार्थों से जन-जीवन नष्ट हो रहा था उससे बचाने के लिए शराब बन्दी को खोला गया। मुझे दुख है कि हमारे वह माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनके पीर-पैगम्बरों ने मूत्रपान शुरू कर दिया था तो हमें मजबूर होकर शराब खोलनी पड़ी। विवशता में हमारी सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा क्योंकि चारों तरफ मूत्रपान की हवा चल पड़ी थी। माननीय मोरारजी देसाई मूत्र पान करने लगे, माननीय राजनारायण जी मूत्रपान के उपदेश देने लगे तो हमने कहा कि हमें गांधीवादी समाज में कोई ऐसी दूषित चीज, अनैतिक चीज नहीं देनी चाहिये इसीलिए शराब को खोला गया। वैसे आप भी जानते होंगे मैं तो सन्यासी व्यक्ति हूं, शराब से मेरा कोई नाता नहीं है। मैंने सुना है शराब बड़ी दूषित वस्तु है और जो उसको पीता है वह नपुंसक हो जाता है, वह मतवाला हो जाता है। मस्ती और मस्तानगी में इनसान क्या-क्या नहीं कर डालता है। इसलिए मान्यवर, उन सारे लोगों को इसके दुष्परिणाम से सावधान रहना चाहिये। जो लोग बार-बार इस बात की आलोचना करते हैं कि शराब को क्यों खोला गया तो यह सर्वविदित है कि प्रदेश के व्यापक हित को ध्यान में रखकर इसको खोला गया है और राजस्व तो आकर्षण है ही क्योंकि विकास की योजनाओं में पैसा तो लगेगा तो उसके लिए यह एक माध्यम है।

मान्यवर, मैं दो बात कहना चाहता हूं ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा.....

श्रीमन्, इसी समय प्रार्थना किये देता हूं कि सामान्य प्रशासन और गृह में मेरे समय में न कटौती कीजिएगा। तो मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी का एक बड़े महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाराबंकी जनपद में---महाराष्ट्र या गुजरात के पूंजीपतियों ने एक सोमैया आर्गेनिक फैक्ट्री की स्थापना की है, उसमें अल्कोहल बनती है। आज प्रदेश में नहीं देश में जितनी शराब की दुकानें हैं, उसमें सोमैय्या आर्गेनिक का अल्कोहल बेचा जाता है और आपके आबकारी विभाग के अधिकारी आंख में चश्मा लगाकर मुंह में सिगरेट दबाकर और बगल में बोतल दबाकर उसको बेंचवाते रहते हैं और हम सब लोग देखते रहते हैं। उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। इसके लिए मैं बार-बार लिखकर दे चुका हूं, लेकिन सब व्यर्थ चला गया। वह इतना बड़ा आदमी है कि कोई छोटा-मोटा आदमी तो उनके कारनामों में हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं कर सकता है।

अंग्रेज चले गये इस देश से बहुत अर्सा पहले और उनके स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र लगाकर हम उनको सलूट मारते हैं, लेकिन शराब की दुकानों पर लिखा रहता है--- अंग्रेजी शराब। मैं अपने मंत्री जी से और मंत्री जी के अफसरों से बताना चाहता हूं कि आप अंग्रेजियत कब तक लादोगे इस देश पर। आप अंग्रेजी शराब के स्थान पर विदेशी पद्धति की शराब या परमार्जित शराब लिखते तो बात समझ में आती, लेकिन अंग्रेजी का नाम लिए बगैर, अंग्रेजी शराब लिखे बिना इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो आप कम से कम 'अंग्रेजी शराब' लिखना तत्काल से बन्द कर दें।

आज जो शराब की बिक्री आपने गांव-गांव कर दी है, वह उचित नहीं है। पहले तो आदमी मुख्यालय से अपने गांव में लाता था और उसमें से एक-आध चुल्लू किसी को दे देता था और थोड़ी-थोड़ी पी-पिलाकर थोड़ा बलबलाकर शांत हो जाता था, किन्तु अब तो गांव-गांव में खुल गई है चाहे जितनी पियो। चैत का महीना आ गया है किसान के खेत-खलिहानों में फसल तैयार खड़ी है, उसको बेचकर आएगा अपने गांव में बे-रोक-टोक पीने को पाएगा और पिएगा, तो इस देश की गरीबी का क्या होगा। इसलिए मंत्री जी से निवेदन है कि वह शराब की दुकानों को मुख्यालय पर और मुख्यालय से हटाकर तहसील तक तो ले जाएं, लेकिन उसके नीचे बिल्कुल न ले जाएं। गांव में न हो जाए, टाउन एरिया में न हो जाए, इतना बंधन तो मंत्री जी को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। यह नीति सम्बन्धी बात है, इसको स्वीकार करना चाहिये।

मान्यवर, जैसा कि पुलिस विभाग बदनाम है, सिंचाई और पी० डब्लू० डी० भी बदनाम है मगर इन सबके बाप का नाम है आबकारी विभाग। यह विभाग तो कंकड़ हजम, पत्थर हजम है। इसके कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर--पहले जो एक सुल्तान के मनसबदार हुआ करते थे, यह सब भी मनसबदार बने फिरते हैं। आजकल के आबकारी इंस्पेक्टर जो जिला स्तर पर हैं, वह भी उनसे कम नहीं हैं। मंत्री जी आप तो गांधीवादी हो किसी दिन चुपके से जाओ, बिना किसी को खबर किये पकड़ लो जाकर, अफसरों का ताम-झाम साथ न ले जाओ, न हो तो एक आध विधायक को साथ ले लो। एक हमारे नौजवान मंत्री हैं, जिनको आप अपनी बैशाखी के लिए बिठाले हुए हैं, उनको साथ ले लें, उनसे आपको बड़ी सहायता मिलेगी।

अन्त में मैं हर रूप में हर तरह से इस बजट का समर्थन करता हूं, क्योंकि एक आदर्श व्यक्ति ने बजट को रखा है और यह सच्ची पुष्पांजलि है और इसके तहद राजस्व जो आ रहा है वह तो आएगा ही। पर जब आपने इतना विषपान कर लिया और अपने आदर्शों के तहद अनुशासित सिपाही के रूप में आपने सेनापति के हुक्म को मान लिया तो आपका यह भी नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि आप जिले-जिले में जाकर इस कार्य का निरीक्षण करें और अपने आबकारी इंस्पेक्टर और विभाग पर अंकुश रखें। आज जो भांग की दुकानें हैं, जो पुलिस थानों पर पैसा देती हैं, आपको नहीं देती हैं, इस पर भी आप ध्यान दें। अमीनाबाद में आपको हर दुकान पर पिसी हुई भांग की गोली मिलेगी।

[श्री श्याम लाल बाजपेयी--]

वह पैसा न तो किसी ठेकेदार को जाता है और न सरकार को ही, वह थानों के इन्सपेक्टरों की जेबों में चला जाता है। तो इस पैसे को राष्ट्रीय कोष में लाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि वे माननीय विष्ट जी के लिये थोड़ी बहुत दारू की व्यवस्था अवश्य कर दिया करें।

*श्री खैरुल बशर---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आबकारी के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय गौरी शंकर भैय्या ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह बड़ा सही प्रस्ताव है चूंकि यह सरकार गैर जमहूरी सरकार है जिसे जमहुरियत में विश्वास नहीं है और गैर अवामी सरकार है। इस देश के अन्दर कांग्रेस ने राष्ट्रीय आन्दोलन के समय एक वायदा किया था कि इस देश की जनता को वे शिक्षित करेंगे, काम देंगे, घर देंगे, मकान देंगे, उनकी बुनियादी जरूरतों को वे पूरा करेंगे उसको भूल गये हैं और आज देश की जनता को शराब पिला पिला कर उन्हें लूट रहे हैं। कांग्रेस शासन शराब को केवल पैसे कमाने के कारण बिकवा रही है। शराब बेचकर पैसा कमायें और बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं, जो लुटेरे हैं, जिनकी पूंजी अरबों रुपया हर साल बढ़ जाती है, उनकी गरदनों पर हाथ मारने का इस सरकार की हिम्मत नहीं है और इनकी छत्र छाया में बिरला और टाटा जैसे बड़े बड़े लोग अरबों रुपया कमा कर अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं। आज शिक्षा के अभाव में हमारे गरीबों और पिछड़े हुए लोगों के पास कोई साधन नहीं है। आज ऐसे आदमी को फ्रेस्ट्रेशन है, वह शराब पीकर अपने दुःख को मिटाना चाहता है लेकिन सरकार कर वसूल करके अपनी रेवन्यू वसूल करना चाहती है और देश के पूंजीपतियों की जेब गर्म करना चाहती है। इस समय तो यह सरकार शराब ही बिकवा रही है फिर सुरा के बाद सुन्दरी आती है, मुझे तो संदेह है कि कुछ दिनों में इस स्तर पर आ जायेगी कि यह सरकार वेश्यालय भी खुलवा देगी। इस प्रकार से इस सरकार का पतन हो रहा है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

अगर वेश्यालय खुलेंगे तो फिर आप क्या करेंगे ?

श्री खैरुल बशर---

मान्यवर, मऊनाथ भंजन में एक साहदतपुरा एक राज भरों की बस्ती है। वहां पर गरीब लोग रहते हैं। वहां पर गुन्डे लोग गरीब आदमियों की बस्ती में घुस जाते हैं, बहू-बटियों की बेइज्जती करते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि उस एरिया से शराब की दुकान हटवायी जाये। दुकान से रोडवेज का कार्यालय भी करीब 25 फुट पर है। बस स्टेशन भी पास है। स्टेशन भी पास है, स्कूल और डिग्री कालेज भी करीब हैं। मान्यवर, यह सरकार गांधीवाद में अपना विश्वास खो चुकी है। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जो शराब की दुकानें चल रही हैं, उन पर असामाजिक तत्व गुन्डे और कातिल लोग रखे जाते हैं। जब हमने ऐतराज किया और पूछा तो कहा गया कि उनके पैसे की रक्षा कैसे होगी अगर ऐसे लोगों को दुकानों पर न रखा जाय क्योंकि शराब पाने वाले भी गुन्डे ही होते हैं। इसलिये अगर वहां पर उस्तादों के उस्ताद नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा इसलिये उन दुकानों पर उस्तादों के उस्ताद को रखा जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसी प्रकार से यह शराब की दूकानें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गयी हैं जहां पर गुन्डे, बदमाश, और अराजक तत्व फलते फूलते हैं। आज रात को स्टेशन से यात्री जब अपने घरों को जाते हैं तो यह लोग, पुलिस की सहायता भी इनको मिली होती है, रास्ते में ही उनको लूट लेते हैं। आज पुलिस की छत्रछाया में गुन्डागर्दी बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है, चोरी और डकैतियां बढ़ रही हैं, कत्ल बढ़ रहे हैं तथा और जुर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। पता नहीं यह शासन इस प्रदेश को कहां ले जा रहा है, किस धरातल में यह इस प्रदेश को पहुंचाना चाहते हैं। हमारे यह महान विभूति माननीय तिवारी जी हैं, इन्होंने गांधी के साथ उनके कन्धे से कन्धा मिला कर सदा कार्य किया, पता नहीं कैसे इन्होंने इस विभाग को सम्भाल लिया, इनको इस विभाग को ठुकरा देना चाहिये था। माननीय तिवारी जी को यह विभाग देकर वास्तव में उनका अपमान किया है। इनको चाहिये कि यह इसको चुनौती दें, इस्तीफा देकर इस विभाग को ठुकरा दें और गांधी के उद्देश्यों की पूर्ति करें। आज माननीय तिवारी जी के उद्देश्यों के विपरीत उनसे यह पाप कराया जा रहा है।

आज चारों तरफ शराब और ताड़ी आदि की दूकानें फैली हुई हैं। यह भी कहा गया कि ताड़ी की दूकानों पर नीरा भी निकाली जायेगी। आज यह सरकार इन चीजों को, गांजा और चरस आदि को जो बढ़ावा दे रही है उससे जनता का पतन हो रहा है। अगर हमारे यहां शिक्षा होती, लोग शिक्षित होते, तो उसे समझते। आज सफाई कर्मचारी जब पहली तारीख को वेतन लेता है तो उसका पैसा इन शराब की दूकानों पर चला जाता है क्योंकि उसके लिये इन्टरटेनमेंट का दूसरा साधन नहीं है। उनकी बस्ती में रात को शराब के नशे में मार-पीट चला करती है। शराब की दूकानों पर इनकी भरमार लगी रहती है। दुनिया के सारे देशों में मैं जहां शराब को नेशनल ड्रिंक माना गया है, वहां लोगों में शिक्षा है, इसलिये वे उसे अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे यहां अधिकतर लोग अनपढ़ हैं। इसलिये उसके शिकार हो जाते हैं। फस्ट्रेशन के कारण वे सारा पैसा शराब में ही फूंक देते हैं। इसलिये मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में लोग बड़ी मस्ती से बात कर रहे हैं, बातें कृपया कम करें तो अच्छा हो।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए और माननीय गौरी भइया के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उनकी सारी आलोचना मद्य निषेध की तरफ थी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आखिर यह शराब क्यों बिक रही है। जब मोरारजी भाई ने इसको बन्द कर दिया था तो उनके काल में, क्या लोगों ने शराब पीना बन्द कर दिया था? अगर उनके काल में शराब पीना बन्द हो जाता तब तो यह ठीक था, उनकी बात में बल था, पर देखा यह गया कि लोग चोरी से शराब पीते थे और चोरी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे ले जा कर बेचते थे, पुलिस और थानों को खूब पैसा दिया जाता था और सरकार का रेवेन्यू अलग जाता था और शराब पीने वाले एक कुकर्म के बजाय चार कुकर्म करके शराब पीते थे और जब इस तरह की बात बताई गयी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर गांधीवादी, सिद्धान्त वादी मंत्री को यह विभाग दिया गया, और जिन मन्त्री जीने जहां पर शराब का बजट रखा है, वहीं पर इनके पास मद्य निषेध भी है और मद्य निषेध मंत्री भी हैं। इनके पास तो सामाजिक कार्यकर्त्ता भी हैं, समाज का ये कार्य करते हैं और ये साथ-साथ सिखाते भी हैं बन्दी के विषय में मोरारजी देसाई की तरह से मद्य निषेध नहीं लागू किया जा सकता था मद्य निषेध बताकर, समझाकर कि उसमें क्या बुराई है, उसको बताकर लागू कर सकते हैं। कानून से कोई बात नहीं होती है। कानून का वही परिणाम होगा जैसे नसबन्दी

[श्री मुईद अहमद---]

की हुई थी जहां तक इस बजट का सवाल है, एक क्रांतिकारी निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल लिया है। इस उत्तर प्रदेश में एक दिन एक साथ नीलामी होने जा रही है मेरा इसमें निश्चित मत है जोकि बड़े-बड़े व्यापारी हैं, बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, उनके सारे आदमी अलग-अलग जगहों पर जाकर बिलकुल नीलामी लेंगे और कम्पटीशन में जो सरकारी आय बढ़ती थी, वह कम होगी। यह मेरा निश्चित मत है। जब कम्पटीशन नहीं होगा तो सरकारी आय में वह बढ़ोत्तरी नहीं होगी जो प्रति वर्ष 25-30 प्रतिशत बढ़ती रहती है और ये सरकारी अधिकारी 10-5 प्रतिशत बढ़ाकर नीलामी दिखा देंगे और आंकड़ों में समझा कर और संतुष्ट कर देंगे हमारे मन्त्री जी को, कि नीलामी बढ़ गयी।

यह बात मैं बताना चाहता हूं। दूसरी बात, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं, इसमें मेरा सुझाव है कि नीलामी की तिथि अलग-अलग रखी जाय और उसको लाटरी के सिस्टम के द्वारा डिक्लेयर किया जाय कि गोरखपुर में फलां जगह के लिये, लखनऊ के लिए फलां-फलां तिथि पर खोलें। अलग-अलग तिथियों पर लाटरी के माध्यम से निकाला जाय और जो नीलामी करने वाले अधिकारी हैं, उनको न बताया जाय कि कहां पर किस दिन नीलामी करना है और 12 घंटा पहले बताया जाय कि आप अमुक स्थान पर जाकर नीलामी करें। तो यह जो धंधा कमाने वाला काम दूकानदारों से करते थे, वह बन्द हो जायगा।

मान्यवर, नीलामी में इस तरह का भी प्राविधान होना चाहिये ताकि जन-प्रतिनिधि भी उस नीलामी को देखते रहें। इससे यह लाभ होगा कि जो फर्जी तरीके से, जो लोगों को तोड़कर, जो कोई बोली बोलने वाले होते हैं, वे जिसकी चाहते हैं, वे उसकी दे देते हैं, इससे वे मनमानी नहीं कर पायेंगे। तीसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग ने कुछ अच्छे काम को इस वर्ष किया है। जहां पर इतनी बड़ी बात कही गयी थी कि माननीय मंत्री जी हुए हैं, ये सक्षम नहीं हैं। ये गांधीवादी हैं, इनके नेचर के विरुद्ध यह विभाग इनको दिया गया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इन्हीं की पालिसी से इन्हीं के कार्यकाल में आबकारी विभाग में तरक्की हुई है। 33.57 करोड़ रुपया 1981-82 में बढ़ा था और पिछले वर्ष केवल 88 करोड़ 29 लाख रुपया यानी पिछले वर्ष के मुकाबिले में 51 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। चौथी चीज मैं यह बताना चाहता हूं कि एक बकाया की वसूली पिछले वर्ष 31-1-80 तक 7.2 प्रतिशत थी जब कि इस वर्ष 17 प्रतिशत बढ़ी है यानी 143 लाख 14 हजार वसूली हुई। जहां पर 618 लाख रुपया वसूली थी 31-1-81 तक वहां पर अबकी वर्ष 708 लाख 64 हजार रुपया वसूली हुई है और इस वसूली में वह भी रकम शामिल है जिसमें कोर्ट ने स्टे दिक्लेयर कर दिया और कुछ रकम बगैर डिक्लेयर थी, यह वसूली नहीं होनी चाहिये। पिछले वर्ष ड्यूज यानी 31-1-81 तक 72 परसेंट है, अबकी 31-1-82 तक 80 परसेंट वसूली है।

इस तरह से माननीय मंत्री जी के शासनकाल में सुधार हुआ। जहां पर लोग कहते हैं कि सारा भ्रष्टाचार का अड्डा है। अगर कुछ लोग मेहनत करके तरक्की दिखला रहे हैं गवर्नमेन्ट का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं तो उनकी तारीफ करनी चाहिये। एक बात हम और कहना चाहते हैं, कि 160 करोड़ लैण्ड रेवेन्यू के रूप के यह विभाग देता है इस विभाग में उड़न दस्ता बनाया जाय जो इक्साइज इंस्पेक्टरों के क्षेत्र में फर्जी भट्ठी की दुकानें चल रही हैं उनको पकड़े और सस्पेन्ड किया जाय। एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिस इक्साइज इस्पेक्टर के क्षेत्र में अनियमित दुकानें चल रही हैं उनसे पूछा न जाय उनको तुरन्त सस्पेंड किया जाय इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव की घोर निन्दा करता हूं और माननीय मन्त्री द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि मद्य-निषेध शिक्षा द्वारा जितना प्रसारित किया जा सके किया जाय। पढ़ा-लिखा कर समझा बुझाकर मद्यनिषेध को कामयाब बनाया जाय।

*श्री हरगोविन्द वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गौरी भैय्या ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए, इस विभाग में जिन चीजों की आवश्यकता है उसके लिये सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, बाजपेयी जी ने कहा और बहुत से साथियों ने कहा कि महात्मा गांधी अनुयायी, संघर्ष करने वाले, देश की लड़ाई लड़ने वाले, आजादी लाने वाले महान साथी के द्वारा आबकारी का बजट रखा गया है। मान्यवर, आज प्रदेश और देश के अन्दर जिस तरह की स्थिति है एक तरफ आबकारी की दुकानें खोली जा रही हैं और दूसरी तरफ मद्यनिषेध शिक्षा के द्वारा लाने की बात कही जा रही है। यही हालत आज इस सरकार की है। जैसे चौकीदार जोर से कहता है पीछे से सेंधलगाओ और साह से कहता है जागते रहो।

मान्यवर, हमारी जनता सरकार ने इस पर जबरदस्त हमला किया था और शराब बन्दी का काम किया था। मैं कहना चाहता हूं अगर इस सरकार के मन्त्री लोग जहां रिक्शा चलाने वाला रहता है, जहां गरीब रहता है जो दिन भर मेहनत करता है लेकिन पेट भर रोटी नहीं मिलती है वहां गये होंगे तो देखा होगा कि कितनी खुशियां मनाई थी इन गरीब लोगों की महिलाओं ने। मान्यवर, आज रेवेन्यू पैदा करने के लिये मद्यपान करा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार शराब की दुकानें खोल रही है इससे निन्दनीय काम और क्या हो सकता है इस सरकार के सामने। मान्यवर, कहा यह जा रहा है कि उसके द्वारा रेवेन्यू को बढ़ाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज फिजूल खर्जी बढ़ रही है, रंगरेलियां बढ़ती जा रही हैं अगर सरकार को और रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी तो यह वेश्या की दुकान खोलकर रेवेन्यू इकट्ठा करने का साजिश कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह शराब पीने का काम अगर आप पता लगावें तो ज्यादा औसत गरीब लोगों का है जो दिन भर मेहनत करते और पेट भर रोटी नहीं मिलती है और नाही उनके पास मनोरंजन का कोई साधन है वह इस गन्दी दुनिया से दूसरी जगह जाने का काम करते हैं। मान्यवर, इस बात को माननीय मंत्री, यह सदन और प्रदेश के लोग जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि मद्य निषेध करना चाहते हैं तो इसको चीन का उदाहरण रखना चाहिये। चीन में जो अफीम खाते थे तो वहां जब जनता की सरकार बनी तो यह किया गया कि जो दुकान पर अफीम लेने जायेगा उसको बिल्ला लगाना पड़ेगा कि वह अफीम लेने जा रहा है अफीमची है। इसलिये यदि सरकार चाहती है कि शराब बन्द हो तो शराब की दुकान जो खोलते हैं उनको आदेश दें कि जो लोग शराब खरीदने आयेंगे तो उनकी पीठ पर लिखा जायेगा कि शराब खरीदने जा रहा है, शराबी हैं। तो इस तरह का यदि आप काम करेंगे तो मद्य निषेध हो सकता है। लेकिन इनके आंकड़ों से जाहिर होता है कि आजादी से आज तक इनके आंकड़े बराबर बढ़ते जा रहे हैं, शराब की बिक्री के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।

मान्यवर, इनको मालूम है कि इनके अधिकारी और कर्मचारी किस तरह उसमें सराबोर होते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने लिखकर दिया, अखबारों में दिया और मंत्री जी को लिखकर दिया कि सीतापुर में देखें तो रेलवे स्टेशन से आधा फर्लांग पर शराब की दूकान है, दुर्गा मन्दिर के आधा फर्लांग पर दुकान खुली है, बाजार में दुकान खुली हैऔर कोई पवित्र भूमि नहीं है वहां जहां आधा फर्लांग के अन्दर शराब की दुकान न खुली हो। मान्यवर, यह भी यह जानते हैं कि जो केसेज, जो कत्ल डकैतियां और एक्सीडेन्ट हो रहे हैं वह पूरी तरह शराब के कारण हो रहे हैं लेकिन यह उसमें सराबोर हैं और यह किस तरह पैसा कमाने का काम शराब से और दूसरे धंधों से करते हैं जिसके कारण आप पूरा प्रदेश नीचे से नीचे गिरता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्द वर्मा--]

जा रहा है और प्रदेश गरीबी में पहुंच गया है । मान्यवर, ढाई, साल जनता और लोकदल सरकार को छोड़कर, शेष जो इनकी सरकार रही वह दिल्ली की सरकार को खुश करने का काम किया है और यहां के मन्त्री अपने विभाग से पैसा इकट्ठा करके केन्द्र सरकार को भेजने का काम करते हैं । इसलिये शराब बन्दी चाहते हैं तो मद्यनिषेध पर जो बजट दिया गया है उसको बढ़ा दिया जाय और शराब को बन्द करने के लिये काम करें । यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह सरकार आज नहीं तो कल ऐसा साधन अपनायेगी जिससे देश, प्रदेश और समाज गिरेगा और ऐसी स्थिति आ सकती है कि विश्व के अन्दर हम चेहरा दिखाने लायक न रह जायं, इसलिये जो बजट पेश करके आपने निन्दनीय काम किया है उससे मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री हर गोविन्द वर्मा जी हमारे जिले के हैं । आज इनका असर देखा कि नाम से ही इनकी असर हो गया । इस सम्बन्ध में मुझे एक शेर याद आती है:--

लुत्फे मय क्या तुझसे बयां करूं ए जाहिद,
हाय जालिम तूने कभी पी ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष --

यह दो जानकारों के बीच की बात है, इसलिये मैं इसमें नहीं पड़ सकता हूं ।

श्री बिहारी लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया जिसके लिये मैं प्रदेश के आबकारी मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट प्रस्तुत किया और साथ ही उनको बधाई इसलिये देता हूं कि सारे प्रदेश में मंगलवार के दिन शराब की दुकानें बन्द होती हैं और हमारे मन्त्री जी ने आज मंगलवार के दिन आबकारी का बजट प्रस्तुत किया, जो कि अच्छी बात है ।

श्रीमन्, पिछली सरकार ने, पिछली 28 महीनों की सरकार ने शराब बन्दी करने के लिये कुछ कोशिश की और आपने बहुत बढ़िया काम किया। प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं बाहर के मुल्कों में भी नाम पैदा किया। जो चीज आपने बंद की भी वह भी पी और जो चीज नहीं पीनी चाहिये थी वह भी पी। तो पिछली सरकार जिस भाव पर आयी थी उसी भाव पर गयी। मैं कहना चाहता हूं आपके बड़े-बड़े नेता धाराशायी हुए, "विपरीत बुद्धे विनाश काले।" तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं, आजादी दिलाने में आपका बड़ा सहयोग रहा है।

आज प्रदेश के हर जिले में जायं, आप देखेंगे कि शराब में बड़ी मिलावट हो रही है। आबकारी विभाग के कमिश्नर बड़े ईमानदार हैं लेकिन उनके सहयोगी जो हैं वह इतने करप्ट हैं और इतने भ्रष्ट हैं कि तबीयत करती है कि पता नहीं कहां उन्हें डुबो दें । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसा अभियान चलाइये, जैसा वाजपेयी जी ने अंग्रेजी शराब के बारे में कहा तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि महीने में 15 दिन में इन अंग्रेजी शराब की दूकानों के कितने सैंपिल भरे जाते हैं यह बतायें। ठेकेदारों की प्रथा को समाप्त किया जाय, इससे बड़ी मात्रा में धन की बरबादी होती है और धन बेकार जाता है, अधिकारी धन को अपनी जेब में डाल लेते हैं। जैसे गांवों में सरकार राशन की दूकानें खोल रही है उसी प्रकार से शराब की दूकानों को सरकार अपने हाथ में ले। उधर कुछ लोग हैं जिनके चेहरे इस वक्त दूसरे हैं लेकिन 8 बजे

के बाद उनकी शक्ल दूसरी नजर आती है। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि राशन कार्ड शराब का अगर हो जाय जैसे चीनी मिलती है उसी तरह से शराब राशनकार्ड से मिले तो उसकी मात्रा कुछ कम होगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के बजट की आलोचना करता हूं और जो बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपका विचार है कि खाद्य मंत्री जी इसको देखें।

(हंसी)

*श्री राम हर्ष राय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस आबकारी बजट पर कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी के लिये अनेक विशेषणात्मक शब्दों का प्रयोग अनेक माननीय सदस्यों ने दिया, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गांधी जी के परम अनुयायी पंडित गोवर्द्धन तिवारी जी हैं। गांधी जी का स्वप्न था कि गांव की ओर चलो। लेकिन तिवारी जी और इनकी सरकार यह भूल गयी। यह गांवों की तरफ तो गई लेकिन जूते पहन लिये शराब के। कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का गांव नहीं जहां इस सरकार के क्रिया कलापों से वहां शराब के ठेके की दुकान न हो। इस सरकार को इसके लिये धन्यवाद देता हूं और मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि यह सरकार की उल्टी खोपड़ी है या मन्त्री जी के विभाग के प्रचार करने वालों की कि.....

श्री उपाध्यक्ष--

अपनी सही है न ?

(हंसी)

श्री राम हर्ष राय--

जी हां, अपनी तो ठीक है।

(हंसी)

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक ही दिशा को अपने शरीर से एक समय में जा सकता है, या तो पूरब जा सकता है या पश्चिम जा सकता है। यह सरकार ठीक इस सिद्धांत का हनन करके दोतरफा चाल चलने जा रही है। जैसा तिवारी जी ने कहा अपने बजट भाषण में कि शराब का प्रचार कर रहे हैं ठेके उठा रहे हैं और एक बहुत बड़ी धनराशि ये शराब के बुरे प्रभावों को दिखलाने के लिये खर्च कर रहे हैं। तो पंडितजी यह सोचते हैं कि शराब पिलाकर और शराब की बुराई को दिखाकर शराब पर हम पाबन्दी लगा देंगे लेकिन ठीक इसका उल्टा होगा। एक तरफ यह आबकारी विभाग के कर्मचारी अपनी पाकेट को अनेक प्रकार से भरते जा रहे हैं और अब इस दोहरे तरीके के बाद प्रचार, सिनेमा, मेले इत्यादि का पैसा भी उनकी पाकेट में जायगा। इस शराब के अनेक प्रकार के काले कारनामों से जो पैसा इस सरकार के अनेक अधिकारियों की जेब में जाता था तो आपने सोचा कि और भर दिया जाय।

एक सुझाव तिवारी जी को देना चाहता हूं और वह यह है कि शराब के ठेके की दुकान से यह जो अवांछित तत्व हैं, जो लुटेरे और डाकू हैं, वे आये दिन किसी न किसी रूप से उनका सम्बन्ध उन ठेके की दुकानों से रहता है। अगर यह सरकार वास्तव में जनता की भलाई का कार्य करना चाहती है तो उन ठेके की दुकानों पर सी0 आई0 डी0 या पुलिस के सिपाही सादी वर्दी में मुकर्रर करा दें जिससे कि आये दिन जो अपराधी तत्व ठेके पर शराब लेने जाते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामहर्ष राय–]

हैं, उनको पकड़कर जनता को राहत दिलायें। मैं पुनः नम्र निवेदन पंडित जी से करूंगा कि अगर इस काम को करा देंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण होगा क्योंकि वहां फूलन देवी और मलखान का कोई न कोई आदमी जरूर आता है।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि इस शराब के विषय पर जिस पर मेरा कोई भी अनुभव नहीं, लेकिन उधर हमारे माननीय सदस्यों का जो अनुभव है, जो अकाट्य सबूत उन्होंने पेश किये हैं, उसका जवाब देना नहीं चाहता, मैं तो कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि क्या आपने अपनी पार्टी के उन सदस्यों से यह राय ले ली है, जिनका सम्बन्ध शराब से है जब यहां अभी शराब के मंत्री महोदय एलान करेंगे कि शराब आज शाम से बन्द हो जायेगी तो फिर उनकी 8 बजे के बाद क्या दशा होगी?

(हंसी)

आप हमारे दल की परवाह मत कीजिये परन्तु क्या आपने अपने दल वालों से पूछा लिया है? या फिर क्या आप इसका दूसरा विकल्प के रूप में कोई दूसरी दूकान खोल रखे हैं कि यहां से नहीं तो फिर वहां से खरीदो? आपके मनीषी, आपके लोग घोषणा किया करते थे कि उन्होंने एक टानिक निकाला था लेकिन उनको भी आपने मुरार जी देसाई, मैं, नाम नहीं लेना चाहता था, उन्होंने एक टानिक निकाला, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इस दूकान को बन्द करवा दें और उसी का प्रचार करवायें। आप जितने गांधी जी के भक्त हैं वह मैं जानता हूं उनकी मीटिंग में जब आप ढेला चलाते थे तो मैं भी उस ढेले के खाने वालों में से एक हूं।

(व्यवधान)

श्री धरमपाल––

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय धरमपाल जी, आप बैठिये।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी––

यदि मेरे भाषण से किसी को, किसी सदस्य महोदय को कटुता प्रकट हुई हो, कोई ठेस लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं और वापस लेता हूं। मगर मैं पूछता हूं वह विकल्प वाली बात कि लोगों को उसका पता बता दीजियेगा नहीं तो फिर 8 बजे के बाद बगैर पिये वह मण्डली सड़कों पर लौटती नजर आयेगी?

श्री गौरी शंकर भैय्या––

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी दादा जी बोल रहे थे जब आपने मुझे बोलने के लिये बुलाया। माननीय भृगुनाथ चतुर्वेदी जी हाउस के सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता पर इतना जरूर कहूंगा कि हमारे तो गिनती के सात सदस्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं परन्तु आपके मंत्रिमंडल के लोग जो खुले आम पीते हैं। यदि आप उनको हमारी संख्या से मिलायेंगे तो फिर आपकी संख्या कम हो जायेगी।

(विरोधी दल की तरफ से अट्टहास)

श्रीमन्, अब मैं प्वाइन्ट पर आना चाहता हूं। कटौती के प्रस्ताव पर बहुत सी बातें मैंने कहीं। मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं उन्हें भी और जो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हैं उन्हें भी कि उन्होंने हमारे द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर अपनी-अपनी राय रखी और अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं। माननीय सदस्यों में जिनके कि नाम उल्लेखनीय हैं श्री श्यामलाल बाजपयी जी, श्री खैरुल बशर जी, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री राम हर्ष राय तथा श्री दादा जी। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि श्री श्याम लाल बाजपेयी जी शराब पर बोलते हुए ही वहां चले गये जहां कि पीने के बाद आदमी जाता है। तो श्रीमन्, एक से एक शराब बन्दी की बात हम कर रहे थे और उनको इतना नशा आया कि वे एकदम से मूत्रपान पर चले गये।

श्रीमन्, मैं एक बात हिन्दू मीमांस की कहना चाहता हूं और इस बात को कहने में सिर्फ एक मिनट का समय और लूंगा मान्यवर, आप भी जानते हैं, विद्वान आदमी हैं, बाजपेयी जी और दादा जी भी विद्वान हैं, हिन्दू मीमांसा में कहा गया है कि जाति च्युत जब आदमी हो जाता है तो उसे गो-मूत्र दिया जाता था गोबर दिया जाता था, एक में 5 सामान होते हैं, बछिया का मूत्र भी दिया जाता था कि उनको फिर से जाति में शामिल कर लिया जाये और जानवर का पीते थे उनकी संतानों को अपना मूत्र पीने में क्या दिक्कत है।

श्री उपाध्यक्ष---

गौरी शंकर भैय्या, जाति में मैंने मान लिया आपको, अब इस को खतम करें।

(हंसी)

श्री गौरी शंकर भैय्या---

जब समुद्र का मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे जिसमें से एक शराब भी थी, सुरा थी, ठर्रा भी है पंडित जी का, और श्रीमन् आप जानते हैं कि जब रत्नों का बंटवारा हुआ तो राक्षसों की तरफ शराब बांट दी गई और जब पीकरके मस्त हो गये थे तो बाकी 13 रत्न देवताओं ने अपने पक्ष में बांट लिया जैसे विश्वनाथ प्रताप, स्वास्थ मंत्री, सिंचाई मंत्री, खाद्य मंत्री, बाजपेयी जी बैठे हैं, बंटवारा तो कर लिया लेकिन शराब छोड़ दी है बाजपेयी जैसे लोगों के हिस्से में.....

(हंसी)

एक बात कही गयी कि हमारे राज्य में जब बन्द करने का काम किया गया तो लोग चोरी से पीते थे। एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप एक बुराई को दूर करने के लिए या आप दूर नहीं कर पाते हैं तो क्या दूसरी बुराई को गले लगाने को तैयार हैं। हमने बन्द किया था, मानता हूं जैसे आये थे चले गये, उत्तर प्रदेश में मोहन मीकिन और संजय गांधी पीते थे साथ-साथ, माफ करियेगा, कह गया, लेकिन हमको अफसोस नहीं है, एक बार नहीं 10 बार हमारी हुकूमत जा सकती है लेकिन अगर हमारी हुकूमत आयेगी तो शराब बन्दी होगी.....

(व्यवधान)

[श्री गौरीशंकर भैय्या—]

श्रीमन्, जब दवा का बजट आया तो भोजन का पैकेट आया, सूचना का आया तो डायरी मिली, पर्यटन का आया तो डायरी मिली, खाद्य मंत्री का आया तो चाय-पानी हुई, जब आबकारी का बजट आया तो लोगों को उम्मीद थी.....

(हंसी)

अगर आप बोतल में दारू नहीं तो एक-एक बोतल में पानी तो सप्लाई करा दिये होते.....

(हंसी)

श्रीमन्, अन्तिम बार कह कर अपने कटौती के प्रस्ताव पर जोर देना चाहता हूं। हमारे देश के अन्दर 16 अरब 8 करोड़ रुपये की शराब प्रतिवर्ष आदमी पी जाता है। यह तो वह शराब है जो सरकारी दूकानों से, ठेके के जरिये, नीलामी के जरिये विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंदिरा गांधी, मुहैय्या करते हैं और जो अवैध भट्ठियों से मिलती है, उसकी गणना इसमें शामिल नहीं है। निश्चित रूप से जैसे-जैसे शराब की छूट दी गई है लोगों को पीने के लिए वैसे-वैसे भ्रष्टाचार बढ़ा है, अनाचार, अत्याचार, लूट-मार, डकैती, बलात्कार, अपहरण, खून बहा है, जितनी सामाजिक बुराइयां हैं, बढ़ती जा रही हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ढाई वर्ष हम नाकाबिल थे। ढाई वर्ष हमारा निकाल दीजिए लेकिन आज जितनी नैतिकता का पतन हुआ है उसके लिए केवल कांग्रेस जिम्मेदार रहा है जो हमेशा हुकूमत में रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज मयखाने चन्द लोगों को शराब पिलाने के लिए, जाम भरने के लिए उस गांधीवादी व्यक्ति को सौंप दिया गया है जिस कारण माननीय सदन के लोग इस बात की निंदा करते हैं। अगर आपको यही करना था तो इसे काशी नाथ मिश्रा को दे दिये होते, बच्चा पाठक को दिए होते जिनको कोई खास परहेज नहीं है लेकिन उस बुजुर्ग आदमी को दे दिये। हमारी यह स्पष्ट मंशा है, पार्टी की नीति है और देश की मांग है कि जहां पर एक कलम से महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि मुझे तानाशाह बना दिया जाय तो मैं पहला काम यह करूंगा कि देश में नशाबन्दी का काम करूंगा। आज भी देश में गांधी जी के नाती-पोते सत्ता में हैं इसलिए आप मद्य निषेध करने का काम करें क्योंकि मा0 मंत्री जी ने मद्य निषेध के संबंध में थोड़ा बहुत बात जरूर कही लेकिन टोटल मद्य निषेध के लिए नहीं कहा इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री गोवर्द्धन तिवारी—

मान्यवर, मैं कुछ कहूं उससे पहले इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने जो अमूल्य सुझाव दिये हैं उनके लिये मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं और जो भावनायें उन्होंने व्यक्त की हैं, मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी भावनाओं का मैं और हमारा विभाग सम्मान करेगा। महात्मा गांधी के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांधी जी की मंशा केवल शराब की दुकानों को बन्द करवाना नहीं था बल्कि यह था कि जो आदत पड़ जाती है लोगों में शराब की वह बन्द हो लेकिन जनता पार्टी के शासन में केवल कानून के जरिये शराब की दुकानों को बन्द करना ही कर्त्तव्य की इतिश्री समझी। जहां तक शराब के प्रचलन का ताल्लुक है मुझे इस बात की जानकारी है कि जब शराब की दुकानें बन्द की गईं तो उससे कई गुना दुकानें अवैध शराब की इस प्रदेश में खुलीं और जहां तक लोगों के पीने का प्रश्न है उसमें भी कत्तई कमी नहीं हुई।

मेरा अपना अनुभव है कि मैं आपका और सदन का थोड़ा समय लेना चाहूंगा। बार-बार जिक्र मेरा होता है मैं बताना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ तो अल्मोड़े में देशी

शराब की जो दुकानें थीं उस पर हम लोगों ने सत्याग्रह किया और दुकानों को बन्द करवा दिया लेकिन कुछ ही दिनों में ज्ञात हुआ कि जितनी दुकानें बन्द हुई थीं उससे कई गुना अधिक अवैध शराब की दुकानें अल्मोड़ा जिले के देहात में खुलीं इसलिए गांधी जी की भावना को कार्यरूप में परिणत करने के लिये हम सब लोगों ने उन सब तमाम असामाजिक तत्वों से उन अवैध दुकानों को बन्द करवाया और हमने जो संगठन अपने जिले में किया उसमें महिलायें बराबर इस बात की सूचना देती थीं कि हमारे पति ने या देवर ने या लड़के ने शराब पी है मेरा मतलब यह है कि हम इस कार्य को केवल दुकानें बन्द करने तक ही सीमित न रखें। बल्कि देहात में अवैध रूप से जो शराब की दुकानें थीं उनको बन्द कराने में कामयाब रहे। मंशा यह थी लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आज इस प्रकार के कार्यकर्त्ताओं का दल जो दूकानों को बन्द कराने के पश्चात्, जो अवैध तरीके से दुकानें खुली हैं उनको सही तरीके से संगठित होकर गांव-गांव में जाकर बन्द कराने का प्रयास करें, उसका अभाव नजर आता है। इसलिये केवल दूकानों के बन्द करने का प्रश्न नहीं है। जहां तक गांधी जी के सिद्धांतों का सवाल है, गांधी जी के सिद्धांतों के सिलसिले में जो मेरे मित्र ने जिक्र किया, वे हम लोगों के ज्यादा नजदीक थे, इसलिये उनसे ज्यादा जानते हैं।

निगम द्वारा शराब बेचने के कार्य की निन्दा की गयी है। मैंने कभी भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया कि निगम द्वारा महानगरों में शराब की बिक्री की जायेगी। मैंने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि विदेशी मदिरा का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले रही है। केवल महानगरों में नहीं बल्कि सारे प्रदेश में। जब शासन यह कार्य ठेकेदारों को सौंपता है तो मेरे मित्र उसकी निन्दा करते हैं और दूसरी तरफ जब ठेकेदारों से इस व्यापार को छीना जाता है तो उसकी भी निन्दा करते हैं। इस तरह से वे अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारों का ही समर्थन करते हैं।

बकाये की वसूली के बारे में अब कुछ कहना चाहता हूं। मैंने अपने भाषण में कहा कि जहां तक करेंट ड्यूज का ताल्लुक है, जनवरी, 82 तक 86 परसेंट वसूली की गयी है और जनवरी से इधर के महीनों में जो वसूली होगी उससे मैं कह सकूंगा कि काफी सन्तोषजनक हमारी वसूली है। जो पिछला बकाया है उसमें से 109 करोड़ रुपये तो हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के स्थगन आदेश की वजह से रुके पड़े हैं, जिससे उसकी वसूली नहीं हो पायी है।

औषधियों के नाम पर दुरुपयोग का जिक्र किया गया है। जहां तक औषधियों के दुरुपयोग का प्रश्न है यह बात सही है। खासकर पर्वतीय क्षेत्र में दवा के रूप में जो शराब बेची जाती है, उसका देहातों में काफी प्रचलन है। हमारे यहां जितनी प्रोहीबिटेड एरियाज हैं, जितने नशाबन्दी वाले जिले हैं, वहां पर्वतीय क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा प्रचलन है। जब मैं दौरे पर पिथौरागढ़ में गया था तो तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि यहां जहरीली शराब दवा के रूप में बेची जा रही है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में जिन जिलों में नशाबन्दी है वहां अवैध रूप से मादक वस्तुओं की बिक्री हो रही है। जैसे सुरा संजीवनी, जिंजर आदि की बिक्री हो रही है। यदि आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं तो क्या वहां शराब बन्दी समाप्त कर देंगे ?

श्री गोवरधन तिवारी--

अभी कहीं कोई दूकान बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। शासन के इस पर प्रतिबन्ध लगाया था दबा करके हाईकोर्ट में चले गये। हाईकोर्ट ने प्रतिबन्ध हटा दिया। (व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

आपके आबकारी कमिश्नर साहब के पी0 ए0 ठेकेदार से ठेके में 50 प्रतिशत कमीशन लेते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री गोबरधन तिवारी--

गाजीपुर की अफीम फैक्टरी का जिक्र किया गया। उस का राज्य सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। अफीम का ताल्लुक केन्द्र सरकार से है।

बरेली रबर फैक्टरी की बकाया रकम का जिक्र किया गया। उस के बारे में मैं पूरा पता लगाने की कोशिश करूंगा।

बाराबंकी आरगैनिक फैक्टरी के सम्बन्ध में बाजपेयी जी ने जिक्र किया। ज्यों ही उन्होंने मुझे लिखा त्यों ही मैंने डी0 एम0 बाराबंकी से इनक्वायरी के लिए कहा। उस की कापी आप के पास भेजी है। इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि आप भी इस सिलसिले में सहायता दें। इतना ही नहीं मैं इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं किसी भी अधिकारी के हमारे विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार की अगर कोई शिकायत हो वह मुझे बतायें मैं अवश्य इनक्वायरी करूंगा और उस पर कार्यवाही करूंगा जो इसके लिए दोषी पाये जायेंगे उन्हें सजा मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गौरी शंकर भैय्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

(कोई उत्तर न आने पर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,55,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) (6 बजकर 3 मिनट)

गोरखपुर बिश्वविद्यालय की सभा के लिए होने वाले चुनाव में बंध पाये गये नामों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

आप को यह सूचना देनी है।

गोरखपुर बिश्वविद्यालय की सभा के लिये विधान सभा के 5 सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 1 मार्च, 1982

को अपरान्ह 4 बजे तक निम्नलिखित सदस्यों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं जो आज दिनांक 2 मार्च, 1982 को संवीक्षा के उपरान्त वैध पाये गये हैं:--

1--श्री पंचानन राय .. (आजमगढ़)
2--श्रीमती धनेश्वरी देवी .. (वाराणसी)
3--श्री हरिद्वार पाण्डेय .. (गोरखपुर)
4--श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी .. (प्रतापगढ़)
5--श्री मारकण्डेय चन्द्र .. (गोरखपुर)
6--श्री हरिबंश सहाय .. (देवरिया)
7--श्री केदारनाथ सिंह .. (गोरखपुर)
8--श्री दूधनाथ राजभर .. (आजमगढ़)
9--श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही .. (गोरखपुर)
10--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी .. (गोरखपुर)
11--श्री खुदादीन अंसारी .. (देवरिया)
12--श्री चन्द्रवली ब्रह्मचारी .. (आजमगढ़)
13--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र .. (देवरिया)
14--श्री दिवाकर विक्रम सिंह .. (बस्ती)
15--श्री राज कुमार राय .. (आजमगढ़)

नामों की वापसी हेतु दिनांक 4 मार्च, 1982 को अपरान्ह 5 बजे तक का समय नियत है। उक्त निकाय में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। अतएव, यदि उक्त समय तक जो अतिरिक्त नाम हैं वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन हेतु मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12 मार्च, 1982 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन लखनऊ में होगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनांक 2 मार्च, 1982 के उपवेशन में नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से केवल एक सूचना जो कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है कि तेज वर्षा एवं उपलवृष्टि से कानपुर में 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, स्वीकृत हुई हैं। इसी तरह की सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन तथा श्री मित्रसेन यादव ने दी है। राजस्व मंत्री इस पर अपना वक्तव्य कब देंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

12 के बाद कोई भी तिथि रख ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

12 मार्च ही रख लें।

श्री अम्मार रिजवी--

ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में विपक्ष द्वारा गृह मंत्री के वक्तव्य को न सुने जाने के संबंध में आपत्ति व जिला मैनपुरी के ओछा थाने के अन्तर्गत 4 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

(गृह मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर तथा उनके द्वारा वक्तव्य पढ़ना शुरू किये जाने पर।)

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, हमें आज भी खेद है कि जिस तरह से विरोध पक्ष ने वाक आउट किया है और मुख्य मन्त्री उसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं इसलिये जनता पार्टी . . .

श्री उपाध्यक्ष ---

माननीय गृह मन्त्री, आप कृपया तशरीफ रखें ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जैसी कि आपने इच्छा व्यक्त की थी कि मुख्य मन्त्री जी को ऐसे आवश्यक विषयों के समय यहां पर उपस्थित रहना चाहिये । मान्यवर, वे आज भी अस्वस्थ हैं जिस कारण वे सदन में उपस्थित नहीं हो सके । इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा माननीय रियासत जी से और अन्य सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन एक नियमावली के जरिये से चलता है । माननीय रियासत साहब और दूसरे सम्मानित सदस्य बार-बार नियमावली का हवाला देते हैं । मैं आपका ध्यान नियमावली की दफा 51 (2) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है--'किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सम्बद्ध मंत्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे । लिखित वक्तव्य होने की दशा में उसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भी दी जायेगी ।' मान्यवर, इसमें सम्बद्ध मंत्री का जिक्र किया गया है । पूरी चीज एक नियमावली में बंधी हुई है और इसी तरह से यह पूरा देश हमारे संविधान से बंधा हुआ है । इस प्रकार संविधान के 164 (2) में स्पष्ट लिखा है---काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स शेल हैव क्लेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसका हिन्दी तर्जुमा कर दें ।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, इसमें लिखा है कि मंत्रि-परिषद् का विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा । मान्यवर, माननीय रियासत साहब एक वरिष्ठ सदस्य हैं जो नियमावली और संविधान से पूरी तरह से अवगत हैं । जब उनकी तरफ से ऐसा प्रश्न आता है तो ताज्जुब होता है और दुख भी होता है । जहां तक क्लेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी का सवाल है, केवल सम्बन्धित मंत्री ही नहीं बल्कि सरकार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रश्न को, किसी भी वक्तव्य को पढ़ सकता है और यह समझा जायेगा कि वह वक्तव्य मुख्य मंत्री द्वारा अथवा पूरी सरकार द्वारा दिया गया है । इस प्रकार आपत्ति करना ठीक नहीं । मान्यवर, जहां पर पूरे सदन का मार्ग-दर्शन होता है और हमें उम्मीद है कि हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, संविधान की जो यह धारा है, उसको मान्यवर, आप देख लें । कहीं यह नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी वक्तव्य विशेष के लिये मुख्य मंत्री को या किसी मिनिस्टर विशेष को उपस्थित रहना आवश्यक हो । कोई भी मंत्री किसी भी वक्तव्य को पढ़ सकता है ।

मान्यवर, मेरे पास कौल और शकधर की पुस्तिका है जिसके सफा 806 में इसके बारे में सारी बातें लिखी हुई है । मैं उनको पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन

चाहता हूं कि इसको नोट कर लिया जाय। स्पष्ट रूप में लिखा है कि मंत्री किस प्रकार उपस्थित रहेंगे इसके बारे में उन्होंने प्रोवाइड किया है। यही नहीं अगर आप 'में" की मशहूर किताब पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस प्रिविलेज एण्ड प्रोसीडिंग्स एण्ड यूजेज आफ पार्लियामेन्ट को देखें उसके पृष्ठ 336 को देखें एडीशन नाइन्टीथ पैराग्रसुफ 3 में साफ लिखा है--- एम्सप्लेनेशन आर मेड इन दी हाउस बाई मिनिस्टर्स आन बिहाफ दी गवर्नमेण्ट रिगार्डिंग देयर प्रोमेस्टिक एन्ड फारेन पालिसी. जो स्टेटमेन्ट है वह सदन के अन्दर काऊंसिल आफ मिनिस्टर्स के सदस्यों। द्वारा गवर्नमेन्ट डामैस्टिक और फारेन पालिसी के संबंध में दिये जा सकते हैं। तो यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि सरकार का कोई भी सदस्य सरकार के किसी विषय पर वक्तव्य दे सकता है, सरकार की कोई बात कह सकता है और वह सरकार की बात मानी जायेगी। जो आपकी आज्ञा होगी वह शिरोधार्य है। मेरा नम्र निवेदन है कि जिस समय आप इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय दे रहे हैं जिससे केवल इस सदन के अन्दर नहीं बल्कि सारे सदनों में जो पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें एक बेसिक चीज है कि कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी है उसके परिपेक्ष में आप को इसे देखना होगा। आप की एक बात कहने से कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी प्रभावित होती है।

मेरा नम्र निवेदन है आपकी आज्ञा शिरोधार्यहै, जो सम्मानित सदन तय करेगा उसको सरकार पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है लेकिन जो नियमावली है जो संविधान है, एक जो पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस है उसके मौलिक उसूल हैं,कुछआधारशिला है इस चीज पर अवश्य ध्यान दें माननीय रियासत साहब ऐसे पार्लियामेंटेरियन, उनके जैसा संसदीय पद्धति की जानकारी रखने वाला व्यक्ति ऐसी बात करता है तो बड़ी मुश्किल है. हम कह सकते हैं कि यह हमारी बदकिस्मती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सम्मानित सदन के लोग किसी जजबात में न आकर देखें, यह जजबात का सवाल नहीं है। मान्यवर, आज हम यहां हैं कल वह यहां आ सकते हैं। पार्लियामेंट्री सरकिल में आने वाली तारीख में यह लिखा जायेगा कि जहां पर कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी की बात आयेगी वहां पर यह बात आयेगी। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस सदन के सदस्य विशेषकर रियासत साहब से कि जो बात हमारे संविधान के विपरीत है उस पर किसी प्रकार का जोर न दें।

एक सदस्य--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रियासत साहब, आपके कहने के पहले मंत्री जी ने जो परिभाषा दी उसको भी देख लें अपनी नियमावली को भी देख लें।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने बहुत मेहनत करके नियमावली और मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस का और कांस्टीट्यूशन का हवाला दिया। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो बात कही वह कोई नयी चीज की जानकारी मेरे को नहीं दी। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह सारी चीजों को फिर देख लें खूब देखकर यह बता दें कि क्या कहीं भी इन तीनों किताबों में लिखा है कि माननीय सदन का कोई भी सदस्य चाहे विरोध पक्ष का हो या इधर का हो बाध्य है किसी मिनिस्टर का किसी भी स्टेटमेन्ट को सुनने के लिये और खासतौर से जो अनर्गल, इंपर्टिनेंट स्टेटमेन्ट हो उसको सुनने के लिए बाध्य है, यह कहीं लिखा हो बता दें। अगर यह लिखा है तो आप मुझे बतायें।

श्री उपाध्यक्ष--

'इम्पर्टीनेन्ट' या 'इर्रेलीवेन्ट' आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया ?

श्री रियासत हुसैन--

अनर्गल के लिये मैंने इस्तेमाल किया है। जो इर्रेलीवेन्ट स्टेटमेन्ट हो क्या उनको सुनने के लिये, आपने जिन तीन किताबों का हवाला दिया, उनमें से किसी में कोई बाध्यता दी हुई है। किसी में आप इस सम्बन्ध में कोई शब्द दिखा दीजिये। किसी मंत्री को सुनने के लिए सदन में क्या नियमावली में, विधान के रूप में कहीं कोई बाध्यता है कि उसको उन्हें सुनना पड़ेगा।

(जन स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)।

श्री रियासत हुसैन--

मैं यह मानकर चल रहा हूं कि माननीय गृह मन्त्री का उत्तर (व्यवधान)

श्री लोकपति--

यह इतना महत्वपूर्ण बिन्दु....

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न तो चल ही रहा है, आप बैठें।

श्री रियासत हुसैन--

मेरे विचार से माननीय गृह मंत्री का उत्तर सन्तोषजनक नहीं होता है, असन्तोषजनक होता है, उनसे हाउस के अन्दर उत्तेजना बढ़ती है। हम यह नहीं चाहते कि इस माननीय सदन को सुचारुरूप से चलाने के बजाय कोई ऐसी बात हो, जिससे इस माननीय सदन में रोष पैदा हो, कोई बाधा पड़ने की बात हो। इसलिये जो आपने ज्वायन्ट रिस्पांसिबिलटी की बात कहीं है, उसमें मेरा कहना है कि गृह मन्त्रीजी जब उत्तर दें, उस समय चीफमिनिस्टर साहब, जो सारे विभागों व मंत्रियों के हेड हैं, यहां पर बैठें ताकि नीति के सम्बन्ध में जब कोई प्रश्न आये तो हम डायरेक्टली मुख्य मंत्री से पूछ सकें, जिससे इस माननीय सदन में किसी प्रकार की उत्तेजना पैदा न हो। साथ ही मुख्य मंत्री को इस बात का समय न हो तो वह आपको (श्री अम्मार रिजवी) या लोकपति त्रिपाठी जी को इस बात के लिये विशेष रूप से डेप्यूट करें कि जब गृह मंत्री के प्रश्न होंगे तो आप में से कोई यहां पर उपस्थित हों, ताकि हम जिम्मेदारी से प्रश्नपूछ सकें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जो बहुत वाक्कुशल हैं--इसमें कोई शक नहीं, बहुत चतुर हैं, उन्होंने न जाने कितनी किताबों को कोट किया। मान्यवर, मैंने संयुक्त मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व से सम्बन्धित उनकी बात को चुनौती नहीं दी है। मैंने जो आग्रह किया वह यह कि माननीया गृह मंत्री असंगत उत्तर देती हैं, माननीय सदन के अन्दर चैलेंज करती हैं, हाथ फैलाती हैं थानेदारों की तरह और पूर्णतया जिन बातों की आवश्यकता नहीं है जरा भी---ऐसे वाक्यों का प्रयोग करती हैं अनावश्यक रूप से, तो विवश होकर हम लोगों ने कहा था, निश्चय किया था कि जबतक माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तरदायित्वपूर्ण उत्तर देने के लिए माननीय सदन में

उपस्थित नहीं होंगे, तब तक हम लोग माननीया गृहमंत्री का वक्तव्य सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम रोज इसी प्रकार से बहिष्कार करेंगे। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं....

(सत्तापक्ष से कई स्वर 'तो हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे।')

(व्यवधान)

आपको अधिकार है आप न सुनें, मैं आपको बाध्य नहीं करता हूं। इसी तरह से आप हमको बाध्य नहीं कर सकते न तो संविधान के अनुसार, न तो नियमावली के अनुसार और न मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार।

मान्यवर, यह भी अफसोसजनक बात है कि आपकी पीठ से आपके और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का मंत्रिमंडल के सदस्यों की तरफ से बिलकुल स्पष्टतया उल्लंघन हो रहा है। और मान्यवर,आपके आदेशों की और माननीय अध्यक्ष जी के आदेशों की उपेक्षा और अवहेलना हो रही है। इस प्रकार यह कहा जायेगा कि उस पीठ का अवमान है। कई दिन हो गये माननीय गृह मंत्री के भाषण का बहिष्कार करते हुए और यदि सरकार में थोड़ा भी जनतंत्र के मूल्यों का सम्मान और आदर होता तो माननीय मुख्य मंत्री जी को आज यहां पर हर हालत में आना चाहिए था। या किसी भी वरिष्ठ मंत्री को अधिकृत किया होता।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आप इनको वरिष्ठ मंत्री नहीं मानते हैं ?

श्री मोतीलाल देहलवी---

मान्यवर, इतनी संख्या के बल पर.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप इसको असंगत कह सकते हैं, कोई और संज्ञा दे सकते हैं लेकिन निराधार नहीं कह सकते हैं ?

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर उत्तर दिए जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया था और आज भी अगर माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य पढ़ेंगी तो मान्यवर, आज भी हम लोग इसका बहिष्कार करके जा रहे हैं क्योंकि हम वक्तव्य नहीं सुनेंगे।

(श्री मोतीलाल देहलवी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री लोकपति---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े खेद की बात सदन में आयी है। हमारे वरिष्ठ उप-नेता विरोधी दल और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो प्रजातांत्रिक इतिहास की एक अनोखी चीज है। प्रजातंत्र और इसकी प्रक्रिया, श्रीमन्, अनुशासन से ही चलती है। अगर गृह मंत्री के किसी वक्तव्य या उनके किसी भाव से किसी माननीय सदस्य को ठेस लगे, उनकी वह इच्छा न रही हो, उसके लिये हम क्षमा प्रार्थी हैं लेकिन जो चीज आज सदन में उठायी गयी हैउसके संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन में अनर्गल बातें होती हैं, असंगत बातें होती हैं, क्या इस सदन में जो बातें होती हैं, वे निराधार होती हैं ? इसके लिए हमारी नियमावली में प्राविधान हैं। आप हमें विशेषाधिकार समिति को सौंप दें, आप हमें इंगित कर सकते हैं,सदन से बाहर कर सकते हैं, आपको

[श्री लोकपति--]

अधिकार है कि आप कुछ समय के लिए निकाल सकते हैं, पूरे सत्र के लिए निकाल सकते हैं, हम विनती करते हैं कि जिस प्रकार से आप उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से आप इस मुद्दे पर निर्णय देते हुए तय करें कि माननीय नेता उपनेता ने जो बातें कहीं और हमारे माननीय बुजुर्ग सदस्य रियासत हुसैन ने जिन बातों की ओर इशारा किया है वह आपकी नियमावली और इस सदन के संविधान के अन्तर्गत जो मान्यतायें हैं, परम्परायें हैं, जिन्हें हम कन्वैन्शन्स कहते हैं कहां, कब ऐसा मुद्दा आया है। इस प्रकार का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके इस प्रकार एक व्यक्ति को जलील किया जाय ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोगों ने जो इश्यु उठाया है और आज से कई दिन पहले से चल रहा है उसको थोड़ा दूसरी तरह से समझा। पहली बात तो अनर्गल बात जो हमने कही उसके संबंध में यह है कि वह केवल माननीय गृह मंत्री के लिए ही कही है। इस सदन के और किसी माननीय मंत्री जी के लिये हमने वह बात नहीं कही है। उनका उत्तर अगर संतोषजनक आता तो हम यह बात कभी न कहते। उनका उत्तर उस तरह से चूंकि नहीं आता है जिस तरह से आना चाहिये (व्यवधान) इसलिये यह हमने कहा। आप दुनिया के इतिहास में, पार्लियामेन्टरी इतिहास में, मुझे एक भी मिसाल यह दिखा दें जहां इस प्रकार का उत्तर दिया गया हो सदन के अन्दर कि "हम सवाल का जवाब बातों से नहीं गोली से देते हैं।" (व्यवधान)--

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मुझे स्पष्टीकरण का मौका देने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

हम यहां पर पूरे प्रदेश के संबंध में लोक महत्व के प्रश्न उठाते हैं और शासन का ध्यान दिलाते हैं और उसका हल निकालने के लिये ही यहां पर बैठे हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जिस वक्त माननीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दें उसी समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित रहें, अगर वे स्वयं न रह सकें तो किसी भी अन्य मंत्री को वह जिम्मेदारी सौंप दें जो यह जिम्मेदारी निभा सके, वह जिम्मेदारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को दे दें, माननीय अम्मार रिजवी साहब को दे दें, कम से कम उत्तर तो ऐसे मिलें जिससे हम प्रदेश की जनता को बता सकें कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर नहीं आ सकते हैं, तो माननीय अम्मार रिजवी साहब वह जिम्मेदारी ले लें, वैसे तो वे यहां बैठे हैं, पर वे यह जिम्मेदारी ले लें कि वे जवाब भी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

जब संयुक्त उत्तरदायित्व है तो इससे बड़ी और अथारिटी क्या हो सकती है जो उनको दी जायेगी।

श्री रियासत हुसैन--

वह है, उसको हम भी जानते हैं। कल ही वन विभाग की डिबेट में वे जवाब दे रहे थे, हमने उनको सुना। आपने कहा कि वह कन्वेन्शन नहीं होगा। हम उनको सुनने को तैयार हैं। हम जानते हैं वे ऐसा उत्तर नहीं देंगे जिससे कि सदन के अन्दर उत्तेजना हो। लेकिन अगर इस चीज को आप लोग सीरिएसली नहीं लेंगे, तो जैसा कि माननीय उप नेता सदन, विरोधी दल ने कहा, हम आज भी इस पहलू पर दृढ़ हैं कि माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य हम नहीं सुनेंगे।

श्रीमती स्वरूपकुमारी बख्शी--

मैं स्पष्टीकरण देना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया बैठें। अभी तो गृह मंत्री का बयान आया ही नहीं था। वे बयान देने के लिये जैसे ही खड़ी हुई, यह प्रश्न उठा दिया गया। 2-3 दिन से यह बात हो रही है कि जब वे बयान देने खड़ी ही होती हैं, बयान शुरू भी नहीं होता है और सदन परित्याग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है या उसका विरोध शुरू हो जाता है। आपने कहा वह बयान दें। तो बयान अगर युक्तियुक्त न हो और आपके प्रश्नों का उत्तर सही रूप में आपके सामने न आये और आपको इसमें विश्वास हो जाय कि संयुक्त उत्तरदायित्व वाले ये लोग जो ट्रेजरी बेंचेज में बैठते हैं, ये भी आपको संतुष्ट करने में अक्षम साबित हो रहे हैं,तब तो प्रश्न उठता है, लेकिन जब तक प्रश्न को देखा न जाय, एक सामान्य सी बात है, किसी भी अपराध के लिए 5 चीजें सबसे पहले देखी जाती हैं। (1) इन्टेंशन (2) प्रिपरेशन, उसके बाद (3) ऐक्शन, फिर (4) उसका नतीजा और (5) तब यह देखा जाता है कि अपराध बना कि नहीं बना। अपने आदमी को खड़ा देखा, इन्टेंशन के बारे में अपना दिमाग बना लिया। अगर ऐसा दिमाग बना लिया जाय तो काम नहीं चलेगा। इसलिए उनको अवसर तो देना ही चाहिए, क्योंकि, हर मंत्री अपने विभाग का निश्चित रूप से जिम्मेदार है और वह उस जिम्मेदारी को, आपकी समझ से, अकेला ठीक से नहीं निभा पा रहा है, तो संयुक्त उत्तरदायित्व.....

(व्यवधान)

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, माननीया गृह मंत्री को नींद आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब उनकी नींद को फखरे आलम साहब देख रहे होंगे, मैं तो नहीं देख रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री धरम पाल--

मान्यवर, वह सो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय धरमपाल जी, ये दो बुजुर्गों की बात है। आपको तो अच्छा लगेगा ही, जब ये दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को सोता देखेंगे, तभी आपको मौज मिलेगा।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, ये सदन के बहुमूल्य रिस्तेदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

तो उसके बाद बात यह है कि जब तक उनका बयान न आवे और बयान वह पढ़ न दें, बाकी बंट जाने से बयान जो हुआ नहीं। आप खुद जानकार हैं, विज्ञ हैं और आपके विज्ञ होने का मैं लाभ उठाना चाहता हूं। अगर इसके बिना बंटे वे पढ़ें तो वह बयान नहीं हुआ। इसलिए अपने बयान को पहले बांट दें और उसके बाद पढ़ें, तब वह उनका बयान हुआ और बयान के बाद प्रश्न हो और प्रश्न का संगत उत्तर न आवे और यह ट्रेजरी बैंचेज के लोग उसमें

[श्री उपाध्यक्ष---]

आपको संतुष्ट न कर सकें,तब भी उसके बाद आपके उस अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर छोड़ रखी है कि मैं आपको संतुष्ट कराऊं और जो कुछ भी सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने भारतीय संविधान, आपकी नियमावली, मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस, आदि तमाम किताबों को जो उद्धृत किया, आपको दिखाया ।उससे उन्होंने एक तरह से हम सबको निरुत्तर किया यह बता कर ।

(श्री केदार नाथ सिंह के खड़े होने पर)

आप बैठें । अभी आपकी पार्लियामेन्ट्री लाइफ बहुत कम है ।

उन्होंने यह बताया कि संयुक्त उत्तरदायित्व के नाम पर अगर पूरे ट्रेजरी बैंचेज में किसी एक पर कोई जिम्मेदारी है, या माननीय मुख्य मंत्री की कोई जिम्मेदारी है, तो सबके लिए सब लोग संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ।अगर ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं और मैं इसे, नहीं निभवा पा रहा हूं और आपको संतुष्ट नहींकरा पा रहा हूं, तो उसके बाद आपको कदम उठाना चाहिए । मैं समझता हूं कि समय से कुछ पहले आप कुछ सोचें, खाली सोचा है, आपने, कोई कदम नहीं उठाया है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीया गृह मंत्री जो अपने विभाग के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें उनका बयान पढ़ने देने की इजाजत दी जाय और वह बयान पढ़ें ।

श्री रियासत हुसैन---

बड़ी गम्भीर बात कह दिया आपने मुझे एक मिनट का समय दे दें । आपने तीन बातों की तरफ ध्यान दिया । इन्टेशन, प्रिपरेशन और ऐक्शन । तीन चीजों के ऊपर ध्यान दिलाया कि किसी वक्तव्य में होती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

पांच चीजों का ध्यान दिलाया । आपने तीन को पकड़ा ।

श्री रियासत हुसैन---

कलेक्टिव रिसपोंसिबिलटी की बात कही वह तो होती ही है । आपने इन्टेशन की बात कही है । जितना वक्तव्य है मैंने निशान लगा रखा है लाल पड़ा है । तथ्य को छिपाने का प्रयास और अधिकारियों की रिपोर्ट जो थानेदार के जरिये से आयी होगी उसको डिटो करने का इन्टेशन है । प्रिपरेशन होता है जितने अनुपूरक प्रश्न होते हैं उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रिपरेशन क्या है ? ऐक्शन के बारे में तो कुछ जिक्र करना ही हीं है । पूरा सदन और पूरा प्रदेश जानता है कि ऐक्शन क्या होता है । इन्टेंशन जनहित में नहीं, प्रिपरेशन जनहित में नहीं है, ऐक्शन जनहित में नहीं है । इस माननीय सदन में हम जनहित की रक्षा के लिये बैठे हैं । जितनी किताबें पढ़कर सुनाया इन सबको हमने पढ़ा है हम सब जानते हैं । किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं हर वक्तव्य को सुनने के लिये हम मजबूर नहीं हैं । जिस तरह का समर्थन सार्वजनिक निर्माण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और सारी गवर्नमेंट ने सारे मामले की वकालत की है हम और जनता पार्टी इससे संतुष्ट नहीं हैं ।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है जब तक मुख्यमंत्री आपके कक्ष में बैठकर निपटाने की बात न करें तो हम तैयार नहीं होंगे । माननीय स्पीकर या आपके कक्ष में बैठकर जब तक मसले को हल नहीं करेंगे उस समय तक गृह मंत्री के किसी वक्तव्य को सुनने के लिये हम तैयार नहीं हैं । जिस तरह से सरकारी पक्ष ने गृह मंत्री का सपोर्ट किया उसके लिये हम सदन का त्याग करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

रियासत साहब सुनें।

श्री केदारनाथ सिंह---

मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराजें मैंने कह दिया कि आपकी पार्लियामेन्ट्री जिन्दगी बहुत कम है।

श्री फखरे आलम---

पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की बात आई है.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराजें, मैं रियासत साहब से मुखातिब हूं। इन्टेशन की बात कही। इन्टेशन के बारे में आपने अपना इन्टेशन बनाया बयान पढ़ कर, निशानात लगाकर और आपने यह सोचा कि इन्टेशन साफ नहीं है जिससे आपके मन में आया। रही प्रिपेरेशन की बात, उसके बारे में मेरे समझ से जो पीछे की घटना रही, उन्हें ध्यान में रखते हुए शायद उनके परिपेक्ष्य में आपके दिमाग में यह बात बैठी है कि प्रिपरेशन ठीक नहीं है और उत्तर का जहां तक प्रश्न है ऐक्शन, इम्प्रूवमेंट आफ ऐक्शन तो जब तक आपने इम्प्रूवमेंट देखा नहीं है तब तक नतीजा आपने कैसे निकाल दिया कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इसलिये पहले इम्प्रूवमेंट देखें। आपने कहा कि जो मुद्दे बने, एक मुद्दा यह बना जो पहले कहा और दूसरा मुद्दा बनता है कि यदि यह चीजें ऐसी हैं जैसे कि आपके दिमाग में बैठी हैं और वैसे ही उतर जाती हैं तो उसका रि-साल्व करने और साल्यूशन देने के लिये दूसरा मुद्दा दिया। तो पहली चीज सुनिश्चित नहीं हुई और दूसरे की बात सोचें तो मैं समझता हूं कि वह समय से कुछ आगे की बात है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इम्प्रूवमेंट को देखें।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, इस पर मुझे बड़ा दुःख है कि शासक दल की बातों पर आपको निवेदन करना पड़े। इसलिये हम आपकी चेयर की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कहना चाहते हैं कि आपके कक्ष में या स्पीकर के कक्ष में इस मुद्दे को लेकर जब तक बात नहीं होगी तब तक आगे बात नहीं होगी। हम तो आपके कक्ष में बैठकर बात करना चाहते हैं। इसलिये खुदा के लिये आप इस बात के लिये निवेदन न करें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने जितनी देर तक इस कुर्सी पर मुझे बिठाया है और जब तक मैं यहां बैठा हूं तब तक हमारे लिये न कोई शासक है और न कोई शासित है, आप दोनों अपने मन में जो कुछ सोचें, लेकिन इस मा0 सदन का प्रत्येक सदस्य हमारे लिये माननीय सदस्य है और इसलिये उसके हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, जिस दिन हम उसे न कर सकें उस दिन इस कुर्सी पर बैठने का मुझे अधिकार नहीं है। इन बातों को कहते हुए, फिर मैं मजबूती से दोहराना चाहता हूं कि मेरे सामने शासक दल की किसी बात का असर नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधान सभा का इतिहास क्या लिखा जायेगा, यह जरूर है। मैं इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं कि जब इतिहास लिखा जायेगा तो इतिहासकार हमको किन तर्कों पर बक्शेंगे, हमको क्या कहेगा। इसलिये आपसे निवेदन किया कि इतिहासकार को सोचने का अवसर दें और एक बार इम्प्रूवमेंट को फिर देखें।

श्री रियासत हुसैन---

आप हमसे निवेदन न करें। आप हमको आदेश दें और उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। आप आदेश दें कि गृह मंत्रीका वक्तव्य आपको रुचि से सुनना होगा। इस लिये आप निवेदन न करें। आपकी प्रतिष्ठा अध्यक्ष की प्रतिष्ठा है, आपकी प्रतिष्ठा सदन की प्रतिष्ठा है। आप इस शासन के लिये निवेदन हमसे न करें। यदि आप समझते हैं कि उचित है तो हमको आदेश और निर्देश दें और यह आपके आदेश का पालन भले ही न करें लेकिन विरोध पक्ष आपके आदेशों का पालन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आदेश देने का कार्य शासक का होता है, मैं शासक नहीं हूं। आप भले मुझे शासक समझें लेकिन मैं सबको एक समान समझता हूं। इसलिये मैं केवल निवेदन ही कर सकता हूं।

श्री रियासत हुसैन---

ठीक है, लेकिन आपको नियमावली के अनुसार जो शक्ति प्राप्त है, जो माननीय सदन ने आपको दिया है, वह कहीं बाहर से नहीं मिली है, सदन ने शक्ति दिया है कि आप किसी भी समय, किसी भी जरूरत को देखते हुए इस मा0 सदन को निर्देश दे सकते हैं, और हम सदन के अंग होने के नाते आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मान्यवर, आप एक बार निर्देश देकर तो देखें।

श्री फखरे आलम---

मैं आपकी इजाजत से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, थोड़ी सी बात बहुत बड़ी हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष---

उमर का तकाजा है।

श्री फखरे आलम---

माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां होना चाहिये। मान्यवर, जहां तक सवाल इस बात का है कि जिस वक्त माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य पढ़ें उस समय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित हों। मुख्य मंत्री जी यहां पर न हों उसके बारे में माननीय अम्मार रिजवी साहब ने हवाला दिया है। हवाला सही है। मुझे एक वाकये की याद आ रही है जो मैंने पढ़ा है आपकी इत्तला में होगा। एक मर्तबा ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीनियर पिट ने खड़े होकर यह कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं हैं तो सेक्रेटरी आफ स्टेट का वक्तव्य सुनने के लिये तैयार नहीं हूं। वक्तव्य मुल्तवी किया जाय तो उसी तरीके से मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस तमाम झगड़े को खत्म करने के लिये, इन चीजों को हटा देने के लिये इतनी तकलीफ गंवारा करें कि आप इस वक्तव्य को मुल्तवी करें और वक्तव्य ऐसे और दिन हो जाय आपको चेंबर कहने पर एतराज है इसलिये मैं कहूंगा कि आपके कमरे में, कक्ष में या दूसरी जगह बैठक तय हो जाय और यह तल्खी न रहे।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास अपना कोई चेंबर नहीं है, मैं तो दूसरे का चेंबर इस्तेमाल करता हूं।

श्री फखरे आलम---

मान्यवर, हम लोगों का आप पर पूरा कांफीडेंस है और हम समझते हैं कि आपका जो फैसला होगा, निर्देश होगा, आदेश होगा वह मान्य होगा। इसलिये इस झगड़े को खत्म करने

के लिये, हमारी माननीया गृह मन्त्री कभी-कभी गुस्सा हो जाती हैं, गृह मंत्री को गुस्सा नहीं आना चाहिये चाहे किसी और मंत्री को आ जाय, स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें भी गुस्सा कभी नहीं आता है, तो बैठक हो लेकिन गृह मंत्री को गुस्सा नहीं आना चाहिये । मान्यवर, कानून और ला-एंड आर्डर की बागडोर उनके हाथ में है । अगर उनको किसी वक्त गुस्सा आ जाता है तो बड़ा अफसोस होता है और ऐसा मालूम होता है:---

रगों पैमें जब उतरे जहरे गम, तब देखिये क्या हो,
अभी तो तल्खिये कामोदहन की आजमाइश है ।

तो ऐसा इन्तजाम कर दीजिये जिससे उत्तेजना पैदा न हो और इस सदन की गरिमा न टूटे । आप जब से सदन में उपाध्यक्ष हुए आपने इस सदन की गरिमा को रखा है।आपने एक परम्परा को रखा है और आपने ऐसे उसूल बनाये हैं और ऐसी रूलिंग्स दी हैं कि जब इतिहासकार इस उत्तर प्रदेश विधान सभा का इतिहास लिखेगा तो आपको सुनहरे हरफों में लिखा जायगा । इसलिये मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में जैसा माननीय रियासत साहब ने कहा कि मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हों या मुख्य मंत्री की तरफ से एप्वाइंटेड कोई मिनिस्टर मौजूद हो तो उस वक्त यह वक्तव्य हो जाय । यह छोटी सी चीज है लेकिन इससे बहुत मामले तय हो सकते हैं । यह आपके अख्तियार में है ।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात का मौका दें कि यह विवाद खत्म हो जाय । वरना यह है कि अपोजीशन भी गृह मंत्री के वक्तव्य के वक्त मौजूद न हो तो इससे हम लोगों की बड़ी इन्सल्ट मालूम होगी कि हम बहिष्कार करें जब माननीय गृह मंत्री वक्तव्य दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बिराजें । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जितने नियम अब तक हमारे सामने आये, उन को देखते हुए मुख्य मंत्री का सदन में रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि पूरा सदन इस समय दिमाग से दिल से बोल रहा है और मेरे तमाम फरायज के अन्दर यह सबसे बड़ा फर्ज है कि सदन के अन्दर सद्भावना रहे ।

इसलिये उसको देखते हुए आज के इस वक्तव्य को मैं स्थगित करता हूं ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
2 मार्च, 1982

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–6 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . 865 . . . पर)

नकल एफ0आई0आर0 नम्बर 234 मु0अ0सं0 308 व 309 धारा 395/397 आई0पी0सी0 व 25 आर्म्स एक्ट थाना सरधना दिनांक 8–10–80 ।

सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना सरधना, जिला मेरठ श्रीमान् जी सेवा में सविनय निवेदन है कि दिनांक 7/8–10–80 की दरम्यानी रात को करीब 10-11 डकैत मय हथियार मेरे चाचा ठाकुर जगराम सिंह पुत्र हरबंश सिंह राजपूत साकिन ग्राम पाली थाना सरधना मेरठ के मकान पर आये उन्होंने आते ही मेरे चाचा जगराम सिंह व मुलजिम मटरू सिंह पुत्र नवाबर सिंह निवासी खेड़ा थाना सरधना मेरठ को बन्दूकों की बटों व लाठियों से मारना पीटना शुरू कर दिया, उनके मारने पीटने पर उन्होंने जो शोरगुल किया तथा मकानों के दरवाजे बर्छों से तोड़ने शुरू कर दिये तो पाली गांव के बहुत से ग्रामवासी मेरे चाचा जगराम सिंह के घर के चारों तरफ इकट्ठे होकर मारो-मारो घेर लो । लम्बरदार के डकैत घुस आये हैं । ग्रामवासियों के शोरशराबे को सुनकर डकैतों ने ग्रामवासियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । डाकुओं की बन्दूकों की आवाज व शोर सुनकर घर की औरतें-मरद श्रीमती पुन देवी, श्रीपाल, ब्रजलाल आदि जो अन्दर मकान में सो रहे थे जीने के द्वारा हवेली के ऊपर चढ़ गये तथा जीने की चटकनी लगा दी ताकि डाकू ऊपर न चढ़ सकें ।उन लोगों ने ऊपर से उन डाकुओं पर जो घर में घुसे थे ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिये । दूसरी ओर ब्रह्मसिंह, मनफूल सिंह राजपूत ग्राम पाली निवासी ने अपनी बन्दूक से अपनी हवेली से घर के बाहर खड़े हुए डकैतों पर फायर करना शुरू कर दिया । एक डाकू घर के बाहर खड़ा होकर ग्रामवालों तथा ब्रह्मसिंह पर फायर कर रहा था, जब उसने देखा कि उन लोगों को ग्रामवासियों ने घेर लिया तो अन्दर घुसे डाकुओं को बाहर आने का आर्डर दिया । ज्यों ही डाकू घर से बाहर आकर चलने लगे, जो डाकू घर के बाहर खड़ा फायर कर रहा था । ब्रजपाल पुत्र धर्मेन्द्र सिंह राजपूत पाली ने उस डाकू से लिपटकर पीछे से दुनाली बन्दूक को छीन लिया, बन्दूक के छीनते ही डाकुओं में भगदड़ मच गयी । आसपास के ग्रामवासियों ने जो पास ही घेरा की आड़ लेकर ईंट पत्थर बरसा रहे थे । एक दम सब डाकुओं पर भाला तथा लाठी बलकटी लेकर टूट पड़े जिससे एक डकैत मारा गया । डाकुओं का मुकाबला नाहर सिंह पुत्र बीरबल सिंह, बीरबल पुत्र मुसद्दी, धूम सिंह, शिवराज सिंह, कुमार सिंह, धर्मेन्द्र आदि ने किया । मरे डाकू के पास एक दुनाली बन्दूक, कारतूस व झोला पड़ा है । एक पत्र श्री विद्या भूषण वन व पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा श्री सुमेरू सिंह हरिजन ग्राम जडौदा, मु0 नगर को प्रेषित है, साथ में लाया हूं । जो मृतक की जेब से मिला । इस घटना में कई व्यक्ति व एक गाय घायल हुई है । रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाये । धर्मेन्द्र सिंह पुत्र छोटू सिंह राजपूत ग्राम पाली थाना सरधना जिला मेरठ दिनांक 8–10–80 ।

(ह0) श्री वीरेन्द्र सिंह
एम0एम0,
8–10–80

लखनऊ 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ..868..पर।)

उच्च शिक्षा निदेशालय की आडिट पार्टी द्वारा दिसम्बर, 1980, जनवरी, 1981 के महीने में साकेत महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद के लेखे का आडिट करते समय आडिट पार्टी को कतिपय छात्रों द्वारा एक प्रत्यावेदन दिया गया। इस सन्दर्भ में एवं अन्य प्रकरणों की जांच के लिये विभागीय सम्प्रेक्षकों का एक दल उक्त महाविद्यालय में सीमित सम्प्रेक्षण हेतु भेजा गया। महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य द्वारा सम्प्रेक्षकों को विद्यालय में हरिजन छात्र-वृत्ति से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा सके। जिलाधिकारी फैजाबाद से आदेश प्राप्त कर हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्प्रेक्षकों द्वारा वर्ष 1979-80 में हरिजन छात्रवृत्ति का 2,36,562.00 तथा अनुवर्ती अनुदान का 2,83,826 रुपया एवं वर्ष 1978-79 में रुपया 1,08,577.00 के गोलमाल का मामला प्रकाश में लाया गया है सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट पर अनुपालन आख्या अभी प्रतीक्षित है।

दिनांक 7 मार्च, 1981 को कोतवाली फैजाबाद में श्री उदय सिंह सहसम्पादक "हम आप" की लिखित शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा स्पेशल इन्वेस्टीगेशन स्क्वायड के माध्यम से जांच के फलस्वरूप प्रश्नगत अवधि में महाविद्यालय में छात्रों को स्वीकृत छात्रवृत्ति की भारी धनराशि का गबन पाया गया है। इस मामले में सी0आई0डी0 द्वारा जांच की जा रही है।

3--जिला प्रशासन द्वारा मामले की जांच इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड द्वारा कराये जाने के फलस्वरूप भारतीय दण्ड विधान की धारा 408, 409, 420 तथा 120 बी के अन्तर्गत दिनांक 11 मई, 1981 को तत्कालीन प्राचार्य डा0 वार्ष्णेय एवं हरिजन छात्रवृत्ति वितरित करने वाले लिपिक श्री नन्द किशोर को गिरफ्तार किया गया। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त सेशन जज, फैजाबाद द्वारा इन व्यक्तियों की जमानत रद्द कर दी गई। बाद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

4--प्राचार्य डा0 वार्ष्णेय तथा श्री नन्द किशोर लिपिक के विरुद्ध हरिजन छात्रवृत्ति के गबन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप डा0 वार्ष्णेय की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। जिसका अनुमोदन अवध विश्वविद्यालय द्वारा किया जा चुका है। लिपिक श्री नन्द किशोर तथा चपरासी श्री ओम प्रकाश की सेवायें समाप्त किये जाने का निर्णय प्रबन्ध तंत्र द्वारा लिया जा चुका है जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक का अनुमोदन अपेक्षित है।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 884 पर)

मंत्रीगण	तिथि	स्थान		उड़ान का उद्देश्य
		कहां से	कहां तक	
1	2	3	4	5
माननीय मुख्यमंत्री	3-1-81	वाराणसी	लखनऊ	सरकारी कार्य से
"	12-1-81	लखनऊ	कानपुर	"
"	"	कानपुर	लखनऊ	"
"	13-1-81	नैनीताल	अल्मोड़ा	"
"	14-1-81	अल्मोड़ा	नैनीताल	"
"	25-2-81	लखनऊ	कानपुर	"
"	"	कानपुर	लखनऊ	"
"	8-3-81	कानपुर	जालौन	"
"	"	जालौन (सियोंधा (एम0पी0)	सियोंधा (एम0पी0)	"
"	"		लखनऊ	"
"	12-3-81	लखनऊ	बांदा	"
"	"	बांदा	लखनऊ	"
"	23-3-81	लखनऊ	बरेली	"
"	"	बरेली	मुरादाबाद	"
"	"	मुरादाबाद	लखनऊ	"
"	3-4-81	लखनऊ	इलाहाबाद पुलिस लाइन	"
	4-4-81	सहारनपुर	पौड़ी	"
"	"	पौड़ी	चमोली	"
"	"	चमोली	पौड़ी	"
	5-4-81	पौड़ी	उसी जनपद में	"
	"	पौड़ी	देहरादून	"
"	9-4-81	लखनऊ	बहराइच	"
"	"	बहराइच	लखनऊ	"
"	20-4-81	लखनऊ	झांसी	"
"	"	झांसी	बांदा	"
"	"	बांदा	उसी जनपद में	"
"	"	बांदा	इलाहाबाद	"
"	"	इलाहाबाद	उसी जनपद में	"
"	21-4-81	इलाहाबाद	वाराणसी	"
"	"	वाराणसी	लखनऊ	"
"	27-4-81	लखनऊ	सीतापुर	"
"	"	सीतापुर	शाहजहांपुर	"

1	2	3	4	5
माननीय मुख्य मंत्री	"	शाहजहांपुर	बरेली	सरकारी कार्य से
"	"	बरेली	मुरादाबाद	"
"	"	मुरादाबाद	गाजियाबाद	"
"	5-5-81	लखनऊ	इलाहाबाद	निर्वाचन
"	6-5-81	इलाहाबाद	उसी जनपद में	निर्वाचन
"	"	इलाहाबाद	लखनऊ	निर्वाचन
"	17-5-81	लखनऊ	सुल्तानपुर	सरकारी कार्य से
"	"	सुल्तानपुर	लखनऊ	सरकारी कार्य से
"	20-5-81	देहरादून	सफदरगंज	निर्वाचन
"	21-5-81	इलाहाबाद	उसी जनपद में	निर्वाचन
"	22-5-81	इलाहाबाद	उसी जनपद में	निर्वाचन
"	"	इलाहाबाद	मिर्जापुर	निर्वाचन
"	23-5-81	इलाहाबाद	उसी जनपद में	निर्वाचन
"	24-5-81	इलाहाबाद	सुल्तानपुर	निर्वाचन
"	"	सुल्तानपुर	लखनऊ	निर्वाचन
"	29-5-81	लखनऊ	विजुरग	निर्वाचन
"	"	विजुरग	लखनऊ जनपद में	निर्वाचन
"	30-5-81	लखनऊ	इलाहाबाद	निर्वाचन
"	"	इलाहाबाद	उसी जनपद में	निर्वाचन
"	31-5-81	लखनऊ	सुल्तानपुर	निर्वाचन
"	"	सुल्तानपुर	लखनऊ	"
"	"	लखनऊ	सुल्तानपुर	"
"	"	सुल्तानपुर	फतेहपुर	"
"	1-6-81	फतेहपुर	इलाहाबाद	"
"	"	इलाहाबाद	उसी जनपद में	"
"	"	इलाहाबाद	लखनऊ	"
"	2-6-81	लखनऊ	बरेली	"
"	"	बरेली	पौड़ी	"
"	"	पौड़ी	पौड़ी, चमोली	"
"	3-6-81	पौड़ी, चमोली	उसी जनपद में	"
"	"	चमोली	देहरादून	"
"	4-6-81	देहरादून	बदायुं	"
"	"	बदायूं	अलीगढ़	"
"	"	अलीगढ़	सहारनपुर	"
"	"	सहारनपुर	बरेली	"
"	5-6-81	इलाहाबाद	उसी जनपद में	"
"	6-6-81	फतेहपुर	लखनऊ	"
"	7-6-81	चमोली	नैनीताल	"
"	"	नैनीताल	लखनऊ	"
"	8-6-81	लखनऊ	बरेली	"

1	2	3	4	5
माननीय मुख्य मंत्री				
,,	8-6-81	बरेली	देहरादून	निर्वाचन
,,	10-6-81	देहरादून	पौड़ी, चमोली जनपद में	,,
,,	,,	चमोली जनपद से	देहरादून	,,
,,	11-6-81	देहरादून	पौड़ी चमोली जनपद में	,,
,,	12-6-81	देहरादून	सफदरगंज	,,
,,	,,	सफदरगंज	आगरा	,,
,,	12-6-81	आगरा	अलीगढ़	,,
,,	,,	अलीगढ़	फतेहपुर	,,
,,	,,	फतेहपुर	बरेली	,,
,,	,,	बरेली	देहरादून	,,
,,	13-6-81	देहरादून	पौड़ी, चमोली जनपद में	,,
,,	,,	पौड़ी, चमोली	उसी जनपद में	,,
,,	,,	चमोली	देहरादून	,,
	14-6-81	देहरादून	पौड़ी	,,
,,	,,	पौड़ी	देहरादून	,,
,,	15-6-81	देहरादून	सफदरगंज	सरकारी कार्य से
,,	27-6-81	लखनऊ	वाराणसी	,,
,,	4-7-81	लखनऊ	बांदा	,,
,,	,,	बांदा	लखनऊ	,,
,,	15-7-81	लखनऊ	वाराणसी	,,
,,	,,	वाराणसी	मिर्जापुर	,,
,,	,,	मिर्जापुर	वाराणसी	,,
,,	,,	वाराणसी	लखनऊ	,,
,,	23-7-81	लखनऊ	मिर्जापुर	,,
,,	,,	मिर्जापुर	लखनऊ	,,
,,	5-8-81	लखनऊ	मुरादाबाद	,,
,,	,,	मुरादाबाद	सफदरगंज	,,
,,	7-8-81	लखनऊ	बलिया	,,
,,	,,	बलिया	लखनऊ	,,
,,	8-8-81	लखनऊ	गोरखपुर	,,
,,	,,	गोरखपुर	गाजीपुर	,,
	,,	गाजीपुर	लखनऊ	,,
,,	13-8-81	लखनऊ	इलाहाबाद	,,
,,	13-8-81	इलाहाबाद	मिर्जापुर	,,
,,	,,	मिर्जापुर	इलाहाबाद	,,
,,	,,	इलाहाबाद	लखनऊ	,,
,,	14-8-81	लखनऊ	गोरखपुर	,,
,,	,,	गोरखपुर	लखनऊ	,,

1	2	3	4	5
माननीय मुख्य मंत्री	15–8–81	लखनऊ	कानपुर	निर्वाचन
,,	,,	कानपुर	लखनऊ	,,
,,	22–8–81	सफदरगंज	मेरठ	,,
,,	,,	मेरठ	उसी जनपद में	,,
,,	,,	मेरठ	सफदरगंज	,,
माननीय वित्त मंत्री	7–1–81	लखनऊ	बरेली	सरकारी कार्य
	,,	बरेली	मेरठ	,,
,,	13–1–81	लखनऊ	बरेली	
,,	,,	बरेली	पंतनगर	
,,	1–2–81	लखनऊ	इलाहाबाद	,,
,,	,,	इलाहाबाद	लखनऊ	,,
,,	28–2–81	लखनऊ	बरेली	,,
,,	,,	बरेली	नैनीताल	,,
,,	,,	नैनीताल	देहरादून	,,
,,	,,	देहरादून	उसी जनपद में	,,
,,	1–3–81	देहरादून	उसी जनपद में	,,
,,	,,	देहरादून	बरेली	,,
,,	,,	बरेली	लखनऊ	,,
,,	12–5–81	लखनऊ	बरेली	निर्वाचन
,,	,,	बरेली	पौड़ी	निर्वाचन
,,	14–5–81	पौड़ी	उसी जनपद में	निर्वाचन
,,	,,	पौड़ी	चमोली	,,
,,	,,	चमोली	उसी जनपद में	,,
,,	15–5–81	चमोली	बरेली	,,
,,	,,	बरेली	लखनऊ	,,
माननीय विमानन मंत्री	27–4–81	सफदरगंज	मथुरा	सरकारी कार्य से
,,	,,	मथुरा	आगरा	सरकारी कार्य से
,,	27–5–81	नैनीताल	बरेली	निर्वाचन
,,	,,	बरेली	लखनऊ	निर्वाचन
माननीय सहकारिता मंत्री	16–9–81	लखनऊ	इलाहाबाद	निर्वाचन
,,	,,	इलाहाबाद	लखनऊ	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
माननीय आवास विकास मंत्री	26-3-81	लखनऊ	बुलन्दशहर	सरकारी कार्य से
,,	27-3-81	बुलन्दशहर	लखनऊ	सरकारी कार्य से
माननीय न्याय मंत्री	24-8-81	लखनऊ	इलाहाबाद	सरकारी कार्य से
माननीय गृह मंत्री	19-5-81	पौड़ी	देहरादून	निर्वाचन
,,	24-8-81	इलाहाबाद	लखनऊ	सरकारी कार्य से
माननीय स्वास्थ्य मंत्री	15-3-81	लखनऊ	बरेली	सरकारी कार्य से
,,	,,	बरेली	लखनऊ	,,
,,	27-6-81	मिर्जापुर	लखनऊ	,,
माननीय पर्वतीय विकास मंत्री	11-6-81	पौड़ी	उसी जनपद में	निर्वाचन
,,	,,	पौड़ी	चमोली	निर्वाचन
,,	,,	चमोली	पौड़ी, चमोली जनपद में	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 886 पर)

प्रश्नोत्तर में उल्लिखित मांग-शिकायतों पर मदवार कृत कार्यवाही का विवरण।

मांग--शिकायत	कृत कार्यवाही
(1) अनुसूचित जाति के अध्यापकों के प्रति शासन के शिक्षा अनुभाग-2 द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के साथ किये जा रहे भेदभाव तथा अन्याय को शीघ्र समाप्त किया जाय।	(1) शिकायत निराधार पाई गई।
(2) अनुसूचित जाति तथा जनजाति के एल0 टी0 तथा प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापकों को आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति प्रदान कर निर्धारित कोटा शीघ्र पूरा किया जाय।	(2) सन्दर्भगत श्रेणी के अर्ह एवं पात्र अध्यापकों को कथित वेतनमान में पदोन्नति दी जा चुकी है किन्तु पर्याप्त संख्या में श्रोत संवर्ग में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण सम्प्रति कोटा पूरा किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।
(3) यदि आरक्षित कोटे के अध्यापकों को पदोन्नति तथा तदर्थ पदोन्नतियां देने में कुछ कठिनाइयां भी हों तो अन्य विभागों की भांति प्रचलित नियमों को शिथिल करते हुए पदोन्नतियां प्रदान की जायं।	(3) पदोन्नति की पात्रता शर्तों को शिथिल करना नियमानुकूल नहीं पाया गया।
(4) अन्य वेतनमान का विभागीय समितियों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र नियमित चयन किया जाय।	(4) निर्धारित प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण, विभागीय चयन समितियों द्वारा नियमित चयन कराये जाने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।
(5) शासन स्तर पर शिक्षा-2 अनुभाग में और निदेशालय स्तर पर नियुक्ति विभाग में अनुसूचित जाति के ही उत्तरदायी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को तैनात किया जाय।	(5) मद संख्या (1) में की गई शिकायत के निराधार पाये जाने की स्थिति में संदर्भित मांग का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 894 पर)

कक्षा	कुल छात्र संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति
1—स्नातक भाग—1 ..	3227	572	..	1144
2—स्नातक भाग—2 ..	3183	574	..	1113
3—बी0एस0सी0 कृषि ..	35	5	..	11
4—स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष	288	43	..	73
5—स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष	207	21	..	53
6—बी0 एड0 ..	84	14	..	22
योग ..	7024	1229	..	2416

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 902 पर)

तालिका

दिनांक 1-1-81 से 30-12-81 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों द्वारा तहसील-अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की यात्राओं तथा उनके संबंध में विधायकों को दी गई सूचना के विषय में।

क्रम-संख्या	मंत्री जिन्होंने यात्रा की	तिथि जब-जब यात्रा की गई	विधायकों को सूचना दिये जाने का विवरण
1	नगर विकास मंत्री	14 दिसम्बर, 1981	जिले के सभी विधायकों को डाक द्वारा कार्यक्रम की सूचना भेजी गई।
2	हैण्डलूम एव हैंडीक्राफ्ट राज्य मंत्री।	16 मई, 1981	जिलाधिकारी फैजाबाद को निर्देशित किया गया कि वे विधायकों को भी सूचित कर दें।
3	सामान्य प्रशासन नियोजन तथा ग्राम्य विकास राज्य मंत्री	24 नवम्बर, 1981	विधायकों को जिलाधिकारी, फैजाबाद के माध्यम से वायरलेस द्वारा कार्यक्रम की सूचना दी गई।
4	मत्स्य तथा कृषि उप मंत्री	10 नवम्बर, 1981	कार्यक्रम की सूचना जनपद के सभी विधायकों को डाक द्वारा भेजी गई।
5	सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री।	4 दिसम्बर, 1981 तथा 19 दिसम्बर, 1981	कार्यक्रम की सूचना सभी विधायकों को भेजी गई जिलाधिकारी से भी विधायकों को सूचित करने का निर्देश दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 903 पर)

प्रश्नोत्तर में उल्लिखित मुख्य-मुख्य शिकायतों पर मदवार कृत कार्यवाही का विवरण

मुख्य शिकायतें	कृत कार्यवाही
1	2
1—अनुसूचित जाति के अध्यापकों के प्रति शासन के शिक्षा अनुभाग—2 द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के साथ किये जा रहे भेदभाव तथा अन्याय को शीघ्र समाप्त किया जाय ।	1—शिकायत निराधार पाई गई ।
2—अनुसूचित जाति तथा जनजाति के एल0 टी0 तथा प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापकों को आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति प्रदान कर निर्धारित कोटा शीघ्र पूरा किया जाय ।	2—सन्दर्भगत श्रेणी के अर्ह एवं पात्र अध्यापकों को कथित वेतनमान में पदोन्नति दी जा चुकी है किन्तु पर्याप्त संख्या में श्रोत सम्वर्ग में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण सम्प्रति कोटा पूरा किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।
3—यदि आरक्षित कोटे के अध्यापकों को पदोन्नति तथा तदर्थ पदोन्नतियां देने में कुछ कठिनाइयां भी हों तो अन्य विभागों की भांति प्रचलित नियमों को शिथिल करते हुए पदोन्नतियां प्रदान की जायं ।	3—पदोन्नति की पात्रता शर्तों को शिथिल करना नियमानुकूल नहीं पाया गया ।
4—अन्य वेतनमान का विभागीय समितियों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र नियमित चयन किया जाय ।	4—निर्धारित प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण, विभागीय चयन समितियों द्वारा नियमित चयन कराये जाने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं ।
5—शासन स्तर शिक्षा—2 अनुभाग में और निदेशालय स्तर पर नियुक्ति विभाग में अनुसूचित जाति के ही उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया जाय ।	5—मद संख्या (1) में की गई शिकायत के निराधार पाये जाने की स्थिति में संदर्भगत मांग का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 140 का उत्तर पीछे पृष्ठ 924 पर)

पुलिस डकैत मुठभेड़ में मारे गये डकैतों का विवरण दिनांक 1-6-80 से 31-12-81 तक जनपद देवरिया।

क्रम-सं0	नाम थाना	घटनास्थल	मारे गये डकैतों का नाम व पता
1	2	3	4
1	रुद्रपुर ..	1-बहद ग्राम नगवा	1-रामउग्रह केवट, पुत्र नन्द केवट, सा0 रामचक थाना, रुद्रपुर, देवरिया।
	,,	2-बहद ग्राम बटुलही	1-सुदामा उर्फ टाइगर पुत्र मुन्नर यादव, ग्राम भाली चौर, थाना रुद्रपुर, देवरिया
2	थाना तुर्कपट्टी	1-बहद ग्राम जोकवा बुजुर्ग	1-महन्थी, पुत्र वचन गोंड, सा0 पचपेड़ा, थाना पड़रौना, देवरिया।
3	भटनी	1-बदह ग्राम जगन्नाथ छपरा।	1-रामधारी अहिर, पुत्र हीरालाल साह बेलवा थाना बिजयीपुर, थाना गोपालगंज (बिहार)।
4	कोतवाली	1-बहद ग्राम जंगल ठुकुरही।	1-एक डकैत नाम पता अज्ञात सरत अदम सिनाख्त मृतक डकैत का नाम विवेचना से लालमनि, पुत्र सूर्यवली कमकर, सा0 मझौलाराज टोला शीकरपट्टी, थाना सलेमपुर देवरिया।
	,,	2-बदहग्राम विशुनपुरा	2-राजमंगल भर पुत्र गनपति भर, सा0 तेनुवा चौबे, थाना खुखुन्द, जनपद देवरिया।
5	खामपार	1-बहद ग्राम परोहा	1-परमहंस कोइरी पुत्र रामजियावन कोइरी, सा0 खरौना, थाना मीरगंज, जि0 गोपालगंज, (बिहार)।
6	बरहज	1-बहद ग्राम फलवरिया	1-केदार पुत्र कलवारु केवट, सा0 अवधपुर, थाना गौरीबाजार, देवरिया।
		2-बहद ग्राम मगरौली	1-चन्द्रभान पुत्र दुबरी यादव ग्राम तिगराखेरा, थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

1	2	3	4
		2–बहृद ग्राम मगरौली	1–चन्द्रभान, पुत्र दुबरी यादव, ग्राम तिगराखेरवा, थाना रुद्रपुर, जनपद, देवरिया।
7	थाना रामपुर कारखाना	1–बहृदग्राम गौरकोठी	1–छटठू उर्फ किसनदयाल उर्फ सोटक नोनिया, पुत्र नन्दन नोनिया सा0 अमारी थाना, हाटा, देवरिया।
	थाना रामपुर कारखाना	2–कस्बा रामपुर कारखाना के दक्षिण धूसपुर।	1–सहबली पुत्र चौधी बिन्दू (मल्लाह), सा0 रमलखना, थाना खोराबार, जनपद, गोरखपुर।
8	हाटा	1–बहृदग्राम अमारीझंवा।	1–गनेश केवट पुत्र भगेलू केवट सा0 डुमरी निवास थाना चौरीचौरा, जनपद गोरखपुर।
	,,	2–बहृदग्राम–चैनपुर	1–मुसाफिर पुत्र फत्ते मियां सा0पखरपार थाना रामकोला, जनपद देवरिया।
		3–बहृदग्राम–लेहूनी	1–मुन्नर पुत्र बिल्लर हरिजन सा0 कनकपुरा थाना तरकुलवा, जनपद देवरिया
9	खड्डा	1–करमहवारेता	1–सवरु पुत्र कालीचरन हरिजन, सा0धनरीपट्टी थाना खड्डा, देवरिया।
		2–ग्राम.डेगरहा	1–मोती पुत्र जगरनाथ मुसहरा 2–हरिकिसुन पुत्र चण्डी भर 3–राजाराम पुत्र नेमा,सा0किनान कतकी थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारन (बिहार) 4–मंगल पुत्र सुखदेव मुसहर, सा0बुढ़वाजंगल,थाना खड्डा, देवरिया। 5–एक डकैत नाम पता अज्ञात सूरत अदम सिनाख्त।

1	2	3	4
10	थाना बनकटा	बहदग्राम रामपुरकोठी	1–रामसरीखा पुत्र जगन नोनिया सा0 मईल थाना लार, देवरिया।
	,,	ग्राम नोनारपाण्डेय की बाग।	1–समरथ यादव पुत्र दुर्गा चौधरी सा0 पथरदेई, थाना हुसैनगंज जिला सिवान (बिहार)
11	पटहेरवा	ग्राम बिहारबुजुर्ग	1–रामप्रसाद पुत्र भुल्ली हरिजन सा0 ग्रमवाटोला लिलहट थाना विशुनपुरा, देवरिया।
12	थाना कप्तानगंज	1–बहद ग्राम तुरकहा	1–रामदुलारे पुत्र ठगई कुर्मी, सा0 पिपराखादर थाना श्याम देरवा, गोरखपुर।
			2–रामाश्रय पुत्र दधिवल केवट सा. सिधारी, थाना कप्तानगंज, देवरिया।
		2–ग्राम गजरा	1–रमाशंकर उर्फ शंकर पुत्र लालचन्द्र सैंधवार, सा0 लेहनी थाना कप्तानगंज, देवरिया।
		3–ग्राम तुरकहा	1–शिवपूजन उर्फ मौछ पुत्र मुरली केवट, सा0 केवटलिया थाना पडरौना, देवरिया।
		4–ग्राम सरसेना	1–पथरी उर्फ रामसमुझ पुत्र शिवनाथ कहार सा0 हेमधा थाना पिपराइच, गोरखपुर।
			2–लालजी पुत्र स्वामीनपथकहार सा0 परसिया थाना पिपराइच, गोरखपुर।
13	सलेमपुर	1–खजुरीबाग बहदग्राम फल वरिया।	1–श्रीकान्त मिश्र पुत्र राम दुलारे सा0 खरहतवांदेव थाना बसगांव, गोरखपुर।
		2–पीबकोल	1–रामसूरति यादव पुत्र विशन देव यादव, सा0करया थाना बेलघाट, गोरखपुर।
			2–रामधारी दुबे पुत्र केदार दुबे, सा0 आनन्दगढ़ थाना बड़हल गंज, गोरखपुर।

1	2	3	4
14	विशुनपुरा	1–ग्राम दुधही	1–सुभाष मियां, पुत्र सन्तू मियां सा0 सिकटा थाना तुर्कपट्टी, देवरिया।
		2–बहदग्राम चौफ	1–अलगू पुत्र रामप्रसाद तुरहा, सा0 सिकटा, थाना विशुनपुरा देवरिया।
15	नेबुआ नौरंगिया	1–बहदग्राम पडरीमेहदिया।	1–मुनौवर पुत्र तेज मियां, सा0 मुजहिदा थाना पडरौना, देवरिया।
16	गौरीबाजार	1–बहदग्राम गौरीबुजुर्ग।	1–रमाकान्त उर्फ मुटकू पुत्र राजदेव केवट, सा0 अवधपुर थाना गौरीबाजार, देवरिया।
17	खुखुन्दू	1–बहदग्राम बारासात	1–बंका दुसाध पुत्र बंशी दुसाध, सा0 खजुरीमठ थाना खुखुन्दू देवरिया।
18	रामकोला	2–बहद ग्राम नुनखार	1–मटर उर्फ सुनेसर मोह पुत्र ठगगोंड, सा0 बकुची, थाना खुखुन्दू- देवरिया।
18	रामकोला	1–बहदग्राम राजपुर	1–सकलू पुत्र छेदी धोबी सा0 रामपुर बनहा, थाना रामकोला देवरिया।
	,,	2–बहदग्राम पपउर	1–हनीफ पुत्र भुल्ली चुड़िहार, सा0 सिरसिया, थाना नेबुआनौरंगिया, जनपद देवरिया।
19	तरयासुजान	1–बहदग्राम मठिया श्रीराम टोला, श्रीराम पट्टी।	1–शम्भू गौड पुत्र शिवबरन गौड़, सा0 मठिया, श्रीराम थाना तरयांसुजान, देवरिया।
		2–ग्राम चखनीदुखी मिश्र।	1–जटाधारी, पुत्र बालदेव गिरी, गोसाई सा0 भगवानपुर, थाना तरयासुजान, देवरिया।
		3–मठिया बुजुर्ग	1–गोरखलाल पुत्र राजधारीलाल श्रीवास्तव, सा0 श्याम पट्टी, थाना तरयासुजान, देवरिया। 2–बाबूनंदन पुत्र रघुबीर कोइरी, सा0 माधोपुर बुजुर्ग थाना तरयासुजान, देवरिया।

1	2	3	4
			3–बद्री पुत्र भोला कोइरी, सा0 पिरोजहा, थाना तरयासुजान, देवरिया।
		4–बाधाचोर	1–तरवन पुत्र नरसिंह कोइरी, सा0 चैनपट्टी, थाना तरयासुजान, देवरिया।
		5–ग्राम मठिया	1–कृष्णा कोइरी पुत्र रामाश्रय कोइरी, सा0 भुमनगर, थाना ठकरहा, जि0 पश्चिमी चम्पारन (बिहार)।
20	पड़रौना	1–नवगावां पिपरासी	1–वकील पुत्र जान मोहम्मद, सा0 पचरुखिया, थाना विशुनपुरा, देवरिया।
21	थाना तुर्कपट्टी	महेशपुर	1–मुरली पुत्र भोला यादव, सा0 गाजीपुर, थाना तरयासुजान, देवरिया।
22	थाना तरयासुजान	चैनपट्टी	1–लालबाबू पुत्र जानकी अवधिया, सा0 अहिराली दान थाना तरयासुजान, देवरिया।
			2–हरेन्द्र कुमार पुत्र नगेसर अवधिया, सा0 नरायनपुर थाना थाव, जि0 गोपालगंज, (बिहार)।

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 142 का उत्तर पीछे पृष्ठ 924 पर)।

जनपद गाजीपुर में 1-1-1981 से 11-1-1982 तक चोरी, कत्ल, डकैती एवं डाकू मुठभेड़ की घटनाओं का थानेवार विवरण।

क्रमांक	थाना	अपराध	जिनकी रिपोर्ट की गई
1	2	3	4
1	कोतवाली ..	चोरी ..	121
		कत्ल ..	5
		डकैती ..	1
		डाकू मुठभेड़ ..	6
2	नन्दगंज ..	चोरी ..	35
		कत्ल ..	3
		डकैती ..	2
		डाकू मुठभेड़ ..	4
3	बिरनों ..	चोरी ..	20
		कत्ल ..	1
		डकैती ..	1
		डाकू मुठभेड़ ..	3
4	सादियाबाद ..	चोरी ..	28
		कत्ल ..	1
		डकैती ..	4
		डाकू मुठभेड़ ..	1
5	नोनहरा ..	चोरी ..	33
		कत्ल ..	2
		डकैती ..	1
		डाकू मुठभेड़ ..	1
6	कासिमाबाद ..	चोरी ..	35
		कत्ल ..	2
		डकैती ..	3
		डाकू मुठभेड़ ..	4
7	करीमुद्दीनपुर ..	चोरी ..	40
		कत्ल ..	3
		डकैती ..	2
		डाकू मुठभेड़ ..	2
8	मुहम्मदाबाद ..	चोरी ..	38
		कत्ल ..	3
		डकैती ..	4
		डाकू मुठभेड़ ..	3

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
9	नावरकोल ..	चोरी ..	25
		कत्ल ..	1
		डकैती ..	7
		डाकू मुठभेड़ ..	2
10	मरदह ..	चोरी ..	34
		कत्ल ..	2
		डकैती ..	7
		डाकू मुठभेड़ ..	2
11	मुड़कुड़ा ..	चोरी ..	35
		कत्ल ..	3
		डकैती ..	..
		डाकू मुठभेड़ ..	..
12	जमानिया ..	चोरी ..	56
		कत्ल ..	2
		डकैती ..	5
		डाकू मुठभेड़ ..	6
13	दिलदारनगर ..	चोरी ..	40
		कत्ल ..	5
		डकैती ..	4
		डाकू मुठभेड़ ..	4
14	बहुवर ..	चोरी ..	28
		कत्ल ..	2
		डकैती ..	2
		डाकू मुठभेड़ ..	4
15	सैदपुर ..	चोरी ..	74
		कत्ल ..	11
		डकैती ..	8
		डाकू मुठभेड़	5
16	सादात ..	चोरी ..	27
		कत्ल ..	1
		डकैती ..	4
		डाकू मुठभेड़ ..	7
17	करण्डा ..	चोरी ..	32
		कत्ल ..	7
		डकैती ..	1
		डाकू मुठभेड़ ..	7

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 151 का उत्तर पीछे पृष्ठ 927 पर।)

जनपद गोरखपुर में दिनांक 8 जनवरी, 1982 को निलम्बित पुलिस कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक विवरण।

क्रमांक	निलम्बित कर्मचारियों के नाम	निलम्बन का कारण
1	1	3
1	श्री राजेन्द्र लाल कपूर, स0 इ0 ना0 पु0।	मु0 अ0 सं0 992 धारा 161 भा0 दं0 वि0 तथा 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला गोरखपुर में अभियुक्त होने के कारण।
2	श्री अक्षयवर पाण्डेय, स0 इ0 ना0 पु0।	मु0 अ0 सं0 120 धारा 307/302 ता0 हि0, थाना खामपार, जिला देवरिया में अभियुक्त होने के कारण।
3	श्री राम रतन नाग, स0 इ0 ना0 पु0	मु0 अ0 सं0 52/80 धारा 161 भा0 दं0 वि0 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना बेलघाट में अभियुक्त होने के कारण।
4	श्री जबगू राम, स0 इ0 ना0 पु0	मु0 अ0 सं0 150 धारा 376 भा0 दं0 वि0, थाना नौतनवां में वांछित है।
5	श्री राम मुनि शुक्ल, स0 इ0 ना0 पु0	जनपद बांदा के एक अपराधिक मामले में दोषी पाये गये हैं और निलम्बित कर दिये गये हैं।
6	श्री कक्कन राम, स0 इ0 ना0 पु0	मुकदमा अपराध संख्या 162 ए धारा 307/332/342/218/323/325 भा0 दं0 वि0 थाना, पीपी गंज में अभियुक्त होने के कारण।
7	श्री विभूती प्रसाद गुप्त, स0 इ0 ना0 पु0	कर्त्तव्य पालन में उदासीनता तथा शिथिलता बरतनें के आरोप में निलम्बित किये गये।
8	श्री पूरन राम यादव, स0 इ0 ना0 पु0	
9	श्री गंगा प्रसाद तिवारी, सहायक स0 इ0 ना0 पु0	मु0 अ0 सं0 273 धारा 161 भा0 दं0 वि0 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना, बड़हलगंज में अभियुक्त होने के कारण।
10	कान्स0 107 ए0 पी0 मुहम्मद मुस्तफा	मु0 अ0 सं025/77 धारा 396/397 ता0 हि0 थाना, पटेहेरवां, जिला देवरिया में अभियुक्त होने के कारण।

1	2	3
11	कान्स0 673 ए0 पी0 अवध बिहारी सिंह	मु0 अ0 सं0 103 धारा 161 भा0 दं0 वि0 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना बेलघाट में अभियुक्त होने के कारण।
12	कान्स0 703 ए0 पी0 वीरबल यादव	मु0 अ0 सं0 42/78 धारा 384 भा0 दं0 वि0 थाना चोरी चौरा में अभियुक्त होने के कारण।
13	कान्स0 540 ए0 पी0 जगरनाथ प्रसाद।	मु0 अ0 सं0 1052 धारा 457/411 ता0 हि0 थाना कैन्ट, जिला गोरखपुर में अभियुक्त होने के कारण।
14	कान्स0 चन्द्रमा प्रकाश मिश्र	मु0 अ0 सं0 596/70 धारा 394 भा0 दं0 वि0 थाना कैन्ट में अभियुक्त होने के कारण।
15	कान्स ए0 पी0 कैलाश पाण्डेय	मु0 अ0 सं0 97-ए धारा 394/307/323 भा0 द0 वि0 थाना खोराबार में अभियुक्त होने के कारण।
16	कान्स ए0 पी0 जय प्रकाश पाण्डे	मु0अ0 सं0 97 धारा 147/148/149/323/508 ता0 हि0 थाना खोराबार में अभियुक्त होने के कारण।
17	कान्स0 सी0 पी0 गर्ग नरायन सिंह	मु0 अ0 सं0 843ए/80 धारा 225 भा0 दं0 वि0 थाना कैन्ट में अभियुक्त होने के कारण।
18	कान्स0 165 सी0 पी0 राम चन्द्र प्रसाद	
19	कान्स0 884 सी0 पी0 शराफत हुसेन।	मु0 अ0 सं0 103 धारा 392/409 भा0 द0 वि0 थाना पुरन्दरपुर में अभियुक्त होने के कारण।
20	कान्स0 1159 सी0 पी0 अशोक कुमार पाण्डे	मुकदमा अपराध संख्या 162 ए धारा 307/392/342/218/223/325 भा0 दं0 वि0 थाना पीपी गंज में अभियुक्त होने के कारण।
21	कान्स0 97 ए0 पी0 जय नरायन सिंह	इनकी लापरवाही के कारण संरक्षण से बन्दी भाग गया, इस कारण निलम्बित किये गये।
22	कान्स0 167 ए0 पी0 रामायण सिंह	
23	कान्स0 ए0 पी0 शिव मूरत यादव	

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 158 का उत्तर पीछे पृष्ठ 929 पर)

अनुलग्नक "क"

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को निम्नलिखित सुविधायें दी जाती हैं

1--अध्ययन सम्बन्धी सुविधायें--

क--युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों की विधवाओं/बच्चों के लिये ट्यूशन फीस प्राइमरी से डिग्री तक माफ कर दी गई है ।

ख--अपंग सैनिक/युद्ध में मृतक सैनिकों के बच्चों को होस्टल किराया, नहीं लिया जाता है तथा पुस्तकों/स्टेशनरी के लिये अदायगी, बस भाड़े का माफी (शैक्षिक संस्थाओं द्वारा चालित बसों) निर्धारित पोषक का अनुदान तथा रेल बस भाड़े की अदायगी की जाती है ।

ग--छात्रवृत्ति कक्षा पांच तक	10 रु0 प्रतिमाह
6 से 10 तक	20 रु0 प्रतिमाह
इन्टरमीडिएट के छात्रों को	25 रु0 प्रतिमाह
घ--पुस्तकीय सहायता-कक्षा पांच तक	25 रु0
6 से 10 तक	35 रु0
कक्षा 12 के बच्चों को	60 रु0

ङ--शासन द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों तथा उनके आश्रितों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है :--

		छात्रवृत्ति की सं0	दर	पुस्तकीय सहायता की धनराशि
			रु0 प्रतिमाह	रु0
कक्षा 1 से 5 तक	..	116	3	3,000
कक्षा 6	..	130	4	2,000
कक्षा 7	..	130	5	,,
कक्षा 8	..	130	6	,,
कक्षा 9-10	.	153	10	1,000
कक्षा 11-12	..	125	16	500
स्नातक स्तर	..	62 प्रथम वर्ष	20	
		62 द्वितीय वर्ष	20	

च--शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हेतु भूतपूर्व सैनिक तथा उनके आश्रितों के लिये आरक्षण निम्न प्रकार है :--

1--आई0 टी0 आई0	..	8 प्रतिशत
2--पालीटेकनिक	..	5 प्रतिशत
3--मेडिकल कालेज	..	1 प्रतिशत

4--बी0 डी0 एस0 .. 1 प्रतिशत
5--आयुर्वेदिक कालेज .. 1 प्रतिशत
6--यूनानी कालेज .. 1 प्रतिशत
7--राष्ट्रीय होमियोपैथिक कालेज .. 1 प्रतिशत
8--बी0 एस0 सी0 (ए0 जी0) .. 1 प्रतिशत
9--बी0 एड0 में .. 30 प्रतिशत अंकों की अतिरिक्त छूट।

2--सेवा संबंधी सुविधायें

क--नान टेकनिकल सेवाओं के लिये अभ्यर्थियों के चयन में आरक्षण इस प्रकार है :

प्रथम श्रेणी	..	8 प्रतिशत
द्वितीय श्रेणी	..	8 प्रतिशत
तृतीय श्रेणी	..	3 प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी	..	3 प्रतिशत

ख--युद्ध अपंग तथा युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के दो बच्चों को सेवा दिलाने की सुविधा।

3--पुनर्वास संबंधी सुविधायें

1--कृषि योग्य भूमि के आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों को छठी प्राथमिकता
2--सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा।
3--गृह निर्माण हेतु 10 बोरी सीमेन्ट का परमिट बिना जांच के दिया जाना।
4--बस रूट परमिटों में 15 प्रतिशत का आरक्षण।
5--ब्याज उपादान :

(क) 5,000 रु0 के ऋण पर 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज का उपादान।

(ख) 5,000 रु0 से 20,000 तक 7 प्रतिशत।

(ग) 20,000 रु0 से अधिक ऋण के ब्याज उपादान का निर्णय पात्रता के आधार पर लिया जाता है।

6--वार जागीर--ऐसे माता-पिता जिन्होंने अपने एक मात्र पुत्र/पुत्री, तीन पुत्र/पुत्रियों को आपातकालीन स्थिति में सेवा में भर्ती कराया था। उन्हें 100 रु0 प्रतिमाह की दर से 5 वर्षों तक धनराशि दी जाती है।

7--उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सशस्त्र सेना संस्थान ने ऐसे शस्त्र सैनिक के उत्तराधिकारियों को जो लड़ाई में मारे जाते हैं या वे भूतपूर्व सैनिक जो देश की रक्षा

करते हुए स्थाई रूप से अपंग हो जाते हैं को निम्न आर्थिक पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं :—

	मृतकों के उत्तराधिकारी को	स्थाई रूप से अपंग सैनिकों को
अधिकारियों को	5,000 रु0	2,000 रु0
जे0सी0ओ0	3,000 रु0	1,500 रु0
अन्य रैंक	2,000 रु0	1,000 रु0

5—भूतपूर्व सैनिकों को लड़कियों की शादी में निम्न दर से अनुदान दिया जाता है :—

1—सूबेदार मेजर	..	1,500 रु0
2—नायब सूबेदार/सूबेदार	..	1,250 रु0
3—अन्य रैंक तथा नाना कम्बटेन्ट इनरोल्ड	..	1,000 रु0

अनुलग्नक "ख"

हाल में घोषित सुविधायें—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक पेन्शनर को 1-1-1964 से पूर्व पेन्शन पर आये और उनकी मृत्यु हो गई उनकी निर्धन विधवाओं को रु0 50 प्रतिमास की दर से जीवन भर के लिये 1-10-1981 से आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया गया है।

(2) जिला सैनिक परिषदों के प्रांगण में 41 दुकान बनाकर भूतपूर्व सैनिकों/अपंग सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को आवंटित करके पुनर्वासित कराया गया है।

(3) वर्ष 1962 एवं 1965 की कुल 650 (रु0 32,50,000) युद्ध विधवाओं को रु0 5,000 प्रतिपात्र की दर से एक मुफ्त आवासीय अनुदान दिलाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका भुगतान हो रहा है।

(4) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये सत्र 1982-83 से कक्षा दस तक निःशुल्क शिक्षा और 70 रु0 से 100 रु0 तक पुस्तकीय सहायता देने का निश्चय किया है।

परिशिष्ट 'ठ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 216 का उत्तर पीछे पृष्ठ 947 पर।)

क्रमांक	केन्द्र का नाम	केन्द्र पर पंजीकृत हुए छात्रों की संख्या	केन्द्र से चयनित हुए छात्रों की संख्या
1	2	3	4
1	राजकीय पालीटेकनिक, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) ..	323	111
2	दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़ ..	797	198
3	शिबली नेशनल इन्टर कालेज, आजमगढ़ ..	604	353
4	श्री दुर्गाजी इन्टर कालेज, आजमगढ़ ..	350	149
5	राजकीय इन्टर कालेज, इटावा ..	449	52
6	एच0 एस0 एम0 इस्लामियां इन्टर कालेज, इटावा ..	564	87
7	राजकीय इन्टर कालेज, एटा ..	473	69
8	सर्वोदय विद्यापीठ इन्टर कालेज, एटा ..	319	24
9	राजकीय इन्टर कालेज, उन्नाव ..	372	57
10	राजकीय पालीटेकनिक, उत्तरकाशी .	120	24
11	स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर ..	988	183
12	रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गाजीपुर ..	160	5
13	आदर्श इन्टर कालेज, गाजीपुर ..	301	18
14	आई0टी0आई0, गाजीपुर ..	138	11
15	राजकीय पालीटेकनिक, श्रीनगर ..	202	48
16	राजकीय इन्टर कालेज, गोंडा ..	338	11
17	थामसन इन्टर कालेज, गोंडा ..	549	18
18	राजकीय महिला इन्टर कालेज, गोचर (चमोली) ..	223	31
19	तिलक धारी कालेज, जौनपुर ..	781	125
20	डी0ए0 वी0 इन्टर कालेज, उरई (जालौन) ..	549	399
21	गांधी इन्टर कालेज, उरई (जालौन) ..	496	236
22	क्रिश्चियन इन्टर कालेज, झांसी ..	592	42
23	एस0 आई0 इन्टर कालेज, झांसी (सरस्वती इन्टर कालेज)।	427	112
24	एस0 पी0 आई0 इन्टर कालेज, झांसी ..	843	180
25	बिपिन बिहारी इन्टर कालज, झांसी ..	475	107
26	राजकीय पालीटेकनिक, नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल)	219	35
27	राजकीय इन्टर कालेज, दवरिया ..	376	46
28	एस0 एस0 बी0 एल0 इन्टर का ेज, देवरिया ..	576	187
29	सन्त विनोवा महाविद्यालय , देवरिया ..	509	130
30	गंगा प्रसाद इन्टर कालेज, देवरिया ..	280	17
31	राजकीय पालीटेकनिक, लोहाघाट (पिथौरागढ़) ..	241	70
32	राजकीय इन्टर कालेज, पीलीभीत ..	147	13

1	2	3	4
33	राजकीय इन्टर कालेज, प्रतापगढ़ ..	566	59
34	कन्हैया लाल राम सरन रस्तोगी इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद	790	80
35	राजकीय इन्टर कालेज, फतेहपुर ..	395	46
36	राजकीय दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर ..	230	22
37	राजकीय इन्टर कालेज, फैजाबाद ..	499	59
38	एम0 एल0 एम0 एल0 इन्टर कालेज, फैजाबाद ..	358	26
39	सतीश चन्द्र महाविद्यालय, बलिया ..	1007	99
40	राजकीय महिला इन्टर कालेज, बलिया ..	530	64
41	राजकीय इन्टर कालेज, बलिया ..	507	36
42	यु0 म0 टाउन डिग्री कालेज, बलिया ..	328	22
43	कुंवर सिंह महाविद्यालय, बलिया ..	271	59
44	डी0ए0वी0 इन्टर कालेज, बुलन्दशहर ..	510	72
45	जे0 बी0 जनता इन्टर कालेज, बुलन्दशहर ..	537	75
46	राजकीय इन्टर कालेज, बुलन्दशहर ..	383	52
47	एस0 एम0 के0 रिग्राफ इन्टर कालेज, खुर्जा (बुलन्दशहर)	740	49
48	हीरा लाल राम निवास इन्टर कालेज, बस्ती ..	399	83
49	मौलाना आजाद इन्टर कालेज, बस्ती ..	467	78
50	सन्त कबीर आचार्य रामविलास इन्टर कालेज, बस्ती ..	167	6
51	श्री कृष्ण इन्टर कालेज, बदायूं ..	375	26
52	डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, बांदा ..	242	37
53	आर्य कन्या इन्टर कालेज, बांदा ..	377	50
54	सिटी इन्टर कालेज, बाराबंकी ..	507	37
55	किसान डिग्री कालेज, बहराइच ..	258	22
56	क्रिश्चयन इन्टर कालेज, मैनपुरी ..	656	59
57	राजकीय इन्टर कालेज, मैनपुरी ..	457	73
58	किशोरी रमण इन्टर कलेज, मथुरा ..	780	127
59	कनेंसी इन्टर कालेज, मथुरा ..	439	29
60	चम्पा अग्रवाल इन्टर कालेज, मथुरा ..	1080	64
61	राजकीय इन्टर कालेज, मुरादाबाद ..	597	26
62	आर0 एन0 इन्टर कालेज, मुरादाबाद ..	697	54
63	राजकीय हामिद इन्टर कालेज, रामपुर ..	257	22
64	फिरोज गांधी पालीटेक्निक, रायबरेली ..	235	35
65	राजकीय इन्टर कालेज, रायबरेली ..	225	17
66	राजकीय इन्टर कालेज, ललितपुर ..	359	147
67	श्री वर्णी जैन इन्टर कालेज, ललितपुर ..	80	11
68	राजकीय इन्टर कालेज, शाहजहांपुर ..	241	16
69	आर0 एम0 पी0 इन्टर कालेज, सीतापुर ..	462	64
70	मधुसूदन विद्यालय इन्टर कालेज, सुल्तानपुर ..	516	284
71	बेनी माधव बालिका इन्टर कलेज, हरदोई ..	293	44
72	विद्या मंदिर इन्टर कालेज, हमीरपुर ..	963	97

1	2	3	4
73	सरस्वती इन्टर कालेज, हाथरस ..	869	36
74	दौलत राम बारह सैनी इन्टर कालेज, हाथरस ..	656	19
75	पी0 बी0 ए0 एम0 इन्टर कालेज, हाथरस ..	757	23
76	एम0 जी0 पालीटेकनिक, हाथरस ..	811	23
77	राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, शाहगंज, आगरा ..	450	27
78	साकेत विद्यापीठ इन्टर कालेज, साकेत कालोनी, भीगीपुरा, आगरा ।	496	91
79	श्री एम0 एम0 शैरी हायर सेकेन्ड्री स्कूल, शहजादी मंडी, आगरा ।	285	27
80	सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज, उत्तर विजय नगर कालोनी, आगरा ।	432	16
81	राजकीय इन्टर कलेज, पचकुइंया शाहगंज, आगरा ..	479	14
82	महर्षि परशुराम इन्टर कालेज, आगरा	476	31
83	इलाहाबाद कालेज, इलाहाबाद ..	1142	71
84	भारत स्काउट तथा गाइडस हायर सेकड्री स्कूल, मनफोर्डगंज, इलाहाबाद ।	161	16
85	कर्नल गंज इन्टर कालेज, कर्नलगंज, इलाहाबाद ..	811	7
86	मोती लाल नेहरु रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ।	954	67
87	ईश्वर सरन डिग्री कालेज, इलाहाबाद ..	200	13
88	पी0 जी0 एस0 इन्टर कालेज, कानपुर	491	43
89	इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इस्टीट्यूट पांडुनगर, कानपुर	835	27
90	क्राइस्ट चर्च इंटर कालेज, कानपुर ..	732	76
91	कानपुर विद्या मंदिर महिला इंटर कालेज, स्वरूपनगर, कानपुर ।	709	34
92	धर्म सभा इन्टर कालेज, लखीमपुर खीरी ..	221	18
93	मारवाड़ी इन्टर कालेज, गोरखपुर ..	634	38
94	डी0 वी0 इन्टर कालेज, गोरखपुर ..	597	63
95	दिग्विजय नाथ डिग्री कालेज, गोरखपुर ..	496	31
96	सेण्ट एन्ड्रयूज इंटर कालेज, गोरखपुर ..	460	20
97	अभय नन्दन इन्टर कालेज, गोरखपुर ..	522	94
98	एस0 पी0 पालीटेकनिक, गोरखपुर ..	283	11
99	डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, गोरखपुर ..	309	14
100	सेठ मुकुन्द लाल (विद्या केन्द्र) इंटर कालेज, गाजियाबाद	956	88
101	श्री सनातन धर्म इंटर कालेज, गाजियाबाद ..	578	7
102	साधुराम इन्टर कालेज, देहरादून ..	512	109
103	श्री लक्ष्मण विद्यालय इंटरमीडिएट कालेज, देहरादून	240	24
104	नैनीताल पालीटेकनिक, नैनीताल ..	388	60
105	सी0आर0एस0डी0 इंटर कालेज, नैनीताल ..	214	21
106	राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इंटर कालेज, बिजनौर ..	814	48

1	2		3	4
107	राजकीय इंटर कालेज, बिजनौर	..	416	55
108	बरेली कालेज, बरेली	..	449	13
109	गुलाब राय इंटर कालेज, बरेली	..	305	32
110	एफ0 आर0 इस्लामियां इंटर कालेज, बरेली	..	306	15
111	एम0 डी0 इन्टर कालेज, मुजफ्फरनगर	..	943	115
112	एम0 एम0 एम0 इन्टर कालेज, मुजफ्फरनगर	..	497	24
113	एस0 डी0 डिग्री कालेज, मुजफ्फरनगर	..	894	56
114	मेरठ कालेज, मेरठ	..	998	88
115	केन्द्रीय विद्यालय पंजाब लाइन, मेरठ	..	542	29
116	केन्द्रीय विद्यालय सिक्ख लाइंस, मेरठ कैन्ट	..	449	44
117	केन्द्रीय विद्यालय डोंगरा लाइंस, मेरठ	..	487	51
118	राजकीय इंटरमीडिएट कालेज, मिर्जापुर	..	423	42
119	श्री शिव इंटर कालेज, मिर्जापुर	..	368	38
120	राजस्थान इंटरमीडिएट कालेज, मिर्जापुर	..	433	45
121	श्री एस0 एन0 बी0 इन्टर कालेज, लखनऊ	..	914	117
122	राजकीय महिला पलीटेकनिक, लखनऊ	..	434	25
123	श्री जय नरायन इन्टर कालेज, लखनऊ	..	713	44
124	महराजा अग्रसेन विद्यालय इंटर कालेज, लखनऊ	..	626	29
125	श्री गुरु नानक गर्ल्स इन्टर कालेज, लखनऊ	..	270	5
126	कालीचरण इंटर कालेज, लखनऊ	..	536	29
127	श्री विष्णु नारायण इंटर कालेज, लखनऊ	..	236	3
128	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करौंदी, वाराणसी	..	703	136
129	बदलू प्रसाद खत्री, राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थान, चौकाघाट, वाराणसी।		692	65
130	उदय प्रताप कालेज, वाराणसी	..	919	40
131	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	..	856	133
132	के0 एल0 डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, रुड़की	..	680	43
133	राजकीय इंटर कालेज, रुड़की	..	413	59
134	आर्य कन्या पाठशाला, रुड़की	..	600	43
135	कन्हैया लाल डी0ए0वी0 डिग्री कालेज, रुड़की	..	244	14
136	के 0एल0 पालीटेकनिक , रुड़की	..	170	15
	योग	..	68524	8259

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 28 विधान सभा-30-7-83 (1585) 1984-813 (हिन्दी)